राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 06]   पन्द्रहवीं विधान सभा के छठे सत्र का अट्ठाईसवां दिवस [संख्या: 13

मंगलवार,

09 मार्च 2021

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्री कैलाश जी मेघवाल।

फतेहपुरा व समेलिया (भीलवाड़ा) में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना

129. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला भीलवाड़ा की तहसील शाहपुरा के गांव फतेहपुरा एवं समेलिया में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है? यदि हां, तो उक्त परियोजना एवं परियोजना प्रस्तावक का विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) उक्त योजना का कब तक क्रियान्वयन कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) जी हां। रीको औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु रीको के प्रस्ताव पर जिला भीलवाड़ा की तहसील शाहपुरा के ग्राम फतेहपुरा की 64.77 हैक्टेयर राजकीय भूमि का आबंटन उद्योग (ग्रुप 1) विभाग के आदेश दिनांक 04.08.2015 व ग्राम समेलिया की 50.10 हैक्टेयर राजकीय भूमि का आबंटन उद्योग (ग्रुप 1) विभाग के आदेश दिनांक 03.02.2016 से रीको के पक्ष में किया गया है। आबंटन आदेश की प्रतियां परिशिष्ट "अ" व "ब" पर संलग्न हैं।

आबंटित भूमियों का भौतिक कब्जा क्रमश: दिनांक 07.01.2016 व 29.04.2016 को रीको के पक्ष में प्राप्त किया जा चुका है।

(2) उक्त औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने हेतु रीको के स्तर पर

(उद्योग मंत्री)

प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन है एवं योजना का क्रियान्वयन आगामी दो वर्षों में किया जाएगा।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): अध्यक्ष महोदय, मुझे इस प्रश्न का जवाब मिल गया। दो नम्बर का जवाब है, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक नम्बर में सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इन्फ्रास्ट्रक्चर वहां आ चुका है। पानी की व्यवस्था हो चुकी है। लाइट की व्यवस्था भी हो चुकी है। प्लानिंग के हिसाब से 307 प्लाटों का भी डीमार्केशन हो चुका है। मंत्री जी, अगर आपको याद हो, मैंने कोरोना के पहले निवेदन किया था कि आप चलिए, नीलामी की तैयारी है, आप आबंटन कर दीजिए, काम चालू हो जाएगा तो मैं आज आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपको कब समय है? कुछ बाकी नहीं है, पब्लिक हियरिंग भी हो चुकी, आपके विधायकों ने, अफसरों ने बताया होगा। पब्लिक हियरिंग आखिरी प्रक्रिया होती है, वह भी हो चुकी है। उसकी सारी स्थितियां क्लियर हो चुकी हैं, अब तो केवल 307 प्लाट आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं आपके साथ चलूंगा। उनकी नीलामी या आबंटन की प्रक्रिया पर आप काम कर दीजिए, काम चालू हो जाएगा। इसमें दो साल की जरूरत क्या है? मुझे समझ में नहीं आता है। आप बताइये कि दो साल की क्या आवश्यकता है? कौनसी प्रक्रिया बाकी रह गई? सब प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, right to everything**,** आप मुझे या तो यह बताएं कि यह प्रक्रिया बाकी रह गई है तो मैं संतुष्ट हो जाऊं या फिर आज घोषणा कीजिए कि बहुत जल्दी यह चालू कर दिया जाएगा।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि इसका कब्जा 2016 में ले लिया गया था। एनवायर्नमेंट क्लियरेंस 03.05.2019 को आई थी। उसके बाद आपने कहा था कि कोविड आ गया था। अभी हो जाना चाहिए, वैसे इसी वर्ष हम आपके क्षेत्रों को विकसित करके नीलाम करवा देंगे।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): इसी वर्ष से आपका मतलब?

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): इसी वित्तीय वर्ष में।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): वर्ष तो लम्बा है। इसी महीने कहिए।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): 2021-22 में, अध्यक्ष महोदय, तुरंत ही करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती अनिता भदेल।

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निजी अस्पतालों के बकाया का भुगतान

130. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा संचालित भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो जनवरी, 2020 से जुलाई, 2020 तक उक्त योजना के तहत कितने मरीजों का उपचार किया गया? माहवार एवं जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उक्त के तहत प्रदेश में सूचीबद्ध निजी अस्पतालों को भुगतान नहीं किये जाने से निजी अस्पतालों द्वारा भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मरीजों का उपचार करना बन्द कर दिया गया? यदि हां, तो वर्ष 2019 व 2020 में उक्त अस्पतालों को इस योजना के तहत कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है? ज़िलेवार विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री रघु शर्मा): (1) जी नहीं। राज्य में पूर्व में संचालित भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को केन्द्र की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ एकीकृत कर आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना दिनांक 01.09.2019 से संचालित है, जिसका नवीन चरण 30.01.2021 से प्रारम्भ हो गया है। जनवरी, 2020 से जुलाई, 2020 तक ज़िलेवार मरीजों की संख्या की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। राज्य में योजना से संबद्ध 816 निजी चिकित्सालयों द्वारा क्लेम्स प्रस्तुत किये गये, जिन्हें समय-समय पर भुगतान जारी किया गया। दिनांक 04.03.2021 को योजना के पोर्टल की सूचनानुसार जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2020 तक निजी चिकित्सालयों के बकाया भुगतान की राशि का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्रीमती अनिता भदेल)

माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, उस जवाब में यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ भामाशाह योजना को एकीकृत कर, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना 01.09.2019 से संचालित है जो 01.09.2019 से संचालित है, तो जनवरी से लेकर 01.09.2019 तक किस योजना के तहत इलाज किया जा रहा था? पहले तो यह बताएं, मेरा एक सवाल यह है।

दूसरा सवाल मेरा यह है, आपने यह कहा है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को एकीकृत कर, आयुष्मान महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई है। अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि यह राजस्थान की योजना बना दी आपने जबकि प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत के लिए आयुष्मान योजना बनाकर दी थी। मैं क्या ऐसा समझ पा रही हूं कि यह जो राजस्थान की योजना है, उसमें प्रीमियम की राशि जिन अस्पतालों को मिलने वाली है, राजस्थान के मरीज हैं, इस योजना के तहत वह राजस्थान में ही इलाज कराने के लिए सक्षम होंगे या पूरे हिन्दुस्तान भर में किसी भी अस्पताल में जाकर इलाज करवा सकते हैं? आयुष्मान भारत....

श्री अध्यक्ष: प्रश्न, माननीय प्रश्न।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मेरा प्रश्न यही है कि आयुष्मान भारत बीमा योजना तो पूरे हिन्दुस्तान के लिए लागू थी। आपने यह राजस्थान की योजना बना दी है। इस योजना में जो सुविधा मिलेगी राजस्थान के बीमारों को, उस कार्ड से क्या वह पूरे हिन्दुस्तान भर में इलाज कराने में सक्षम होंगे या सिर्फ राजस्थान-राजस्थान में ही इलाज कराने में सक्षम होंगे?

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह योजना 2015 में पूर्ववर्ती सरकार के समय लागू हुई थी। योजना 2015 से 2017 के बीच, दो साल के लिए लागू की गई थी। फिर 2017 से 2019, दो फेज यह पूरे हो चुके थे। तीसरे फेज का काम अब चल रहा है। अभी माननीय सदस्या ने पूछा कि यह 01 सितम्बर से पहले कौन चला रहा था? प्रधान मंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना 23 सितम्बर, 2018 को लागू की, उसमें सोशियो इकोनोमिक सर्वे 2011 का हुआ था, उसमें 59 लाख 71 हजार परिवार थे, उनको लाभार्थी मानते हुए 5 लाख का कवरेज उसमें दिया गया। हमारी भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना यहां चल रही थी, जो एनएफएसए के लाभार्थी

(श्री रघु शर्मा)

थे, वह 98 लाख लोग थे। हमने 01 सितम्बर की तारीख आपको दी है, यह दोनों योजनाओं को क्लब करके दी है। आयुष्मान भारत योजना, प्रधान मंत्री जी ने लागू की, यह सितम्बर में लागू हुई।

अध्यक्ष महोदय, मेरा तो उलटा प्रश्न इनसे है, इन्हीं की सरकार दिल्ली में, इन्हीं की सरकार राजस्थान में, इन लोगों ने यह कहकर कि हमारी योजना ज्यादा अच्छी है, प्रधान मंत्री की योजना को यहां लागू ही नहीं किया। हमने उलटा 01 सितम्बर से दोनों योजनाओं को क्लब करके यहां राजस्थान में लागू किया है। आपको इसका तो धन्यवाद देना चाहिए।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): पैसा कितना..

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 80 परसेंट पैसा हमारा है। आप क्यों सवाल पूछ रहे हो, उनको पूछने दो।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, एक दूसरे से मंत्री जी सवाल करेंगे तो फिर हो गया।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2015 से 2017 के बीच जब योजना चली, प्रीमियम 370 रुपये प्रति व्यक्ति बनता था। इनके पैकेजेज थे, 17 सौ से ज्यादा थे, 1715 पैकेज। उसके बाद इन्होंने जब दूसरी 2017 से 2019 में लागू की तो इसका प्रीमियम बढ़ा 893 रुपये। 893 रुपये बढ़ाए और पैकेजेज कम कर दिये, 1401 कर दिये। फिर हमने अभी लागू किया तो 1662 प्रीमियम है, 399 रुपये बढ़े, पैकेजेज भी हमने 1576 कर दिये। ज्यादा बेहतर तरीके से हमने यह योजना लागू की है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी हिन्दी थोड़ी ठीक है, मैंने स्पष्ट रूप से यह प्रश्न किया था कि यह योजना, जो आपने एकीकृत करके बनाई है, यह सिर्फ राजस्थान-राजस्थान में लागू होगी या प्रधान मंत्री की योजना है, जो पूरे हिन्दुस्तान में लागू होती है, उसमें होगी?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न, बस वहीं तक।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मेरा यही प्रश्न है। इस प्रश्न का तो जवाब आया नहीं।

श्री अध्यक्ष: हां, उसका उत्तर देंगे। आप उसको बहुत लम्बा नहीं करें। इसका जवाब दे देंगे। आपका प्रश्न समझ आ गया।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): दूसरा प्रश्न।

श्री अध्यक्ष: पहले एक-एक का जवाब आने दें। फिर वापस खड़े होंगे आप।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी ने जो योजना लागू की थी, वह भी राजस्थान के लोग थे, 59.71 लाख लोग। हमने उन्हीं को इसमें क्लब किया है। एनएफएसए के जो बेनिफिशियरीज थे वह 98 लाख लोग थे, इन दोनों को क्लब करने के बाद कुछ ओवरलेपिंग हुआ और टोटल संख्या 01 करोड़ 10 लाख हो गई। इसका लाभ राजस्थान में ही मिलेगा, हमने यह इस योजना के साथ ही बता दिया था।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): यह उत्तर आ गया कि राजस्थान के हास्पिटल्स में ही वह बीमार आदमी इलाज करा सकता है। यदि उसको अहमदाबाद जाने की सुविधा इस योजना के तहत मिलती तो अब वह बन्द हो गई। स्पष्ट रूप से आपका जवाब आ गया। मैं आपके जवाब से संतुष्ट हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल प्रश्न, दूसरा प्रश्न था कि क्लेम की राशि, जो हास्पिटल्स मांग रहे हैं और जिसके कारण से अस्पतालों ने इलाज करना बन्द कर दिया, आज भी इलाज नहीं होता है, वह क्लेम की राशि, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देखिये 67 करोड़ 74 लाख रुपये, सिर्फ 2019-20, 12 महीनों के बाकी हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिये। यह लिखा हुआ है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): हां, जनवरी, 2019 से लेकर के दिसम्बर तक की यह राशि बाकी है तो इस राशि का भुगतान आप कब तक कर देंगे, ताकि निजी हास्पिटल इलाज करना शुरू करें।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न, माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें, सप्लीमेंट्री में इतना नहीं पूछा जाता।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं कि किसी भी प्राइवेट अस्पताल ने इलाज करने से मना नहीं किया है। यह जो आप प्रचार कर रहे हैं कि भामाशाह योजना को बन्द कर दिया, बन्द कर दिया। आपकी मुख्य मंत्रीजी की योजना अच्छी थी, लेकिन आपने गलत तरीके से लागू किया था।

(श्री रघु शर्मा)

आपने जिस तरह से अस्पतालों को सम्बद्ध किया। (व्यवधान) सुनिये मेरी बात। मैं इसका भी जवाब दे रहा हूं आपका। ये 67.74 करोड़, यह जो पैसा बकाया है, यह हमने 23.30 करोड़ रुपये 4 तारीख के बाद में, यह जब जवाब दिया है आपको, यह 4 तारीख के पहले का जवाब है और पोर्टल पर 4 तारीख को जो इन्फोर्मेशन थी, उसके हिसाब से मैंने 67.74 करोड़ बताया था। उसके बाद हमने 23.30 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है। बाकी भुगतान 31 मई तक हो जाएगा लेकिन यह जो दुष्प्रचार कर रहे हैं कि प्राइवेट हास्पिटल ने मना कर दिया है, ऐसी कहीं भी स्थिति नहीं है। उलटा मेरा इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने जब सम्बद्धता, योजना अच्छी थी लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में इन्होंने जो कमियां रखीं, वे इतनी खतरनाक रखीं कि न इन्फ्रास्ट्रक्चर देखा, न वहां मैन-पावर देखी। बैड की संख्या देखकर इन्होंने उनको अनुमत कर दिया। 1715 पैकेज ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): वह फ्रॉड हुआ। फर्जी क्लेम उठाने की घटनाएं हुईं। सर्जरी किसकी हो रही है, क्लेम किसका उठाया जा रहा है। अनुमत क्लेम जो ज्यादा है, पहली बात तो यह है, ये कोई क्राइटेरिया रखते कि ये 1715 पैकेज हैं, ये पैकेज हम इस अस्पताल को, आप उसकी फिजिकल वैरिफिकेशन तो करते। अब हमने जो लागू किया है वह पूरा फुल प्रूफ है। इन्होंने निजी अस्पताल को सम्बद्ध करने का काम सिर्फ इंश्योरेंस कम्पनी के भरोसे छोड़ दिया। इन्होंने आवेदन आनलाइन नहीं रखा। इन्होंने केवल पैकेजेज स्वीकृत कर दिये। इन्होंने विशेषज्ञ चिकित्सकों का कोई वैरिफिकेशन करके नहीं दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने अब इसको पूर्णतया आनलाइन किया और पोर्टल पर अपडेट है। अब कोई भी चाहे देख सकता है। उसके अलावा हमने जिला और राज्य स्तर पर एम्पैनलमेंट की कमेटी बनाई है। इसके अलावा राजस्थान की जो मेडिकल कौंसिल है, उससे आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हमने यह दी है कि अगर मान लो कोई रजिस्टर्ड नहीं है, तीन महीनों के अन्दर-अन्दर वह अपने आपको RMC से रजिस्टर्ड करा ले। उसके अलावा प्रत्येक बैड के लिए 80 फीट की न्यूनतम जगह होनी चाहिए। जगह ही नहीं है और बैड ज्यादा बताकर इन लोगों से पैकेज ले लिए। कुल मिलाकर जो इन लोगों ने राजस्थान के साथ किया,

(श्री रघु शर्मा)

योजना की वाहवाही तो लूटी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये 400 करोड़ रुपये इन्होंने खर्च किये, इनकी मुख्य मंत्री की उस पर फोटो लगाई, कमल का फूल लगाया, अपने झंडे का रंग लगाया। यूनिक आई.डी. से काम चल रहा था कि नहीं चल रहा था? जवाब दो। राजस्थान की टैक्सपेयर जनता का 400 करोड़ रुपया इन लोगों ने बर्बाद किया। उसके अलावा जो इंश्योरेंस कम्पनी थी, उसके साथ इनका एम.ओ.यू. क्या हुआ और उसको ये बाध्य कर रहे थे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 65 करोड़ रुपये निजी अस्पतालों को डाइरेक्ट हमने पेमेंट किया है और इनकी गलती को दुरुस्त किया है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: कटारियाजी। माननीय सदस्य, नहीं, बैठें प्लीज। नीचे बैठें, नीचे बैठें। गलत बात। नीचे बैठें। अंकित नहीं होगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: गलत परम्परा, लीडर खड़े हो रहे हैं और आप खड़े हो रहे हैं। काहे की पार्टी चला रहे हैं आप, गलत बात है बिलकुल।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि जो खण्ड (2) है, उसमें इन्होंने बहुत साफ प्रश्न पूछा था, निजी अस्पतालों द्वारा भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मरीजों का उपचार करना बन्द कर दिया गया? यदि हां, तो वर्ष 2019-20 में उक्त अस्पतालों को इस योजना के तहत कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है?

मतलब सूची जिलानुसार मांगी, लेकिन जिले के हास्पिटल के अनुसार मांगी। सूची मांगी इन्होंने जिले, आपने क्लब कर दिया इन 7 महीनों का, केवल जिले के अन्दर जो बकाया थे, उसको क्लब कर दिया। इनका पूछने का मतलब यह था कि आपने उस जिले के जिन हास्पिटल्स को, जो पैसा ड्यू था, उसको मांगा था। मेरा आपसे केवल इतना ही है कि यह जो आपने 7 महीनों की सूची दी है न, इसमें आप दे रहे हैं कि 3 लाख 65 हजार लोगों का उपचार हुआ। यह आपकी सूची बता रही है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इन्होंने 1 जनवरी, 2019 से ले करके 31 दिसम्बर, 2020 तक माना, इसका मतलब 24 महीने का माना। अगर इसको आधार मानें तो क्या यह जो इससे चार गुना संख्या की हुई है, उनमें से किसी का पेमेंट बाकी नहीं है? आप जो दे रहे हैं, यह 7 महीनों की सूची दे रहे हैं कि इतने पेशेंट इन-इन जिलों में रहे। मैं यह कह रहा हूं कि जो सूची मांगी वह 1 जनवरी, 2019 से लेकर 31 दिसम्बर, 2020 तक मांगी, मतलब 24 महीनों की। इन 7 महीनों में अगर 3 लाख 65 हजार का इलाज हुआ तो क्या इससे चार गुना लोगों का इलाज हुआ, जिनका पेमेंट हो गया क्या?

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, समझ नहीं पा रहा हूं, माननीय नेता, प्रतिपक्ष क्या पूछना चाहते हैं? आप स्पष्ट पूछिये, मैं जवाब दूंगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): पहला तो यह है कि जो सूची हमने मांगी, वह जिले के अनुसार मांगी, पैसों की। जो आप 67 करोड़ रुपये की सूची दे रहे हैं कि उदयपुर जिले का 8 करोड़ समथिंग पैसा बाकी है और जयपुर जिले का 35 करोड़ समथिंग बाकी है, यह 7 महीनों की सूची दी है। हमारा अभिप्राय यह था कि हास्पिटलवाइज किसका कितना पैसा बाकी था? यह सूची तो मांगी थी उस जिले के अनुसार, एक जिले में मान लें, आपने लिखा न हास्पिटल, 816 हास्पिटल लिस्ट में जोड़ रखे हैं कि यहां इलाज होगा तो पैसा मिलेगा। हमारा पूछने का मतलब, यह जो 33 जिले हैं, इनमें 816 जो हास्पिटल्स हैं, इनमें किस हास्पिटल का कितना पैसा ड्यू था, यह मांगा था।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, माननीय मंत्रीजी। माननीय सदस्य, यह सूचना उपलब्ध करा देंगे। मैंने इसमें देख लिया।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नहीं, मेरे पास है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: अब यह प्रश्न कोई घंटे भर थोड़े ही चलेगा। जो सूचना है, मैंने इसमें देखा है, आपने जिलेवार इनको अमाउंट दिया है। आपका था, जिला और अस्पताल का आना चाहिए तो जिले में जितने अस्पताल हैं, उनकी सूचना वे आपको भेज देंगे। अगला प्रश्न।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, मैं अलाउ नहीं करूंगा। माननीय मंत्रीजी, बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। मैं खड़ा हुआ हूं। Please. I will not allow it. प्रश्न की कोई लिमिट होती है।

अगला प्रश्न, श्री प्रशान्त बैरवा।

निवाई में चरागाह भूमि का रूपान्तरण

131. श्री प्रशान्त बैरवा (निवाई): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई के कौन-कौनसे गांव कितने वर्षों से चरागाह भूमि में बसे हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या चरागाह भूमि में बसे हुए गांवों की भूमि को रूपान्तरित किया जा सकता है? यदि हां, तो किस नियम के तहत व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इन गांवों की चरागाह भूमि को आबादी भूमि में रूपान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री हरीश चौधरी): (1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में दो तहसील, तहसील निवाई व तहसील पीपलू स्थित हैं।

तहसील निवाई क्षेत्र में कोई भी मूल राजस्व गांव पूर्णरूप से चरागाह भूमि में बसा हुआ नहीं है परन्तु 98 ग्रामों की ढाणियां आंशिक रूप से चरागाह में बसी हुई हैं।

तहसील पीपलू क्षेत्र में कोई भी मूल राजस्व गांव पूर्णरूप से चरागाह भूमि में बसा हुआ नहीं है परन्तु 9 ग्रामों की ढाणियां आंशिक रूप से चरागाह में बसी हुई हैं।

उक्तानुसार विधान सभा क्षेत्र निवाई में कोई भी मूल राजस्व ग्राम पूर्णरूप से चरागाह भूमि में नहीं बसा हुआ है परन्तु कुल 107 ग्रामों की ढाणियां आंशिक रूप से चरागाह भूमि में बसी हुई हैं।

(2) चरागाह भूमियों के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जगपाल सिंह के प्रकरण में एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के गुलाब कोठारी के प्रकरण में जारी आदेशों के अनुसार चरागाह भूमि का वर्गीकरण

(राजस्व मंत्री)

परिवर्तन व्यक्तिगत प्रयोजनार्थ नहीं किये जाने हेतु निर्देश राज्य सरकार को जारी किये गये एवं चरागाह भूमि के ऊपर अतिक्रमणों को समाप्त करने के निर्देश भी जारी किये गये हैं।

(3) चरागाह किस्म की भूमियों पर बसे गांव की आबादी को नियमित करने के क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं भूमिहीन कृषक, जिनको पूर्व में पट्टे जारी किये जा चुके हैं, उक्त श्रेणियों के व्यक्तियों को ही योजना बनाकर नियमित किया जा सकता है। उक्त क्रम में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर बसी आबादी यदि सघन आबादी है एवं इसे नियमित किया जाना प्रस्तावित हो तो राज्य सरकार के आदेश 20.05.2019 (परिशिष्ट-अ) एवं 10.07.2019 (परिशिष्ट-ब) के अनुसार उचित निर्णय लिए जाने बाबत प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने हेतु समस्त जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री प्रशान्त बैरवा (निवाई): सर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि संख्या बहुत बड़ी है। गांवढाणियों में 98 मेरे निवाई में और 9 मेरे पीपलू क्षेत्र के अन्दर हैं। सर, ये गरीब तबकों के वे लोग हैं जो आज तक सरकारी योजनाओं का लाभ ही नहीं ले पाये और ये बहुत बड़ी आबादी में गांवों में बसे हुए हैं। न तो इन्दिरा आवास इनके बन सकता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री प्रशान्त बैरवा (निवाई): सर, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से शहरों में सरकार यह पट्टे दे रही है, उसी तरह से गांवों में क्यों नहीं पट्टे दिये जाएं? क्योंकि उनको जितने भी सरकारी ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछें।

श्री प्रशान्त बैरवा (निवाई): मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि कब तक कलेक्टर साहब को यह निर्देश दिया जाएगा कि एक मुहिम चलाकर इनको रैगुलर किया जाए?

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जो निर्देश दिये गये हैं, मैं माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि इन निर्देशों के परव्यू में जो कुछ भी प्रकरण होंगे, उनको हम लोग जरूर आने वाले समय में, इनका सर्वे भी हम लोगों ने करवा दिया है, अनुसूचित जाति की

(श्री हरीश चौधरी)

संख्या 667 है और अनुसूचित जनजाति की संख्या 310 है पर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जो डिसीजन हैं, उनके परव्यू में जो-जो केसेज आएंगे, उनको हम लोग अलाटमेंट कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री प्रशान्त बैरवा (निवाई): यह मुख्य धारा से जोड़ने वाली बात है, सर, इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि ये बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं और पचास साल से यहां पर विस्थापित हैं, तो उनको एफ्लुएंट करने की सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है इसलिए ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछें। यह हो गया। आप बैठें। अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 132

श्री रामप्रसाद।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें)

श्री हमीर सिंह भायल।

सिवाना के राजकीय वीर नारायण परमार महाविद्यालय में रिक्त पद

133. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सिवाना उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित राजकीय वीर नारायण परमार महाविद्यालय में कितने पद स्वीकृत हैं व कितने पद रिक्त हैं? सरकार उक्त रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त महाविद्यालय में नवीन विषय एवं नवीन संकाय प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं कौन-कौन से विषय एवं संकाय? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त महाविद्यालय को स्नातक से स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री भंवर सिंह भाटी): (1) सिवाना उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित वीर नारायण परमार राजकीय महाविद्यालय, सिवाना में शैक्षणिक व अशैक्षणिक वर्ग के स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त पदों का विवरण

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

क्रमश: परिशिष्ट-1 व 2 पर संलग्न है। विभिन्न विषयों में रिक्त सहायक आचार्य के 918 पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा दिनांक 18.12.2020 को विज्ञापन जारी कर दिया गया है, भर्ती प्रक्रियाधीन है। उक्त महाविद्यालय में रिक्त पदों को नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर यथा समय भरा जा सकेगा।

(2) उक्त महाविद्यालय में नवीन विषय एवं नवीन संकाय प्रारम्भ करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(3) उक्त महाविद्यालय को स्नातक से स्नातकोत्तर स्तर में क्रमोन्नत करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने चार जो सह/सहायक आचार्य बताया है, वहां वर्तमान में एक के अलावा, डैपुटेशन पर अलग होगा, पर वहां पर एक के अलावा कोई भी नहीं है। मंत्री महोदय, आप छात्र संख्या बताने की कोशिश करें। छात्र संख्या 600 से ज्यादा है। वहां पर अशैक्षणिक में तो एक भी पोस्ट, 13 में से 13 पद अभी खाली पड़े हैं। यह कैसे चलेगा?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): यही निवेदन है कि कब तक ये पद भर दिये जाएंगे? पहला निवेदन यही है।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने मूल प्रश्न के जवाब में अभी माननीय सदस्य को यह अवगत कराया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि अभी उच्च शिक्षा विभाग में, कालेज एजुकेशन में 50 प्रतिशत के लगभग पद रिक्त हैं और इन रिक्त पदों की वजह से शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित नहीं हो, उसके लिए हमने 'रेस' एक कार्यक्रम शुरू किया है, उसके तहत हमारे जिले के दूसरे कालेज जहां पर शिक्षक पर्याप्त हैं, वहां से उन शिक्षकों को कुछ समय के लिए जहां पर यह रिक्त पद हैं, उन कालेजेज में लगाया जाता है और जो विद्यार्थियों का कोर्स है, वह हमने पूरा किया है।

दूसरा, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमने 918 पदों का, जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया कि अप्रैल में आर.पी.एस.सी. के द्वारा 918 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। 'विद्या संबल योजना' की माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने

(श्री भंवर सिंह भाटी)

घोषणा की है। इसके तहत राजस्थान के तमाम गवर्नमेंट कालेजेज में जहां पर शिक्षकों के रिक्त पद हैं, उन पदों पर जो विद्यार्थी हैं, जो युवा हैं, जो कालेज शिक्षक की योग्यता रखते हैं, तो उनको गैस्ट फैकल्टी पर एक अप्रैल के बाद में पढ़ाने के लिए हमने प्रावधान किया है और उसके लिए बाकायदा बजट भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने स्वीकृत किया है, तो अप्रैल के बाद में यह प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जाएगी।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो अशैक्षणिक वर्ग के 13 के 13 ही पद खाली हैं, उनमें से कितना भर लेंगे? एक निवेदन यह कर रहा था कि कालेज का कार्य चल रहा था, 9 महीने से उसके भवन का काम बन्द पड़ा है, उसको कब तक चालू करवा देंगे?

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सिवाना का जो राजकीय महाविद्यालय है, यह 2015 में स्वीकृत किया गया और तभी से 13 के 13 अशैक्षणिक पद लगातार खाली हैं। अशैक्षणिक पदों पर भी पी.टी.आई., लाइब्रेरियन आदि पदों में रिक्तता की वजह से यह पद रिक्त हैं।

दूसरा, तीन करोड़ रुपये 2015 में स्वीकृत किये गये थे, उसकी बिल्डिंग सिवाना में पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और तीन करोड़ रुपये का जो सैकण्ड फेज का काम है, उसकी भी स्वीकृति विभाग के द्वारा दे दी गयी है और यह प्रक्रियाधीन है और जल्दी से जल्दी इस कार्य को भी, जो अधूरा भवन का निर्माण कार्य है, उसको पूरा करवा दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, यह कालेज 2015 से शुरू हुआ और यह जो पद आप बता रहे हो, यह पद भी 2015-16 में स्वीकृत हुए होंगे, उसके बाद कोई स्वीकृत हुआ है क्या? मतलब, जो टीचिंग स्टाफ में से 10 में से 6 खाली हैं और नोन शैक्षणिक में 13 में से 13 खाली हैं, 2015 से यह कालेज चल रहा है, क्या इससे उन बच्चों की पढ़ाई को, जिसके लिए यह कालेज खोला था, क्या हम उसकी पूर्ति कर पाएंगे?

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, शैक्षणिक पद जो रिक्त हैं, 10 में से 6 शैक्षणिक पद रिक्त हैं, उन रिक्त पदों की वजह से बच्चों की वह पढ़ाई प्रभावित नहीं हो, उसके लिए

(श्री भंवर सिंह भाटी)
हमने 'रेस' कार्यक्रम जो शुरू किया है, उसमें हमारे जिले के जो दूसरे कालेजेज हैं, जहां पर शिक्षक पर्याप्त मात्रा में हैं या अधिक हैं तो वहां से हमने एक-एक महीने के लिए कालेजेज में इनको लगाकर, इन विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम पूरा करवाया है।

दूसरा जैसा कि माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने अभी बताया कि यह 2105 से ही अशैक्षणिक के पूरे पद रिक्त हैं। अशैक्षणिक रिक्त पदों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, तो इनको भरने के लिए भी फाइनेंस विभाग के स्तर पर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं तो आने वाले समय में जल्दी से जल्दी किया जाएगा और रिक्त पदों के अगेंस्ट जो काम प्रभावित हो रहे हैं, तो उनको हमने वहां महाविद्यालय की जो समितियां हैं, उनके स्तर पर अस्थायी तौर पर कर्मचारियों को लेकर यह काम करवाये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, आई.टी. का जमाना आ गया है। आई.टी. के जमाने के बाद भी यदि यह फैकल्टी नहीं है, वेकेंसी है तब भी एक कालेज में पूरी फैकल्टी से वेबिनार के माध्यम से हम टीचिंग करवा सकते हैं। मैं समझता हूं कि यह समय आ गया है यदि सरकारों के पास पैसा नहीं है, हम पद क्रिएट नहीं कर सकते हैं तो नये सिरे से आई.टी. का उपयोग, कैसे हम कम स्टाफ में ज्यादा लोगों को टीचिंग दे सकें, इसके सम्बन्ध में विभाग को चर्चा करनी चाहिए जिससे इफैक्टिव हम टीचिंग कर सकें अन्यथा, कालेज खोल दें, क्वालिटी आफ एजुकेशन नहीं होगी तो हम बच्चों के साथ न्याय नहीं करेंगे।

मेरा आपसे यह निवेदन है कि आई.टी. को इन्वाल्व करके किस तरह से हम आई.टी. के माध्यम से हमारे पास जो फैकल्टी अवेलेबल है उस फैकल्टी का बेस्ट उपयोग लेकर वेबिनार के माध्यम से यदि हम क्लासेज लेंगे तो मैं यह समझता हूं कि इफैक्टिव ढंग से हम टीचिंग कर सकेंगे। इस सम्बन्ध में भी विभाग को कोई चर्चा करके यह निर्णय करना चाहिए। अन्यथा, यह 918 आपकी जो वेकेंसी हैं, जितने कालेज खुले हुए हैं उनमें फैकल्टी को पूरा नहीं कर सकेगा तो क्लासिकल एग्जाम्प्ल है कि 2015 से यह कालेज चल रहा है और अब 2021-22 हो गया। 2021-22 तक वहां पर शैक्षणिक पद भरे हुए नहीं हैं, फैकल्टी नहीं है तो जिस तरह की क्वालिटी आफ एजुकेशन हम दे रहे हैं, बच्चों के साथ न्याय नहीं होगा। मेरी आपसे यह अपेक्षा है कि जमाना बदल गया है, आई.टी. के माध्यम से हम कम स्टाफ में कैसे क्वालिटी

(श्री अध्यक्ष)

आफ एजुकेशन कर सकें, इस सम्बन्ध में विभाग को आई.टी. के एक्सपर्ट के साथ उपयोग करके इसका निर्णय करना चाहिए जिससे हम क्वालिटी आफ एजुकेशन कर सकें।

अगला प्रश्न। श्रीमती संतोष।

श्रीगंगानगर के राजकीय वाहनों की लॉग बुक का सत्यापन

134. श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): क्या स्टेट मोटर गैराज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार के वाहनों का वाहन चालक द्वारा लॉग बुक भरे जाने के उपरांत सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाना आवश्यक है? यदि हां, तो विगत तीन वर्ष में जिला श्रीगंगानगर में कौन-कौन से राजकीय वाहनों की लॉग बुक में चेकिंग के समय अनियमितता पाई गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले के सभी राजकीय वाहनों की लॉग बुक संधारित की जा रही है? यदि हां, तो संधारित लॉग बुक का सत्यापन किस आधार पर किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त वाहनों से यात्रा कार्यक्रम का सक्षम स्तर पर अनुमोदन आवश्यक है? यदि हां, तो विगत तीन वर्ष में उक्त जिले के किन-किन अधिकारियों द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के राजकीय वाहनों का उपयोग किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, स्टेट मोटर गैराज (श्री राजेन्द्र सिंह यादव): (1) जी हां। यह सही है कि सरकार के वाहनों का वाहन चालक द्वारा लॉग बुक भरे जाने के उपरांत सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाना आवश्यक है। विगत तीन वर्ष में जिला पूल, श्रीगंगानगर एवं जिले के समस्त विभागों के अधीन वाहनों की लॉग बुक की चेकिंग के समय किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई है। लॉग बुक की चेकिंग का कार्य समय-समय पर सक्षम स्तर के निरीक्षण दलों द्वारा सम्पादित किया जाता है।

(2) जी हां। यह सही है कि जिला पूल एवं जिला श्रीगंगानगर के सभी सरकारी वाहनों की लॉग बुक संधारित की जा रही है। संधारित लॉग बुक का सत्यापन उपयोगकर्ता द्वारा की गई यात्रा के आधार पर किया जाता है तथा समय-समय पर आडिट द्वारा चैकिंग की जाती है।

(राज्य मंत्री, स्टेट मोटर गैराज)

(3) सम्बन्धित अधिकारी को अपने क्षेत्राधिकार में राजकीय कार्य हेतु वाहन का उपयोग करने पर अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। कार्यक्षेत्र से बाहर राजकीय कार्य हेतु जाने पर सक्षम अधिकारी की अनुमति आवश्यक है। विगत तीन वर्षों में सक्षम स्वीकृति के बिना किसी भी अधिकारी द्वारा राजकीय वाहन का उपयोग नहीं किया गया है।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिदिन लॉग बुक का सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जाता है तो उसकी ऑडिट निरीक्षण दलों द्वारा कब-कब की गयी है?

दूसरा मेरा यह प्रश्न है, जैसाकि इन्होंने जवाब दिया है कि समस्त विभागों के अधीन वाहनों के लॉग बुक की चेकिंग के समय किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पायी गयी है। यह मान लेते हैं कि अनियमितता नहीं पायी गयी है, तो मैंने जो विवरण मांगा है, मैं यह पूछना चाहती हूं कि जब लॉग बुक का सत्यापन हुआ है तो उसका विवरण उपलब्ध क्यों नहीं करवाया गया है? क्या विवरण उपलब्ध करवाया जाएगा?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, आयोजना): जो लॉग बुक के विवरण हैं, वे आपको भिजवा दिये जाएंगे। सभी लॉग बुक की सक्षम अधिकारियों से समय-समय पर आडिट होती है। विभाग की इंटरनल आडिट अलग से भी होती है।

श्री अध्यक्ष: अनियमितता का मांगा है माननीय सदस्य ने।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): प्रश्न का जो सीधा भाग है, वह यह है कि इसमें चेकिंग के समय अनियमितता पायी गयी, विवरण सदन की मेज पर रखें। दूसरे वाले में इन्होंने पूछा, सत्यापन किस आधार पर किया गया। सत्यापन जिसने भी किया होगा, एक्स, वाई, जेड ने, उसका भी उन्होंने विवरण मांगा है। इसका मतलब यह है कि जो कुछ आपकी तीन साल की लॉग बुक है, वह इनका कहने का मतलब है कि वह विवरण इनको दें। वह सौ प्रतिशत सही होगा, उसमें कहीं अनियमितता नहीं हुई, कोई बात नहीं लेकिन विवरण आपको उलपब्ध कराना था, जिसके कारण से बाद में उसको देखकर यह पता किया जा सकता है कि वास्तव में जो विवरण है वह सही है या उसमें कमी है। यह था इसका मतलब।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, आयोजना): विवरण मेरे पास है, मैं माननीय सदस्य को भिजवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न के उत्तर के साथ ही भिजवा देते तो सप्लीमेंट्री की जरूरत नहीं पड़े। अगला प्रश्न, सुभाष पूनिया।

तकनीकी शिक्षण संस्थानों में सातवें वेतन आयोग के तहत पेंशन व वेतन का निर्धारण

135. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के तकनीकी शिक्षण संस्थानों में भी सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन व पेंशन का लाभ दिया जा रहा है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राजकीय पोलीटेक्निक संस्थानों में उक्त के अनुसार पेंशन एवं वेतनमान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (डा. सुभाष गर्ग): (1) जी हां। विभाग के अन्तर्गत राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय एवं स्ववित्त पोषित आधार पर संचालित अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन का लाभ दिया जा रहा है।

पोलीटेक्निक महाविद्यालयों में अभियांत्रिकी एवं गैर-अभियांत्रिकी सेवा नियमों के अन्तर्गत प्रवक्ता एवं अन्य पदों पर शैक्षणिक कार्मिक कार्यरत हैं। इन शैक्षणिक पदों पर कार्यरत कार्मिकों को सातवें वेतनमान दिये जाने हेतु विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की गई है:-

राजस्थान तकनीकी शिक्षा (अभियांत्रिकी) सेवा नियम, 2010 यथा संशोधित 2017 से शासित होने वाले कार्मिकों हेतु ए.आई.सी.टी.ई., नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 01.03.2019 के अनुसार सातवें वेतनमान दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

राजस्थान तकनीकी शिक्षा (गैर अभियांत्रिकी) सेवा नियम, 2010 यथा संशोधित 2017 से शासित होने वाले महिला पोलीटेक्निक के शिक्षकों हेतु वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 11(7)एफडी/रूल्स/2008 पीटी.।। दिनांक 31.07.2020 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित) नियम, 2017 द्वारा सातवें वेतनमान स्वीकृत किये जा चुके हैं। इन्हें ए.आई.सी.टी.ई., नई

(राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा)

दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 01.03.2019 के अनुसार वेतनमान दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

तकनीकी शिक्षण संस्थानों में कार्यरत अशैक्षणिक कार्मिकों को सातवें वेतनमान के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के तहत वेतन आयोग का लाभ दिया जा रहा है।

(2) जी हां। वतर्मान में सेवा नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। संशोधन उपरान्त इनको सातवें वेतन आयोग का लाभ दिया जा सकेगा।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि 2019 से सातवें वेतन आयोग के वेतनमान दिये जाने की प्रक्रिया चल रही है और आज 2021 हो गया, कब तक वेतनमान का लाभ देंगे? कोई समय सीमा निर्धारित है? साथ ही उनके एरियर का भुगतान करेंगे या नहीं?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा कि 01.03.2019 से विचाराधीन है। इसके सम्बन्ध में बताना चाहूंगा कि मैंने पहले भी कुछ माननीय सदस्यों के प्रश्नों के जवाब में दिया था कि इसमें हमारे विभाग के स्तर पर, फाइनेंस के स्तर पर डिस्कशन चल रहे हैं, उनमें दो-तीन मुद्दों पर मतभेद हैं। व्यक्तिगत रूप से शिक्षकों के हित में मेरा काम करने का दृष्टिकोण है, क्योंकि मैंने शिक्षक संघ में काम किया है, तो उसको लेकर फाइनेंस और डी.ओ.पी. एग्री नहीं कर रहे हैं। शिक्षकों के हित की लड़ाई लड़ने की वजह से वह डिले हो रहा है और मैं खुद चाह रहा हूं कि जल्दी से जल्दी इन नियमों में संशोधन कर दिया जाए, जो हमारे शिक्षकों के साथ न्याय कर सके और निश्चित रूप से आपकी भावना की कद्र करते हुए मैं लगा हुआ हूं। अभी भी मैंने मीटिंग का नोटिस निकाला हुआ है, फाइनेंस और डी.ओ.पी. के सैक्रेटरीज को बुलाकर मीटिंग कर रहा हूं और इसके बाद जल्दी से जल्दी यह कार्य होगा और एरियर का भुगतान, जहां तक पोलीटेक्निक कालेजों का सवाल है, उसके अनुसार किया जाएगा और स्ववित्त पोषित आधार पर जो इंजीनियरिंग कालेजेज हैं, उसमें आपको ध्यान होगा स्ववित्त आधार पर है। उसमें क्लियरकट आर्डर है कि एरियर का भुगतान सोसायटीज खुद की फाइनेंस स्थिति के आधार पर, लेकिन फिर भी माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे अनुरोध

(डा. सुभाष गर्ग)

को और विभाग के अनुरोध को उन्होंने स्वीकार किया और बजट घोषणा करते समय उन्होंने घोषणा कर दी कि उन सब कालेजों को, जो एस.एफ.एस. माडल पर चल रहे थे, उनको यूनिवर्सिटीज का कांस्टीट्यूएंट कालेज बनाया जाएगा, जिससे कि उनकी जो समस्याएं हैं, फाइनेंशियल और अदर, उन समस्याओं का समाधान हो सके।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): दूसरे प्रश्न में आपने बताया है, मंत्रीजी, सेवा नियमों में संशोधन की बात कर रहे हैं और डाइवर्ट हो गये। कब तक संशोधन होकर कार्मिकों को लाभ मिलेगा और जो कार्मिक सेवानिवृत्त हो गये हैं, उनको भी लाभ देने का विचार है?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी बताया है कि बिलकुल प्रक्रियाधीन है। जल्दी से जल्दी चाहता हूं कि दो-तीन महीनों में यह कार्य हो जाये और निश्चित रूप से नियमों के अनुसार, जो कार्मिक रिटायर हो गये हैं तो उनको भी लाभ, जो नियमों में हैं, उसके अनुसार दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, संदीप कुमार।

उद्योगों में स्थानीय युवकों को रोजगार देने हेतु कार्ययोजना

136. श्री संदीप कुमार (तिजारा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में विभिन्न उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार की कोई कार्ययोजना बनी हुई है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार भिवाड़ी के उद्योगों में स्थानीय नागरिकों को रोजगार देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) राज्य में उद्योगों द्वारा कुशल-अकुशल श्रमिकों की आवश्यकतानुसार स्थानीय युवाओं में आवश्यक कौशल उपलब्धता तथा स्थानीय लोगों के रूझान के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। उद्योगों द्वारा रोजगार देने के लिए स्थानीय युवाओं एवं कुशल-अकुशल श्रमिकों का चयन उनकी योग्यता तथा उद्योग की

(उद्योग मंत्री)

आवश्यकतानुसार किया जाता है। राजस्थान में रोजगार सृजन एवं औद्योगिक निवेश को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से दिनांक 17.12.2019 से राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2019 लागू की गई है, जो कि दिनांक 31.03.2026 तक प्रभावी है। योजनान्तर्गत विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के पात्र उद्यमों के लिए रोजगार सृजन अनुदान का निम्न प्रावधान किया गया है:-

(i) इस प्रावधान के अन्तर्गत नियोक्ता द्वारा श्रमिकों के ईपीएफ एवं ईएसआई के अंशदान के रूप में जमा कराई गई राशि की 50 प्रतिशत राशि का पुनर्भरण सात वर्ष की अवधि के लिए अनुदान के रूप में किये जाने का प्रावधान किया गया है।

(ii) यह उल्लेखनीय है कि नियोक्ता द्वारा श्रमिकों के ईपीएफ एवं ईएसआई के अंशदान के रूप में जमा कराई गई राशि के 75 प्रतिशत राशि का पुनर्भरण सात वर्ष की अवधि के लिए उद्यम में कार्यरत समस्त श्रमिकों हेतु किये जाने का प्रावधान किया गया है यदि समस्त श्रमिकों में से 75 प्रतिशत से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार राजस्थान के अधिवासित नागरिकों को प्रदान किया गया हो।

(2) खण्ड 1 में उल्लेखित योजना के रोजगार सम्बन्धित प्रावधान सम्पूर्ण राज्य के लिए लागू हैं, जिसमें भिवाड़ी भी सम्मिलित है।

श्री संदीप कुमार (तिजारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से बाकी स्टेट्स में, जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अभी हरियाणा में भी हुआ है कि स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए अलग से कानून बना है तो क्या हमारे राजस्थान में भी ऐसा कानून बनाने का सरकार कोई विचार रखती है? जिन लोगों की जमीनें अवाप्त हो गयीं सस्ते दामों पर, जो उनकी आजीविका का साधन था, वह खतम हो गया, तो उन स्थानीय लोगों को स्थानीय के नाम से, काबिल लोगों को भी वहां से भगा दिया जाता है तो क्या सरकार स्थानीय लोगों के लिए कानून बनाने की मंशा रखती है?

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2019 की जो पालिसी है, उसमें स्थानीय लोगों को किस तरह प्रोत्साहन मिले, इसका मैंने जवाब में कहा है और माननीय सदस्य कह रहे हैं, इस तरह का कानून बनाने का राजस्थान सरकार का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री खिलाड़ी लाल बैरवा।

श्री संदीप कुमार (तिजारा): अध्यक्ष महोदय, बाकी राज्यों में कानून बन गया तो हमारे यहां भी बनाने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: उन्होंने कह दिया कि विचाराधीन नहीं है तो अब बहस करने से क्या मतलब है?

प्रश्न संख्या 137

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 138

श्री गोविन्द राम।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री फूल सिंह मीणा।

जनजाति क्षेत्र में सामूहिक ओपन कुआं खुदवाकर लाभान्वित करने की योजना

139. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पूर्व में जनजाति क्षेत्र में सामूहिक ओपन कुआं खुदवाकर गरीबों को लाभान्वित किया गया था? यदि हां, तो कौन-कौनसी योजना में उक्त कार्य किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सामूहिक ओपन कुआं खुदवाकर जनजाति के लोगों को लाभान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री अर्जुन सिंह बामनिया): (1) जी हां। वर्ष 2017-18 व 2018-19 में जनजाति उपयोजना क्षेत्र में सामूहिक ओपन कुआं खुदवाकर लाभान्वित किया गया है।

संविधान की धारा 275 (1) मद अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 व वर्ष 2018-19 में कुआं निर्माण/गहरीकरण कार्य जिला प्रतापगढ़/बांसवाड़ा में निम्नानुसार स्वीकृत किये गये:-

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

क्र.सं.	वर्ष	कार्य का विवरण एवं स्वीकृत राशि	जिला
1.	2017-18	नवीन सार्वजनिक कुआं निर्माण ग्राम बिलेसरी ग्रा.पं. कुलथाना राशि रु. 5.00 लाख	प्रतापगढ़
2.	2018-19	सार्वजनिक ओपन कूप बरवाला भैरूजी ग्रा.पं. बरमाला राजिया पं.स. बांसवाड़ा राशि रु. 5.00 लाख	बांसवाड़ा

(2) सामूहिक ओपन कुआं खुदवाकर जनजाति के लोगों को लाभ देने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार परीक्षण कर बजट की उपलब्धता एवं उपादेयता के आधार पर योजना स्वीकृत की जा सकती है।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, आपने खण्ड-1 में बताया वर्ष 2017-18 व 2018-19 में केवल दो ओपन कुएं खोदे गये। मंत्री महोदय, क्या आप इस बजट में सर्वे करवाकर इस योजना को वापस चालू रखकर ट्रायबल एरिया को राहत देने का विचार रखते हैं?

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो दो ओपन वैल खोदे गये हैं यह वे एरिया हैं जहां पीने के पानी की किल्लत है, जहां ट्यूबवैल लगाने, हैंडपम्प लगाने से उन पंचायतों में, उस क्षेत्र में पानी नहीं आता है तो हमने पेयजल की स्थिति को देखते हुए यह दोनों ओपन वैल वहां के लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किया है। बाकी माननीय सदस्य की भावना के अनुसार अगर कृषि के लिए ओपन कुएं के प्रस्ताव आते हैं तो उसके प्रस्ताव लेकर हम भारत सरकार को भेज देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात पर झाड़ोल से आने वाले माननीय सदस्य ने पिछले टाइम पर इसका पूरा क्वेश्चन पुटअप किया था, उसके बारे में चर्चा की गयी।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आपने खण्ड-2 में बताया है कि अभी इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं है। मंत्री महोदय, अगर जनजाति भाई प्रस्ताव देंगे तो आप उन

(श्री फूल सिंह मीणा)

काश्तकारों को लाभ देने का विचार रखते हैं और उनको सौर ऊर्जा से जोड़ने का भी विचार है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट तौर पर कृषि के बारे में बता दिया और जहां तक सौर ऊर्जा का सवाल है, कुसुम योजना के अन्तर्गत टी.ए.डी. विभाग ने उन कृषकों को जो कुओं पर कनेक्शन लेना चाहते हैं, उनके लिए पैसा भी विद्युत विभाग को ट्रांसफर कर दिया।

प्रश्न संख्या 140

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रामलाल मीणा।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री सतीश पूनियां।

संस्कृत महाविद्यालयों में रिक्त पद

141. श्री सतीश पूनियां (आमेर): क्या संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्तमान में कितने संस्कृत महाविद्यालय संचालित हैं उक्त में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा इनमें से कौन-कौनसे पद कब-कब से रिक्त चल रहे हैं?

(2) क्या सरकार संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने एवं छात्र हित में उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि संस्कृत शिक्षा में लम्बे समय से शिक्षक एवं अन्य संवर्ग के कार्मिकों की भर्तियां लम्बित हैं? यदि हां, तो किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पदों पर भर्ती की प्रक्रिया लम्बित है एवं उक्त भर्ती कब तक पूर्ण कर ली जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, संस्कृत शिक्षा (डा. सुभाष गर्ग): (1) राजस्थान में वर्तमान में संस्कृत शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 13 आचार्य एवं 17 शास्त्री स्तर के महाविद्यालय संचालित हैं। प्रत्येक महाविद्यालय में श्रेणीवार स्वीकृत पद एवं रिक्त चल रहे पदों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। संस्कृत शिक्षा विभाग के अन्तर्गत महाविद्यालय स्तर पर रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही हेतु महाविद्यालय सेवा नियम बनाने की

(राज्य मंत्री, संस्कृत शिक्षा)

कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। नियम प्रभावी होते ही महाविद्यालयों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ किया जाना सम्भव होगा।

(3) जी हां। संस्कृत शिक्षा विभाग अन्तर्गत विद्यालय स्तर पर जनवरी, 2019 से अब तक अर्थना भिजवाने एवं भर्ती की प्रक्रिया का विवरण निम्नानुसार है:-

प्राध्यापक (विद्यालय) के विभिन्न विषयों के 286 पदों की अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को दिनांक 17.12.2019 को भिजवायी गयी।

प्रधानाध्यापक प्रवेशिका के 83 पदों की संशोधित अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को दिनांक 13.01.2021 को भिजवायी गयी।

शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक III ग्रेड के 60 पदों एवं पुस्तकालयाध्यक्ष III ग्रेड के 31 पदों की अर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को दिनांक 28.10.2020 को भिजवाई गई।

जनवरी, 2019 से अब तक अध्यापक ग्रेड-III के 431 पदों पर भर्ती की गयी है। साथ ही वरिष्ठ अध्यापक के विभिन्न विषयों के 708 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किये गये हैं।

प्राध्यापक (विद्यालय) के विभिन्न विषयों के 286 पदों में से 264 पदों हेतु आयोग के स्तर पर काउंसलिंग की प्रक्रिया की जा चुकी है। 264 पदों की आयोग से अभिस्तावना प्राप्त होते ही शीघ्र ही नियुक्ति की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। शेष 22 पदों हेतु परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। परिणाम आना शेष है।

अध्यापक ग्रेड-III के कुल रिक्त पद 1777 हैं, जिनमें से 226 पदों को भरने की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। शेष 1551 पदों को भरने की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। रीट 2021 के आयोजन उपरान्त इन पदों को भरा जाना प्रस्तावित है। महाविद्यालय स्तर पर सेवा नियमों के अभाव में भर्ती प्रक्रिया सम्भव नहीं हो पा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, संस्कृत शिक्षा के कालेज बन्द होने की कगार पर हैं, 75 परसेंट पद रिक्त पड़े हैं और मुझे चतुर्थ सत्र में भी यही उत्तर मिला था कि प्रक्रियाधीन हैं। मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि यह प्रक्रिया कितने समय से प्रक्रियाधीन है और कब तक पूरी हो जाएगी?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बताया कि कालेज शिक्षा के अन्तर्गत संस्कृत शिक्षा में 75 परसेंट पद रिक्त हैं, यह गलत है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि प्रोफेसर्स के 7 पद स्वीकृत हैं 7 कार्यरत चल रहे हैं, जीरो खाली है। व्याख्याता 188 पद स्वीकृत हैं 90 भरे हुए हैं, 98 खाली हैं। अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी 4 स्वीकृत हैं 3 कार्यरत हैं, 1 खाली है। सहायक प्रशासनिक अधिकारी 28 स्वीकृत हैं 20 भरे हुए हैं, 8 खाली हैं। इस तरह से मैं बताना चाहूंगा कि 379 पद स्वीकृत हैं टोटल विभिन्न संवर्गों के, 206 भरे हुए हैं और 173 खाली हैं और इनको शीघ्र ही, जैसा कि आपने कहा कि कब तक भर दिये जाएंगे...

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिशत की बात नहीं कर सकता, हो सकता है प्रतिशत गलत हो। 2006 में खाली, 2006 से खाली हैं, 2008 से खाली हैं, 2011 से खाली हैं, 2014 से खाली हैं और सवाल का जवाब वही आ रहा है।

आपने 218 योग में बताया कि 100 भर्ती और 118 खाली हैं, तो मैं यह पूछ रहा हूं कि यह प्रक्रिया कब पूरी हो जाएगी?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि स्कूलों की जो थर्ड ग्रेड टीचर्स की भर्ती रीट 2021 का जैसे ही आयोजन होगा उसके बाद तुरन्त भर दिये जाएंगे और बाकी पदों के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज रखा है, लगभग 1500 पदों के लिए। सैकण्ड ग्रेड के जो पद हैं उनको ...(व्यवधान) कालेज शिक्षा के...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, एक मिनट।

मेरे यहां भी कालेज है, मैं उसको देख रहा हूं। 2013 से खाली है, 2019 से खाली है। कालेज एजुकेशन संस्कृत का कॉलैप्स हो चुका आलमोस्ट। यह देखें, प्राचार्य का पद खाली है। मैं नाथद्वारा खुद का देख रहा था, नाथद्वारा में प्राचार्य का पद खाली है, साहित्य का पद खाली है, अंग्रेजी का पद खाली है तो कालेज आफ्टर कालेज यदि इसी तरह से पोस्ट वेकेंट रहेंगी तो संस्कृत के प्रति लोगों को रुचि खतम हो जाएगी।

आप जो भी निर्णय करें, कम से कम यह करें कि वहां पर पढ़ाई सुचारु रूप से चले। उस सम्बन्ध में जो भी निर्णय करना है, जैसे कालेज एजुकेशन ने किया है, आपको कोई टीचर्स को टैम्परेरी लगाना है या उसकी व्यवस्था करनी है, कुछ न कुछ व्यवस्था करके उन कालेजों में टीचिंग का

(श्री अध्यक्ष)

काम होना चाहिए, पर यह जो पद खाली हैं वो इंडिकेट करते हैं कि संस्कृत एजुकेशन के कालेज सारे कॉलैप्स हो जाएंगे।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने निर्देश दिये उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी लेकिन मैं साथ में बता रहा हूं, नियमों के संशोधन चल रहे हैं, कालेज शिक्षा के जैसे ही नियम हो जाएंगे और उसके बाद इसके तहत ही गैस्ट फैकल्टी के द्वारा अध्यापन की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री बलजीत यादव।

बहरोड़ औद्योगिक क्षेत्र में सर्विस लेन पर अवैध निर्माण

142. श्री बलजीत यादव (बहरोड़): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि रीको ने औद्योगिक क्षेत्र बहरोड़ में नेशनल हाई-वे के साथ-साथ दोनों तरफ औद्योगिक क्षेत्र की प्लानिंग की है? यदि हां, तो कब व क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त औद्योगिक क्षेत्र में नेशनल हाई-वे के साथ आवागमन की सुविधा एवं श्रमिकों की सुरक्षा हेतु रीको द्वारा सर्विस लेन भी बनायी गयी है? यदि हां, तो कब व कितनी?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त सर्विस लेन पर कुछ फैक्टरी, उद्यमियों, होटल, टाउनशिप आदि के द्वारा अवैध कब्जा कर निर्माण कर लिया गया है एवं उक्त सर्विस लेन को बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों व किसके आदेश से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा उक्त अतिक्रमियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो क्या व कब? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) जी हां। रीको द्वारा बहरोड़ में नेशनल हाई-वे के साथ-साथ दोनों तरफ औद्योगिक क्षेत्र की प्लानिंग की गई है। इस क्षेत्र में कुल 294 औद्योगिक भूखण्ड नियोजित किये गये हैं। रीको द्वारा बहरोड़ में नेशनल हाई-वे के साथ-साथ दोनों तरफ औद्योगिक क्षेत्र बहरोड़ की स्थापना दो चरणों में की गई है। प्रथम चरण दिनांक 01.01.1984

(उद्योग मंत्री)

को, द्वितीय चरण 28.02.1993 को विकसित किये गये। इन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना औद्योगिक प्रयोजनार्थ की गई है।

(2) जी हां। बहरोड़ औद्योगिक क्षेत्र में नेशनल हाई-वे के साथ आवागमन की सुविधा एवं श्रमिकों की सुरक्षा हेतु रीको द्वारा आंशिक रूप से सर्विस लेन बनाई गई हैं। यह सर्विस लेन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के समय की बनायी गयी है तथा इसकी लम्बाई लगभग 1850 मीटर है।

(3) रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र बहरोड़ प्रथम चरण में भूखण्ड संख्या बी-2 एवं ए-167 (ए व बी) को छोड़कर नेशनल हाई-वे की ओर खुलते हुए सभी भूखण्डों के सामने लगभग 1850 मीटर लम्बाई में सर्विस लेन बनाई गई है। रीको द्वारा निर्मित सर्विस लेन पर किसी भी फैक्टरी/उद्यमियों/होटल/टाउनशिप द्वारा गैर कानूनी कब्जा कर निर्माण नहीं किया हुआ है एवं सर्विस लेन को बन्द नहीं किया गया है।

भूखण्ड संख्या बी-2 एवं ए-167 (ए व बी) नेशनल हाई-वे की भूमि के साथ खुलते हुए रीको द्वारा आबंटित किये गये थे। इन भूखण्डों की आबंटित भूमि एवं नेशनल हाई-वे के बीच में रीको की न तो कोई भूमि है और न ही रीको द्वारा इन भूखण्डों के सामने सर्विस लेन बनाई गई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इन भूखण्डों की आबंटित भूमि में से कुछ भूमि अवाप्त कर इनके सामने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सर्विस लेन बनाई गई है।

(4) रीको की सर्विस लेन पर वर्तमान में कोई स्थायी अतिक्रमण नहीं है। अत: कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या आप इस बात को मानेंगे कि आपके अधिकारियों ने आपको जो यह जानकारी दिलाई है इसमें बिलकुल असत्य वचन करवाया है? गलत जानकारी आपके द्वारा यहां सदन में बुलवाई गई है।

आपने मुझे जवाब दिया है कि नेशनल हाई-वे के दोनों तरफ सर्विस लाइन छोड़ी हुई है, जबकि बी-2 नंबर पर फूड स्ट्रीट एक होटल बना हुआ है, उसमें सर्विस लाइन को कवर किया हुआ है। आशादीप ग्रीन एकड़ प्राइवेट लिमिटेड वहां पर कामर्शियल दुकानें काट रहे हैं और फ्लैट बेच रहे हैं। उसके अन्दर 5 मीटर भी नहीं छोड़ा हुआ है जबकि मिड से 100 मीटर छोड़ने का नियम है। उसको कवर करके बना रखा है। अगर नहीं बना रखा हो तो मैं विधान सभा से इस्तीफा दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न, माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): मैं पूछना चाह रहा हूं कि अगर यह है, अगर इसके ऊपर कब्जा कर रखा है, सर्विस लाइन नहीं छोड़ रखी है, अधिकारियों का पैसा लगा है, बड़े अधिकारियों का, आईएएस अधिकारियों का। वह मन में आए जब नियम बदल देते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): प्रश्न यह पूछ रहा हूं कि अगर कब्जा हो रखा है तो उन अधिकारियों, जिन्होंने आपको यह गलत जानकारी दी, उनके खिलाफ क्या कोई कार्यवाही करेंगे? उसके अलावा भी जिन फर्मों ने कब्जा कर रखा है, आप उनके खिलाफ क्या कोई एक्शन लेंगे?

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैंने जानकारी दी है कि सर्विस लाइन बनाई हुई है। जो 2 भूखण्ड हैं उनके सामने सर्विस लाइन शुरू से ही नहीं है। वहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जो जमीन अवाप्त की गई है, उस जमीन पर सर्विस लाइन है। किसी तरह की रुकावट नहीं है। 2 भूखण्ड जो नक्शे में हैं, उसके आगे शुरू से ही जमीन एक्वायर नहीं की है, 2 भूखण्ड जो इन्होंने पूछे हैं, उनका पूरा पट्टा है। उनका पूरा कब्जा है। उनको छोड़कर ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, एनएचएआई ने वह जमीन अवाप्त की थी और उसमें ही वह लेन बनाई गई है। किसी तरह का कोई कब्जा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि अधिकारियों ने पूरी जानकारी सही दी है। अगर कहीं भी कोई बात है, कहीं कब्जा है या कोई बात है, भूखण्ड उनका है, उसमें होटल बनाओ, कोई बनाओ, हमें उसमें क्या है? रीको उनको सेल कर चुका। 1984 और 1993 का मामला है। यह कोई आज का मामला नहीं है। पुराना मामला है। फिर भी माननीय सदस्य कहते हैं तो मैं इसकी जांच करा लूंगा।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): मंत्री महोदय, मैं आपसे कह रहा हूं, हाई-वे की नहीं है। जमीन रीको की है। राजस्थान में यह धंधा चल रहा है। रीको के प्लाट को, जयपुर सिंटैक्स फैक्टरी को बन्द कराकर उसको कामर्शियल पर दे दिया। उसका न कोई सैटबैक छुड़वाया और न आगे छुड़वाया। इसमें बड़े आईएएस अधिकारियों का पैसा लगा हुआ है। आप कह रहे हो कि रीको की नहीं है। रीको की ही है। इतना तो मैं भी समझ रहा हूं। नेशनल हाईवे क्यों बोलूंगा। जो मैं यह बी-2 बता रहा हूं, यह फूड स्ट्रीट चल रही है। यह आपके

(श्री बलजीत यादव)

रीको की ही फैक्टरी थी। आप उन्हें उनको दे देते हो फिर वह कामर्शियल में करके बेचते हैं। इसकी रेट 20 गुना बन जाती है। मैं जानता हूं, नाम नहीं लेना चाहता कि किन-किन आईएएस का पैसा लगा हुआ है। यही नीमराणा में हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि यह 2 रीको के भूखण्ड हैं, यह मैं आपको बोल रहा हूं। पहले रीको की जयपुर सिंटैक्स फैक्टरी थी, उस फैक्टरी को कामर्शियल में कन्वर्ट कर दिया। अब उसके ऊपर वह बिलकुल रोड पर कामर्शियल दुकानें बेच रहा है। इधर भी सर्विस लाइन है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें। जांच करवा दें, बात यही तो है न?

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इतनी गम्भीर बात है। गलत जानकारी सदन में दिला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछो न। सही जानकारी, प्रश्न क्या है आपका?

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): जयपुर सिंटैक्स और फूड स्ट्रीट यह आपके बी-2 पर है, यह 2 बता रहा हूं। जो रीको के भूखण्ड हैं। रीको के द्वारा दिये गये हैं। क्या आप इनकी जांच कराएंगे?

श्री अध्यक्ष: जांच कराएंगे, बात खतम।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सर्विस लाइन कवर कर रखी है, तो जानकारी देने वाले और जो भू माफिया हैं, उनके खिलाफ आप क्या एक्शन लेंगे? मैं बस यह जानना चाह रहा हूं। स्पष्ट जवाब दे दें। अगर गलत है तो आप क्या करेंगे?

श्री अध्यक्ष: जांच होगी तभी तो होगा। हां तो पहले एक बात पर आओ न आप।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने पूरे रीको एरिये का नक्शा मंगाया है। मैप मंगाया है। इसको पूरा देखा है। इसमें अधिकारियों से डिस्कस किया है। केवल 2 भूखण्ड हैं, उनके आगे सर्विस लाइन नहीं है। शुरू से ही नहीं है। उनका वहां पूरा कब्जा है। पूरा उनका पट्टा है।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): भूखण्ड की बात नहीं कर रहा। मंत्री महोदय, उन 2 भूखण्ड की बात नहीं कर रहा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): पर्टिकूलर जो आपने सवाल पूछा है भूखंडों के बारे में। उसके अलावा अगर रीको की जमीन पर कहीं भी कोई अतिक्रमण हुआ तो मैं जांच करा लूंगा और उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 143

श्री रमेश चन्द मीना।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री जगदीश चन्द्र।

सादुलशहर में खालों के निर्माण हेतु बजट का आबंटन

144. श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): क्या कृषि सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में जनवरी, 2016 के बाद सी.ए.डी. के खालों के निर्माण व मरम्मत के लिए कितना बजट आबंटित किया गया?

(2) क्या सरकार द्वारा आगामी वर्ष में सी.ए.डी. के खालों के निर्माण व मरम्मत के लिए कोई बजट अथवा कोई योजना निर्धारित की है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री हरीश चौधरी): (1) सिंचित क्षेत्र विकास विभाग के द्वारा विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में जनवरी 2016 के पश्चात् भाखड़ा नहर परियोजना फेज-प्रथम के अन्तर्गत 71 खालों के निर्माण पर राशि रु. 3792.77 लाख एवं गंगनहर प्रणाली के अन्तर्गत 57 खालों के निर्माण पर राशि रु. 2378.78 लाख, कुल राशि रु. 6171.55 लाख का बजट आबंटित किया गया।

(2) भारत सरकार की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के अन्तर्गत 99 प्राथमिकता परियोजनाओं में स्वीकृत गंगनहर परियोजना फेज-द्वितीय के तहत वर्ष 2021-22 हेतु 32000 हैक्टेयर क्षेत्र में पक्का खाला निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है एवं इस हेतु राशि रु. 116.96 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है, जिससे श्रीगंगानगर जिले में गंगनहर प्रणाली के कृषकों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर

(श्री जगदीश चन्द्र)

में 2 प्रणालियों से सिंचाई होती है, भाखड़ा से और गंग कैनाल से। आपने गंग कैनाल का तो जिक्र कर दिया लेकिन भाखड़ा के बारे में, सादुलशहर में इस साल कोई खाले बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? इस बारे में मैं सरकार से जवाब चाह रहा हूं।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 1.04.2017 से पहले सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम के तहत भारत सरकार और राजस्थान सरकार इन खालों के निर्माण का कार्य करती थी। भारत सरकार ने 01.04.2017 को यह योजना बन्द कर दी। भारत सरकार ने यह बात की कि इजबिक के नाम से एक दूसरी योजना शुरू करेंगे। उसके तहत इन खाले निर्माण का कार्य होगा, लेकिन मुझे यह बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि भारत सरकार ने 2017 के बाद आज तक कुछ नहीं किया। मेरे से पूर्व मंत्री जी ने चिट्ठी भी नहीं लिखी। भारत सरकार से बात करने में पता नहीं उन्हें क्या दिक्कत थी। मैंने गडकरी जी को एक दफे और हमारे मारवाड़ से आने वाले माननीय मंत्री जी को 2 दफे निवेदन किया कि यह योजना आप राजस्थान के अन्दर शुरू करो, नहीं तो पूरा का पूरा कार्य 2017 के बाद भारत सरकार द्वारा इजबिक के नाम से जो योजना प्रस्तावित थी, उसके नहीं आने से यह बन्द हो चुकी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल भी इस सदन में चिंता जाहिर की गई। मेरा इस सदन के समस्त सदस्यों से निवेदन है कि माननीय गजेन्द्र सिंह जी शेखावत से, मेरे जैसे व्यक्तिगत रिश्ते भी होंगे, उनसे निवेदन करें कि इजबिक को चालू करें। राजस्थान के किसानों को, जिसकी चिंता कल गंगानगर, हनुमानगढ़ से आने वाले सदस्यों ने सदन में भी की थी और बाहर भी की, लेकिन वह चिंता भारत सरकार के सामने प्रकट कर के राजस्थान के नहरी क्षेत्र के किसान के साथ 2017 के बाद जो अन्याय हो रहा है, उसको न्याय में परिवर्तित कराने में सहयोग करें जिससे जगदीश जी के विधान सभा क्षेत्र के अन्दर भी जो दूसरी परियोजना है, उसमें भी काम हो सके और राजस्थान में दूसरी जगह भी कार्य हो सके।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गोपी चन्द मीणा।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): प्रश्न संख्या 145, सीधा मेरा क्वेश्चन है मंत्री जी से।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उत्तर पढ़ा हुआ माना गया।

भीलवाड़ा में टाडा-माडा योजना में संचालित छात्रावास

145. श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला भीलवाड़ा में टाडा-माडा योजनाओं में कितने छात्रावास संचालित एवं स्वीकृत हैं? कितने छात्रावासों हेतु भवन स्वीकृत एवं उपलब्ध हैं तथा कितने छात्रावासों हेतु भवन नहीं हैं? योजनावार पृथक्-पृथक् विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त छात्रावासों में से कितने छात्रावास शिक्षण संस्थान से दो किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित हैं तथा छात्रावास में निवासरत छात्र, छात्राओं को शिक्षण संस्था तक लाने ले जाने हेतु क्या व्यवस्था है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या छात्रावास भवनों अथवा किराये पर संचालित छात्रावास भवनों के लिए समीपस्थ स्थित शिक्षण संस्था से अधिकतम दूरी बाबत निर्देश, परिपत्र जारी किये गये हैं? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों व अब कब तक उक्त के सम्बन्ध में निर्णय ले लिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या घटिया निर्माण एवं अव्यवस्थाओं के कारण छात्रावास भवनों के निर्धारित समय से पूर्व ही जीर्ण-शीर्ण होने की भी समस्या है? यदि हां, तो उक्त में सुधार हेतु क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है व नहीं, तो क्यों?

(उत्तर जो पढ़ा हुआ माना गया निम्नानुसार है)

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री अर्जुन सिंह बामनिया): (1) भीलवाड़ा जिला अनुसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत नही आता है। जिले में माडा क्षेत्र अन्तर्गत तीन आश्रम छात्रावास संचालित एवं स्वीकृत हैं तथा तीनों छात्रावासों हेतु भवन स्वीकृत एवं उपलब्ध हैं। छात्रावासों का विवरण निम्नानुसार हैः-

1. आश्रम छात्रावास, लुहारीकलां (जहाजपुर)
2. आश्रम छात्रावास, श्यामपुरा (बिजौलिया)
3. कन्या आश्रम छात्रावास, धौड़ (जहाजपुर)

(2) उक्त तीनों छात्रावास भवन शिक्षण संस्थान से 2 किलोमीटर तक दूरी पर स्थित हैं। छात्रावास से शिक्षण संस्थान की दूरी 2 किलोमीटर तक होने के कारण छात्र/छात्राओं के आने-जाने हेतु कोई अतिरिक्त व्यवस्था नहीं की हुई है।

(3) छात्रावास भवनों अथवा किराये पर संचालित छात्रावास भवनों के

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

लिए समीपस्थ स्थित शिक्षण संस्था से अधिकतम दूरी बाबत कोई निर्देश/परिपत्र जारी किये हुए नहीं हैं। छात्रावास निर्माण हेतु निशुल्क भूमि के आबंटन के कारण दूरी निर्धारित नहीं की जा सकती है।

(4) जिले में घटिया निर्माण एवं अव्यवस्थाओं के कारण छात्रावास भवनों के निर्धारित समय से पूर्व ही जीर्ण-शीर्ण होने की समस्या/शिकायत नहीं है। क्वालिटी की पूर्ण रूप से सार्वजनिक निर्माण विभाग के तकनीकी अधिकारियों द्वारा गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है। विभाग द्वारा आवश्यकता अनुसार समय-समय पर मरम्मत एवं रंगरोगन आदि कार्य किये जाते हैं। गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विभागीय अधिकारियों द्वारा भी समय-समय पर कार्य का निरीक्षण किया जाता है।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिए।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से सीधा ही प्रश्न है कि उक्त खण्ड (2) में उक्त आवासीय छात्रावास की दूरी शिक्षण संस्थान से 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित होने पर क्या सरकार छात्र-छात्राओं को आने-जाने हेतु बस सुविधा उपलब्ध कराना चाहती है?

दूसरा मेरा प्रश्न है कि छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्वक खाद्य सामग्री एवं मूलभूत सुविधाएं जैसे कंबल, दरी, स्कूल यूनिफार्म में समय-समय पर किस-किस विभागीय अधिकारियों के द्वारा कब-कब निरीक्षण किया गया?

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की पीड़ा मैं समझ रहा हूं और वाजिब भी है। आश्रम छात्रावास से स्कूल की दूरी तय नहीं की जाती है। उसके अलावा अगर 2 किलोमीटर से अधिक दूरी किसी भी छात्रावास की है तो माननीय सदस्य मुझे अवगत करा दें, हम उन बच्चियों को आने-जाने की सुविधा के बारे में विचार करेंगे।

छात्रावास में जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसके लिए तहसीलदार से लगाकर सारे अधिकारियों को हमने निर्देश दे रखे हैं कि वे समय-समय पर छात्रावासों का निरीक्षण करें और कमी होने पर अवगत करायें ताकि हम उसकी उपलब्धता करा सकें।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित व समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

(12.00 बजे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से आरयूआईडीपी द्वारा कोटा शहर में डाली जा रही सीवरेज पाइपलाइन सुरक्षा मानदंड और गुणवत्ता की नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से प्रदेश में पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, संविदा कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आदि संगठनों द्वारा किये जा रहे धरने एवं प्रदर्शन से आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(3) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से पंचायत समिति आहोर में अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री धर्मनारायण जोशी, सदस्य की ओर से डबोक-मावली हाई-वे पर दो अतिरिक्त टोल नाके लगा दिये जाने से आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(5) श्री पुष्पेन्द्र सिंह एवं 2 अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल कालबेलिया को अनुसूचित जाति में तथा रंगा स्वामी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री अर्जुन लाल जीनगर, सदस्य की ओर से भोपालसागर, कपासन, धमामा तथा डिण्डोली तालाब को भरने वाली बनास नदी की फीडर को मिट्टी से भर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से पाली जिले में टोल कम्पनी द्वारा मात्र 22 किलोमीटर दूरी पर दोहरा टोल वसूल करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से सुमेरपुर में दयालपुरा गांव के एक किसान की हत्या कर लाश को खेत में जलाने वाले अपराधियों को पुलिस द्वारा 22 दिन तक गिरफ्तार नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(9) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से ग्राम कालाडेरा में गोचर भूमि पर 40 वर्ष पूर्व बसी डाबर कालोनी का नियमन नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जैतारण में राजस्थान रोडवेज की बसों के सेन्दड़ा, निमाज से नहीं होकर जाने से महिलाओं और बच्चों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(11) श्री सुरेश सिंह रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के ग्राम पंचायत सराधना के सरपंच की हत्या की साजिश रचने वाले अपराधियों पर पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्री नारायण बेनीवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खींवसर में जीएसएस के रखरखाव की अनदेखी किये जाने तथा ठेका कर्मचारियों द्वारा की जा रही मनमानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(1) श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर) एवं 2 अन्य सदस्यों की ओर से निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आसपुर के 7 पदों को विलोपित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के वार्ड 25 के सेक्टर 7 में स्थानीय निवासियों को उच्च टीडीएस के पानी की सप्लाई किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से राजस्थान लोक परिवहन की बसों व राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसों का निर्धारित स्थानों पर ठहराव नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री बलवान पूनियां, सदस्य की ओर से पटवारियों की हड़ताल किये जाने से किसानों की क्रोप कटिंग, गिरदावरी एवं केसीसी के कार्य नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से प्रदेश में राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर), श्री फूल सिंह मीणा, श्री धर्मेन्द्र कुमार, श्री बलवान पूनियां एवं श्री वासुदेव देवनानी को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री रामप्रताप कासनियां, सदस्य की ओर से सूरतगढ़ तहसील को जिला घोषित नहीं किये जाने से आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(2) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से सौर ऊर्जा के नेट मीटरिंग की सुविधा गैर घरेलू (व्यावसायिक) बिजली (Non & Domestic LT and HT) उपभोक्ता को जारी रखने का प्रावधान पुन: किये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री समाराम गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में AEN तथा JEN के पद रिक्त रहने से आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(4) श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में लगे सिंगल फेज नलकूपों का बकाया विद्युत बिल का भुगतान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्रीमती शोभा चौहान, सदस्य की ओर से सोजत के मगरा क्षेत्र में 91 की जमीन पर बसे निवासियों के आशियाने प्रशासन द्वारा उजाड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री हरीश चन्द्र मीना, सदस्य की ओर से बीसलपुर बांध से पेयजल के लिए आरक्षित 16 टीएमसी पानी के अतिरिक्त शेष सम्पूर्ण पानी क्षेत्र के किसानों को सिंचाई हेतु दिये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री हरेन्द्र निनामा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र घाटोल की ग्राम पंचायत गनोड़ा को पंचायत समिति का दर्जा नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(8) श्री प्रताप लाल भील (गमेती), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की उप तहसील सायरा को तहसील में क्रमोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री पब्बाराम, सदस्य की ओर से इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से पोकरण लिफ्ट में पूरा पानी छोड़कर किसानों को सिंचाई हेतु पानी दिये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री गोपाल लाल शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में व्याप्त समस्याओं का निराकरण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री जगसी राम, सदस्य की ओर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्यारिया आबूरोड के भवन एवं खेल मैदान हेतु नि:शुल्क भूमि आबंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री मुरारी लाल, सदस्य की ओर से अलवर जिले की ग्राम पंचायत गोला का बास, श्यालूता, धीरोड़ा, बलदेवगढ़ एवं भूड़ा के राजस्व ग्रामों को अलवर जिले से हटाकर दौसा जिले में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में।

(13) श्री अमृत लाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में नहरों एवं एनिकटों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

(14) श्री दानिश अबरार, सदस्य की ओर से पुलिस थाना मलारना डूंगर एवं गंगापुर सिटी में दर्ज हत्या के मुकदमों में अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(15) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जैतारण में संचालित न्यूको सीमेंट लिमिटेड एवं अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट द्वारा स्थानीय निवासियों को रोजगार नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर)।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

आसपुर सीएचसी के पदों का विलोपन रद्द करना

श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने

(श्री गोपीचंद मीणा)

नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव पढ़ने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आसपुर विधान सभा क्षेत्र, आसपुर में सीएचसी में नर्स द्वितीय का एक ही पद विलोपित किया गया था, परंतु निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 7 पदों को विलोपित कर दिया गया, जिसकी वजह से सीएचसी में एक ही नर्स एवं 7 पद डाक्टर के हैं, जिसमें से एक ही डाक्टर कार्यरत है, जबकि 6 पद रिक्त हैं और 30 बैड की सीएचसी को भी 50 बैड की सीएचसी में क्रमोन्नत करें। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, स्टेट हाई-वे से जुड़ा हुआ है इसलिए सीएचसी पर ट्रोमा सेंटर भी स्थापित करने की कृपा करें। अत: आपसे निवेदन है कि सीएचसी पर 7 पदों के विलोपन से आम जनता को हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए सदन की कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा करायें।

श्री अध्यक्ष: श्री फूल सिंह मीणा।

उदयपुर ग्रामीण में अत्यधिक टीडीएस जल वितरण

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि सेक्टर 7, वार्ड नम्बर 25 में भैरवधाम कालोनी, भूतेश्वर नगर, सेक्टर 7 कालोनी, सी ब्लाक, सेक्टर 7 आदि कालोनियों के अन्दर पेयजल की भारी समस्या है। वहां पर एक ओपन कुआं खोदकर उससे पानी दिया जाता है, मगर उसमें भी टीडीएस 900 से भी ज्यादा होने की वजह से वहां पर पीने के पानी की भारी दिक्कत आ रही है और लोगों के घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है और अनेक बीमारियां घर कर रही हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि वहां पर रेलवे अण्डरपास के पास में ही पाइपलाइन जा रही है, वह जयसमन्द की लाइन है, उस लाइन से जोड़कर पानी दे देते हैं तो हमारे वार्ड की पानी की समस्या से निजात मिल जाएगी। अगर वहां बजट की कमी हो तो मेरे विधायक फण्ड से पैसे देकर भी मैं इस समस्या का समाधान करने के लिए आपसे मांग करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री धर्मेन्द्र कुमार।

राजस्थान लोक परिवहन बसों की अव्यवस्था

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 50 के सम्बन्ध में बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, लोक परिवहन बसों से जनता को लाभ तो जरूर मिल रहा है परंतु टाइम के झंझट में लोक परिवहन और राजस्थान पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों में बहुत बड़े झगड़े होते हैं और कई बार ये इतने बढ़ जाते हैं कि मारपीट, मुकदमों तक की नौबत आ जाती है और कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं; बस में बैठे यात्री वहां परेशान होते हैं, बसें वहीं खड़ी कर देते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान लोक परिवहन की बसें जरूरत से ज्यादा तेज गति व राजस्थान रोडवेज की बसों के साथ काम्पीटिशन करती हैं जिसके कारण दुर्घटनाएं होने की सम्भावना रहती है तथा यात्री परेशान होते हैं। ये बसें काफी बार निर्धारित स्थानों पर भी नहीं रुकतीं। लोग वहां सड़कों पर खड़े रहकर परेशान होते रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि रोडवेज और लोक परिवहन की बसें निर्धारित बस स्टैण्डों पर जरूर रुकें ताकि वहां के यात्रियों को परेशानी न हो। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार कदम उठाए तथा यात्रियों के हितों को ध्यान में रखे। आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, आपने निर्देश दे रखे हैं कि जीरो आवर में सम्बन्धित मंत्री रहें। कितना दुर्भाग्य है कि आसन के निर्देश के बावजूद परिवहन मंत्री यहां नहीं हैं। अगला स्थगन आपने माननीय सदस्य को शिक्षा मंत्री से सम्बन्धित अलाउ किया है, कृपया भगवान के लिए इन्हें सद्बुद्धि दें। आखिर सदन में जीरो आवर चलता कितना है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री बलवान पूनियां।

पटवारियों की हड़ताल से क्रोप कटिंग, गिरदावरी एवं केसीसी के प्रभावित कार्य

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव में पटवारियों के द्वारा चल रहे आंदोलन से क्रोप कटिंग कार्य और दूसरे कार्य प्रभावित होने पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

(श्री बलवान पूनियां)

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में कम बरसात के कारण फसलें खराब हो गयी हैं। फसलों में क्रोप कटिंग का समय आ गया। क्रोप कटिंग तब होती है जब गिरदावरी हो। गिरदावरी हुई नहीं है, इसलिए मेरी शासन से सीधी-सी मांग है कि क्रोप कटिंग का कार्य यदि पूरा नहीं हुआ तो किसानों को फसल बीमा क्लेम नहीं मिलेंगे। अत: गिरदावरी करवायी जाए और किसानों से जुड़े जो काम हैं- केसीसी, मूल निवास, नामान्तरण, ये भी जरूरी हैं, इन्हें पूरा करवाया जाए। सीधी-सी बात यह है कि शासन पटवारियों की हड़ताल फौरन उनसे वार्ता करके तुड़वाए और जनता के काम, किसानों के काम पूरे करवाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री वासुदेव देवनानी।

राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों की अनुपलब्धता

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में ऐसे लाखों विद्यार्थी हैं, जो विभिन्न कारणों से नियमित रूप से स्कूल नहीं जा सकते, ऐसे विद्यार्थियों को भी शिक्षा अर्जन का अवसर मिले, इसके लिए राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल एक विकल्प है। राज्य के लाखों विद्यार्थी हर साल इसके माध्यम से दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं देते हैं। विद्यार्थियों के सुनहरे भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार की यह वैकल्पिक व्यवस्था मील का पत्थर साबित हुई है। स्टेट ओपन स्कूल में दसवीं और बारहवीं की कक्षाओं में पढ़ रहे विद्यार्थी आगे अध्ययन कर उच्च पदों पर भी पहुंचे हैं।

वर्तमान में सवा लाख से अधिक विद्यार्थी स्टेट ओपन स्कूल से दसवीं और बारहवीं की पढ़ाई कर रहे हैं। कक्षा दसवीं में करीब 70 हजार विद्यार्थी हैं, बारहवीं में करीब 55 हजार विद्यार्थी बैठ रहे हैं, लेकिन राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के सभी विद्यार्थी प्रदेश सरकार की अनदेखी और लापरवाही के शिकार हो रहे हैं, जिसका सीधा-सीधा खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। मार्च चल रहा है। आगामी एक-दो माह में परीक्षाओं का आयोजन होना है, परंतु पाठ्य पुस्तकों के अभाव में वे कैसे और क्या पढ़ पाएंगे तथा कैसे परीक्षा दे पाएंगे, यह बहुत ही गम्भीर विषय है।

(श्री वासुदेव देवनानी)

नियमानुसार स्टेट ओपन स्कूल परीक्षा आवेदन शुल्क के साथ ही किताबों के लिए भी शुल्क ले लेता है। लगभग साढ़े 3 करोड़ का शुल्क सरकार के पास पड़ा है जिससे विद्यार्थियों को किताबें उपलब्ध करायी जानी हैं। हर विद्यार्थी को पांच किताबें दी जाती हैं, इस प्रकार लगभग 6 लाख पुस्तकें दी जानी थीं। सामान्यत: हर साल दिसम्बर माह तक पुस्तकें उपलब्ध करा दी जाती हैं ताकि 4-5 माह में विद्यार्थी पढ़ सकें, लेकिन वर्तमान में सरकार और सरकार से सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों की अकर्मण्यता और घोर लापरवाही के चलते टेण्डर प्रक्रिया भी अभी तक अटकी हुई है। इस विलम्ब के कारण पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं।

अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इन्हें तुरंत पुस्तकें उपलब्ध करायी जाएं और विलम्ब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हो ताकि विद्यार्थियों का भविष्य उज्ज्वल हो सके और उनके साथ खिलावाड़ न हो।

श्री अध्यक्ष: प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत, श्री रामप्रताप कासनियां।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

सूरतगढ़ को जिला घोषित न किये जाने से आमजन को कारित परेशानी

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ की तहसील सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग करता हूं। सूरतगढ़ में हर दृष्टि से जिला बनने की योग्यताएं हैं। सरकारी भूमि उपलब्ध है, नेशनल हाईवे नम्बर 62, हवाई अड्डा, थर्मल पावर प्रोजेक्ट, श्री सीमेंट का कारखाना, केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, केन्द्रीय कृषि फार्म, मिलिट्री की बहुत बड़ी छावनी, फील्ड फायरिंग रेंज, केन्द्रीय सुरक्षा बल का प्रशिक्षण केन्द्र, सभी प्रकार के कोर्ट, एडीएम, एसडीएम, टीडीआर, पुलिस उपाधीक्षक, सीआई सिटी थाना...

श्री अध्यक्ष: आप लिखा हुआ बोलें, मेरे पास कापी है।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): लिखा हुआ ही पढ़ रहा हूं साहब।

श्री अध्यक्ष: मेरे पास कापी है।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): एसएचओ स्तर का सदर थाना आदि हैं। इसके अलावा शिक्षा का हब भी उपलब्ध है, जिसके अन्तर्गत कई तरह के सरकारी व प्राइवेट कालेज भी हैं। अत: मेरा आपसे निवेदन है कि सूरतगढ़ को जिला घोषित कर वहां रह रहे आमजन को राहत देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल।

सौर ऊर्जा उत्पादन में गैर घरेलू (व्यावसायिक) बिजली उपभोक्ताओं को नेट मीटरिंग की सुविधा

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

राजस्थान विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रस्तावित ड्राफ्ट रेगुलेशन, 2020 को ग्रिड इंटरेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्युएबल एनर्जी जनरेटिंग सिस्टम में सौर ऊर्जा उद्योग को हतोत्साहित करने का कार्य किया गया है। हम सभी जानते हैं कि राज्य की वर्तमान और भविष्य की बढ़ती हुई मांग के मद्देनजर सौर ऊर्जा एक वरदान सिद्ध होने वाली तकनीक है। यह न सिर्फ सस्ती है और प्रचुरता में उपलब्ध है, वरन् पर्यावरण संरक्षण के लिए अति उत्तम है। राज्य के औद्योगिक विकास की प्रमुख धुरी पर्याप्त, निरंतर और सस्ती बिजली की दरें हैं। राज्य में इस लक्ष्य की पूर्ति ऊर्जा को संवर्धित किये बिना नहीं हो सकती। यह एकमात्र बिजली का स्रोत है जो विकेंद्रित रूप से निजी हाथों में उत्पादित किया जा सकता है और राज्य सरकार के बोझ और उत्तरदायित्व को साझा करता है। राज्य की विद्युत दरें आस-पास के राज्यों में सर्वाधिक हैं। ऐसे में सौर ऊर्जा को हतोत्साहित करने का यह कदम असंगत है। इन नये नियमों से रूफटाप सोलर इंडस्ट्री समाप्त हो जाएगी।

ड्राफ्ट पालिसी में नेट मीटरिंग की सुविधा अब सिर्फ घरेलू, कृषि एवं सार्वजनिक सड़क प्रकाश प्रणाली को ही उपलब्ध होगी अर्थात् गैर घरेलू (व्यावसायिक) बिजली कनेक्शन उपभोक्ता (एलटी/एचटी) इनका लाभ नहीं ले पाएंगे। राज्य में सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्योगों (एमएसएमई) के लिए अब

(श्रीमती अनिता भदेल)

सौर ऊर्जा विकल्प के रूप में नहीं रह पाएगी। सौर ऊर्जा एमएसएमई उद्योगों के लिए लागत कम करने का माध्यम होती है। उनकी प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति का इससे पर्याप्त ह्रास होगा। नवीन नियमों के अन्तर्गत अगर कोई औद्योगिक इकाई अपनी छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करती है तो वह अपनी बनायी हुई बिजली को विद्युत वितरण निगमों को लगभग 3 रुपये पर भेज पाएगी, जबकि वही विद्युत वितरण निगम उसे 8.5 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली देंगे।

अतः सदन का ध्यान सौर ऊर्जा की नेट मीटरिंग की सुविधा गैर घरेलू (व्यावसायिक) बिजली (नोन एंड डोमेस्टिक एलटी एंड एचटी) उपभोक्ताओं को जारी रखने का प्रावधान पुन: किये जाने की ओर आकर्षित करना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री समाराम गरासिया (अनुपस्थित)। श्री नारायण सिंह देवल।

रानीवाड़ा के सिंगल फेज नलकूपों के बकाया विद्युत बिल का भुगतान

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम, 1986 के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के जसवन्तपुरा उप-खण्ड क्षेत्र के ग्राम पावली में वर्ष 2012-13 के दौरान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा भूत की नाड़ी में एक सिंगल फेज का नलकूप स्थापित किया गया था। नलकूप लगने के बाद से वर्ष 2017 तक नलकूप के विद्युत बिल का भुगतान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा था, परंतु वर्ष 2017 के बाद से जलदाय विभाग द्वारा विद्युत बिल का भुगतान बन्द कर दिया गया है। उक्त नलकूप के माह जनवरी, 2021 के बकाया विद्युत बिल की राशि 44,713 रुपये है। उक्त बिल सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उप-खण्ड जसवन्तपुरा के नाम से आता है।

जलदाय विभाग ने उक्त नलकूप के विद्युत बिल का भुगतान ग्राम पंचायत अथवा जन सहयोग से कराया जाना बताया है और वर्तमान में ग्राम पंचायतों के पास बजट नहीं है, इस कारण ग्राम पंचायत ने भी असमर्थता

(श्री नारायण सिंह देवल)

जाहिर की है। ऐसी स्थिति में नलकूप का विद्युत कनेक्शन कटना तय है, जिससे आने वाली गर्मियों के दिनों में आमजन को भारी परेशानी होगी। ऐसे सिंगल फेज नलकूप पूरे विधान सभा क्षेत्र में काफी संख्या में हैं, जो विद्युत बिलों के भुगतान के अभाव में बन्द पड़े हैं।

अत: मैं इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से माननीय जलदाय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे सिंगल फेज नलकूपों के विद्युत बिलों की बकाया राशि का भुगतान करवाकर उन्हें चालू करवाया जाए ताकि आमजन को गर्मियों में पर्याप्त पेयजल मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शोभा चौहान।

सोजत के मगरा क्षेत्र की जमीन पर बसे निवासियों की बेदखली

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे 295 विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सदन में बोलने का मौका दिया।

महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान सरकारी सिवाय चक कृषि भूमि के प्रकरण पर लम्बे समय से आवास करने वाले जमीन की तरफ दिलाना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सोजत में मगरा क्षेत्र है, जहां गांव व ढाणियों में लोग कई वर्षों से निवास कर रहे हैं, जो कि भूमि आरटीए धारा 91 की है लेकिन 70 वर्षों से अब तक नियमानुसार नियमन नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, लिखा हुआ दे रखा है वही बोलें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, यह अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा, बैठें आप। अगला श्री हरीश चन्द्र मीना। आपने लिखकर क्या दिया है और बोल क्या रहे हैं। नहीं, आप बैठें, हो गया। कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है। आपको समझाना पड़ेगा, ऐसे थोड़े ही होगा। श्री हरीश चन्द्र मीना।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान विधान सभा क्षेत्र सोजत में धारा 91 की जमीन पर दिलाना चाहती हूं, जिसमें मगरा क्षेत्र के निवासियों के कई गांव पूर्ण रूप से धारा 91 की जमीन पर बसे हुए हैं। ये लोग गांव में जिस जमीन पर बसे हुए हैं सरकारी तंत्र उसको धारा 91 की जमीन बताकर द्वेषतापूर्वक व प्रतिष्ठित ऊंचे ओहदे के लोगों के दबाव में आकर सरकार, प्रशासन व्यक्ति विशेष के आशियानों को उजाड़ रहे हैं।

(श्रीमती शोभा चौहान)

अत: मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्यवाही करते हुए वहां निवास कर रहे लोगों को राहत प्रदान करने की कृपा करें। इसी आशा के साथ विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत है।

बीसलपुर बांध से पेयजल के आरक्षित पानी के अतिरिक्त शेष पानी की सिंचाई हेतु आपूर्ति

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के देवली उपखण्ड में बीसलपुर बांध स्थित है, जिसका निर्माण सन् 1988 में हुआ था। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य बांध निर्माण एरिया के आसपास के क्षेत्रों को सिंचाई एवं पीने के लिए पानी उपलब्ध करवाना था, जिसके लिए बांध से 8 टीएमसी पानी आरक्षित किया गया था व इसके लिए करोड़ों की लागत से लगभग 750 किलोमीटर लम्बी पक्की नहरों का निर्माण किया गया एवं पेयजल हेतु 16 टीएमसी पानी आरक्षित किया गया था।

इस वर्ष मेरे विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा सहित पूरे टोंक जिले में कम वर्षा होने के कारण स्थानीय छोटे बांध भी नहीं भर पाए और बीसलपुर बांध से पेयजल के लिए आरक्षित 16 टीएमसी पानी के अलावा लगभग 8 टीएमसी पानी शेष रहने के बावजूद किसानों को एक बूंद भी पानी सिंचाई के लिए नहीं दिया गया, जिसके कारण स्थानीय किसानों की आर्थिक दशा दयनीय हो चुकी है।

जिला कलेक्टर, टोंक के पत्रांक न्याय/बीसलपुर/नहर/2020/16520 दिनांक 09.10.2020 के जरिये प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग को अवगत करवाया गया था कि 31 जुलाई, 2021 तक पेयजल आपूर्ति किये जाने के बाद भी इस वर्ष बीसलपुर बांध में 7 टीएमसी पानी बचेगा, जिसमें से 4 टीएमसी पानी सिंचाई हेतु दिया जाना सम्भव है, फिर भी क्षेत्र के किसानों के साथ अन्याय करते हुए उन्हें सिंचाई हेतु पानी नहीं दिया गया जबकि वर्ष 2017-18 में इसी प्रकार बीसलपुर बांध पूरा न भरने के बावजूद तत्कालीन सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए 4 टीएमसी पानी दिया था, जिसका उल्लेख भी उक्त पत्र में जिला कलेक्टर, टोंक द्वारा किया गया है।

अत: इस अत्यन्त ही महत्वपूर्ण व जनहित के मुद्दे पर मैं पुरजोर शब्दों में सरकार से मांग करता हूं कि बीसलपुर बांध से पेयजल के लिए

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

आरक्षित 16 टीएमसी पानी के अतिरिक्त शेष सम्पूर्ण पानी क्षेत्र के किसानों को सिंचाई हेतु देने की निश्चितता तय की जाए।

साथ ही, पूर्व में राजनैतिक पक्षपात के कारण सिंचाई सुविधा से वंचित मेरे विधान सभा क्षेत्र में देवली उपखण्ड की आवां, चंदवाड़, चारनेट, बालून्दा, कनवाड़ा, बडोली, गुराई नगरफोर्ट एवं उनियारा उपखण्ड की खातोली, देवली, हैदरीपुरा, बिलोता, पाटोली, रिजोदा, मंडावरा, चौरू व पचाला इत्यादि ग्राम पंचायतों को बीसलपुर बांध की नहरों का कमांड एरिया बढ़ाने की कार्ययोजना बनाकर समस्त विधान सभा क्षेत्र को नहरों से जोड़ने की सरकार से मांग करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हरेन्द्र निनामा।

गनोड़ा में पंचायत समिति का गठन

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र घाटोल में 68 पंचायतें वर्तमान में कार्यरत हैं, जिनका भौगोलिक क्षेत्र लम्बा-चौड़ा, पहाड़, नदियां, जंगल आदि से घिरा हुआ आदिवासी क्षेत्र है। पूर्व में प्रस्तावित प्रस्ताव के अनुसार गनोड़ा पंचायत को पंचायत समिति का दर्जा देने की घोषणा को बजट 2021-22 में शामिल करने की मांग करता हूं।

मेरा आपसे निवेदन है कि उक्त समस्या को ध्यान में रखते हुए गनोड़ा पंचायत के लोगों को राहत प्रदान करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रताप लाल गमेती।

सायरा उप तहसील की तहसील में क्रमोन्नति

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की उप तहसील सायरा को तहसील कार्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में उप तहसील सायरा संचालित है, जो तहसील कार्यालय गोगुन्दा से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। आमजन को छोटे-छोटे कार्यों के लिए भी 35 से 40 किलोमीटर दूरी को तय करना पड़ता है तथा यदि अधिकारी समय पर कार्यालय में नहीं मिले तो आना-जाना महंगा पड़ता है। यह उप तहसील पूर्व में मेवाड़ गवर्नमेंट में तहसील थी जो बाद में गोगुन्दा तहसील बनी, जिसमें

(श्री प्रताप लाल भील)
वर्तमान में उप तहसील पर पंचायत समिति सायरा भी संचालित है तथा थाना कार्यालय भी है। अत: सायरा उप तहसील को तहसील कार्यालय में क्रमोन्नत कराने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: श्री पब्बाराम।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से पोकरण लिफ्ट में पानी की आपूर्ति

श्री पब्बाराम (फलौदी): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत फलौदी विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई योजना से कृषकों को पानी उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में निवेदन है कि फलौदी विधान सभा क्षेत्र में तीन लिफ्ट नहर सिंचाई योजना में कृषकों को पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है, जो श्री जम्भेश्वर लिफ्ट, कोलायत लिफ्ट व पोकरण लिफ्ट हैं। इनका निर्माण लगभग 25 वर्ष पूर्व कर लिया गया था परन्तु हमारे हिस्से का पानी पूर्व की भाजपा सरकार के प्रयासों से दिया जाने लगा। जिस क्षेत्र में पांच वर्षों में चार वर्ष अकाल पड़ता है और ये नहरें किसानों के लिए संजीवनी साबित होती हैं। गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट नहर प्रणाली की निर्मित नहरों, जिन पर राज्य सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च कर नहरों, पुलियाओं व संरचनाओं का निर्माण करवाया था। विभाग द्वारा उक्त कमाण्ड क्षेत्र का कुल सीसीए वेपकॉस लिमिटेड से करवाये गये माइक्रो सर्वे के अनुसार 50045.89 हैक्टेयर है। राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय वर्ष 2005 द्वारा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का कुल सीसीए 16.17 लाख हैक्टेयर निर्धारित किये जाने के समय जम्भेश्वर लिफ्ट नहर का सीसीए 35604 हैक्टेयर ही शामिल किया गया, जिससे जम्भेश्वर लिफ्ट निर्मित नहरों नेता वितरिका, ढालेरी माइनर, अनाम माइनर का क्षेत्र लगभग पूर्णतया एवं बाप वितरिका, खीरवा वितरिका आदि का 19441.89 हैक्टेयर क्षेत्र सिंचाई सुविधा से वंचित रह गया एवं राज्य सरकार के करोड़ों रुपये के उक्त निर्माण कार्य व्यर्थ पड़े रहे। इन नहरों पर काश्तकारों की खातेदारी भूमि सिंचाई सुविधा से वंचित है। जम्भेश्वर लिफ्ट नहर की नेता वितरिका प्रणाली का कुल 7833.55 हैक्टेयर क्षेत्र सिंचाई से वंचित है। इसी प्रकार पोकरण लिफ्ट में पिछले पांच वर्ष सिल्ट निकालते रहने का बहाना बनाते हुए इस नहर हेतु सुरक्षित 140 क्यूसेक्स पानी नहीं दिया जा रहा है व हमारा पानी अन्य प्रभावशाली क्षेत्र के लोगों को दिया जा रहा है।

(श्री पब्बाराम)

मैं आपके माध्यम से विशेष उल्लेख करते हुए राज्य सरकार से विशेष अनुरोध करना चाहूंगा कि पोकरण लिफ्ट में पूरा पानी छोड़कर किसानों को राहत प्रदान कराएं।

श्री अध्यक्ष: श्री गोपाल लाल शर्मा।

माण्डलगढ़ में गंदे पानी की आवक

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम, 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। महोदय, निवेदन है कि माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र के माण्डलगढ़ में 500 वर्ष पुराना किला है, जो जर्जर अवस्था में है और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और उसके नीचे सुंदर तालाब है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जो लिखा हुआ है, वही बोलें।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): परन्तु नालियों के गंदे पानी की आवक की वजह से दूषित हो चुका है, जिससे पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। माण्डलगढ़ शहर में नगरपालिका द्वारा खेल स्टेडियम के लिए 13 बीघा जमीन भी आबंटन कर रखी है, परन्तु सरकार द्वारा निर्माण के लिए अभी तक कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है। माण्डलगढ़ के शिवचरण महाविद्यालय में 1350 विद्यार्थियों का नामांकन वर्तमान में हैं, परंतु व्याख्याता के मात्र 5 पद भरे हुए हैं और 22 पद रिक्त हैं। इसके अलावा लेखाधिकारी, लिपिक, राजनीतिक विभाग व अर्थशास्त्र के प्राचार्य के पद भी रिक्त हैं।

भीलवाड़ा जिले में वर्तमान में 1650 फाइलें किसानों की पावर सैट हेतु लम्बित हैं, जिसमें से एक साल पहले से माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र की लम्बित हैं, परंतु अभी तक उन फाइलों को प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दी गई है, जिससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

माण्डलगढ़ में बिजौलिया महाविद्यालय है, जिसका नाम बदलकर किसान आंदोलन के जनक कहे जाने वाले श्री विजय सिंह पथिक के नाम पर करने की मांग की जाती रही है, इस पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है।

सरकार माण्डलगढ़ में एडीजे कोर्ट की स्थापना करने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, लिखा हुआ। अंकित नहीं होगा।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: हो गया आपका, माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। गलत बात, जो बात लिखी हुई, उससे अलग नहीं। आप बैठें।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: श्री जगसी राम।

क्यारिया (रेवदर) के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को नि:शुल्क भूमि आबंटन

श्री जगसी राम (रेवदर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम, 295 के तहत स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार से आग्रह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रेवदर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, क्यारिया, आबूरोड द्वारा नवीन विद्यालय भवन, होस्टल, खेल मैदान एवं शिक्षक तथा कर्मचारियों के आवास के लिए ग्राम पंचायत क्यारिया के खसरा नम्बर 163 रकबा 82-83 बीघा में से सरकार से इस प्रयोजनार्थ निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नि:शुल्क भूमि आबंटन के लिए वर्ष 2014 से मांग की जा रही है।

नि:शुल्क भूमि आबंटन की यह फाइल पत्रावली लम्बे समय से लम्बित रखे जाने से क्यारिया उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रतिवर्ष हजारों विद्यार्थियों का अध्ययन, अध्यापन, खेलकूद गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। विद्यालय के चहुंमुखी विकास हेतु सरकार द्वारा भवन निर्माण, शैक्षिक एवं खेलकूद हेतु आबंटित बजट लैप्स होता आया है। खेल प्रतिभाओं को निखारने के अवसर हाथ से निकलते जा रहे हैं। प्रकरण में स्थानीय आम नागरिक बंधुओं एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने अवगत कराया एवं मुझे भी ज्ञात है कि जिस क्षेत्र में क्यारिया उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए नि:शुल्क भूमि आबंटन की मांग की, पत्रावली को पिछले कई वर्षों से जानबूझकर कुछ वन, वन्य जीव अभयारण्य आदि के नियमों का बहाना बनाकर रोका जा रहा है। प्रस्तावित आबंटन की सीमा में पहले से कुछ एनजीओ व अन्य संस्थाओं को स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं। उल्लेखनीय है कि इस सीमा में असंख्य अवैध निर्माण भी स्थानीय प्रशासन एवं सरकार के संज्ञान में मौजूद हैं। ऐसे हालात को देखते हुए लोकमहत्व में छात्रछात्राओं के भविष्य निर्माण की सरकारी शिक्षण संस्था को आवश्यकतानुसार फाइल पत्रावली के अनुरूप नि:शुल्क भूमि आबंटन करवाकर अनुगृहीत करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री मुरारी लाल (अनुपस्थित)। श्री अमृतलाल मीणा।

सलूम्बर में नहरों व एनिकटों का निर्माण

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय जी, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम-295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव कर निवेदन है कि सलम्बूर विधान सभा क्षेत्र में:-

(1) डाया बांध बहुत बड़ा बांध है। सिघटवाड़ा ग्राम पंचायत में दो नदी पर एक एनिकट बनाकर पानी को रोककर सुरंग डाया बांध में डाला जाए तथा उक्त बांध से निकलने वाली नहरों का सुदृढ़ीकरण किया जाए तथा धावडिया, महुआडा, कतिला, बोवस, सर्सिया पाल, डीगरी मोडला, बटुका, कालापायरा इन सभी गांवों में नहरें निकाली जाएं।

(2) थूर घाटी तालाब की दो मीटर की हाइट बढ़ाई जाए, उससे निकलने वाली नहरें पक्की की जाएं। चावण्ड, बडौली, लालपुरिया, डायली, थाना, केवड़ी, केजड़, जोयरा तक नहरों का निर्माण किया जाए।

(3) केजड तालाब की मुख्य नहरें दायीं-बायीं व नहर नंबर-4 को आगे बढ़ाते हुए कोलर, काली घाटी, सुरखण्ड का खेड़ा तक निकाली जाए।

(4) हरचण तालाब को सुदृढ़ीकरण व पाल के ऊपर विलायती बबूल को साफ किया जाए तथा उनकी नहरों का सुदृढ़ीकरण किया जाए तथा बजट में प्रावधान किया जाए।

(5) बुझो का नाका का एनिकट सुदृढ़ीकरण करके उसकी 5 मीटर ऊंचाई बढ़ाई जाए तथा उससे पिलाई हेतु नहरों का निर्माण किया जाए तथा बजट में प्रावधान किया जाए।

(6) आलदरा एनिकट का निर्माण किया जाए। मूलेश्वर एनिकट, उपला गुढ़ा एनिकट, लेम्बजिया एनिकट, लालपुरिया (सेमारी) एनिकट का निर्माण किया जाए तथा उसके दोनों ओर नहर का निर्माण किया जाए।

(7) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में झामरी नदी, गोमती नदी, टीडी नदी पर जीरो लेवल पर एनिकटों का निर्माण किया जाए। जैसे-कराकली, उथरदा, बासा, खाटिया खेड़ा, कैनपुरा, गुडेल, गिंगला, कोटा, कांट, लोदा, रतनपुरा, कोटड़ी, पाड़ला, देवपुरा, धावड़ियां, अमरपुरा, पादरड़ा, गोपेश्वर, सल्लाडा, बड़गांव, बाणा, धनकेश्वर और चन्दौड़ा आदि में एनिकटों का निर्माण किया जाए।

अत: मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार सलूम्बर में उत्पन्न उपरोक्त

(श्री अमृतलाल मीणा)

समस्याओं को ध्यान में रखकर, वहां निवास कर रहे आमजन को राहत प्रदान करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: श्री दानिश अबरार (अनुपस्थित)। श्री अविनाश।

जैतारण में संचालित सीमेंट फैक्ट्रियों द्वारा स्थानीय निवासियों को रोजगार न दिया जाना

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम-295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव पर आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण में वर्तमान में चार बड़े सीमेंट प्लांट संचालित हैं, इनमें से न्यूको सीमेंट लिमिटेड, निम्बोल एवं अल्ट्राटेक सीमेंट, टूंकडा में स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिल रहा है। न्यूको सीमेंट लिमिटेड, निम्बोल पिछले 10 वर्षों से संचालित हो रही है, लेकिन आज दिन तक खनन प्रभावित ग्राम पंचायतों के स्थानीय व्यक्तियों को बिलकुल भी रोजगार नहीं दिया गया है। इससे आमजन में भारी आक्रोश है और इस आक्रोश के कारण 11.02.2021 से स्थानीय सीमेंट फैक्टरी के मुख्य द्वार के बाहर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सरपंचों, ग्रामीणों द्वारा धरना दिया जा रहा है। लगभग एक महीना बीत जाने के बावजूद आज दिन तक फैक्टरी प्रबंधन व प्रशासन ने किसी प्रकार की कोई वार्ता नहीं की, जिससे भविष्य में कानून व्यवस्था बिगड़ने की पूरी संभावना है। साथ ही अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट, टूंकडा जो अभी शुरू हुआ है उसमें भी स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। इन सीमेंट प्लांटों के अधिकारियों द्वारा जैतारण विधान सभा क्षेत्र के बाहर के व्यक्तियों को रोजगार में प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण में डिग्रीधारी एवं योग्यताधारी युवा बेरोजगार हैं।

पूर्व में इन प्लांटों के खिलाफ इसी विषय को लेकर स्वयं मेरे द्वारा उपखण्ड कार्यालय, जैतारण के बाहर चार दिन तक धरना दिया गया और अधिकारियों एवं प्लांट प्रबंधकों के स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार देने के आश्वासन के बाद धरना खतम कर दिया गया, लेकिन आज दिन तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई जबकि हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा में स्थानीय व्यक्तियों को निजी क्षेत्र में 70 प्रतिशत रोजगार दिये जाने का कानून विधान सभा में पास कर दिया गया है।

(श्री अविनाश)

अत: आपसे निवेदन है कि कानून बनाकर उपरोक्त सीमेंट प्लांटों में हमारे क्षेत्र के युवाओं को हरियाणा राज्य की तर्ज पर योग्यतानुसार प्राथमिकता से रोजगार उपलब्ध करवाये जाने हेतु सख्ती से पाबन्द कर, रोजगार दिलाने का आदेश प्रदान कराएं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री समाराम गरासिया।

पिंडवाड़ा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में AEN व JEN के रिक्त पदों पर नियुक्ति

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम-295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पिंडवाड़ा में पिंडवाड़ा तहसील बड़ी तहसील है, जिसमें 46 ग्राम पंचायतें हैं और एक नगरपालिका, एक उप तहसील स्वरूपगंज, पीएचईडी विभाग में एक ही AEN है, जो काफी लंबे समय से हार्ट की बीमारी से पीड़ित है और अस्पताल में भर्ती है। AEN साहब ने कार्यभार अधिक होने व हार्ट की बीमारी की वजह से वीआरएस ले लिया है, जिसकी वजह से एक साल से पिंडवाड़ा में AEN का पद खाली है और उप तहसील स्वरूपगंज में 2 साल से JEN का पद खाली है, जिसकी वजह से पेयजल व्यवस्था की हालत खराब है और जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त विभाग में एक भी अधिकारी नहीं होने के कारण पेयजल से सम्बन्धित एनओसी और परमिशन देने वाला भी कोई अधिकारी नहीं है। बिलों का भुगतान भी अधिकारी के हस्ताक्षर के बिना लम्बित है।

अतः मेरा आपसे निवेदन है कि शीघ्र ही पिंडवाड़ा में पीएचईडी विभाग में AEN तथा सरूपगंज में JEN की नियुक्ति कर आमजन को पेयजल उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री भरत सिंह कुन्दनपुर।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को पर्यटकों हेतु नहीं खोला जाना एवं बाघों का लापता होना

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

विधान सभा के नियम 131 के अन्तर्गत माननीय वन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष जी, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विषयक 'मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को पर्यटकों हेतु नहीं खोले जाने एवं बाघों के लापता होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व का नोटिफिकेशन 9 अप्रैल, 2013 को जारी हुआ था। नोटिफिकेशन जारी होने के उपरांत इस टाइगर रिजर्व में एक नर बाघ एवं दो मादा बाघिन को रणथम्भौर टाइगर रिजर्व से ट्रांसलोकेट किया गया था तथा एक नर बाघ स्वयं ही विचरण कर मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में आ गया, जिसकी जानकारी कैमरा ट्रैप में फोटो आने से प्राप्त हुई। इनका विवरण निम्नानुसार है:-

1. नर बाघ एमटी-1 दिनांक 03.04.2018 को रणथम्भौर टाइगर रिजर्व से ट्रांसलोकेट किया गया।

2. बाघिन एमटी-2 दिनांक 19.12.2018 को रणथम्भौर टाइगर रिजर्व से ट्रांसलोकेट किया गया।

3. बाघिन एमटी-4 दिनांक 12.04.2019 (एमटी-4) को रणथम्भौर टाइगर रिजर्व से ट्रांसलोकेट किया गया।

4. एक नर बाघ एमटी-3 स्वयं ही विचरण कर मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में आ गया जिसकी जानकारी दिनांक 09.02.2019 को कैमरा ट्रैप में फोटो आने से प्राप्त हुई।

5. बाघिन एमटी-2 ने वर्ष 2020 में दो शावकों को जन्म दिया था।

मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में ईको टूरिज्म हेतु मार्ग (रूट्स) की व्यवस्था को टाइगर कंजर्वेशन प्लान (टीसीपी) में सम्मिलित किया गया है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व का टाइगर कंजर्वेशन प्लान (टीसीपी) आक्षेपों की पूर्ति कर दिनांक 12.02.2021 को भारत सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया गया है। भारत सरकार से अनुमोदन पश्चात् पर्यटन हेतु खोला जाएगा।

मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में वर्ष 2020 में एक नर बाघ व एक बाघिन की मृत्यु हो गई है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

(श्री सुखराम विश्नोई)

1. बाघ एमटी-3 की मृत्यु दिनांक 23.07.2020 को हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार बाघ की मृत्यु का कारण कार्डिक शॉक रहा।

2. बाघिन एमटी-2 दिनांक 03.08.2020 को मृत पाई गई। मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं इंडियन वेटेरिनरी इंस्टीट्यूट से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उनके शरीर पर लगे घाव के कारण ट्रामेटिक शॉक रहा।

3. बाघिन एमटी-2 के दो शावकों में से एक शावक को गम्भीर घायल अवस्था में रेस्क्यू किया जाकर वरिष्ठ चिकित्सकों के दल द्वारा उपचार किया गया लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका, वहीं दूसरे शावक को काफी ढूंढने के प्रयास करने के उपरांत भी शावक नहीं मिला।

नर बाघ एमटी-1 माह अगस्त, 2020 के वित्तीय पखवाड़े के दौरान दिनांक 19.08.2020 को कैमरा ट्रैप में साक्ष्य एवं पग मार्ग तथा दिनांक 20.08.2020 को दरा रेस्ट हाउस के पीछे मेन गेट से फायरलाइन रास्ते पर ट्रैकिंग टीम को आखिरी बार मिले हैं। इसके बाद इस बाघ के कोई साक्ष्य अभी तक मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में नहीं मिले हैं। दिनांक 21.08.2020 से दिनांक 25.08.2020 तक वर्षा के कारण कई रास्ते खराब होने से सभी जगह ट्रैकिंग नहीं हो सकी। बाघ एमटी-1 को ढूंढने हेतु पैदल एवं वाहन गश्त, रोरिंग साउंड सिस्टम, सर्विलेंस सिस्टम व ड्रोन पीआईपी बनवाना, सघन कैमरा ट्रैप आदि से पूर्ण प्रयास किये जाने के उपरांत में आज दिन तक मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व क्षेत्र एवं समीपस्थ वन क्षेत्र में कोई साक्ष्य नहीं पाया गया है। स्थानीय ग्रामीणों से सहयोग लेकर स्टाफ द्वारा नियमित ट्रैकिंग/गश्त की जाती है परंतु भाग एमटी-1 का प्रमाण नहीं मिला। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में टाइगर की शिकार या फंदे में फंसने की कोई घटना प्रकाश में नहीं आई है।

बाघिन एमटी-4 के बाएं पैर पर हल्का-सा घाव था तथा कंधे पर मांस फटने के कारण लंगड़ा कर चलने की सूचना प्राप्त होने पर ट्रेंकुलाइज कर प्राथमिक उपचार के बाद 28 हेक्टेयर के सोफ्ट एन्क्लोजर में रखा गया। वर्तमान में बाघिन पूर्ण स्वस्थ है एवं प्राकृतिक रूप से किल कर रही है। बाघिन के परीक्षण एवं एक्स-रे रिपोर्ट में फंदे में फंसने के कोई लक्षण/साक्ष्य नहीं मिले।

भीलवाड़ा में बायोलोजिकल क्षेत्र में ग्राम सुखपुरा में एक पैंथर मादा शिकारियों के फंदे में फंसने की दिनांक 30.11.2020 को जानकारी मिलने पर ट्रेंकुलाइज कर पैंथर का प्राथमिक उपचार किया गया। स्वास्थ्य लाभ होने के

(श्री सुखराम विश्नोई)

पश्चात् उसे उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया। अनुसंधान के आधार पर दिनांक 03.12.2020 को ग्राम नयागांव में कालबेलिया बस्ती के राजू नाथ पिता केसर नाथ कालबेलिया द्वारा जुर्म कबूल करने पर गिरफ्तार कर दिनांक 04.12.2020 को श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिजौलिया के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां से मुलजिम को माननीय न्यायालय द्वारा 14 दिन के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के अन्तर्गत फंदे से शिकार करने का कोई प्रकरण सामने नहीं आया है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बाघ एवं पैंथर के शिकार का कोई प्रकरण सामने नहीं आया है। गत 2 वर्षों में दर्ज शिकार के प्रकरणों में चंबल नदी से मछली पकड़ने के 13, पाटागोह शिकार के 3 प्रकरण, मोर शिकार का एक प्रकरण तथा खरगोश के शिकार के 2 प्रकरण सामने आये हैं। दर्ज प्रकरणों में नियमानुसार कार्यवाही जारी है।

मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में वर्तमान में अधीनस्थ कर्मचारियों के आधे से ज्यादा पद रिक्त हैं। सुरक्षा के दृष्टिगत उपलब्ध स्टाफ के अतिरिक्त बॉर्डर होमगार्ड के 52 एवं गृह रक्षा बल के 8 जवान नाके/चौकियों पर तैनात हैं। वनकर्मी/अधिकारी अपने पदस्थापित नाका/चौकियों/रैंज में तत्परता से अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं।

स्थानीय निवासियों को भ्रमण/मनोरंजन हेतु मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के अन्तर्गत राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में कोटा बैराज से गराड़िया महादेव तक एवं जवाहर सागर डैम के अपस्ट्रीम में ईको टूरिज्म के तहत बोटिंग की सुविधा आमजन के लिए उपलब्ध है। वर्तमान में कोटा शहर में जंतुआलय, वन्यजीवों को देखने हेतु आम जनता के लिए खुला है। वर्तमान में जंतुआलय, कोटा में 24 प्रजातियों के 61 वन्य जीव उपलब्ध हैं। अभेड़ा बायोलोजिकल पार्क में भी चिंकारा, चीतल, सांभर, नीलगाय एवं ब्लैक बक आदि वन्यजीवों को शिफ्ट किया जाकर आगामी वित्तीय वर्ष के अंत तक पर्यटकों हेतु खोला जायेगा।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): माननीय अध्यक्ष जी, बहुत विस्तार से वन मंत्री जी ने उत्तर दिया है। मैं तो आपसे इतना ही जानना चाहता हूं कि 2013 में इस मुकुंदरा नेशनल टाइगर रिजर्व को बनाया था, 750 स्क्वायर किलोमीटर में यह फैला हुआ है, इसमें काफी जानवरों के दिखने की संभावना बनी थी और टाइगर भी इसमें थे। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

आप इसकी व्यवस्था संतोषजनक मानते हैं? (व्यवधान) और सुन लें मेरी बात। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व की मैं बात कर रहा हूं और जब टाइगर मरे, क्योंकि फोकस पूरा जंगल का टाइगर के ऊपर ही है कि अगर टाइगर सुरक्षित हैं तो जंगल सुरक्षित है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब हमारे सरिस्का में टाइगर्स का शिकार हुआ था और उसके बाद से सरिस्का में टाइगर्स की मानिटरिंग के लिए वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट, देहरादून के साइंटिस्ट्स उस समय से ही वहां सरिस्का में हैं, आज भी हैं, जब मुकुंदरा में इस प्रकार की घटनाएं हुईं तो क्या आपने वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट्स को यहां लाने के प्रयास किये?

दूसरा, इस वाइल्ड लाइफ मुकुंदरा में जो पिछली सरकार के टाइम में भर्तियां हुई थीं वन कर्मियों की, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि आपने उन वन कर्मियों को, जिनकी बदौलत जंगल सुरक्षित रहता है, आपने बड़ी संख्या में उनके स्थानांतरण कर दिये और आज नतीजा यह है कि वहां पर आधे से ज्यादा आपके पोस्ट खाली हैं?

तीसरी बात आपसे जानना चाहूंगा कि टाइगर रिजर्व घोषित कर देना एक चीज है और उसके संरक्षण के लिए जहां तक आपके लोगो को, जो ट्रेंड आपके रेंजर्स हैं या आपके अच्छे एसीएफ हैं, उन लोगों को आपने अभी तक क्यों नहीं लगाया? और इसके विकास के बारे में गांवों को री-लोकेट करने के जो 750 स्क्वायर किलोमीटर में यह फैला हुआ है, टाइगर चले गये, खतम हो गये, इस घटना से हमें कुछ सीखना चाहिये और इसके सुधार के लिए आप क्या करेंगे? उसके बारे में आप प्रकाश डालें।

दूसरी चीज, आज कोटा की स्थिति यह है कि आप नया बायोलोजिकल पार्क बना रहे हैं। आपका जो पुराना जू है, न तो उसमें कुछ देखने को बचा है और जो नया बायोलोजिकल पार्क है, न उसको देखने के लिए कोई जा सकता है क्योंकि वह भी खुला नहीं। परिणाम यह है कि अगर जू में भी जानवर देखने हों तो कोटा के बाहर किसी और शहर में जू में जाकर वह जानवर देखेगा। न तो जंगल में जानवर देखने के रहे और न जू में। कब तक आप बायोलोजिकल पार्क को चालू कर देंगे और कब तक मुकुंदरा में गांवों का विस्तारण करके, एक और महत्वपूर्ण बात, आपका पूरा फोकस इस 82 स्क्वायर किलोमीटर जो एक फेंस्ड एरिया है, जो पिछली सरकार ने अपनी

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

प्राथमिकता मानकर 29 करोड़ रुपये खर्च करके एक क्लोजर बनाया और जो मुकुंदरा का सबसे खराब एरिया था, वह आज सबसे बेहतरीन एरिया हो गया। क्यों नहीं, इस वर्तमान सरकार में इस क्लोजर का हम एरिया बढ़ाएं और इस क्लोजर में आप टाइगर लाकर छोड़ना चाहते हैं। एक टाइगर उसमें है, उसको आप क्यों नहीं बाहर निकालते? आप उसको रामगढ़ में ले जाइए। आप बार-बार उसमें टाइगर छोड़ने की कोशिश करते हैं, आपको इजाजत नहीं मिलती। नेशनल टाइगर कंजरवेटिव अथोरिटी ने आपको मना कर दिया कि इसमें टाइगर नहीं छोड़ें। आपसे मेरी मांग है कि जब वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): इसी का है, बहुत इम्पोर्टेंट है। चीता छोड़ने की बात कर रहे हैं तो इस क्लोजर में आप चीता के बारे में भी कोई सोच रखते हैं ताकि पर्यटन का भी विकास हो?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष जी, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व भौगोलिक स्थिति के कारण टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में 16 ग्रामों को विस्थापित किया जाना आवश्यक है। उसमें लक्ष्मीपुरा, खरड़ी, बावड़ी ग्रामों का पूर्ण रूप से स्थापन किया जा चुका है। एक घाटी जागीर गांव के 58 परिवारों में से 21 परिवारों का स्वैच्छिक विस्थापन किया जा चुका है, शेष परिवारों के विस्थापन के लिए प्रयास जारी हैं।

दूसरा मेरा निवेदन है कि जो कोटा में पार्क है, उसमें 24 प्रजातियों के 61 वन्य जीव उपलब्ध हैं। आप जो बायोलोजिकल पार्क की बात कर रहे हो, इस साल के अंत तक उसको खोल दिया जायेगा।

जहां तक चीता का प्रश्न है, जब भारत सरकार से यहां टीम आई थी, उसमें माननीय सदस्य भी साथ थे और सर्वे टीम द्वारा चीता बसाने के लिए मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, शेरगढ़ अभयारण्य, भैंसरोडगढ़ अभयारण्य क्षेत्र देखे गये, सुझाव दिये गये। इन सुझावों पर कार्यवाही एनटीसीए एक्ट के तहत निर्देशित की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। श्री बाबु लाल झाडोल, 131.

झाडोल के वन क्षेत्र में आने वाले गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ना

श्री बाबु लाल (झाडोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम

(श्री बाबु लाल)

एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 131 के तहत मैं ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल की जनसंख्या 2011 की आबादी के अनुसार वहां पर 454 गांव हैं और 454 गांवों में 361 गांव ऐसे हैं, जिन पर डामर की सड़क आज भी है। 93 गांव बचे, उन 93 गांवों में से 23 गांव ऐसे हैं जो वाइल्ड लाइफ अभयारण्य के बीच में आते हैं। इन 23 गांवों में से भी 13 गांवों के लिए वाइल्ड लाइफ बोर्ड को इजाजत के लिए एप्लाई किया गया है लेकिन अनुमति नहीं मिली, इस वजह से डामर की सड़क नहीं बना सकते। 23 में से 13 तो यह निकल गये, बचे 10, 10 में से 3 गांव ऐसे हैं जिनमें सरकार के द्वारा वन विभाग से स्वीकृति तो मांगी गई है लेकिन अभी तक स्वीकृति नहीं मिली लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर डब्ल्यूबीएम वगैरह, वगैरह के काम करवाये गये हैं तीनों में। अब बचे 7 गांव, 7 गांवों में सड़क बनाने की सरकार की कोई योजना नहीं है।

श्री बाबु लाल (झाड़ोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब आया, जो गांव बताये हैं, कुछ गांव तो सैंक्चुअरी एरिये में हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि वह गांव जो सैंक्चुअरी के सीमांकन से पूर्व वहां निवास कर रहे थे, वहां राजस्व की भूमि है, राजस्व ग्राम है, वर्षों से रह रहे हैं, उन लोगों का क्या दोष है?

दूसरा मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जब कानून बना तो उसका विकल्प भी होगा। ऐसा नहीं कि बिलकुल रास्ते बन्द कर दिये कि यहां कुछ हो ही नहीं सकता है। उन गांवों में मूलभूत सुविधाओं के लिए, जैसे बिजली, पानी, स्वास्थ्य, यह सारी सुविधाएं उन्हीं रास्तों से होकर जाएंगी। आज भी आजादी के इतने वर्षों के बाद में वह लोग इन मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। आपकी जानकारी में होगा लेकिन मैं फिर भी लाना चाहता हूं। सैंक्चुअरी में है कोई बात नहीं, ग्राम पंचायत को अधिकार है कि वह ग्राम पंचायत यह जो जमीन आती है वह इतना एरिया है, उसको अपनी ग्राम सभा में प्रस्ताव लेकर उसकी एवज में बिलानाम जमीन यह है, यह हम देना चाहते हैं, उसका सीमांकन करके कलेक्टर को वह प्रस्ताव भेजते हैं तो कलेक्टर उसको दे सकता है।

दूसरा, सामान्य फोरेस्ट है, वहां तो ऐसी कोई तकलीफ ही नहीं है। मैं

(श्री बाबु लाल)

आपसे कहना चाहता हूं, अभी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा की कि पंचायत मुख्यालय जो सड़क से नहीं जुड़े हुए हैं उनको डामर की सड़क से हम जोड़ेंगे। इसमें मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी दो पंचायतें ऐसी हैं जो पूर्णत: फोरेस्ट में हैं, उमरिया, बेड़ाघर। एक दोहतड़ पंचायत जो आंशिक रूप से फोरेस्ट में है, उनको आप कैसे जोड़ेंगे।

दूसरा मैं आपसे यह कहना चाहता हूं जो हमारे 12 पंचायतों का क्षेत्रफल है, गुजरात की सीमा है, उनको सड़क मार्ग से जाने के लिए गुजरात होकर उन पंचायतों में जाना पड़ता है। बिजली की सुविधा के लिए भी...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न। बहुत लम्बा खींच दोगे आप, टू द पाइंट पूछो, जवाब दे देंगे मंत्री जी।

श्री बाबु लाल (झाड़ोल): सर, मैं शोर्ट करता हूं। इन 12 पंचायतों में बिजली भी वहीं से आती है। इन गांवों में डामर की सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना में स्वीकृत हो रखी है, छोटा-छोटा एरिया है। इन गांवों का मैं आपको नाम बता देता हूं, झाडोल में माल, थोड़ा एरिया जोड़ा है जनजाति विभाग के द्वारा, पूरा नहीं जोड़ा, सुविधा नहीं मिलेगी। सरवन, बिलकुल ही नहीं जुड़ा है। छाली बोरडा भी नहीं जुड़ा है। लोहारी, महाडी की नाल, भीमतलाई, आदि-आदि गांव। मेरी प्रार्थना यह है कि उन लोगों को सुविधा मिले, आप कैसे भी करके उन गांवों को जोड़ेंगे तो यह मूलभूत सुविधाओं का लाभ उठायेंगे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सदस्य, जैसा मैंने निवेदन किया 3 गांव ऐसे थे, एक तो फूटन, नाडीफला और वागड़ा, जिनके लिए राज्य सरकार ने स्वीकृति जारी कर दी थी लेकिन सामान्य वन क्षेत्र में होने के कारण वहां पर वन विभाग के द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई। उसके बावजूद भी वहां पर डब्ल्यूबीएम सड़क बनाई गई लेकिन बाद में फोरेस्ट के अमले ने आकर सारा का सारा काम रोक दिया।

जहां तक आप कह रहे हैं कि बाकी के जो गांव हैं, वह बाकी के गांव जो वन क्षेत्र में आते हैं, उनकी स्वीकृति भी अभी तक वहां पर नहीं मिल पाई है। इसके अलावा जितने भी गांव बचे हैं, उनके लिए राज्य सरकार की फिलहाल वहां पर कोई योजना नहीं है, लेकिन वाइल्ड लाइफ अभयारण्य में जो गांव आ गये हैं, जो प्रधानमंत्री सड़क योजना में मंजूर हो चुके थे, उनके लिए वन विभाग ने अनुमति नहीं दी, जिसकी वजह से यह काम नहीं हो पा रहा।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री उदयलाल अंजना।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड का वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन (वर्ष 2018-19)

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा-54(14) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड का वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: याचिका का उपस्थापन, श्री नारायण बेनीवाल।

याचिका

उपखण्ड मुख्यालय पर अग्निशमन केन्द्र की स्थापना

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार उपखण्ड मुख्यालय पर अग्निशमन केन्द्र स्थापित करवाये जाने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

(13.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: श्री जोराराम कुमावत।

देवतरा से आकदड़ा-वेनपुरा-बिरामी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 तक सड़क निर्माण

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सुमेरपुर में देवतरा से आकदड़ा-वेनपुरा-बिरामी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 तक 20 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2021-22, अनुदान की मांगों पर विचार और मतदान। श्री अर्जुन बामनिया जी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 30 - जनजाति क्षेत्रीय विकास की प्रस्तुति

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 30 - जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,92,86,49,12,000/- (एक सौ बानवे अरब छियासी करोड़ उनचास लाख बारह हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 30 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र यादव, मांग रखेंगे। मंत्री जी, आप रखें।

मांग संख्या 33 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की प्रस्तुति

श्री भजनलाल जाटव (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 33 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,03,44,08,06,000/- (एक सौ तीन अरब चवालीस करोड़ आठ लाख छह हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 33 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 30 व 33 पर विचार

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। आपने मुझे मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास और मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर बोलने का अवसर दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आजादी के 70 वर्षों के बाद भी आज हम अनुसूचित जाति, जनजाति के न्याय की बात करते हैं, उनकी सुरक्षा की बात करते हैं, उनके कल्याण की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि आज जहां हमें खड़ा रहना चाहिए था, अभी भी हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाये हैं। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत सारे प्रयास करने की जरूरत है।

(13.02 बजे)

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया, सभापति, पदासीन)

(श्रीमती अनिता भदेल)

माननीय सभापति महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग दो उद्देश्यों को लेकर बना है, किन्तु न तो सामाजिक न्याय वंचित वर्गों को मिल पा रहा है और न ही इन वर्गों के सशक्तीकरण के लक्ष्य को हासिल किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, आयोजना विभाग द्वारा जो बजट, राजस्व और पूंजीगत मदों में रखा जाता है एससी और एसटी वर्ग के लिए, जनसंख्या के अनुपात में बजट आबंटन की बात कही जाती है, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि बजट आबंटन के बाद जब बजट को खर्च करने के लिए समीक्षा होती है तो पता चलता है कि बजट की समीक्षा वास्तविक आधार पर न होकर काल्पनिक आधार पर होती है। माननीय सभापति महोदय, जब काल्पनिक आधार पर बजटों की समीक्षा की जाती है तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितना खर्च इन वर्गों के विकास के लिए हो सकता है क्योंकि काल्पनिक आधार तो आप कुछ भी तय कर सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ऐसे में वास्तविक खर्च कितना हो रहा है, ये सरकारों को पता नहीं पड़ता है। इसलिए उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है, जिस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना होता है। माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं सुझाव देना चाहूंगी कि जो बजट खर्च होता है, उसकी वास्तविक आधार पर समीक्षा हो और मुख्य सचिव के स्तर पर पूरे वर्ष भर में जो बजट आबंटित किया जाता है, उस वर्ष भर के बजट आबंटन को, फिर प्रति माह उसकी समीक्षा होनी चाहिए कि प्रति माह उस बजट आबंटन में कितना खर्च किया जा रहा है, तब तो हम यह समझ पाएंगे कि इन वर्गों की सुरक्षा के लिए, इन वर्गों के कल्याण के लिए आप अलग-अलग विभागों के माध्यम से, चाहे वह शिक्षा विभाग हो, चाहे वह सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग हो, चाहे आपका कोई दूसरा डवलपमेंट वाला विभाग हो, उन विभागों में इन वर्गों के लिए कितनी चीजें रखी गयी हैं और क्या-क्या खर्च किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, अन्याय और शोषण से मुक्ति विभाग का पहला काम है, किंतु मैंने देखा है कि उत्पीड़न और अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अत्याचारियों और अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार उत्पीड़न निवारण अधिनियमों के प्रावधानों तहत जिला स्तरीय समीक्षा समितियों में न तो जिला कलेक्टर्स कोई इंटरेस्ट दिखाते हैं और न ही एसपी महोदय इंटरेस्ट दिखाते हैं। उस वजह से उनकी दिलचस्पी इन विषयों में नहीं होने के कारण, उन अपराधियों को न

(श्रीमती अनिता भदेल)

तो सज़ा मिलती है और न पीड़िताओं को न्याय मिलता है। इसलिए निवेदन करना चाहती हूं कि जो जिला स्तरीय समीक्षा समितियां बनी हुई हैं जो कलेक्टर की अध्यक्षता में जो समीक्षा समितियां बनी हुई हैं उन समीक्षा समितियों की नियमित रूप से मानिटरिंग के लिए राज्य स्तर पर, प्रदेश स्तर पर कोई अधिकारी नियुक्त होना चाहिए। हमारे प्रभारी सचिव भी लगे हुए हैं, लेकिन प्रभारी सचिवों के पास इतना समय नहीं होता है कि वे एक-एक बात की वहां पर समीक्षा कर सकें। इसलिए इस बिंदु को सरकार विशेष रूप से देखे और इसको देखते हुए विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए और सरकार की ओर से निर्देश होने चाहिए कि वे इन बिंदुओं पर भी जाकर चर्चा करें। तब जाकर नीचे इंटरेस्ट जागेगा, नहीं हो तो ऐसी ही जो वर्षों से व्यवस्थाएं चली आ रही हैं, वे होती रहेंगी।

माननीय सभापति महोदय, न्याय को सुलभ कराने के लिए आप देखिये कि सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को, अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के लिए माननीय अम्बेडकर जी ने रिजर्वेशन का प्रावधान रखा और रिजर्वेशन का प्रावधान इसलिए रखा, क्योंकि उस समय की परिस्थितियां बहुत विपरीत थीं, प्रतिकूल परिस्थितियों में ये वर्ग कैसे आगे आएं? हिन्दू समाज कैसे संगठित हो? ये जो हिन्दू समाज में बंटवारा हो रखा है, वह बंटवारा खतम हो। उस नाते से उन्होंने रिजर्वेशन की व्यवस्था की, परंतु यह रिजर्वेशन की व्यवस्था आज की परिस्थितियों में किस रूप में लागू हो रही है, आप देखिये, आज की परिस्थितियों में न तो रिजर्वेशन के उस अनुपात में सीटों को रिजर्व किया जा रहा है और न ही पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान जो पहले से है, उसको दिया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि शैक्षणिक संस्थाओं और बाकी की जितनी संस्थाएं हैं, उनमें सरकारी सेवाओं में, शैक्षणिक संस्थानों में यह सुनिश्चित किया जाए कि आरक्षण की व्यवस्था की अक्षरशः पालना की जा रही है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार उनको पद आबंटित किये जा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी। जिस अत्याचार की बात मैंने की, उसके बारे में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। मेरे पास एक एफ.आई.आर. की कापी है और यह एफ.आई.आर. अनुसूचित जाति-जनजाति एक्ट में दर्ज है। एफ.आई.आर. का नंबर 0154 है, 13.07.2020 को यह एफ.आई.आर. दर्ज की गयी, मुकेश

(श्रीमती अनिता भदेल)

भाट S/o श्री तेजाराम भाट, बड़गांव का निवासी है, जिसने आदर्श नगर थाने में यह मुकदमा दर्ज कराया। माननीय सभापति महोदय, देखिए, यह एससी का बंदा है, इसके साथ मारपीट की गयी, मेडिकल रिपोर्ट इसके पक्ष में आयी है। सवर्ण समाज के लोगों ने गवाही दी है कि इसके साथ मारपीट हुई, लेकिन आज दिन तक भी उन बंदों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 01.07.2020 से आज 2021 चल रहा है और आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई और आज तक उनके खिलाफ चालान पेश नहीं हुआ है। ये एससी, एसटी एक्ट के तहत जो मुकदमे दर्ज होते हैं, उनकी समीक्षा कौन कर रहा है? उनको कौन देख रहा है? ऐसे में अनुसूचित जाति के व्यक्ति को न्याय कैसे मिलेगा? क्या यह सम्भव है? विकासशील राजस्थान में, विकासशील देश में आज भी जातिसूचक शब्दों में, जबकि आप कह रहे हैं कि छुआछूत खतम हो गया है, ये सारी चीजें खतम हो गयीं।

माननीय सभापति महोदय, गांवों की स्थिति देखें। गांवों में तो आज भी यही स्थिति है और ये मेरे शहर के बिलकुल अड़ते हुए बड़गांव की बात मैं बता रही हूं। मैंने आपको एफआई.आर. नंबर नोट कराया है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करती हूं कि जब तक शिक्षा का प्रचास्प्रसार नीचे के स्तर तक नहीं होता है, तब तक ये वर्ग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं कर सकते, क्योंकि जानकारी के अभाव में, शिक्षा के अभाव में आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सरकारी सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करती हूं। मैं शिक्षा से अपनी बात को शुरू करूंगी। इसलिए शुरू करूंगी क्योंकि अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। जब तक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक आगे नहीं आ सकते। अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति गरीब परिवार से आता है और गरीब परिवार से आता है इसलिए वह सरकारी विद्यालयों में प्रवेश पाता है। सरकारी विद्यालयों में जाता है ताकि सरकारी विद्यालयों के माध्यम से शिक्षित होकर आगे बढ़े, लेकिन सरकारी विद्यालयों की क्या स्थिति है? सरकारी विद्यालयों में टीचर्स नहीं हैं, स्कूलों में शौचालय नहीं हैं, और तो और, टीचर और शौचालय के अभाव में वहां जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, वह पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए उपयुक्त माहौल नहीं है।

मैं मंच से यह बात कहती हूं कि यदि परिवार को शिक्षित करना है तो बालिका को शिक्षित करना पड़ेगा। यदि आप एक अनुसूचित जाति की

(श्रीमती अनिता भदेल)

बालिका को शिक्षित कर देते हैं तो आप पूरे परिवार को शिक्षित कर सकते हैं। इसलिए एक बालिका पढ़ेगी तो पूरा परिवार पढ़ेगा, परंतु बालिकाओं की क्या स्थिति है? क्या वह स्कूल में प्रवेश कर रही हैं? इस कोरोना काल में पूरी बालिकाओं की शिक्षा जो है, वह शिक्षा से महरूम हो गयी क्योंकि एक वर्ष तक पूरे घर बैठी हैं। स्कूल जब आती हैं तो स्कूल में उनके साथ क्या हो रहा है? वर्ष 2019-20 में 20 से अधिक मामले ऐसे प्रकाश में आये हैं जिनमें अध्यापकों द्वारा बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार की घटनाएं घटित होती हैं। अब वह बालिका जो घर से चलकर आयी है स्कूल में शिक्षा लेने के लिए और शिक्षा देने का दायित्व जिसके कंधे पर है, वह उसके साथ बलात्कार करता है तो एक संभ्रान्त परिवार का व्यक्ति अपनी बालिका को विद्यालय भेजने की हिम्मत कर सकता है क्या? कैसे वह बालिका विद्यालय आएगी? विद्यालय आएगी तो ऐसे दरिंदों से नोची जाएगी। क्या हम ऐसे दरिंदों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा सकते हैं? उनको नौकरी से बर्खास्त नहीं कर सकते हैं? परंतु नहीं करेंगे क्योंकि ये तो होता रहा है, होता रहेगा। इसी को नियति मानकर हम चलते रहेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इस प्रकार की बालिकाओं के साथ में जो घटनाएं घटित होती हैं, उनको तुरंत प्रभाव से रोका जाए, न केवल रोका जाए बल्कि ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सज़ा दी जाए ताकि कोई दूसरा व्यक्ति इस प्रकार की घटना कारित करने से बच सके। जब स्कूल ही सुरक्षित नहीं है तो और फिर क्या बचा है इस समाज में सुरक्षा के लिए? स्कूलों को सुरक्षित करना हमारी पहली जिम्मेदारी है, हमारा पहला दायित्व है, इसलिए विशेषकर बालिकाओं के संदर्भ में मैं निवेदन करूंगी कि स्कूलों को सुरक्षित रखा जाए।

माननीय सभापति महोदय, प्रमोशन में आरक्षण के लिए निवेदन करूंगी क्योंकि आरक्षित पदों पर भर्ती हो, यह तो अति आवश्यक है ही लेकिन उन पदों पर भर्ती होने के बाद में प्रमोशन भी आरक्षण के पदों पर हो, यह भी बहुत जरूरी है। इससे भी विभाग में जो अधिकारी काम करते हैं, कई बार अच्छी योग्यता रखने के बावजूद भी उनको कुंठित होना पड़ता है और ठीक प्रकार से अपनी सेवाएं नहीं दे पाते। इसलिए प्रत्येक विभाग में रोस्टर रजिस्टर संधारण का प्रावधान होना चाहिये क्योंकि अधिकांश विभागों में ये रजिस्टर ढंग से संधारित नहीं हो रहा है। इसके साथ ही निवेदन करती हूं कि यदि संधारण

(श्रीमती अनिता भदेल)

हो रहा है तो उसको अपडेट करके सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि सार्वजनिक होने से विभागीय वेबसाइट पर जो पद, पदवार, संवर्गवार जो खाली पद है, वह प्रदर्शित हो सकते हैं ताकि वंचित वर्गों को अपने हक के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और न केवल बढ़ेगी बल्कि अनावश्यक भ्रम जो उनके मन में होता है, सरकारों के प्रति, मंत्रियों के प्रति, वह भ्रम भी उनका टूटेगा और उनको क्लीयर चीजें पता होंगी कि इतने पद हमारे हक के हैं और इतने पदों पर भर्ती होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, बहुत सारी चीज़ें, बहुत समय से सरकारें इस वर्ग के सामाजिक उत्थान की बातें करती हैं, बहुत सारी योजनाएं भी लेकर आती हैं। परंतु आप देखिए अनुसूचित जाति-जनजाति का जो प्रतिशत है, हमारे राजस्थान में 16 प्रतिशत है, अभी शायद जनगणना होगी तो 17 या 18 प्रतिशत हो जाएगा। माननीय मंत्री महोदय, इतने प्रतिशत के अनुपात में जितनी योजनाएं हम बनाते हैं, क्या उन योजनाओं में इतना लक्ष्य रखते हैं? नहीं रखते हैं। इसी का कारण है कि हम लक्ष्य के अभाव में उन सभी वर्गों को लाभ नहीं दिला पाते जिनको लाभ दिलाने की आवश्यकता है।

अब मैं एक योजना का जिक्र आपके सामने करूंगी। माननीय मंत्री महोदय, आप मंत्रिमंडल में प्रभावी मंत्री हैं इसलिए आपको निवेदन करूंगी, आपको संबोधित करके निवेदन करूंगी, मैं एक-एक योजना करके आऊंगी। मैं एक योजना मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का जिक्र करना चाहूंगी। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 2019 में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की घोषणा की। जन घोषणा पत्र के पेज नंबर 33 के बिंदु संख्या 13 में यह कहा गया कि बीपीएल परिवारों की विधवाओं, पुत्रियों के पुनर्विवाह हेतु राशि बढ़ाई जाएगी। ठीक बात है, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन ये जन घोषणा पत्र में लिखा गया है और हमने किया क्या है, इसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी और हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करूंगी कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय को कहकर इस त्रुटि को ठीक कराइए।

माननीय सभापति महोदय, उन्होंने क्या किया है कि सरकार ने राशि बढ़ाने की बजाय इसको कम किया है। कैसे कम किया है? वह मैं बताती हूं। बीपीएल परिवारों की विधवा पुत्रियों की बेटी की योजना जो पहले थी उसमें क्या प्रावधान था? उसमें प्रावधान था, पूर्व में इस योजना में प्रावधान था कि दसवीं पास होने पर उस बीपीएल परिवार की विधवा की बेटी की शादी पर,

(श्रीमती अनिता भदेल)

यदि वह बेटी दसवीं पास है तो उसको 11 हजार मिलेंगे, यदि वह बेटी बारहवीं पास है तो उसको 21 हजार मिलेंगे, यदि वह ग्रेजुएट है तो उसको 31 हजार मिलेंगे। बीपीएल श्रेणी की विधवाओं की बेटियों की शादी का प्रोविजन यह था। लेकिन जन घोषणा पत्र में कहा हम राशि बढ़ाएंगे। अब क्या किया उन्होंने, इस योजना का नामकरण दूसरा करके नया कवरेज दिया है। वह कवरेज दिया मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के नाम से और किया क्या है? इस योजना में सिर्फ आठवीं पास का एक मापदंड निर्धारित किया कि अठारह साल की होनी चाहिए और आठवीं पास होनी चाहिए। आठवीं पास का मापदंड निर्धारित करते हुए सभी के लिए 21 हजार रुपये की सहायता राशि हथलेवा हेतु तय की है। अब इससे होगा क्या कि बीपीएल परिवार की विधवाओं की बेटियों के लिए ये लक्ष्य जो ग्रेजुएशन के बाद में 31 हजार उसको मिलता तो वह ग्रेजुएशन तो क्यों करेगी? आठवीं पास करके उसको 21 हजार मिल रहे हैं तो बात ठीक है, वैल एंड गुड़ है। जो पढ़ने की इच्छा होती है अन्दर से, जो एक ललक होती है कि मुझे पढ़ना है, मुझे 31 हजार प्राप्त करने हैं तो मुझे ग्रेजुएट बनना है, वह तो आपकी इस योजना से खतम हो गयी। यह ठीक है कि आठवीं पास को भी अब 21 हजार रुपये मिल रहे हैं। पहले आठवीं पास को 21 हजार नहीं मिलते थे, परंतु इससे शिक्षा के प्रति बेटियों में हतोत्साहन होगा, ये हतोत्साहित होंगी। ये हतोत्साहन नहीं हो, इसके लिए इस योजना का वापस पुनर्गठन कराइए माननीय मंत्री महोदय और वापस इसको री-शफलिंग करके कुछ ऐसा प्रावधान कीजिए जिससे इसको शिक्षा से जोड़ सकें।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा निवेदन करती हूं मैं शराब के लिए। हम सब जानते हैं, मुझे यह बोलते हुए कतई दुख नहीं है शराब के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के लिए कहा जाता है कि इनके यहां शराब का चलन बहुत अधिक है। जानकारी में भी है, सबको मालूम है। जो सवर्ण क्लास के लोग कहे जाते हैं, उनको लगता है कि इनके यहां शराब का चलन नहीं है लेकिन उनके वहां शराब का चलन है। हम जानते हैं कि हमारी सांसी बस्ती में, कंजर बस्ती में अवैध शराब बनती भी है, बेची भी जाती है और खुले आम बिकती है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने नवजीवन योजना प्रारम्भ की। मुझे मालूम है 2008 का जब उनका कार्यकाल था, तब यह नवजीवन योजना वही लेकर आए थे, यह बात सही है। अब की बार उन्होंने नवजीवन योजना को नया

(श्रीमती अनिता भदेल)

कवरेज देकर वापस लागू किया है। ये नवजीवन योजना तो उनकी भलाई के लिए है, यदि हम पूरी तरह से उनकी भलाई चाहते हैं तो हम इस प्रदेश में शराब बंदी नहीं कर सकते हैं क्या? मैं सही बता रही हूं आपको, यदि हम इस प्रदेश में शराब बंदी कर देते हैं तो अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों पर हम वैल विशर के लिए, उनके कल्याण के लिए जितना पैसा खर्च करते हैं, वह कल्याण उनका आटोमेटिक आधी समस्या तो वैसे ही दूर हो जाएगी क्योंकि मजदूरी पर जाने वाला अनुसूचित जाति, जनजाति का व्यक्ति कोई मिस्त्री है, कोई बेलदार है, वह सारा दिन भर कमाता है और शाम को ठेके पर जाकर आधी से ज्यादा कमाई ठेके पर दे देता है और शराब पी लेता है और परिवार की जो महिला है, वह इतना परेशान होती है। वह कुछ कह भी नहीं सकती, सामाजिक रीति रिवाजों की वजह से वह अपने पति को कुछ कह नहीं सकती है और वह खुद परेशान होती है कि बच्चों को कैसे पाले? औसत आयु उसकी पूरी नहीं हो पाती और शराब के कारण से उसका लिवर खराब है, उसकी किडनी खराब हो गयी, फिर उसका इलाज कराती फिरती है। यदि शराब को हम बन्द कर दें तो सारी समस्या ही एक बार में खतम हो जाए। इसलिए, माननीय मंत्री महोदय, मेरा निवेदन है कि शराब को बढ़ाने की बजाय, आप जो शराब नीति लेकर आए हैं रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, उससे गली-गली मौहल्ले-मौहल्ले में दुकानें खुलेंगी और मौहल्ले-मौहल्ले में दुकानें खुलकर शराब लेने वालों की तो पौ-बारह हो जाएगी, उसको घर से बाहर निकलते ही शराब की दुकान मिलेगी, वहां से खरीद लेगा। मेरा निवेदन है कि इस शराब पर किसी न किसी तरह से कंट्रोल हो जाए तो आधी से ज्यादा समस्याओं का समाधान हो सकता है।

माननीय मंत्री महोदय, आगे निवेदन करना चाहूंगी पालनहार योजना के लिए। मैं माननीय पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी को बधाई देती हूं कि उनके कार्यकाल में, पहला जब उनका कार्यकाल था तो वह पालनहार योजना लेकर आए। इस पालनहार योजना में जो राशि आप देते हैं, 2 हजार रुपये की राशि, वह 2 हजार रुपये की राशि को बढ़ाने की आवश्यकता है। आपने अच्छा किया, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा की इस बजट में और पिछले बजट में घोषणा की कि सम्भाग मुख्यालयों पर और जयपुर में 18 साल पूरी कर चुके बालकों के लिए एक आवासीय छात्रावास खोलेंगे, जो पालनहार योजना के पात्र लोग हैं। परंतु अभी वह खुला है या नहीं खुला है? कहां संचालित हो रहा है?

(श्रीमती अनिता भदेल)

कितने बच्चे उसमें हैं? इसका कोई जिक्र नहीं है। इसलिए जवाब देते समय ये बताएंगे तो पूरे प्रदेश के लोगों को यह संदेश मिलेगा कि हां, ये संचालित हैं और पालनहार में ऐसे बच्चे जो एडमिशन लेना चाहते हैं, वहां जाकर एडमिशन ले सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करती हूं। अनुप्रति योजना, बारां से माननीय सदस्य, मदन दिलावर जी आते हैं, वह इस विभाग के मंत्री हुआ करते थे, तब वह यह योजना लेकर आये थे। यह योजना बहुत अच्छी है। अनुसूचित जाति, जनजाति के सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने इस योजना का लाभ उठाकर, कोचिंग की फीस उनके पास नहीं होती है, लेकिन जब सरकार उनको कोचिंग की फीस देती है तो उनको हिम्मत आती है कि आईएएस, आरएएस की परीक्षा दे सकते हैं, हम भी बड़े पदों पर जा सकते हैं। माननीय मंत्री महोदय, पिछले दो साल से इस योजना को बन्द कर दिया गया है। इस योजना में पैसे ही नहीं दे रहे थे। इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस योजना की घोषणा की है। इसमें कितने लोगों को शामिल किया? एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, इतने प्रकार के छात्रों को इसमें शामिल कर दिया और इसका टार्गेट सिर्फ पांच हजार स्टूडेंट तक ही रखा है। इतने सारे लोगों को इसमें शामिल करोगे, फिर पांच हजार स्टूडेंट को ही रखोगे, तो एससी, एसटी के कितने स्टूडेंट आएंगे? ज्यादा से ज्यादा 100 स्टूडेंट आ सकते हैं। इससे ज्यादा एससी, एसटी के स्टूडेंट नहीं आएंगे। इसलिए या तो इनको अलग-अलग किया जाए या फिर पांच हजार की संख्या को बढ़ाकर कम से कम 25 हजार करना चाहिए, तब जाकर उन विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा, नहीं तो यह ऊंट के मुंह में जीरा जितना ही है। विद्यार्थियों को ज्यादा लाभ नहीं मिलने वाला है।

माननीय सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त मैंने जिक्र किया था श्रमिकों के कल्याण के लिए। श्रमिकों के कल्याण के लिए जितनी भी योजनाएं श्रम विभाग द्वारा संचालित हो रही हैं, अभी कुछ दिनों पहले ही शुभ शक्ति योजना का जिक्र आया था कि हमारे पास पैसा नहीं है, इस कारण हम उसका लाभ नहीं दे सकते। मेरा इतना-सा निवेदन है, एक तो शुभ शक्ति योजना, एक छात्र-छात्राओं को श्रमिक कल्याण वाली योजनाओं में छात्रवृत्ति मिलती है, वह छात्रवृत्ति पूरी तरह से बन्द है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से

(श्रीमती अनिता भदेल)

सरकार से यह निवेदन करना चाहती हूं कि सिर्फ दो योजनाएं शुभ शक्ति योजना व छात्रवृत्ति योजना, यदि यह टार्गेट आप पूरा कर लेते हैं तो छात्रवृत्ति मिलने से राशि हाथ में आती है तो पढ़ने के समय बुक्स की आवश्यकता होती है, और चीजों की आवश्यकता होती है, उनको पूरा करने में वह सक्षम बन सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको एक प्रैक्टिकल समस्या बता रही हूं। अभी कोरोना काल में बच्चों की घर बैठे आनलाइन पढ़ाई हुई। आनलाइन पढ़ाई में जब तक एंड्रोइड फोन नहीं होगा तब तक वह बच्ची चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली है, नहीं पढ़ सकती। उसके पूरे परिवार में एंड्रोइड फोन है ही नहीं, वह पढ़ेगी किससे? तो एंड्रोइड फोन के लिए कम से कम 25-30 हजार रुपये तो चाहिए ही चाहिए। यह स्कालरशिप जो अन्य-अन्य विभागों से मिल रही है, यदि यह स्कालरशिप समय पर मिल जाए, तो मैं समझती हूं कि उसकी पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सभापति महोदय, मैंने तो अभी स्टार्ट ही किया है।

श्री सभापति: 20 मिनट का टाइम है, आपके आलरेडी 22 मिनट हो चुके हैं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं फटाफट पूरा करती हूं। मंत्री महोदय, मेरे एमडीएस यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध जितने भी कालेज हैं, लगभग 150-200 कालेज होंगे एमडीएस यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध, उस एमडीएस यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध जितने कालेज हैं, उनको तीन-चार साल से सम्बद्धता ही नहीं मिल रही है। एमडीएस कालेज ने मैडल दे दिया, डिग्री दे दी, लेकिन अभी तक सम्बद्धता नहीं दी। सम्बद्धता नहीं देने के कारण, अब छात्रवृत्ति वाले डिपार्टमेंट ने यह रोड़ा अटका दिया कि जब तक सम्बद्धता नहीं होगी तब तक हम छात्रवृत्ति नहीं देंगे। ऐसे कम से कम 15-20 हजार स्टूडेंट हैं, जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है। इसलिए एमडीएस यूनिवर्सिटी से सम्बद्धता मिले ताकि 20 हजार लोग भी छात्रवृत्ति लें।

श्री सभापति: समाप्त करें। कृपया समाप्त करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सभापति महोदय, बस दो-दो पाइंट, आधा-आधा, एक-एक सैकण्ड में पूरा करती हूं। विधवा और वृद्धावस्था

(श्रीमती अनिता भदेल)

पेंशन की बात कर रहे थे। माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि विधवा और वृद्धावस्था पेंशन में प्रतिवर्ष उस वृद्ध व्यक्ति को डिपार्टमेंट में जाकर, ई-मित्र पर जाकर अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र देना पड़ता है। लाखों वृद्ध हैं जिनको पेंशन मिलती है, लेकिन हर दूसरे-तीसरे साल में ऐसे हज़ारों प्रकरण ध्यान में आ रहे हैं, जिनको यह पता नहीं है कि उनको जीवित होने का प्रमाण पत्र ई-मित्र पर जाकर देना है।

श्री सभापति: समाप्त करें। अब आप समाप्त करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): इसलिए जीवित होने के प्रमाण पत्र की अगर बाध्यता खतम कर दें।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। अंकित नहीं होगा। समाप्त करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री सभापति: आप समाप्त करें। श्री दयाराम जी परमार।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री सभापति: आप विराज जाएं। माननीय, विराजें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा, विराजें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री दयाराम जी परमार।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री सभापति: विराजें, माननीय सदस्या विराजें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री दयाराम परमार (खेरवाड़ा): सभापति महोदय, मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास पर चर्चा करते हुए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ट्राइबल एरिया, आपका जिला बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर की 6 पंचायत समितियां, सिरोही ज़िले की आबू रोड और पिंडवाड़ा पंचायत

(श्री दयाराम परमार)

समिति, इस एरिया को मिलाकर, वहां के रहने वाले आदिवासियों के लिए, उनके विकास के लिए ट्राइबल एरिया डवलपमेंट डिपार्टमेंट बनाया गया। यह डिपार्टमेंट 1975 में गठित हुआ। इसमें यह व्यवस्था की गई थी कि ट्राइबल्स के विकास के लिए एक ट्राइबल एरिया डवलपमेंट कमिश्नर का पद होगा। ट्राइबल एरिया डवलपमेंट कमिश्नर समय-समय पर ट्राइबल्स के बीच जाएगा। पंचायत समिति की बैठक में जाएगा, ट्राइबल्स की विभिन्न समस्याओं की जानकारी करेगा, सरकार को सलाह देगा और समस्याओं का समाधान किया जाएगा, लेकिन इस डिपार्टमेंट के बनने के बाद कोई भी कमिश्नर, मैं सन् 1965 से बराबर पंचायत समिति में जाता रहा हूं, कोई भी कमिश्नर पंचायत समिति बैठक में नहीं आया। इससे क्या हुआ कि ट्राइबल्स की समस्या सरकार तक पहुंचनी चाहिए थी, वह नहीं पहुंची। नहीं पहुंची तो इसके समाधान का रास्ता भी कोई नहीं ढूंढ पाया।

माननीय सभापति महोदय, आजादी के पहले यह एरिया, जो ट्राइबल एरिया कहलाता है, वहां न कोई सड़क थी, न शिक्षा के लिए कोई संस्थान था, न बिजली न चिकित्सा सुविधा थी। आजादी के बाद, यह डिपार्टमेंट बनने के बाद, ट्राइबल एरिया के विकास के लिए सड़कें बनी हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत पहले 250 तक के रेवेन्यू विलेज, बाद में दूसरे चरण में 250 तक के हैमलेट और हैबीटेशन को भी सड़कों से जोड़ा गया। इससे ट्राइबल एरिया में सड़कों की सुविधा हुई है, आवागमन के साधनों की सुविधा भी हुई है।

सभापति महोदय, चिकित्सा के क्षेत्र में भी ट्राइबल एरिया में सब-सेंटर्स, पीएचसी, सीएचसी खुले हैं और लोगों को चिकित्सा सुविधा भी मिल रही है।

सभापति महोदय, आप जानते हैं कि ट्राइबल एरिया में राजनीतिक दृष्टि से अलग ही एक व्यवस्था हुई है। आप जानते हैं कि ट्राइबल एरिया की जितनी भी पंचायतें हैं, उस पंचायत में महिला या पुरुष ट्राइबल ही बनेंगे। उस पंचायत समिति में प्रधान ट्राइबल ही बनेगा। एमएलए, एमपी, आपका जिला बांसवाड़ा और डूंगरपुर में तो जिला प्रमुख भी आदिवासी ही बनेगा। राजनीतिक दृष्टि से हम यह कह सकते हैं कि ट्राइबल्स को बहुत अधिकार मिला है और एरिया, खेती-बाड़ी में भी सुधार हुआ है तथा धीरे-धीरे विकास की ओर बढ़ रहा है लेकिन, माननीय सभापति महोदय, मैं यह बात निवेदन करना चाहता हूं कि आर्थिक दृष्टि से आदिवासी को सम्पन्न बनाने के लिए हमने कोई बड़े कदम

(श्री दयाराम परमार)

नहीं उठाये। आर्थिक दृष्टि से नहीं उठाये और जैन दर्शन में यह कहा गया है कि मनुष्य का बाह्य जीवन बिना धन से सम्भव नहीं है। मैं यह भी जानता हूं कि ऐसा कोई चमत्कारिक दिन आने वाला नहीं है कि आकाश से रुपया, पैसा धरती पर गिरेगा और आदिवासी बीन-बीन करके बोरे भर लेगा और सम्पन्न हो जाएगा, ऐसा दिन भी नहीं होने वाला है। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, आदिवासियों के पास पैसा कहां से आये? हमारे देश की सरकार ने राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम बनाया और यह कहा कि एक परिवार को सौ दिन काम करने का अधिकार होगा। सभापतिजी, एक घर में परिवार के 3-4-5 लोग रहते हैं, सौ दिन काम करेंगे तो 20 हजार रुपया मिलेगा। 20 हजार रुपया ले करके कितना विकास करके आगे बढ़ जाएगा, यह मेरी समझ में नहीं आता।

माननीय सभापतिजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने पढ़ा-लिखा करके लड़के-लड़कियों की फौज तैयार कर दी। सरकार की जो भी नौकरियां निकलती हैं, रिजर्वेशन के आधार पर हमारा जो भी कोटा बनता है, लड़के-लड़कियां जाकर उस नौकरी में फिट हो जाते हैं। नौकरी लग जाते हैं। लेकिन नौकरी नहीं लगने वालों का क्या हाल होगा? शारीरिक काम करने की हमारे पास ताकत है। हमने इतने सालों में, 70 सालों के दौरान कभी नहीं सोचा कि आदिवासी समाज का लड़का-लड़की पढ़कर आएगा, यह बेरोजगार होकर घूमेगा, इसको किस काम पर लगाएंगे? शुरुआत में ही हमारी सोच होनी चाहिए थी कि ट्राइबल एरिये में उद्योग-धंधों को विशेष प्रोत्साहन राशि दे करके उद्योगपतियों को उद्योग-धंधे लगाने चाहिए थे।

मेरे विधान सभा क्षेत्र खेरवाड़ा में एक धागा मिल है, वह 1980 के आस पास स्थापित हुई है। वहां पर 3000 आदमी काम करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। ऋषभदेव के पास में मसारो की ओबरी, ओडवास गांव ग्रीन मार्बल का खजाना है। वहां पर 400 माइंसें खोदी गई। उन 400 माइंसों में, हम लोग अधिकारियों से कहते रहे कि ये माइंसें हमको अलाट की जाएं। उन्होंने पूछा कि आपके पास पैसा कहां है? हमने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए आपसे मांग रहे हैं कि हमको पैसे वाला बनना है। हमारे पास पैसा नहीं है, माइंसें हमारे नाम से होंगी तो जो पैसे वाला आदमी होगा, हम पार्टनरशिप करेंगे और उसका मुनाफा बांटेंगे। लेकिन 400 माइंसों में से एक भी माइंस आदिवासी व्यक्ति को नहीं मिली और मसारो की ओबरी और

(श्री दयाराम परमार)
ओडवास गांव खोद-खोद करके ऐसा बना दिया कि सौ साल तक भी घास का एक तिनका नहीं उगेगा।

सभापति महोदय, एक हमारे जैन भाई और एक आदिवासी भाई, जो इस विधान सभा के माननीय सदस्य भी रह चुके हैं, दोनों ने पार्टनरशिप में माइंस खोली। पूरे विधान सभा क्षेत्र में हमारा अकेला आदिवासी करोड़पति है। अगर हम सौ-पचास आदिवासियों को माइंस मिल जाती तो हम सौ-पचास आदिवासी करोड़पति हो जाते, लेकिन माइंस की हमारी कोई पालिसी नहीं थी। माइंसें मद्रास के लोग खोदकर चले गये, कलकत्ता के लोग खोदकर चले गये और मुम्बई के लोग भी खोदकर पैसा लेकर चले गये। आज माइंसें बन्द, 17 के आस पास माइंसें चल रही हैं। हमको जो 200 रुपये मजदूरी मिलती थी, वह भी बन्द हो गई। इसलिए, सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि लोगों को रोजगार देना है, तो हमको ट्राइबल एरिये के लिए उद्योग-नीति लानी पड़ेगी, उद्योग खोलने पड़ेंगे। लोगों को रोजगार दे करके उनके पास पैसा बनाना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, शराब के ठेके, संविधान के फिफ्थ शिड्यूल में व्यवस्था है कि ट्राइबल एरिये में शराब के ठेके नहीं होंगे, लेकिन 2003 में इस व्यवस्था को तोड़ा, शराब के ठेके हुए। पिछले सालों में जो ठेके हुए वे लाटरी के आधार पर थे। लाटरी में हमारे लोग शराब के कई ठेके लेने में कामयाब हो गये, लेकिन अब फिर जाकर एक षड्यंत्र रचा, कहा कि यह ऐसा नहीं होगा, यह तो नीलामी के आधार पर होगा। वहां हमारा कोई आदिवासी नीलामी में ठेका लेने के लिए कामयाब नहीं हुआ तो, मैं आपसे यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि कानून तो कहता है कि ट्राइबल एरिये में दारू के ठेके मत करो, फिर भी आप दारू का ठेका कर रहे हो और हमको पिला रहे हो। हम पीयेंगे, आपके खजाने में रुपये भी डालेंगे, पर हमको रुपया भी कमाने दो। क्यों आप हमको ठेका नहीं देना चाहते हो? ऐसी व्यवस्था करो कि ट्राइबल एरिये का ठेका, ट्राइबल और ट्राइबल एरिये का आदमी ही ले। नहीं तो जैसे हमारी माननीय सदस्या अभी कह रही थीं, बन्द करो पर आप बन्द भी नहीं करना चाहते हो। रुपया कमाना चाहते हो और हमारी आने वाली पीढ़ी दारू पीकर सड़कों पर भमती हो गई, हम उसको भी बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन ठेका हमको देने की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे, हमारे पास पैसा नहीं आएगा, तो आप जानते हैं कि जिंदा और भूखा व्यक्ति ज्यादा दिन शांत नहीं

(श्री दयाराम परमार)

रहेगा। वह कुछ भी खेल कर सकता है इसलिए, सभापति महोदय, शराब के ठेकों के बारे में सरकार सोचे।

मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, यह प्रणाली, आपने जो लाइसेंस दिये हैं, उनको व्यापार करने का लाइसेंस दिया था जबकि यह अनाज वितरण, कंट्रोल का अनाज वितरण करना है और व्यापार का लाइसेंस, जब तक वह जिंदा रहेगा तब तक वह लाइसेंस लेकर बैठा रहता है। उसको किसी तरह का भय नहीं है। इसलिए लाइसेंस को रिन्यू करने का प्रोविजन करें कि 5 साल के बाद में अगर इसका व्यवहार अच्छा रहा, गरीबों को सही दाना वितरित किया तो उसका लाइसेंस रिन्यू होगा, नहीं तो नहीं होगा। लाइसेंस रिन्यू करने में भी, चूंकि बी.पी.एल. परिवार में ट्राइबल लोग ही ज्यादा हैं तो आप ट्राइबल को भी लाइसेंस क्यों नहीं देना चाहते हैं? उनको ठेका दो, उनको लाइसेंस दो, वे दाना वितरण करें, ताकि दो पैसे उसके पास भी आएंगे।

माननीय सभापति महोदय, महुआ की शराब को लेकर बारबार जिक्र होता है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस महुआ की दारू से आदिवासी समाज बरबाद हो रहा है। वह इसलिए बरबाद हो रहा है कि जैसे ही दारू उसके घर पकड़ी जाए, उसके खिलाफ भी केस दर्ज होगा और 15-20 साल तक कोर्ट में पेशी करता रहेगा। अगर हमारा वह आदमी गुजरात में पकड़ा जाए तो गुजरात के मजिस्ट्रेट के सामने दो पेशी हुई, तीसरी पेशी में मजिस्ट्रेट साहब उसको पूछेंगे कि आपको आपका गुनाह कबूल है क्या? वह कहेगा कि हां, साहब, कबूल है, तो वह कह देंगे, जा तुम्हारा 50 रुपया जुर्माना है और हम हजारों रुपये भरकर बीस साल तक, तीस साल तक केस लड़कर बरबाद हो जाते हैं।

यह महुआ की दारू का एक चस्का लग गया है आदिवासी समाज के व्यक्ति को कि वह जल्दी छोड़ना भी नहीं चाहता है लेकिन मैं आपसे यह बात कहना चाहता हूं कि यह महुआ जो आपका है महुआ का जो फूल है वह राजस्थान में नहीं है, गुजरात से आता है, मध्य प्रदेश से आता है और ललितपुर, उत्तर प्रदेश से आता है। आप वहां से इस माल को क्यों आने देते हो? आप जानते हैं कि इसको ले जाकर शराब बनेगी, शराब बनेगी तो हम पकड़ेंगे तो जेल में रखेंगे, तो अगर इस महुआ को ललितपुर से आने वाले, दूसरे प्रदेशों से, वहां पर ही रोक दो तो यह महुआ आएगा भी नहीं, शराब बनेगी भी नहीं और हमारे समाज का आदमी बरबाद भी नहीं होगा लेकिन

(श्री दयाराम परमार)

सरकार इतनी अनुमति दे देती है कि व्यापारी का गोदाम भरा हुआ है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी और पांच किलो महुआ लेकर घर गया, जाते ही यह कार्यवाही होगी। माननीय सभापति महोदय, इसलिए इस बात के ऊपर भी सरकार को चिंतन करने की जरूरत है और यह आदिवासी जो बरबाद हो रहा है, इसको किस तरह से रोका जाए इस महुआ की शराब से, इसके ऊपर भी सरकार चिंतन करें।

माननीय सभापति महोदय, समाज में एक और बुराई है, वह है मौताणा प्रथा और इस मौताणा प्रथा से भी समाज बराबर बरबाद हो रहा है। किसी भी तरह का अपराध होता है तो सरकार तो आई.पी.सी. की धारा लगा देती है और इनको कहती है कि जेल में जाओ और समाज के लोग इकट्ठे होते हैं और वह अपनी तरह से दंडित करते हैं तो मैं आपसे यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि सरकार ऐसी कानून-व्यवस्था करे कि यह मौताणा प्रथा किसी भी तरह से कंट्रोल में हो जाए, फैले नहीं और समाज के लोगों को बरबाद भी नहीं करे।

माननीय सभापति महोदय, हम बार-बार प्रशासनिक सेवाओं में पांच परसेंट आरक्षण अलग से मांगने की बात करते आये हैं। आप जानते हैं कि यह व्यवस्था मेडिकल में लागू हो चुकी है। पांच परसेंट ट्राइबल एरिये के लोगों की अलग से मेरिट बनती है और पांच सौ-सात सौ डाक्टर आज तक बन गये हैं, तो यह व्यवस्था आपको प्रशासनिक सेवाओं में करने में क्या कठिनाई आ रही है? मैं मेरी ओर से यह समझता हूं कि कानूनी कोई अड़चन नहीं है, यह सरकार की विल-पावर पर निर्भर है और सरकार यह विल-पावर दिखाये और यह पांच परसेंट, प्रशासनिक सेवाओं में हमारा अलग कर दें। आप मेरिट लिस्ट बनाइये एक से लेकर पांच, एक से लेकर सात, अगर हमारा आदमी, हम क्वालिटी के साथ में कोई समझौता नहीं करना चाहते, हम यह चाहते हैं कि अगर हमारे दो आदमी ही क्वालिफाई होंगे तो तीन आदमी आप उधर, पांच के बाद में, सात के बाद में आठ-नौ भर दीजिए, दस भर दीजिए लेकिन एक बार तो हमको मौका दो।

मैं आज यह बात इसलिए बार-बार कह रहा हूं कि एक सड़क पर मजदूरी करने वाले का बेटा, गुजरात में काम करने वाले का बेटा और एक आई.ए.एस., एक आई.पी.एस. और एक आर.ए.एस., आर.पी.एस. के लड़के के

(श्री दयाराम परमार)

बीच में कम्पीटिशन हो रहा है तो यह नैचुरल है कि वहां पर उस काश्तकार का, उस गरीब का, मजदूर का बेटा कभी उनका कम्पीटिशन करके नहीं आ सकता, तो इतना समय तो गुजर गया यह होते-होते, अब यह वक्त आया है, माननीय सभापति महोदय, उसका किसी भी तरह से निस्तारण कराओ, यह फैसला कराओ ताकि आने वाली पीढ़ी को प्रशासनिक सेवाओं में जाने का मौका मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, एक बात आपसे और निवेदन करना चाहता हूं कि टी.एस.पी. एरिये में ग्रेड 1 से लेकर 9 तक की सर्विसेज, उसमें दो कैटेगरी में आपने बांट दिया, एक तो रिजर्व और एक अन-रिजर्व। रिजर्व में 45 एस.टी. और 5 परसेंट एस.सी. और अनादर 50 परसेंट अन-रिजर्व। अन-रिजर्व को लेकर एरिये में अशांति फैली और वह अशांति इस हद तक पहुंच गयी कि प्रशासन को कड़े कदम उठाने पड़े और दो लोगों की मौत हो गयी। मैं आपसे यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि यह प्रोब्लम खड़ी है और समय रहते हुए प्रशासन को और सरकार को मिलकर इस प्रोब्लम को सार्ट-आउट करना है। अब सार्ट-आउट करने का क्या फार्मूला होगा, वह तो मेरे को समझ में नहीं आता है लेकिन मेरे से पूछेंगे जब बताऊंगा, अभी इस सदन में नहीं कहना चाहता हूं। इस प्रोब्लम को सार्ट-आउट करो ताकि हमारा, सदियों से हम भाईचारे के साथ रहते आये हैं, ट्राइब और नोन-ट्राइब सब, एक छोटी बात को लेकर, मिस गाइड होकर और लोगों ने अपनी राजनीति में व्यक्तिगत दर्जा ऊंचा करने के लिए इस खेल को खेला और इससे पूरा ट्राइबल देश में बदनाम हुआ, देश-विदेश तक उसकी खबर गयी इसलिए मैं यह चाहता हूं और मैं आपसे यह दरख्वास्त करता हूं कि सरकार इसको गम्भीरता से ले ताकि इस तरह की घटना की फिर से पुनरावृत्ति नहीं हो और हम सब लोग सदियों से साथ-साथ में भाईचारे से रहते आये हैं, वैसे रहते आएं।

माननीय सभापति महोदय, आप मेरी ओर बराबर देख रहे हैं, मेरे को यह जान पड़ता है कि अभी खतम करने वाले हो लेकिन एक-दो बातें कहकर मैं अपनी बात को खतम करना चाहता हूं।

खेरवाड़ा में लंबे समय तक मिलिट्री की भर्ती हुआ करती थी। पता नहीं पिछले पांच साल से उस मिलिट्री की भर्ती को खेरवाड़ा से क्यों हटा लिया गया? मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार फिर से इसके प्रयास करे। भारत सरकार के गृह विभाग से भी बात करनी पड़े तो करें लेकिन

(श्री दयाराम परमार)

मिलिट्री में भर्ती होने वाले कैम्प फिर से खेरवाड़ा में लगाये जाएं ताकि नौजवान हमारा जो भी पढ़ा लिखा आ रहा है, उसको फौज में जाने का अवसर मिले और जब वह फौज में जाएगा तो उसकी जो संकुचित भावना पैदा की है लोगों ने, ट्राइब और नोन ट्राइब की, वह उससे ऊपर उठकर देश की सेवा करेगा। इसलिए यहां पर कैम्प लगाने की बात को भी आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं कि वहां पर मिलिट्री की भर्ती करे।

माननीय सभापति महोदय, आखिर में एक बात और कहते हुए कि उदयपुर जिला बड़ा है, इसके साथ-साथ में ट्राइबल एरिया कोटड़ा में रहने वाला, फलासिया में रहने वाला, झाडोल में रहने वाला, खेरवाड़ा में रहने वाला, केसरियाजी में रहने वाला, सेमारी, सराड़ा और बिछीवाड़ा, यह लम्बा एरिया है, जहां पर प्रशासनिक अधिकारियों की पहुंच नहीं हो पाती है और हमारा आदमी इतना होशियार भी नहीं हुआ है कि अधिकारी के पास जाए और अपनी बात कह दे और वह अपनी समस्या का समाधान करा ले, इसलिए प्रशासनिक दृष्टि से ठीक व्यवस्था चले, आम आदमी को बड़े अफसर तक जाकर, पहुंचकर अपनी बात कहने का अवसर मिले इसलिए खेरवाड़ा में जिला मुख्यालय करने की सरकार से मांग करता हूं। आपने समय दिया, धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री हरेन्द्रजी निनामा।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): माननीय सभापति महोदय, आपने जनजाति क्षेत्रीय विकास मांग संख्या-30 पर मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, पूरा ही मेवाड़ और पूरे देश में रहने वाला आदिवासी भाई, भगवान राम से लेकर जिन महापुरुषों ने, जिन विद्वानों ने, चाहे युद्ध में आदिवासियों की आवश्यकता पड़ी हो, तो उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देने का काम किया। उदाहरण के लिए मेवाड़ में महाराणा प्रताप, जो मेवाड़ की धरती, राजस्थान की धरती वीरों की धरती कहलाती है, उस महाराणा का सहयोग करने के लिए भी मेवाड़ के आदिवासी कहीं पीछे नहीं रहे और महाराणा प्रताप का तो वह समय आ गया था जब वह घबरा गये थे कि मैं युद्ध हारने वाला हूं। यूं कहकर निराश हो गये थे, लेकिन उस समय उनके सहयोगी के रूप में राणा पूंजा नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने कहा 'मेवाड़ हूं, मेवाड़ हूं, मत घबराए राणा' इस तरह का वाक्य कहते हुए महाराणा प्रताप को

(श्री हरेन्द्र निनामा)

हिम्मत दी और पूरे कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी और महाराणा प्रताप की विजय हुई।

इसी तरह आजादी की लड़ाई का मामला हो, अंग्रेजों का मामला हो, गुरू गोविन्द मानगढ़ की पहाड़ी का मामला हो, अंग्रेजों ने तोप चलायी हो, मानगढ़ की पहाड़ी पर 1500 आदिवासी शहीद हुए। यह कोई कम इतिहास नहीं है। इतना बलिदान शुरू से करने के बाद आज भी आदिवासी परिवार ऊपर नहीं उठा। मैं हमारे सत्ता में बैठे भाइयों को पूछना चाहता हूं, सभापति महोदय, आजादी के 72 वर्ष में राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा सरकारें रही हैं तो कांग्रेस की रही हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आदिवासियों के विकास के लिए बारीकी से योजना बनायी जाये। चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो, पुल बनाने का मामला हो, स्कूलों को क्रमोन्नत करने का मामला हो, आदिवासी परिवारों को नौकरी देने का मामला हो, यह सब जिम्मेदारी आपकी बनती थी लेकिन आपने तो यह सोचा कि आदिवासी खाली वोट बैंक बनकर रह जाए, पढ़-लिख जाएगा तो हमें वोट नहीं मिलेगा। इस भावना को देखते हुए मुझे लगता है कि कोई योजना नहीं बनायी गयी।

माननीय मंत्री महोदय यहां विराजे हुए हैं। डॉ भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान को अंतिम रूप दिया और उस अंतिम रूप में पूरे देश के अन्दर उस संविधान में यह व्यवस्था दी गयी कि भारत के अन्दर हर कोने में रहने वाला आदिवासी, आदिवासी का परिवार उन्नति करे, आगे बढ़े, उसके लिए 10 वर्ष के आरक्षण की व्यवस्था करते हुए उन्होंने ही राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय को कहा कि हर दस साल का हिसाब दो, आदिवासी नहीं बढ़े, तब तक इस आरक्षण को बढ़ाते रहो। मैं मोदीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि गये टाइम पर आरक्षण का समय पूरा होने के बाद आपने एक मिनट नहीं लगने दिया और 10 साल के लिए आरक्षण की व्यवस्था आगे बढ़ाई। इन दस सालों में ....(व्यवधान)

श्री भजनलाल जाटव (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा): पचास सालों में किसने बढ़ाया आरक्षण, यह बताओ।

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी, विराजो।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): बढ़ाते रहे, वह संविधान। संविधान की व्यवस्था के लिए कहा है कि जब तक विकास नहीं होगा तब तक बढ़ाते रहें, चाहे सरकार किसी की भी आये, चाहे आपकी आये, तो संविधान को देखते हुए

(श्री हरेन्द्र निनामा)

बढ़ाने का प्रावधान है। इसमें भी मोदीजी ने संविधान के आधार पर किया। आपको तकलीफ हो तो मैं आपको बता भी देना चाहता हूं कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी का राज राजस्थान के अन्दर आया और भैरोंसिंह शेखावत मुख्य मंत्री बने थे और हमारे यह टी.ए.डी. मंत्रालय की राजस्थान में पहली बार शुरुआत हुई इस टी.एस.पी. एरिये को घोषित करने का काम किया तो भैरोंसिंहजी ने पहली बार किया। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है जिसमें भूरिया कमेटी और अटल जी को भी श्रेय जाता है। उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भूरिया कमेटी लागू नहीं की होती तो आज हमारे मेवाड़ के अन्दर, टी.एस.पी. एरिया के अन्दर सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख चेयरमैन के रूप में नहीं होते। मैं इस सदन के अन्दर प्रामाणिक बात बोल रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है कि जिस तरह की व्यवस्था बजट में की गयी है इस टी.एस.पी. एरिये के विकास के लिए, इन व्यवस्थाओं के लिए जितने भी हमारे टी.एस.पी. एरिये के एम.एल.ए. हैं, करीब 28 एम.एल.ए. आते हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हैं, चाहे और हैं, उनको आप बुलाकर उनसे सलाह-मशविरा करके, क्योंकि भारत सरकार अगर टी.ए.डी. का बजट देती है तो जनसंख्या के अनुपात में देती है, तो हमारे विधायक लोगों का अधिकार बनता है। माननीय मंत्री महोदय, आप अलग से हमें बुलाकर यहां पर इस एरिये में कौनसे विधान सभा क्षेत्र में कौनसी सड़क बनानी है, कौनसा वहां पर जनजाति आश्रम या छात्रावास खोलना है, उस आश्रम छात्रावास के अन्दर क्या बाथरूम सही बना हुआ है, क्या बांउड्री सही बनी हुई है, क्या वहां पर बच्चों के रहने की व्यवस्था सही है, पीने के पानी की व्यवस्था सही है, बिजली लगी हुई है कि नहीं, वहां पर सोने के बिस्तरों की हालत क्या है, चद्दरों की हालत क्या है, तकियों की हालत क्या है? यह तो जरा जाकर देखना पड़ेगा। यह छोटी-मोटी बातें आपके पास में हैं। हमारे जैसे विधायकों को आप बैठाओगे, हमारी राय आप लोगे तो निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि आपका यह जनजाति का विभाग, आपके नेतृत्व में राजस्थान में आगे बढ़ेगा। अभी हमने आपसे निवेदन भी किया, हमने माननीय मुख्य मंत्रीजी को अलग से भी कहा कि माननीय मंत्री महोदय को कहो कि टी.एस.पी. के विधायकों को, जो भारत सरकार बजट दे रही है, उसमें हिस्सेदार बने। उनकी मांगों के अनुसार कामों की स्वीकृति की जाये। मुझे तो अभी तक नहीं लग रहा, मैं बाकी जगह क्या कह सकता हूं। मंत्रीजी

(श्री हरेन्द्र निनामा)

मेरे क्लास फैलो हैं, कालेज के साथी हैं और हम एक ही जिले से आते हैं, फिर भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में आपने मेरे कहने के अनुसार एक भी अनुशंसा नहीं की है। यह बड़ी खेदजनक बात है। इसलिए मैं आपसे विश्वास रखता भी हूं, काम कहता भी हूं, मांग भी करता हूं कि मेरे दो क्षेत्र ऐसे हैं पीपलखूंट जो प्रतापगढ़ जिले के अन्दर आता है, वहां पर बोरी बानघाटी, जामली, केसरपुरा, इन जगहों पर आप एक बालकों का छात्रावास खोल दें, एक लड़कियों का खोल दें तो वह दूरस्थ मेरे विधान सभा क्षेत्र गोतमेश्वर के पास का एरिया है, वहां के बच्चों और बच्चियों को पढ़ने का मौका मिलेगा।

आपको मैं एक बात का धन्यवाद दूंगा, आपने मुझे बताया था कि कोटा में कोचिंग करने वाले लड़कों के लिए गये साल से नि:शुल्क कोचिंग की आपने बजट में प्रावधान करके व्यवस्था की है, लेकिन मेरा निवेदन है कि बांसवाड़ा जिला, डूंगरपुर जिला, उदयपुर मुख्यालय, माउंट आबू, जो हमारा एरिया पड़ता है, वहां पर भी प्राइवेट कोचिंग चल रही हैं, तो आप इसमें प्रावधान करके वहां पर भी हमारे बच्चों के लिए नि:शुल्क कोचिंग की व्यवस्था करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे।

अभी हमारे वरिष्ठ सदस्य, माननीय दयाराम जी भी पहले टी.ए.डी. मंत्री रहे हैं। माननीय सभापति महोदय भी पहले टी.ए.डी. मंत्री रहे हैं, नन्दलाल जी मीणा अभी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन वह भी टी.ए.डी. मंत्री रहे हैं और वर्तमान में आप टी.ए.डी. मंत्री हो। तीनों मंत्रियों का काम भी हमने देखा है और आपसे आशा करता हूं कि घाटोल विधान सभा के अन्दर अमरथूना और जामली के अन्दर दो छात्रावास खोलने के लिए मैं आपको निवेदन करूंगा। निश्चित रूप से मुझे भरोसा है कि आप अपनी व्यवस्था बजट के अन्दर करके मेरी बात को मानेंगे।

मेरा आपसे निवेदन है कि हर विधायक को ज्यादा नहीं तो पेयजल के लिए टी.ए.डी. मद से आप कम से कम 100-100 हैण्डपम्प का अलग से प्रावधान करें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। मुख्य मंत्रीजी ने तो 40-40 दिये, 10-10 ट्यूबवैल दिये, उनको तो मैं धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं कि उन्होंने तो इतनी हिम्मत की, लेकिन आपके पास तो बहुत बड़ा टी.ए.डी. का खजाना है, उसको आप खाली करने की कोशिश करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा।

मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की गये

(श्री हरेन्द्र निनामा)

टाइम जब सरकार थी, उस समय टी.ए.डी. का बजट लगाकर माननीय वसुन्धराजी ने पूरे संभाग में, राजस्थान में कम से कम एक हजार मां-बाड़ी केन्द्र खोलने का प्रावधान कर दिया।

(14.00 बजे)

यह तीसरा बजट जा रहा है, आपकी सरकार ने और आपने क्यों नहीं ऐसा निर्णय लिया कि हमारे संभाग में जहां पर विद्यालय नहीं है, वहां पर मां - बाड़ी केन्द्र खोल करके एक नहीं दो-दो अध्यापक मानदेय पर लगाने की व्यवस्था उन ढाणी, मजरों और पहाड़ों में अगर आप करें, अभी भी मौका है आप इसमें प्रावधान करें, आपके हाथ में है, माननीय मंत्री महोदय, मेरा निवेदन है कि इस तरह का इन मां-बाड़ी केन्द्रों में भी करें। हम घर जाते हैं, रोज सुबह से शाम तक कम से कम 1 से 10 बेरोजगार लड़के मां-बाड़ी केन्द्र की दरख्वास्त लेकर हमारे पास में आते हैं, अब हम बजट भी बताएंगे तो उसमें तो कोई प्रावधान ही नहीं है तो वहां प्रावधान नहीं है तो मेरा निवेदन है कि यह टी.ए.डी. का पैसा लेकर आप मां-बाड़ी केन्द्र में बिल्डिंग भी बनाएं, आंगनबाड़ी केन्द्र में बिल्डिंग नहीं है, वहां पर भी आप मांगें। दूसरे डिपार्टमेंट में आपका पैसा जा रहा है, इससे तो भला हो आदिवासी गांव, ढाणी और मजरे में आपका बजट जाए तो हमें अच्छा लगेगा, चाहे छोटा पुल बनाएं, चाहे छोटा एनिकट बनाएं।

आपने देखा होगा कि हमारी सड़कें अधूरी पड़ी हैं। गांव, ढाणी के लिए, आज अटल जी हिन्दुस्तान की इस धरती पर नहीं रहे हैं लेकिन मैं उनको धन्यवाद देता हूं, उनको याद करता हूं कि यह मेवाड़ ही नहीं पूरा राजस्थान, पूरा देश, गांव ढाणियों में रहने वाले लोग बड़े सम्मान के साथ में अटल जी को याद करेंगे कि आपने प्रधानमंत्री सड़क योजना पहली बार संसद के अन्दर लागू करने का काम किया, जिसकी वजह से आज पूरे देश के गांव सड़कों से जुड़े हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि पिछले तीन साल से हमारी जो सड़कें पीएमजीएसवाई की स्वीकृत थीं, जिसके टेंडर हो गये थे, ठेकेदारों ने काम कर दिया लेकिन आज तक सरकार ने उनका पैसा नहीं देने की वजह से कोई टेंडर लेने के लिए या कोई काम करने के लिए तैयार नहीं, मजबूर हो गया। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरह के काम, जिस तरह से मोदी जी ने पूरे देश में भी गरीब को ऊपर उठाने के लिए ...(व्यवधान) जी?

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सब्जेक्ट पर बोलो।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): सब्जेक्ट पर तो वही तो, जनजाति पर ही तो बोल रहा हूं। मैं जनजाति पर ही बोल रहा हूं जनजाति का विकास हो। आपके राज में जनजाति का काम नहीं हुआ, आपके राज में तीसरे बजट में हमारे जनजाति क्षेत्र में बजट नहीं मिला, हमारे कहने के अनुसार कालेज नहीं खोले, हमारे कहने के अनुसार नई स्कूलें नहीं खुलीं, तो मैं इस विषय पर ही तो बोल रहा हूं, मैं कोई इस विषय को छोड़कर नहीं बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया शांत रहें।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): इसलिए मेरा आपसे, सरकार से भी निवेदन है कि आज मेरे बांसवाड़ा जिले की कलेक्टरी का भवन जो वर्षों पुराना बना हुआ है, पी.डब्ल्यू.डी. वालों ने डिस्मेंटल कर दिया, उसमें अधिकारी बैठ नहीं सकता। यह कह दिया कि यह कभी भी गिर सकता है। आज एस.पी. का आफिस उस बिल्डिंग के अन्दर है, डीएसओ का आफिस उसमें है, एडिशनल एस.पी. का आफिस उसमें है, कलेक्टर साहब उसमें बैठते हैं, एडीएम साहब उसमें बैठते हैं, कब वो बिल्डिंग गिर जाएगी और हमारे कितने कर्मचारी, कितने प्रशासनिक अधिकारियों का नुकसान हो जाए। माननीय मंत्री महोदय, मैंने कहा था लेकिन सरकार ने बजट में कोई प्रावधान नहीं किया, तो भले टी.ए.डी. के मद से कलेक्टरी का भवन बना करके आप फीता काट करके उद्घाटन कर दें तो हम आपका स्वागत करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।

इसी के साथ में मैं एक और मांग कर रहा हूं कि घाटोल में मेरे पंचायत समिति का भी यह हाल है। 1962 में बिल्डिंग बनी हुई है, 1962 में बनने के बाद होता क्या है कि वो बिल्डिंग डिस्मेंटल कर ली। आज भी वहां पर विकास अधिकारी और स्टाफ को बैठने की जगह नहीं है। बजट में प्रावधान किया नहीं है। मैंने मांग रखी थी लेकिन आज मैं इस सदन के माध्यम से, सभापति जी के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहता हूं कि आप इस तरह का काम करें कि उस बिल्डिंग को बनाने का भी काम करें।

आपने नाम बदलने का काम भी किया है लेकिन जनजाति क्षेत्र के अन्दर हमारा दुर्भाग्य है, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारे राज के अन्दर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से पंचायत समिति मुख्यालय पर सामुदायिक भवन स्वीकृत किये थे और वह लागत कितनी थी, 45 लाख के, लेकिन सारी प्रक्रिया होते-होते आचार संहिता लगने की वजह से वो भवन बने

(श्री हरेन्द्र निनामा)

नहीं। अभी गये बजट के अन्दर आपने प्रावधान किया, उसमें लिखा है, डाक्टर भीमराव अम्बेडकर सामुदायिक भवन, और उसकी लागत 45 लाख। कोई बात नहीं आपने नाम बदल दिये, लेकिन इस भवन को बनाओ तो सही। घाटोल विधान सभा क्षेत्र में उस भवन का शिलान्यास मैंने वहां मीणा संस्थान में किया था जहां आपकी गाड़ियां भी हाईवे पर होकर जाती हैं। भले मेरी पट्टिका हटा देना लेकिन वहां पर आप इस भवन को वापस बनाने का काम अगर जल्दी कर देंगे तो जनता आपको याद करेगी।

माननीय सभापति महोदय, मेरा सरकार से आग्रह है और निवेदन है कि पीपलखूंट क्षेत्र के अन्दर जो हमारी पानी की व्यवस्था है, टंकियां तो बन गयीं हैं एल. एण्ड टी. कंपनी के द्वारा, जो हमारी पिछली सरकार ने शुरुआत की थी, जिसमें आपका भी आधा एरिया पड़ता है और आधा एरिया मेरा भी पड़ता है। मेरा आपसे एक निवेदन है कि हमारा माही बांध उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा बांध है, वहां से कई जगह पावर हाउस से बिजली का उत्पादन होता है लेकिन दुर्भाग्य ही है कि एक रामगढ़ गांव हैं, माही के गेट लगे हुए हैं उसके पास का, जो कुछ मकान तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में आते हैं और पूरा गांव 70 परसेंट गांव आपके विधान सभा क्षेत्र में आता है और दुर्भाग्य यह है कि उस गांव को आज बिजली का एक बल्ब वहां पर नहीं मिला, लाइन नहीं गई। उनकी जमीनें भी डूबी हैं, वो देख रहे हैं कि माही बांध इतना बड़ा है, वहां पर पांच नम्बर पर भी बिजली उत्पादन हो रही है, दूसरी जगह पर भी हो रही है लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं हो रहा तो, मंत्री महोदय, उस रामगढ़ के लोगों के लिए उन लोगों की डिमांड नहीं भर पाएंगे तो टी.ए.डी. का बजट देकर के उस गांव को उजाले में लाएं तो वो लोग हमें भी, आपको भी याद करेंगे। यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): अभी मैंने शुरू ही किया है। माननीय सभापति महोदय, मैं प्रधान रह करके आया हूं और एमएल.ए. बन करके आपके बीच में हूं। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि पंचायत समिति में नरेगा जैसी योजना है और सरकार ने श्रमिक कार्ड बना करके एक तोहफा दिया था, सौ दिन मजदूरी करने वाले श्रमिक का अगर हाथ कट जाएगा, पांव कट जाएगा या उसके कोई घटना हो जाएगी तो उस श्रमिक कार्ड के माध्यम

(श्री हरेन्द्र निनामा)

से उसको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला था, लेकिन आपकी सरकार आने के बाद में आपने पंचायत समिति से उस श्रमिक कार्ड को बनाने की योजना जिला हैडक्वार्टर पर कर दी। वहां पर कर दी, वहां न तो श्रमिक अधिकारी है, न वहां पर स्टाफ बैठता है, न वहां पर सौ दिन काम करने वाला मजदूर बांसवाड़ा हैडक्वार्टर तक जा सकता है। इसको आप परिवर्तन करें। सरकार इस परिवर्तन को करके वापस इस श्रमिक कार्ड को बनाने की व्यवस्था पंचायत समिति में करें तो वहां के स्थानीय लोग जो रोजगार करते हैं, उनके ज्यादा से ज्यादा श्रमिक कार्ड बनेगा।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। माननीय सदस्य, समाप्त करें, आपका समय हो गया।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): आपकी बात को मानते हुए, आपने मेरे को इस तरह की बात को बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा जी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपका आभारी हूं। हम मात्र 30 सैकण्ड के लिए अपनी आंख बन्द कर लें और यह कल्पना करें कि हम एक दलित और आदिवासी परिवार का हिस्सा हैं, उसके सदस्य हैं तो शायद हम दलित और आदिवासी परिवार की पीड़ा और तकलीफ को समझ पायेंगे। बहुत अफसोस की बात है कि आज 70 साल के बाद भी दलित और आदिवासी परिवार की क्या हालत है और चौतरफा वह किस तरह की नजरों का सामना करता है?

माननीय सभापति महोदय, परिवार की स्त्रियां गर्भवती हो जाएं तो अक्सर हीमोग्लोबिन दो, तीन, चार, पांच इस तरह का हीमोग्लोबिन पाया जाता है और जिन नजरों के बीच में वो जीवन जी रहे हैं वो किस तरह की नजरें हैं, किस तरह का अपमान झेलना पड़ता है और कौनसी सामाजिक परिस्थितियां आज उनके सपोर्ट में खड़ी हुई हैं, कौनसा तंत्र आज भी खड़ा हुआ है। कानून बना दिये, संविधान बना दिया, अधिकार बना दिये, सब कर दिया। माननीय सभापति महोदय, क्या गांव में हमारे तंत्र का कान्स्टेबल नहीं होता, क्या ग्राम विकास अधिकारी नहीं होता, क्या पटवारी नहीं होता? इसके बाद आज भी दलित और आदिवासी समुदाय के व्यक्ति को क्या सामान्य जगह पर बैठने का अवसर मिल रहा है? किसी सामाजिक कार्यक्रम में चला जाए,

(श्री संयम लोढ़ा)

धार्मिक कार्यक्रम में चला जाए तो क्या व्यवहार उसके साथ हो रहा है? इन सारी परिस्थितियों के बीच में वह संघर्ष करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। वह किन मुश्किल हालात में अपने बच्चों को पालता है? किन मुश्किल हालात में अपने बच्चों को पढ़ाता है? जब हम शासन का नजरिया देखते हैं। राजस्थान पुलिस की एक प्रेस वार्ता का अंश मैंने पढ़ा था। शिड्यूल्ड कास्ट की तरफ से केसेज दर्ज हुए 7017 और उसमें एफआर कितनी हुई, 2959, 40.0 परसेंट फेक। एसटी की तरफ से जो केसेज रजिस्टर्ड हुए 2020 में 1878, एफआर कितनी हुई 752, 42.17 परसेंट फेक।

माननीय सभापति महोदय, मैं भी इस समाज का हिस्सा हूं। मैं जानता हूं कि वह पुलिस में बैठा हुआ आदमी जो जांच कर रहा है वह अपनी जातिवादी मानसिकता को अलग रखकर के जांच नहीं कर रहा है। वह उस सोच को अलग रखकर के जांच नहीं कर रहा है। उसके दिमाग में वही शोषण की मानसिकता है, वही हिकारत का भाव है। उसी नजरिये से जांच करने के कारण यह इतना बड़ा आंकड़ा हमें देखने को मिलता है। माननीय सभापति महोदय, जब तक लोगों की मानसिकता नहीं बदलेगी, सोच नहीं बदलेगी, यह भाव नहीं बदलेगा कि जन्म के कारण आप बड़े नहीं हो, जाति के कारण बड़े नहीं हो, तब तक यह समाज वैसा नहीं बन सकता, जैसी बाबा साहेब ने अपने सिद्धांतों, उसूलों और अपने दिये हुए उस संविधान के माध्यम से कल्पना की थी।

अभी मुझ से पूर्व वक्ताओं ने बाबा साहेब अम्बेडकर का जिक्र किया। मैं उनका एक आर्टिकल जो 1918 में छपा, फार्मिंग एवं फार्म होल्डिंग्स, उसका एक छोटा-सा अंश आपको पढ़कर के सुनाता हूं। अगर हम लोग उनके उसूलों, उनके सिद्धांतों पर चले होते तो आज देश में जिस तरह का अंसतोष है, जिस तरह की असमानता है, वह शायद हमें देखने को नहीं मिलती। जिस राम राज्य की कल्पना हमारे पूर्वज करते रहे हैं, अगर बाबा साहेब के दिये हुए उसूलों और उनके सिद्धांतों पर चले होते तो आप और हम सब लोग उसको साकार हुआ देखते। अम्बेडकर ने लिखा है, that key industries should be owned and run by the state and that agriculture should be a state industry और उतना ही नहीं, 1927 के अन्दर बोम्बे लेजिस्लेटिव असेम्बली में जो उन्होंने स्पीच दिया, उसका अंश मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं, he also warned of the ills of capitalism, arguing that unfettered capitalism could turn into a force of oppression and

(श्री संयम लोढ़ा)

exploitation और उसके बाद संविधान सभा में भी जब राज्य और अल्पसंख्यक के मसौदे का प्रस्ताव बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने प्रस्तुत किया था, तब उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र की वकालत की थी और प्राइवेटाइजेशन का भी विरोध किया था।

माननीय सभापति महोदय, आज देश के प्रधान मंत्री कहते हैं कि सरकारों का काम व्यवसाय करना नहीं है। यह जो 3 कानून लाए हैं, यह मैंने अम्बेडकर के लिखे हुए आर्टिकल के अंश पढ़े हैं, उनके विचार पढ़े हैं, अम्बेडकर के विचारों को नष्ट करने वाले यह तीनों कानून हैं। अम्बेडकर और नेहरू की जोड़ी ने सार्वजनिक क्षेत्र खड़ा किया। वह इसलिए खड़ा किया कि जनता का धन भी उसमें लगे और देश का त्वरित औद्योगिक विकास भी हो, लोगों के जीवन का उत्थान हो। आज सरकार किस नीतियों पर चल रही है?

माननीय सभापति महोदय, वह भारतीय जनता पार्टी जिसने देश की संसद 45 दिन तक सिर्फ एफडीआई के मुद्दे पर ठप की थी, आज वह 49 से 74 परसेंट का प्रपोजल एलआईसी के लिए लेकर आ गए। डिस्इन्वेस्टमेंट को प्राइवेटाइजेशन का नाम खुलेआम दिया है। 1 लाख 75 हजार करोड़ रुपये की सरकारी सम्पत्तियों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बेचने का तय किया है। माननीय सभापति महोदय, क्या होगा जब यह सारे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम प्राइवेटाइजेशन हो जाएंगे? एससी, एसटी के लोगों की नौकरियों का क्या होगा? अभी एक पूर्व सदस्य जिक्र कर रहे थे दिलीप सिंह भूरिया कमेटी का, क्या दिलीप सिंह भूरिया कमेटी की सारी सिफारिशों को लागू कर दिया गया? क्या दिलीप सिंह भूरिया कमेटी की सिफारिश के आधार पर भारतीय जनता पार्टी निजी क्षेत्र में भी आरक्षण नीति का समर्थन करेगी? अगर यह सारे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम खतम हो गए तो क्या होगा? अभी 2 बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करने का प्रस्ताव दिया है। एक इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइजेशन करने का प्रस्ताव दिया है। एससी, एसटी के लोगों के पास क्या फैक्ट्रियां हैं? क्या उनके घरों में दुकानें चल रही हैं? क्या बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है? आप अगर सार्वजनिक क्षेत्र का सारा तंत्र नष्ट कर देंगे तो समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने का अवसर कैसे मिलेगा?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि भूरिया कमेटी ने तो यह भी कहा था कि काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों में यह शामिल किया जाए, आवासीय एवं वाणिज्यिक भूमि के

(श्री संयम लोढ़ा)

हस्तांतरण पर भी काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू होने चाहिए। भूरिया कमेटी ने यह भी कहा था कि आदिवासियों की भूमि हस्तांतरण से सम्बन्धित मामलों को राजस्व विभाग के स्थान पर जनजाति विभाग के द्वारा हैंडल किया जाना चाहिए। भूरिया कमेटी ने यह भी कहा था कि जनजाति वर्ग के अवैध भूमि हस्तांतरण को रोकने के लिए पेसा अधिनियम में पंचायत प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए, केवल मात्र ग्राम सभा के स्तर पर नहीं। भूरिया कमेटी ने तो यह भी कहा था कि सशस्त्र बल में भी जनजाति वर्ग को आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। क्या हुआ है? आप ही की पार्टी के थे, उन्हीं के द्वारा अध्यक्ष बनाये हुए थे, उन्हीं के द्वारा रिपोर्ट दी हुई है। आप उसको लागू क्यों नहीं कर रहे हैं?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यह बात लगातार की जाती रही है और चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों पार्टियां यह मत व्यक्त करती रही हैं कि जनजाति वर्ग का भला होना चाहिए। फिर क्या वजह है कि राजस्थान में जो परिवर्तन महाराष्ट्र पैटर्न पर लगातार लाने की वकालत की जाती रही है, वह हम ला नहीं पा रहे हैं?

माननीय सभापति महोदय, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1975-1976 में पहली बार जनजाति उप योजना मद में प्रावधान, व्यय और मानिटरिंग का निर्देश दिया गया। राजस्थान में गुलाब सिंह शक्तावत की मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया था, जिसने 22 मार्च, 1999 को अपनी रिपोर्ट दी। उसमें यह कहा कि 14 विभागों की आयोजना सीमा का 8 परसेंट जनजाति विकास विभाग को आबंटित किया जाए। 15 फरवरी, 2000 को इसे समस्त विभागों में लागू किया गया, 8 परसेंट एकमुश्त किया गया, बाद में मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने 2010-11 के अपने बजट भाषण में इसको बढ़ाने का एलान किया तो 2010-11 में 12.56 परसेंट, 2011-12 में 12.60 परसेंट और इस क्रम में यह लगातार बढ़ता रहा, लेकिन वास्तविक रूप से यह फंड सीधे तौर पर आज तक जनजाति विकास विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है। उसके बाद 2015-16 में जब जनजाति कल्याण मंत्री नन्दलाल मीणा हुआ करते थे, एक असेम्बली क्वेश्चन के जवाब में एक कमेटी का ऐलान हुआ कि महाराष्ट्र और गुजरात में जनजाति की वर्किंग किस प्रकार की है, उसका अध्ययन करेंगे और उसको राजस्थान के अन्दर लागू करेंगे। नन्दलाल मीणा

(श्री संयम लोढ़ा)

कमेटी ने अपनी वह रिपोर्ट दी और प्रस्तावित किये गए चेंजेज, तीन साल तो आपके निकल गए, वसुन्धराजी की सरकार के, आपने वे चेंजेज किये नहीं, दो साल आपके निकल गए, वे चेंजेज किये नहीं। जनजाति कल्याण की जो दोनों पार्टियों की आपकी भावना है उसका लाभ निचले स्तर पर जितना दिखना चाहिए वह दिखना शेष है।

माननीय सभापति महोदय, नन्दलाल मीणा कमेटी ने क्या रिकमंड किया, महाराष्ट्र के अन्दर जो प्लान सीलिंग है वह सीधे जनजाति विकास विभाग के पास है, 60 परसेंट पैसा जिला आयोजना समिति को दिया जाता है और 40 परसेंट पैसा विभाग के पास रहता है और यह रिकमंड किया गया कि 13.48 परसेंट पैसा एकमुश्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को दिया जाए लेकिन उस पर अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। नन्दलाल मीणा कमेटी के अनुसार महाराष्ट्र के अन्दर परियोजना अधिकारी को पांच लाख रुपये तक की सैंक्शन के पावर हैं, एडिशनल कमिश्नर को बीस लाख तक के और कमिश्नर को पचास लाख तक के पावर हैं। राजस्थान में दोनों को ही पांच-पांच लाख है। उस कमेटी ने रिकमंड किया कि कमिश्नर को एक करोड़ तक पावर दो, कलेक्टर को पच्चीस लाख रुपये तक की पावर दो लेकिन अभी तक उसकी पालना होनी बाकी है। उस कमेटी ने जो रिपोर्ट राजस्थान सरकार को सब्मिट की है, उस पर हम नजर डालेंगे, गौर करेंगे तो पता चलेगा कि हमारा राजस्थान का जनजाति समुदाय कहां पर खड़ा है।

माननीय सभापति महोदय, महाराष्ट्र के अन्दर आश्रम हॉस्टल और स्कूल की संख्या 1108 है, आबादी हमारी और उनकी लगभग बराबर ही है, पांच-सात लाख का फर्क होगा, राजस्थान में इनकी संख्या 372 है। आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा फर्क है। महाराष्ट्र में 4,50,248 बच्चे इन हॉस्टल और स्कूल में रह रहे हैं, हमारे यहां इस साल का फिगर हमारी सरकार ने दिया है, 23,641 है। मतलब महाराष्ट्र की तुलना में 5 फीसदी, तो आप बताइए कि हमारा जनजाति समुदाय किस मुकाम पर खड़ा हुआ है?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह लालफीताशाही का नतीजा है कि उच्च शिक्षा प्रोत्साहन के लिए, छात्राओं के लिए 2020-21 में 70 लाख रुपये का प्रावधान किया था और खर्चा हुआ है मात्र 19.60 लाख रुपये। इसी तरीके से आर्थिक सहायता का

(श्री संयम लोढ़ा)

प्रोविजन किया गया था 2020-21 में, वह किया 68 लाख और खर्चा हुआ मात्र 21.56 लाख रुपये।

राज्य योजना से जनजाति उपयोजना में जो प्रगति है उसका एक आंकड़ा मैं आपके सामने निवेदन कर दूं। सिंचाई में जनजाति उपयोजना क्षेत्र में प्रावधान किया, 44,635 लाख रुपये का और खर्चा किया है 16,653 लाख। उद्योग और खनिज में 16,938 लाख रुपये का प्रावधान किया और खर्चा किया है 4,977 लाख रुपये। परिवहन और संचार के लिए 79,2221.31 लाख रुपये का प्रावधान किया और खर्चा किया 27,846 लाख रुपये। वैज्ञानिक सेवा और अनुसंधान 15 लाख का प्रावधान किया, खर्चा किया मात्र 6 लाख रुपये।

माननीय सभापति महोदय, ये सब हालात किस कारण से बने हुए हैं, विभाग का अपना तंत्र बहुत कमजोर है। आप इनके विभाग में पदस्थापित अधिकारियों की सूची देखेंगे, एक एक्सईएन पोस्ट वैकेंट, पांच एईएन, चार पोस्ट वैकेंट, एक जेईएन की पोस्ट, वह भी वैकेंट, चौदह सहायक प्रशासनिक अधिकारी, तेरह की पोस्ट वैकेंट, जब आपका विभागीय तंत्र ही आपके पास पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है तो आप किस आधार पर मानिटरिंग करेंगे?

माननीय सभापति महोदय, बिखरी जनजाति का फिगर देखें 2020-21 का, 1,145 लाख रुपये का प्रावधान था, खर्चा कितना किया, 286 लाख रुपये। विशेष केन्द्रीय सहायता माडा क्षेत्र में 1,255 लाख का प्रावधान था और खर्चा कितना किया, 36 लाख रुपये। माडा क्लस्टर क्षेत्र 31 लाख का प्रोविजन और खर्चा जीरो। बिखरी जनजाति योजना क्षेत्र, विशेष सहायता में 1,446 लाख, खर्चा, जीरो। सहरिया विकास परियोजना क्षेत्र विशेष केन्द्रीय योजना में प्रोविजन 90 लाख रुपये और खर्चा जीरो। माननीय सभापति महोदय, अगर यही गति रही तो हमारे आदिवासी समुदाय का उत्थान कैसे होगा? इतना ही नहीं, राज्यपाल महोदय ने जब खुद ने विभाग की आनलाइन मीटिंग ली तो यह जानकारी सामने आई कि कई जगहों पर तो धेला भी खर्च नहीं हुआ। आठ जिलों की उन्होंने समीक्षा की।

माननीय सभापति महोदय, आप और हम दोनों ही आदिवासी क्षेत्र से आते हैं। मेरे क्षेत्र में तो कम संख्या है लेकिन जिले में काफी है। आज भी कई इलाके ऐसे हैं, कोई बीमार पड़ जाए तो चारपाई पर लेकर आते हैं। बरसात ज्यादा आ जाए तो टायर पर बैठकर उनको जाना पड़ता है। कारण क्या है कि रेवेन्यू विलेज डिक्लेयर नहीं। आप उस फली तक सड़क नहीं बनाते हैं, आपके

(श्री संयम लोढ़ा)

इतने पैसे का प्रोविजन है इसमें लेकिन डिपार्टमेंट को पैसा जा रहा है। इनके डवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट है, सीधा उसको पैसा मिलता नहीं है, सीलिंग लगती है तो विभागीय स्तर पर लगती है, इसलिए आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी से कि जिस महाराष्ट्र पैटर्न की सिफारिश नन्दलाल मीणा कमेटी ने की थी, उसको आप राजस्थान में लागू करो, जिससे पैसा सीधा आपके विभाग को प्राप्त हो और आदिवासी समुदाय का उत्थान हो सके।

माननीय सभापति महोदय, इस मौके पर माननीय मुख्य मंत्रीजी, जनजाति मंत्री महोदय का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का गठन किया। माननीय सभापति महोदय, जो एसटी का रिजर्वेशन है, जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया है, वह 50 परसेंट से ज्यादा आबादी है तो आप वहां पर टीएसपी का लाभ दें और जहां 50 परसेंट से कम आबादी के टीएसपी के लोग हैं, गांव हैं, क्या उस आदिवासी के और जो 50 परसेंट से ज्यादा आबादी वाले गांव हैं, उन दोनों में कोई फर्क है? लेकिन उन दोनों को लाभांवित करने में रात और दिन का अंतर है। जब तक यह निर्णय पुनर्विचार करके सांस्कृतिक आधार पर इसका निर्धारण नहीं होगा, लाखों-करोड़ों की संख्या में आदिवासी समुदाय आगे आने से वंचित रहेगा।

इस मौके पर मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी का इस बात के लिए भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि 2018 में जो एससी समुदाय के लोगों के खिलाफ मुकदमे हुए थे आंदोलन के दौरान, उन्होंने उनमें से वे सारे मुकदमे वापस लिए जो कि वापस लिए जा सकते थे, जिन्हें वापस लेने में कोर्ट को कोई अड़चन नहीं थी। इससे सैकड़ों की संख्या में वे नौजवान जो कि झूठे मुकदमों में फंसे थे, जेलों में रहे थे, उन्हें बहुत बड़ी राहत मिली।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपके माध्यम से समाज कल्याण मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा, आपकी पुस्तक में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के बारे में दे रखा है, 2019-20 में 7 लाख 44 हजार लोगों को यह छात्रवृत्ति मिली थी। अब 2020-21 में आपने इसमें फिगर दिया है 1 लाख 37 हजार का। जो खर्चा 2019-20 में हुआ था, वह था 44 हजार 626 लाख। अबकी बार आपने फिगर दिया 21 हजार 809 लाख। अब यह इतना कम क्यों हुआ है, यह आप अपने उत्तर में बता दीजिएगा।

इसी तरह से डा. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक

(श्री संयम लोढ़ा)

छात्रवृत्ति योजना में भी लाभान्वितों पर जो खर्चा है, वह 2019-20 का 171.87 लाख है। अभी दिसम्बर तक आपने खर्चा किया मात्र 69 लाख रुपये। ऐसे ही मुख्य मंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना में 2019-20 में आपने व्यय किये 205 लाख रुपये। नौ महीने गुजरने के बाद भी आपने खर्च किये हैं 118 लाख रुपये। अनुप्रति योजना में जहां आपने 2019-20 में व्यय किये 194 लाख रुपये, वहीं 2020-21 में आपका खर्चा है मात्र 28.13 लाख रुपये। माननीय मंत्री जी, यह मेरा आंकड़ा नहीं है, यह आपके विभाग के लोगों द्वारा जारी पुस्तक का है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं आपसे खाली दो बातें और निवेदन करना चाहता हूं। केश कला बोर्ड, राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग, राजस्थान राज्य पशुपालन कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य विमुक्त घुमंतु बोर्ड, सब ठप पड़े हुए हैं। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं यह विनती करना चाहता हूं कि आप इन सबका गठन करें जिससे लोग लाभान्वित हों।

माननीय सभापति महोदय, एक आखिरी बात कहता हूं, खाली एससी-एसटी का एक्सप्लाइटेशन यहां हो रहा हो, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा समझता हूं कि राजनीतिक रूप से भी उनकी क्षमता के अनुरूप उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। हम हाउस में देखते हैं, हमारे मंत्री श्री टीकाराम जी जूली, हमारी मंत्री ममता भूपेश, हमारे मंत्री परसादी लाल जी मीणा साहब, ये सब परफार्मर्स हैं। किसी भी बात का कितने बेहतरीन तरीके से जवाब देते हैं, लेकिन इन सारे एससी-एसटी के लोगों के पास विभाग क्या हैं, किस तरह के विभाग हैं इनके पास? परफार्मर्स हैं, बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन जब विभागों के बंटवारे का समय आता है तो इस किस्म के विभाग एससी-एसटी के लोगों को क्यों दिये जाते हैं? वे विभाग क्यों नहीं दिये जा सकते जिनके माध्यम से वे अपने तबके के लोगों के उत्थान के लिए भी काम कर सकें? क्यों नहीं नगरीय विकास, क्यों नहीं माइन्स, क्यों नहीं ट्रांसपोर्ट, क्यों नहीं हैल्थ, क्यों नहीं जल संसाधन, क्यों नहीं पीएचईडी?

माननीय सभापति महोदय, यह शोषण हर स्तर पर हो रहा है और मैं आपके माध्यम से विनती करना चाह रहा हूं कि हमें जाग जाना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को भी समझ लेना चाहिए कि एससी-एसटी के लोगों के वोटों से

(श्री संयम लोढ़ा)

राज बना है, अत: इनके साथ अन्याय न करें, नहीं तो दिल्ली के निगम चुनावों में हाल देख लें और उस सूरत में भी विकल्प आकर खड़े हो गये।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जो आपकी नींव हैं, जो आपकी बुनियाद हैं, जिनके बुजुर्गों ने अपना खून-पसीना देकर इस कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया है, अगर उनके चुने हुए नुमाइन्दों के साथ आपने राजनीतिक रूप से न्याय नहीं किया तो आने वाले वक्त में आपको बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): धन्यवाद, सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 30 व 33 पर बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, आज हम सब लोग जनजाति और समाज कल्याण की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। सभापति महोदय, जनजाति का तो हमारे यहां खैर कोई ज्यादा बाहुल्य नहीं है, लेकिन समाज कल्याण पर मैं अपने विचार इस सदन में रखना चाहूंगा। पिछले साल भी जब यह डिमाण्ड आयी थी, मैंने अपनी बात रखी थी। वैसे तो हम इस विभाग को हल्के में लेते हैं, यह बात सही है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण विभाग है कि गांव के अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, उसकी सुध लेने वाला यह विभाग है।

सभापति महोदय, सबसे पहले इस बजट में जो घोषणा हुई, जो मेरे मन में एक विचार था, मैंने कई जगह उसे शेयर भी किया कि हमारे जो दिव्यांग, विधवा, समाज में पीड़ित लोग, जो भगवान के घर से भी पीड़ित होकर आये हैं, उनके कल्याण की योजना हम सब लोगों को मिलकर बनानी चाहिए। सभापति महोदय, एक विधवा महिला जिसके दो-तीन बच्चे हों, कम जमीन हो, बिना मकान हो, किस तरह से अपने बच्चों का लालन-पालन करती है, उसकी दशा वह खुद ही जानती है। अभी इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पैरा संख्या 118 में घोषणा की है, जो बहुत ही स्वागत योग्य है कि विशेष योग्यजन जो वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, उन्हें बीपीएल के समकक्ष माना जाएगा। बहुत ही स्वागत योग्य बात है।

सभापति महोदय, मैंने पिछली बार मांग भी की थी कि जो विकलांग हों, विधवा हों, उन्हें बीपीएल का दर्जा देना चाहिए। यदि उनसे भगवान भी रूठ गया तो कम से कम सरकार को उनसे नहीं रूठना चाहिए। यह बड़ा स्वागत

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)
योग्य कदम है। माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इन परिवारों को बीपीएल में शामिल कराना चाहिए। समकक्ष मानने की बजाय इन्हें बीपीएल में शामिल कराना चाहिए ताकि ये अपना और अपने परिवार का लालन-पालन कर सकें। सभापति महोदय, हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, कई परिवारों में जाते हैं, कहीं बैठक में जाते हैं, किसी की डैथ में जाते हैं, ऐसे-ऐसे परिवार देखते हैं जो विकलांग होते हैं, विडो भी बीमार होती है, दो-दो, तीन-तीन बच्चे होते हैं, कमाने वाला घर में कोई नहीं होता है, उस परिवार में वह कैसे अपने बच्चों का लालन-पालन करती है, वह हम सब लोगों के लिए सोचने की बात है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि आज जो महंगाई का युग है, अभी 18 से 55 साल की विधवा को 500 रुपये पेंशन मिलती है, 500 रुपये में एक क्विंटल गेहूं भी नहीं आता, मैं आपके और इस सदन के माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि इन विधवाओं की पेंशन बढ़ायी जाए। सभापति महोदय, इसके अलावा पालनहार योजना में एक हजार रुपये एक बच्चे का मिलता है। अधिकतम 3 बच्चों का पैसा मिलता है। सभापति महोदय, विधवा के बहुत दयनीय हालात होते हैं। सरकार को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि इन गरीबों का ध्यान रखते हुए पालनहार योजना का पैसा बढ़े।

आज हमारी सैलरी हर महीने की 01 तारीख को आ जाती है, पर पालनहार का पैसा सात-सात, आठ-आठ महीनों तक उनके खातों में नहीं जाता। यह हम सब लोगों के लिए सोचने की बात है कि पालनहार का पैसा इतना कम है और कम होने के बाद भी वह सात-सात, आठ-आठ महीनों तक यदि उन परिवारों को नहीं मिलता है तो उन परिवारों का जीवनयापन कैसे होता होगा, यह बड़ी शोचनीय बात है। इसके अलावा जो विकलांग भाई-बहन हैं, उनके हालात बहुत खराब हैं। उनसे भगवान भी रूठता है, परिवार से भी उन्हें बहुत ज्यादा सहारा नहीं मिलता है, उनके रिश्तेदार भी कोई बहुत ज्यादा प्यार-प्रेम उनसे नहीं करते, न ही उनके कोई बहुत यारदोस्त होते हैं। उन्हें भी जीवनयापन के लिए बीपीएल में शामिल किया जाए। उनकी जो पेंशन है, 55 साल तक साढ़े सात सौ रुपये और 55 से 75 तक एक हजार और 75 से ऊपर साढ़े बारह सौ, कम से कम इसे तीन गुना करना चाहिए। मेरा यह मानना है कि कम से कम 55 साल तक की उम्र के विकलांग को 3 से 4

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

हजार रुपये पेंशन मिलनी चाहिए। वृद्धावस्था पेंशन भी 750 रुपये मिलती है। उसमें हम लोग यह मान सकते हैं कि उनके परिवार वाले होते हैं, वृद्धावस्था पेंशन वालों का काम चल सकता है लेकिन विकलांग और विधवा की पेंशन सरकार को जरूर बढ़ानी चाहिए।

(14.40 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, सरकार ने सामाजिक सुरक्षा अधिकारी का पद ब्लाक स्तर पर बनाया है। आपने एसएसओ वहां पर बिठा दिये और आज जो आधुनिक युग है, कम्प्यूटर का युग है उसमें आज न तो उनके पास कम्प्यूटर है, न उनके पास मैन पावर लगाने का पावर है और न ही उनके पास इंटरनेट की सुविधा है। एक तरफ हम देश को पेपरलेस बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ उनके पास संसाधन नहीं है। कम्प्यूटर भी अगर एसएसओ आफिस में नहीं होगा तो इससे बड़ी विडम्बना कोई हो नहीं सकती। अभी भी पिछले दो महीने से लगातार पालनहार का पैसा बकाया है, जो एक रुपया भी उनके खाते में नहीं आया। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्री महोदय जब जवाब दें तो इस बात का जवाब जरूर दें कि इन पालनहार का जो पैसा है उस पैसे का कब तक भुगतान हो जाएगा?

सभापति महोदय, मैंने जब विधान सभा चुनाव जीता और जीतने के बाद मैंने एमएलए कोटे का प्रोस्पेक्ट्स मंगवाया कि उसमें हम लोग क्या-क्या दे सकते हैं, उसमें एक प्रपोजल था और उसमें विकलांगों को स्कूटी देने का भी प्रावधान था। मुझे लगा कि समाज के सबसे पिछड़े हुए तबके का व्यक्ति जिसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है, जो दो महीने तक अगर घर बैठा रहे तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है कि तू घूमने के लिए बाजार भी जा सकता है क्या। मैंने मेरे विधायक कोटे की शुरुआत इन दिव्यांग भाइयों को स्कूटी देने से की। मुझे इस बात की खुशी है और मैं मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि इस बजट में उन्होंने दो हजार स्कूटी विकलांगों को देने का प्रावधान किया है। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि आपका समाज कल्याण विभाग भी इस योजना में शामिल हो और दो हजार स्कूटी के बजाय हर विधान सभा क्षेत्रवाइज कम से कम 50 स्कूटी देने का प्रावधान करें और मैं इस बात का प्रस्ताव करता हूं कि अगर स्कूटी में पैसा चाहिए तो हमारे एमएलए कोटे से भी आधा पैसा देने को तैयार हैं। मैं मेरे विधायक कोटे

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

से आधा पैसा देने को तैयार हूं कि आधा पैसा सरकार या विभाग दे और आधा पैसा हम लोग भी विधायक कोटे से देने के लिए तैयार हैं। सभापति महोदय, मैंने 50 स्कूटियां दीं मेरे विधायक कोटे से और जिस दिन स्कूटी वितरण करने में गया तो आप देखते कि उन चेहरों पर कितनी खुशी थी। शायद जन्म लेने के बाद कभी उन चेहरों पर इतनी खुशी नहीं आई जितनी खुशी उन लोगों को जिन 50 लोगों को स्कूटी मिली थी, उनके चेहरों पर इतनी शानदार खुशी थी। उसके बाद 25 स्कूटी की स्वीकृति मैंने और निकाली, लेकिन यह बड़ी विडम्बना है कि समाज कल्याण विभाग और जिला परिषद् में समन्वय नहीं होने के कारण पिछले एक-एक साल से वे स्वीकृतियां अटकी पड़ी हैं। मैं कभी आपके डिप्टी डायरेक्टर को फोन करता हूं, कभी जिला परिषद् वालों को फोन करता हूं, लेकिन अभी भी 48 स्कूटी की स्वीकृतियां अटकी पड़ी हैं।

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): तो आप अपने विभाग को इस बारे में निर्देश दें कि हमारे जयपुर जिले की जो स्कूटियों का काम अटका पड़ा है उनको तुरन्त प्रभाव से दिलाने का काम करें। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे देने के बाद एक जागरुकता आई और शाहपुरा में आलोक बेनीवाल जी ने भी दी, अभी सतीश पूनियां जी ने भी शायद सैंक्शन निकाली है तो यह अच्छी बात है। टीकाराम जी भाईसाहब ने भी दी है। मैं इस सदन में निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है उनकी सुध हम लोगों को लेनी चाहिए। आप देखिए, जिसको एक स्कूटी देते हो वह 5 साल, 10 साल जब तक वह उस स्कूटी पर घूमेगा, तब तक आपके गुणगान करते हुए, इस सरकार के गुणगान करते हुए घूमेगा। जो मुख्य मंत्री महोदय ने दो हजार स्कूटी देने का बजट में वादा किया है और जिस व्यक्ति को स्कूटी मिलेगी, पूरे तीन, चार, पांच साल तक वह सरकार के गुणगान करेगा। मैं आपसे मांग करता हूं कि बजट में इन स्कूटियों को बढ़ाया जाए और विधायक कोटे के आधे पैसे का भी अगर आप इसमें प्रावधान कर सको तो हम सब लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि विधायक कोटे का पैसा देकर स्कूटियां बढ़ाई जाएं।

सभापति महोदय, हमारे एमबीसी के लिए 200 करोड़ के पैकेज का माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट घोषणा में किया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। तीन एमबीसी के छात्रावासों के निर्माण की भी उन्होंने

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

घोषणा की है, लेकिन इसके साथ-साथ पिछले बजट में जयपुर में एमबीसी का छात्रावास बनाने की घोषणा हुई थी, जिसकी जगह अभी तक चिह्नित नहीं हो पाई है, तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वह जो बजट घोषणा थी, माननीय मुख्य मंत्री ने पैसे की भी उसमें घोषणा की, उसको जल्दी से जल्दी मानसरोवर या उसके आसपास में, क्योंकि एजुकेशन का हब यही एरिया है, इस एरिया में एमबीसी को जमीन अलाट करके जल्दी से जल्दी एमबीसी का हॉस्टल बनाने की आप स्वीकृति दिलायें ताकि पूरा समाज, पूरा एमबीसी वर्ग आप लोगों को धन्यवाद देगा।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): सभापति महोदय, अभी सात अम्बेडकर छात्रावास बनाने की मुख्य मंत्री महोदय ने बजट में घोषणा की है। मैं आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में एक अम्बेडकर छात्रावास की मांग करता हूं क्योंकि काफी संख्या में दलित समाज के लोग हमारे वहां रहते हैं, 36 कौम के लोग रहते हैं और सब लोगों की मांग भी है कि विराटनगर में अम्बेडकर छात्रावास होना चाहिए। वहां कालेज भी है, स्कूल भी हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है, तो एक छात्रावास वहां पर बने। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री ज्ञानचंद पारख।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी इस बार सामाजिक न्याय और कल्याण के प्रति काफी मेहरबान रहे और बजट प्रावधान भी पहले की तुलना में काफी अच्छा किया। पिछली बार का बजट आप देखेंगे तो 11 हजार 231 करोड़ रुपये का था और बाद में जब लगा कि नहीं, यह बजट कम पड़ेगा तो आरई में 15 हजार 44 करोड़ का प्रावधान किया और इस बजट में सीधा 15 हजार 563 करोड़ रखा। जैसी माननीय मुख्य मंत्री जी की छवि है कि बहुत दयालु हैं रहम दिल हैं, मानते हैं इस बात को और उसके अनुरूप बजट दे दिया, लेकिन फिर भी जो घोषणाएं कीं, उन घोषणाओं को पूरा करने के लिए यह बजट पर्याप्त नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। मैंने जो जोड़ लगाया है उससे तो यह बजट कम पड़ेगा। आपकी सामाजिक सुरक्षा की पेंशन बराबर आ रही है उसमें कोई दिक्कत नहीं है पर पालनहार योजना में अभी भी एक-डेढ़ साल की पेंडेंसी है। जो विधवा के बच्चे हैं, उनको जो राशि दी जाती है, कोरोना काल चला गया, बड़ा संकट था

(श्री ज्ञानचंद पारख)

पर उस काल में भी विधवा के बच्चों को जो राशि दी जानी थी वह नहीं मिली है, तो यह राशि भी आपको इसी बजट में देनी पड़ेगी।

माननीय सभापति महोदय, विधवा पुत्री है, बीपीएल पुत्री है, उनकी शादी का भी पैसा लगभग डेढ़-दो साल से बकाया है और आपके पूरे राजस्थान में हजारों-हजारों एप्लीकेशंस पड़ी हैं, लोग चक्कर पर चक्कर लगा रहे हैं और यह राशि भी काफी बाकी है। माननीय मुख्य मंत्री जी की खुद की एक दो साल की घोषणा मुख्य मंत्री कन्यादान योजना, उसका अभी तक कोई अता-पता नहीं है तो मेरा मुख्य मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि जैसी आपकी छवि है, आप दयालु हो, आप रहम दिल हो, बजट चाहे और देना पड़े, इनको दो लेकिन जो गरीब कल्याण की योजना है, जो कमजोर वर्ग के कल्याण की योजना है उनमें किसी प्रकार की राशि की कभी कमी नहीं हो और इसका पूरा प्रावधान करें।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने 2009 में नवजीवन योजना भी चालू की थी। बहुत पवित्र उद्देश्य था उनका और उसके बेहतर परिणाम भी आए कि जो अवैध दारू के निर्माण और व्यवसाय में लिप्त परिवार थे वे उस धंधे से मुक्त होकर एक सम्मानजनक व्यापार में लग जाएं, लेकिन समय के साथ-साथ इस योजना में भी हमारी उदासीनता ने इस अच्छी योजना को भी एक प्रकार से ठण्डे बस्ते में डाल दिया। प्रावधान क्या था कि आबकारी की आय का एक परसेंट, उसके बाद में अन्य कई जातियों को समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार उसमें जोड़ा गया, पर शुरुआत में जब एक जाति थी तब एक परसेंट था और बाद में आपने 6-7 जातियों को और जोड़ दिया तो उसके साथ-साथ बजट प्रावधान भी इसमें बढ़ाना था, ताकि जातियों में इसके प्रशिक्षण, शिक्षा पर जो खर्चा होता है उसमें अधिकांश लोग इसका फायदा ले सकें। माननीय सभापति जी, आज भी समाज में ऐसे कई वर्ग हैं जिनको आवश्यकता है कि सरकार आगे बढ़कर कोई न कोई ऐसी योजना उनके लिए लेकर आए जिससे उनके समाज का भी उत्थान, कल्याण हो जाए।

माननीय सभापति जी, मेरे क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में बावरी जाति के लोग हैं जो अंग्रेजी बबूल की कटाई करके अपना जीवन यापन करते हैं और आज भी उनमें गरीबी देख लो तो हमारी आत्मा कांप जाए, इतनी गरीबी है। उनमें शिक्षा की भी कमी है। हमने कई जातियों को नवजीवन योजना में जोड़ा है तो बावरी जाति को भी जोड़ने के लिए मैंने पहले भी कई बार आग्रह किया

(श्री ज्ञानचंद पारख)

है। एक कालम में माननीय मुख्य मंत्री जी ने बावरी जाति के लिए, कुछ जातियों के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया है पर उससे पार पड़ने वाली नहीं है। हमको यह राशि बढ़ानी पड़ेगी, चाहे हमारे हिस्से का भी पैसा ले लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है पर समाज का जो कमजोर वर्ग है, जो दबा-कुचला वर्ग है, उसको बराबर खड़ा करने के लिए राज्य सरकार को कोई और बजट भी लगाना पड़े तो वह भी लगाए, लेकिन इनको आगे लाएं।

ऐसे ही हमारे क्षेत्र में भील जाति भी है। माननीय सभापति महोदय, शहरी क्षेत्र में रहते हैं, उसके बाद में काम क्या, अधिकांश पुरुष तो बोझा ढोने वाली मजदूरी करते हैं जिसमें भारी बोझा ढोना पड़ता है और उनकी जो महिला है, वे कचरा बीनने का काम करती हैं। आजादी के 70 साल बाद शहरी क्षेत्र में रहने वाली ऐसी कौम, जिसका देश के इतिहास में बहुत गौरवशाली नाम है, अधिकांश परिवार आज कचरा बीनकर अपना जीवन यापन करते हैं। मेरा मुख्य मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि भील परिवारों के लिए भी कोई न कोई ऐसी योजना लेकर आएं, चाहे उनकी शिक्षा हो या उनके लिए रोजगार के नये अवसर पैदा करने हों, वे लेकर आएं और इनको भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ें और जैसा इनका गौरवशाली इतिहास रहा है, ऐसा गौरवशाली स्थान समाज में मिल जाए, यह काम हम सबको मिलकर करना होगा।

माननीय सभापति जी, एक साठिया जाति भी होती है, हर जगह पर बहुत बड़ी तादाद में नहीं है, जहां जितनी भी तादाद में हैं, कैसा व्यवसाय, शर्मनाक व्यवसाय, घिनौना व्यवसाय, आज भी वे जिस्मफरोशी के धंधे की बदौलत अपना परिवार चलाते हैं। इस युग में जिस्मफरोशी के धंधे से अपना परिवार चलाना, सबके लिए शर्म की बात है, विशेष तौर से सदन के जितने भी साथी हैं, उनके लिए भी यह शर्मनाक बात है। आज के युग में भी ऐसी जाति हमारे समाज में इस तरह का घिनौना कार्य करती है, तो इनको भी समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कहीं न कहीं, कोई न कोई प्रावधान हमारी ओर से निश्चित रूप से आना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, हमने कई बार अनेक जातियों को सम्मिलित किया है। हो सकता है अलग-अलग क्षेत्र में, अलग-अलग जातियां होंगी तो ऐसी जातियों को हम कहीं न कहीं पता लगाकर, उनको किस प्रकार से समाज की मुख्य धारा में ला सकें, वह काम हम सबको मिलकर करना होगा।

माननीय सभापति महोदय, पैरा नं. 118, जिसका जिक्र हमारे एक

(श्री ज्ञानचंद पारख)

साथी ने भी किया था कि जो विशेष योग्यजन हैं और वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उन सबको बीपीएल के समकक्ष माना जाएगा, ऐसा इस बजट में है।

माननीय सभापति महोदय, आपको पता होगा पहले एक परिवार में यदि दो विकलांग होते थे तो उनको आस्था कार्ड के नाते बीपीएल के समान सारी सुविधाएं दी जाती थीं, लेकिन पिछले कई वर्षों से हमने इन आस्था कार्डधारी परिवारों की भी अनदेखी कर दी। उनको भी वह सुविधा नहीं दी। जिस परिवार में दो विकलांग हैं, पहले से नियम है, प्रावधान है, उनको भी हम सुविधा नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम इस घोषणा पर अमल हो जाए कि जितने भी विकलांग हैं, उनको बीपीएल के समकक्ष मानकर, उनको हर वह सुविधा, जो बीपीएल परिवार को मिलती है, तो आपको मैं कह दूं, राजस्थान की जनता ऐसे मुख्य मंत्री को बार-बार धन्यवाद देगी, उनकी तारीफ भी करेगी लेकिन मुझे लगता है कि यह काम थोड़ा मुश्किल है, मैंने कहा न, जो बजट का प्रावधान आपने किया है, आपने जो घोषणाएं की हैं, उसमें बड़ा अंतर है, गैप है तो आप पूरा नहीं कर पाओगे।

माननीय सभापति महोदय, पहले एक और योजना थी। अगर बीपीएल परिवार के मुखिया की 59 साल की कम आयु में मृत्यु हो जाती थी तो सामान्य मृत्यु पर उसको 30 हजार की राशि सरकार की ओर से दी जाती थी और अगर दुर्घटना में मृत्यु होती थी तो 70 हजार की राशि उसके परिवार को दी जाती थी। एलआईसी से हमने यह एमओयू किया था और जिस प्रकार कृषि मंत्री जी ने लापरवाही की, सरकार ने लापरवाही की किसान दुर्घटना योजना में, कि एमओयू नहीं किया, तो इसमें भी कहीं न कहीं अधिकारियों की लापरवाही रही और आज तक एमओयू नहीं हुआ। इस दौरान जितने भी बीपीएल परिवार के मुखिया मरे, वे सारे इस योजना से वंचित रह गये। मेरा आग्रह रहेगा कि जो योजना आपकी पहले से चालू है, उसे आप वापस शुरू कर देंगे तो बीपीएल परिवार को बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, जितनी सहायता दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सहायता देनी चाहिए पर सहायता देने के साथ-साथ वह अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, उसके लिए भी हमें कोई न कोई बजट का प्रावधान करना होगा। पहले अनुजा निगम के माध्यम से एससी, एसटी, ओबीसी को रोजगार हेतु लोन मिलता था। अब दो साल का आंकड़ा उठाकर देख लें, डीआरडीए के

(श्री ज्ञानचंद पारख)

माध्यम से समाज कल्याण इसका सुपरविजन करता था। दो साल में एससी, एसटी और ओबीसी के किसी को भी लोन नहीं मिला। मेरा आग्रह रहेगा कि इनको रोजगार के अवसर भी उतने ही दो जितनी इनको सहायता दे रहे हो, इनको आप पैरों पर खड़ा कर देंगे तो शायद आपकी सहायता के मोहताज नहीं रहेंगे इसलिए, इसकी वापस शुरुआत करनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, एक स्वच्छकार पुनर्वास योजना भी पहले चलती थी। हमारे जो वाल्मीकि बंधु हैं, जो समाज में हमको सुकून से जीने दे रहे हैं इस गंदगी से मुक्ति दिलाकर, हर परिवार को तो आप नौकरी दे नहीं सकते, नगर परिषद् में या कहीं सरकारी विभाग में, उनके सैकड़ों बंधु हैं, जो कोई और रोजगार करना चाहता है, पहले इनके लिए योजना थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने स्वच्छकार पुनर्वास योजना में भी किसी प्रकार का बजट प्रावधान नहीं किया, तो ये साथी भी हमारे दूसरे काम से वंचित रह रहे हैं, तो मेरा आग्रह रहेगा कि आप इनके लिए भी कोई प्रावधान करें।

माननीय सभापति महोदय, विशेष तौर पर राहुल गांधी जी की वह योजना, उनका वह सपना, लोक सभा चुनाव के पहले उन्होंने अपने चुनाव की सभाओं के दौरान कहा था कि अगर देश में हमारी सरकार आएगी तो हम देश में न्याय योजना चालू करेंगे। न्याय योजना, जिसमें जिस परिवार की आय 6 हजार से जितनी कम है, अगर किसी की 1 हजार है तो 5 हजार की राशि सरकार की ओर से देंगे, ऐसी उन्होंने उस समय घोषणा की थी। अभी मैंने माननीय राहुल गांधी जी के तमिलनाडु के भाषण सुने। तमिलनाडु में भी वे अपनी चुनाव की सभाओं में इस न्याय योजना का जिक्र कर रहे हैं। यदि तमिलनाडु में हमारी सरकार आई तो हम यहां न्याय योजना लागू करेंगे। अब आपको पता है, समझौते में कितनी सीटें मिलीं आपको, 234 में से 35 सीटें मिलीं और भगवान जाने आप एक-दो जीतोगे या नहीं जीतोगे, उसका भरोसा नहीं और घोषणा आप वहां कर रहे हो। जहां आपकी सरकार है, जहां आपकी बात सुनी जाती है, मानी जाती है, मेहरबानी करके यहां वह योजना +++ चालू करवा देंगे, तो राजस्थान का बहुत भला हो जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान एक मात्र ऐसा प्रदेश है, जहां +++ सुनी जाती है। मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया है, पंजाब के मुख्य मंत्री तो कभी सुनते ही नहीं, वे तो बात भी नहीं करते, सुनने की बात तो बहुत दूर। माननीय मुख्य मंत्री जी जरूर उनकी बात मानते हैं उनका आदर

(श्री ज्ञानचंद पारख)

भी करते हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी गरीबों के प्रति दयालु भी हैं, उदार भी हैं। ऐसे में +++ जो दिल की बात है, जो तमिलनाडु की चुनावी सभाओं में वे बार-बार कह रहे हैं, तो वे वहां तो लागू नहीं कर पाएंगे, तो यहां लागू कर दें।

माननीय सभापति महोदय, ये जो कांग्रेस पार्टी है, पूरे देश में सिमटती जा रही है और +++

श्री सभापति: आप सब्जैक्ट पर बात करें। राहुल गांधी और हांगकांग और कहां इंग्लैण्ड डोलते फिर रहे हो? फिर आप कहोगे, बोलने दो और बोलने दो, मैं टाइम नहीं दूंगा।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): हां, वही बात कह रहा हूं। वे जी-जान लगा रहे हैं, वेंटिलेटर पर जो कांग्रेस पार्टी पड़ी है, मैं न्याय योजना की बात कर रहा हूं।

श्री सभापति: न्याय की बात करो, योजना की बात करो। ये इधर से उधर डोल रहे हैं आप।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): +++ वेंटिलेटर पर जो कांग्रेस पार्टी चली गई है, उसको वापस जीवन दान देने के लिए जिस न्याय योजना की बात तमिलनाडु की सभाओं में..

श्री सभापति: दो-चार बात और भी कह दो।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): कर रहे हैं, उस योजना को राजस्थान में लागू करवा दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): प्रशंसा करें तो तकलीफ, +++ आलोचना करें तो तकलीफ, +++ नाम लें तो तकलीफ, +++

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये।

श्री भजनलाल जाटव (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा): देश के प्रधान मंत्री जी ने दो करोड़ रोजगार की बात की थी, 15 लाख रुपये देने की बात की थी, वह तो दिलवा दो देश के प्रधान मंत्री जी से।

श्री सभापति: किसी का अंकित नहीं होगा। विराजिये, विराजिये।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, कल माननीय गृह मंत्री जी ने..

श्री सभापति: किसी का अंकित नहीं होगा, माननीय ज्ञानचंद पारख के अलावा।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): कल माननीय गृह मंत्रीजी, जब गृह विभाग की डिमांड पर बोल रहे थे न तो हमारी तरफ इशारा करके क्या कहा था, अब तो मान गये न +++ एक बार नहीं, दो बार इशारा किया, हम तो पहले से ही मानते हैं कि +++ तो उसके बारे में नहीं मानें, यह तो हो नहीं सकता और, माननीय सभापति जी..

श्री सभापति: राहुल गांधी जी के सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा गया है उसे विलोपित कर दें, ये मेरा निर्देश है। मैं समय नहीं दूंगा उसके बाद, 20 मिनट का समय, 20 मिनट में फिर मैं आपको कहूंगा, अभी तो आप बोल नहीं रहे हो, अभी तो आप इधर से उधर, उधर से इधर डोल रहे हैं।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): मैं न्याय योजना की बात कर रहा हूं, उसके संदर्भ में अपनी इस बात को कह रहा हूं। माननीय गृह मंत्री जी ने जब कहा कि +++ आप मान गये, हम तो मानते हैं पहले से, +++ उसके लिए तो हम।

माननीय सभापति जी, एक जिक्र और चला था बाल श्रमिक वाला, वाकई में बाल श्रम गुनाह है, मानते हैं, पर जो रोजगार देता है, वही गुनहगार कैसे?

(15.00 बजे)

उसके माता-पिता जो उसका लालन-पालन नहीं करते और जबरदस्ती उसको काम पर भेजते हैं तो कहीं न कहीं उनकी जिम्मेदारी भी इसमें तय करनी चाहिए, ताकि यह बाल श्रमिक इस काम से मुक्त हो जाएं, वर्ना माता-पिता मार कर घर के बाहर भेजें और कहीं काम धंधा मांगें और वह दे दे तो वह गुनहगार, तो कम से कम इसमें भी कोई न कोई प्रावधान हमको करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, यह गाडोलिया लोहार है न, इनका भी आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। महाराणा प्रताप ने जो मेवाड़ की लड़ाई लड़ी तो जितना भील समाज का योगदान रहा उतना योगदान नहीं रहा पर थोड़ा बहुत योगदान गाडोलिया लोहारों का भी इतिहास में दर्ज है, तो ऐसे गाडोलिया लोहार जो आज भी वर्षों से सरकारी योजना होने के बावजूद भी पुनर्वास के लिए भटक रहे हैं, तो एक बार सरकार के माध्यम से इनकी सूची बनाकर जहां यह रहते हैं इनको वहां नि:शुल्क भूखण्ड का प्रावधान है, नियम है पहले से और मकान बनाने के लिए भी इनको राशि दी जाती है और औजार

(श्री ज्ञानचंद पारख)
के लिए भी ताकि यह अपना रोजगार कर सकें, तो यह तीनों काम कर देंगे तो बहुत बड़ा उत्थान इनका भी हो जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी वृद्धाश्रम के प्रति भी बहुत ज्यादा उदार हैं। मैंने पिछली बार जिक्र किया, इस बार जिक्र नहीं करूंगा पर मेरा आग्रह रहेगा कि हम जहां-जहां जितनी-जितनी सीटों की आवश्यकता है, यह सारे के सारे वृद्धाश्रम समाजसेवी संस्थाएं चलाती हैं, वह बार-बार आपके पीछे चक्कर लगाएं कि हमारी सीटें बढ़ा दो, हमारा अनुदान दे दो समय पर, ऐसी नौबत नहीं होनी चाहिए। यह वृद्धाश्रम जो भी संचालित करते हैं, जब भी कोई प्रार्थना पत्र दे और अपनी बकाया अनुदान की राशि मांगे तो समय पर उनको मिल जाए, यह मेरा आग्रह रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं अंत में कुछ बातें कहूंगा, कुछ समाज विशेष के लिए जिसका मैंने पहले कुछ जिक्र किया है। यह सारे समाज वो हैं जो कहीं न कहीं भगवान राम से जुड़े हैं, भील समाज जिसका मैंने जिक्र किया। सबको पता है कि भगवान राम ने शबरी के जूठे बेर खाए थे। सबको पता है कि महाराणा प्रताप की जो जीत थी उसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का था तो भील समाज का था और माननीय सभापति महोदय, जैसा मैंने जिक्र किया न, इस भील समाज की जो आज की तारीख में हालत है वह हम सबके लिए बहुत शोचनीय और शर्मनाक भी है। मेरा आग्रह रहेगा और इनकी मांग भी थी कि एसटी में हम पिछड़े हुए हैं, हमको बराबरी पर आना है तो हमारा आबादी के अनुपात में अलग से आरक्षण का प्रावधान करके हमको नौकरी में अवसर दें और उनके लिए और विशेष पैकेज दें, तो मेरा भी यह आग्रह रहेगा कि इस समाज के लिए हमको बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समाज ने बहुत दिया है। दूसरा समाज है वह भी राम से जुड़ा हुआ है। भगवान राम से जुड़ा हुआ है वाल्मीकि समाज। जिस वाल्मीकि ने राम के जन्म के पहले ही अपने तप और साधना के बूते भगवान राम का किरदार लिख दिया था, उस वाल्मीकि समाज के भी आज जो हालात हैं न, उनको ऊंचा उठाने के लिए हम सबको कोई न कोई विशेष योगदान देना होगा और माननीय सभापति महोदय, आपको तो पता होगा, कोरोना काल में जो इस समाज ने काम किया है बिना मौत के भय से, कोई डर नहीं और गंदगी से जो हमको मुक्ति दिलाई, उस समाज की जो और कमियां हैं उनसे हम उनको मुक्त कराकर उनको समाज में सम्मानजनक स्थान दें और मैं कहना

(श्री ज्ञानचंद पारख)

चाहूंगा कि हमको माननीय प्रधान मंत्री जी को देखना चाहिए कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने, जो कुंभ के मेले में बेहतर सफाई की है न तो वाल्मीकि समाज के 5 बंदों को, जिन्होंने बेहतर काम किया, उनको ऊपर बैठाकर खुद नीचे बैठकर उनके पैर धोकर पूरे हिन्दुस्तान की जनता को एक संदेश दिया था कि हमारे लिए ये पूजनीय हैं, उस वाल्मीकि समाज के लिए हमको भी कई नयी योजनाएं बनानी होंगी और आपको पता होगा कि राम मंदिर के शिलान्यास की पहली ईंट का गौरव भी वाल्मीकि समाज के बंधु को दिया गया, पहली ईंट का गौरव, माननीय सभापति महोदय, यह समाज वाकई में इस देश के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है और आज की तारीख में इसको..

श्री सभापति: 2 मिनट में समाप्त करें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): दो ही मिनट की बात है। ...स्वच्छता सैनिक का नाम दिया गया है तो इनको भी अपन आगे बढ़ाएं। एक बावरी समाज का मैंने आपको पहले जिक्र किया था, तो इनका इतिहास भी भगवान राम से जुड़ा हुआ है। भगवान राम जब वनवास गए न, ...(व्यवधान) सबका पढ़ लेना आप इतिहास।

श्री भजनलाल जाटव (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा): 000

श्री सभापति: मंत्री महोदय, प्लीज।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): इनका इतिहास भी भगवान राम से जुड़ा हुआ है। भगवान राम जब वनवास गए थे, उस समय जितनी भी फसलें थीं, खेती थी, उस समय उनकी सुरक्षा का जिम्मा बावरी समाज की उस टीम को दिया था और उसी परम्परा के तहत जब तक राजशाही रही न तो हमारी फसलों की सुरक्षा का जिम्मा बावरी समाज के लोगों ने किया है। जिस किसान को हम अन्नदाता कहते हैं न, उसकी फसलों की सुरक्षा भी बावरी समाज ने की है और बावरी समाज का जो पिछड़ापन है न, वह आज हमारे लिए शर्मनाक है, उसके उत्थान के लिए हम कुछ करें। माननीय सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि हर काम में राजस्थान इसलिए पहल करे कि अभी राम मंदिर का निर्माण कार्य चालू हो गया और सबको पता है, व्हाट्सएप देखते हैं, टीवी देखते हैं कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने राम मंदिर के निर्माण के लिए 525 करोड़ रुपये की राशि अब तक जुटा दी है, 2 बड़े प्रांतों का जोड़ लगा दोगे न तो भी 525 करोड़ रुपये की राशि नहीं होगी और राम मंदिर में जब सबसे बड़ा निर्माण इसका है तो हम राम राज्य की शुरुआत राजस्थान से

(श्री ज्ञानचंद पारख)

करें, उस न्याय योजना के जरिए हम राजस्थान में रामराज्य ला सकते हैं और माननीय सभापति महोदय, राम राज्य तब आएगा जब जिन जातियों का, जिन वर्गों का मैंने जिक्र किया है वह हमारे समान बन जाएंगी न तो तब कहीं जाकर राम राज्य की कल्पना पूरी होगी। माननीय सभापति महोदय, हो सकता है कि गलती हुई हो तो हम प्रायश्चित करने में कहीं हिचकेंगे नहीं और समाज के उस वर्ग को, उस तबके को, जिसने इस समाज और देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिसने मान-सम्मान बढ़ाया है और जो भगवान राम के प्रिय थे तो राम राज्य की शुरुआत के लिए न्याय योजना की शुरुआत की मांग मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से करता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री जे.पी. चन्देलिया।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): धन्यवाद सभापति महोदय, मांग संख्या-33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के बारे में बोलने का मुझे अवसर दिया। हमारे संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी की अवधारणा से संविधान बनाया था और जब संविधान अंगीकृत किया गया तो सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी के आधार पर ही अंगीकृत किया गया था और एक वेलफेयर स्टेट के रूप में हमने अपनी अवधारणा बनाई थी कि भारत में जो राज्य होगा वह एक कल्याणकारी राज्य होगा। अगर संविधान को आप ध्यान से देखें तो शुरू से लेकर आखिरी तक चाहे संविधान का प्रिएंबल हो, चाहे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हों, सबमें यह भावना झलकती है।

यहां मैं प्रिएंबल को रेफर करना चाहूंगा हमारे संविधान के इसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्विलिटी और फ्रेटरनिटी यह जो शब्द यूज किये गये हैं, उपयोग में लाये गये हैं, यह अपने आप में एक वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को प्रमोट करते हैं, प्रतिष्ठित करते हैं। जस्टिस में सोशल, इकोनोमिक एंड पोलीटिकल, समाज के जो गरीब लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं जो मेनस्ट्रीम में नहीं हैं, उनको जब तक आप सोशल जस्टिस नहीं देंगे, उनका आर्थिक विकास नहीं करेंगे और पोलिटिकल उनका जो हक है वह ठीक से नहीं देंगे तब तक मैं समझता हूं कि उनके साथ सामाजिक न्याय नहीं होगा। यह लिबर्टी आफ थाट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वरशिप, यह अवधारणा वही कल्याण की भावना को प्रतिस्थापित करती है क्योंकि अगर आप बोलने नहीं दोगे गरीब को, निर्धन

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

को, शिड्यूल्ड कास्ट के आदमी को, शिड्यूल्ड ट्राइब के आदमी को तो वेलफेयर स्टेट की बात कोई ज्यादा महत्व नहीं रखती। एक्सप्रेशन, अपना विचार जो है, संविधान में हमको अधिकार दिया है अपनी बात हम कह सकते हैं, तो इन लोगों को भी पूरा अधिकार मिला है। बिलीफ एंड वरशिप, हमारा संविधान किसी धर्म विशेष को प्रमोट नहीं करता। एक सेक्युलर स्टेट है और वह सारी की सारी लिबर्टी इनको भी दी हुई है, इक्विलिटी दी हुई है स्टेट्स की और अपार्चुनिटी की। यह प्रिएंबल कांस्टीट्यूशन का हम देखते हैं तो हम बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारा संविधान एक वेलफेयर स्टेट है और वेलफेयर स्टेट होने के नाते समाज के कोई भी वर्ग चाहे वह मेनस्ट्रीम में हैं, चाहे नहीं हैं, चाहे वह किसी धर्म से हैं, किसी जाति से हैं, किसी सम्प्रदाय से हैं, किसी वर्ग से हैं, उन सबको मेनस्ट्रीम में लाने का काम हमारे देश के संविधान ने दिया है। इसलिए सामाजिक सुरक्षा की बात एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। दुर्भाग्य की बात है कि हम इस सब्जैक्ट को, दिख रहा है सामने हाउस में भी, इतना गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं। आज कोई दूसरे विषय पर डिस्कशन होता तो मेरे विचार से यह हाउस पूरा भरा हुआ रहता। यह दिख रहा है, लेकिन अच्छी बात नहीं है।

आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर आर्गेनाइजेशन ने सामाजिक सुरक्षा को डिफाइन किया है। अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार वह सुरक्षा जो समाज उचित संगठनों के माध्यम से अपने सदस्यों के साथ गठित होने वाली कुछ घटनाओं और जोखिमों से बचाव के लिए प्रस्तुत करता है, उसे सामाजिक सुरक्षा कहते हैं। यह जोखिम रोग की स्थिति में, मातृत्व की स्थिति में, अयोग्यता की स्थिति में, वृद्धावस्था की स्थिति में और ईवन मृत्यु की स्थिति में, बहुत बड़ा विस्तार सामाजिक सुरक्षा शब्द का है। सामाजिक सुरक्षा होगी तो अल्टीमेटली समाज का कल्याण होगा, वर्ग विशेष का कल्याण होगा, जाति विशेष का कल्याण होगा, व्यक्ति विशेष का कल्याण होगा। उसके बिना यह परिकल्पना बिलकुल अधूरी है।

सभापति महोदय, पहले यह डिपार्टमेंट समाज कल्याण विभाग कहलाता था। मैं इसका डायरेक्टर भी रहा हूं। उस वक्त का कंसेप्ट उस वक्त की जो एक्टिविटी समाज कल्याण विभाग की होती थी और आज जो डिपार्टमेंट सोशल जस्टिस एण्ड एम्पावरमेंट है, बहुत फर्क है। यहां कई सीनियर लोग बैठे हैं, उन्होंने देखा होगा कि समाज कल्याण की जो योजनाएं होती थीं,

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

उन योजनाओं को और उन वर्गों को जिनको प्राथमिकता से उस समय समाज कल्याण विभाग डील करता था, वह थोड़ी सी इग्नोर हो गईं और कई सब्जेक्ट इसमें आ गये। विडो आ गई, दिव्यांग आ गये, यह आ गये, वह आ गये, आना चाहिये, सभी आने चाहिये। सोशल जस्टिस सभी को चाहिये लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो मूल अवधारणा समाज कल्याण विभाग की थी, यह हमने गवर्नमेंट आफ इंडिया की नकल की है। पहले गवर्नमेंट आफ इंडिया में इस डिपार्टमेंट का नाम रखा गया था सोशल जस्टिस एण्ड एम्पावरमेंट। नकल में भी अक्ल चाहिये थी और दुर्भाग्य से गवर्नमेंट आफ राजस्थान ने वह सारे सब्जेक्ट और वह सारी चीजें, जो मुख्य रूप से उसमें थीं, वह इग्नोर हो गई हैं।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं और भूरिभूरि शब्दों में माननीय मुख्य मंत्री महोदय की प्रशंसा करता हूं और उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने 20 करोड़ रुपये की राशि से एक वाल्मीकि कोष की स्थापना की है। सोचा तो यह गया था और मेरे ख्याल से माननीय मुख्य मंत्री महोदय की यह इच्छा भी थी कि एक वाल्मीकि बोर्ड बनाया जाये और पूरे समाज की तरफ से, सात डिवीजन की तरफ से कई लोग आये थे माननीय मुख्य मंत्री महोदय को इस बात का धन्यवाद देने के लिए। मैं भी सदन के मार्फत माननीय मुख्य मंत्री महोदय से और माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करता हूं कि 20 करोड़ रुपये की राशि, वाल्मीकि जाति संख्या में कम नहीं है, 78 कांस्टीट्यूएंसी हैं जिसको प्रभावित करती है, सारे डिवीजनल हैडक्वार्टर की कांस्टीट्यूएंसी, सारे बड़े जिलों की कांस्टीट्यूएंसी, बड़ी-बड़ी तहसीलों की कांस्टीट्यूएंसी, बड़े-बड़े सब-डिवीजन की कांस्टीट्यूएंसी, इलेक्शन कमीशन के डाटा हैं, ऐवरेज पांच हजार वोटों से हार-जीत होती है, जिसका तात्पर्य यह होता है ढाई हजार वोट अगर इधर-उधर हो जाएं तो आदमी की हार जीत में बदल सकती है, जीत हार में बदल सकती है, जो मैंने गिनाई यह 78 कांस्टीट्यूएंसी, इससे कम वाल्मीकि समाज कहीं है ही नहीं, सभापति महोदय, इस बात पर मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वाल्मीकि कोष के लिए 20 करोड़ रुपये की राशि बहुत कम है, उसको बढ़ाने का निवेदन करता हूं।

पिछले बजट में एक बात आई थी, माननीय धारीवाल साहब बैठे थे और यह बात आई थी कि 2018 में सफाई कर्मचारियों की जो नियुक्तियां हुईं ...

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): उसमें एक ही तरह की कंडीशन से, एक ही तरह की क्वालिफिकेशन से, एक ही भर्ती प्रक्रिया के अन्तर्गत जो सफाई कर्मचारी नियुक्त हुए, उनमें कुछ जनरल कैटेगरी के भी लोग भर्ती हो गये और जो वाल्मीकि समाज के लोग थे, वह भी कोई एम.ए हैं, कोई बी.ए. हैं, कोई एलएलबी हैं, बहुत हैं ऐसे, जो जनरल वर्ग के लोग सफाई कर्मचारी के रूप में भर्ती हुए, उनको आफिसेज में बैठा दिया गया। एक साल पहले यह बात इसी सदन में उठी थी और इस पर बहुत मंथन हुआ था। मुझे खुशी है कि उस समय भी मैं काफी बोला था, धारीवाल साहब भी बोले थे, माननीय राठौड़ साहब भी बोले थे और यह चिट्ठी राज्य सरकार ने दिनांक 17.05.2019 को जारी की थी। जो स्वायत्त शासन विभाग के डायरेक्टर थे और ज्वाइंट सेक्रेटरी थे पवन अरोड़ा, उनके दस्तखतों से यह चिट्ठी जारी हुई है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि अगर किसी को जिस काम के लिए वह भर्ती हुआ है, उससे अन्यत्र लगाया हुआ है तो उसको तुरंत उस काम में लिया जाए और अगर कोई अधिकारी यह काम नहीं करेगा और उनको रिलीव करके जिस काम के लिए उनको भर्ती किया गया, उस काम में नहीं लेगा या उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करेगा, उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। सभापति महोदय, यह चिट्ठी मैं आपकी अनुमति से टेबल कर रहा हूं ताकि रिकार्ड पर आ जाये। 17.05.2019 की यह चिट्ठी है और एक साल पहले हाउस में जो डिस्कशन हुआ था, मैं बोला था, धारीवाल साहब बोले थे, प्रतिपक्ष के माननीय उप नेता राठौड़ साहब बोले थे, उसके बाद यह चिट्ठी जारी हुई थी और उस पर आज तक अमल नहीं हुआ, आज भी वही स्थिति है। यह चिट्ठी जो डायरेक्टर और ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने सभी कमिश्नर्स को, सभी एग्जीक्यूटिव आफिसर्स को....

श्री सभापति: आप चिट्ठी का रैफरेंस इसमें उल्लेख कर दें, टेबल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने अपनी सारी बातें बोल दीं, इसमें चिट्ठी का रैफरेंस उल्लेख कर दें।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): रैफरेंस कर मैं माननीय मंत्री महोदय को भेज दूंगा, मुख्य मंत्री जी को भेज दूंगा।

श्री सभापति: हां, मंत्री महोदय को भेज दें आप।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): नगर निगम, नगर परिषद्, नगरपालिका बोर्ड को भी यह सब चीजें भेजी गई थीं।

दूसरा मैं निवेदन करता हूं कि एससी, एसटी, ओबीसी, मोस्ट बैकवर्ड

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

क्लास के लिए रिजर्वेशन की बात करते हैं, रिजर्वेशन की तो धज्जियां उड़ रही हैं। डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। आप सारे के सारे पीपीपी मोड पर जा रहे हो और सारे के सारे डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो नौकरियां रह कहां जायेंगी, काहे का रिजर्वेशन है? कोई रिजर्वेशन बचेगा ही नहीं और प्राइवेट आदमी एससी, एसटी के आदमी को कहां नौकरी पर लेता है। यह एक बहुत बड़ा विचारणीय बिन्दु है और मैं सदन के विचार के लिए यह रख रहा हूं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): प्रमोशन के सिस्टम में कर दिया कि इस लेवल तक यह हो जायेगा, इस लेवल तक यह हो जायेगा और उसके बाद इस सर्कुलर से एनोमोली हो गई है। एनोमोली यह हुई है कि एससी, एसटी से जूनियर अफसर प्रमोट हो गया और एससी, एसटी वाले जूनियर रह गये, इसमें यह एनोमोली है, इसको भी देखने की जरूरत है। सभापति महोदय, अगर आप इजाजत देंगे तो मैं इसका भी विश्लेषण करके माननीय मंत्री महोदय को, डीओपी को, मुख्य मंत्री महोदय को भी लिख दूंगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): अब रेलवे जा रहा है, बीएसएनएल जा रहा है, यह जा रहा है, वह जा रहा है।

श्री सभापति: श्री अर्जुन लाल जीनगर।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): मैं निवेदन करता हूं कि इस एनोमली को ध्यान में रखकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिये। जो संविधान में प्रावधान है, उसकी अनुपालना होनी चाहिये। आपने मुझे समय दिया और कुछ खरी-खरी बातें कहने का मौका मुझे यहां मिला, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, आपसे एक प्रार्थना करना चाह रहा हूं, मैं अनुसूचित जाति का व्यक्ति हूं, मेरे अधिकारों का हनन नहीं हो और मुझे बोलने के लिए पूरा समय दिया जाये।

माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान के इस पवित्र सदन में सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की मांग संख्या 33 और जनजाति क्षेत्रीय विकास मांग संख्या 30 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आभार। माननीय सभापति महोदय, देश और प्रदेश में गरीब, निर्धन, निराश्रित, विशेष

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

योग्यजन व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनके जीवन को सुरक्षित करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए कई योजनाएं बनी हैं लेकिन आजादी के 72 वर्षों बाद भी आज सदन में बार-बार यह चर्चा करने का अवसर मिलता है कि एससी, एसटी के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए सरकारें बजट तो बना देती हैं लेकिन उस बजट का इम्प्लीमेंट और उसकी समीक्षा नहीं होती है, इस कारण से आज भी एससी, एसटी के कमजोर वर्ग पिछड़े हुए हैं। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा जो बजट दिया जा रहा है, उसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है, मैं इस पर बल देना चाहूंगा।

सबको न्याय मिले, उत्पीड़न रुके, लेकिन इस प्रदेश और देश में हो क्या रहा है? प्रदेश की स्थिति आपको मैं बताऊं, तुलसीदास जी की एक कहावत है "समरथ को नहीं दोष गुसाई"। विवाह के समय एससी, एसटी के बच्चों को घोड़े पर नहीं बैठने दिया जाता है। बैठ जाएं तो उनको उतार दिया जाता है। बाहुबली कमजोर वर्ग के एससी, एसटी के लोगों की जमीनें छीन लेते हैं, उन पर अन्याय करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। गरीब लोगों की एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होती है। सदन में चर्चा के दौरान एक बात कही थी कि बाबा साहेब के मंत्र को याद रखो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, पर होता क्या है? सदन के अन्दर आज मुझे नहीं दिख रहे हैं। माननीय सदस्य श्री हरीश जी मीणा, वे तो समर्थ भी हैं, शिक्षित भी हैं, पढ़े-लिखे भी हैं, उनके साथ क्या हुआ? वे एमएलए, एमपी रह लिए, डीजीपी रहे, अभी विधायक हैं। उनको एक एफ.आई.आर. दर्ज कराने के लिए धरना देना पड़ा है, क्योंकि वे एसटी के हैं। उस वर्ग से आते हैं, जिसकी कोई सुनने वाला नहीं है।

कमजोर वर्ग की महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। प्रदेश की स्थिति नाजुक है। मेरा आग्रह है कि समाज के अन्दर समरसता लाने के लिए हम सबको मिलकर इस कमजोर तबके को आगे बढ़ाना होगा।

सभापति महोदय, इस अवसर पर मैं उन महापुरुषों का नाम लेना चाहता हूं, जिन्होंने इस देश के अन्दर कमजोर वर्ग के तबकों को आगे लाने का काम किया। उसमें सबसे पहला नाम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है, जिन्होंने संविधान के समय ही अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आरक्षण देकर उनको आगे बढ़ाने का काम किया। समाज के सभी वर्गों के अन्दर समरसता बनी रहे, उन्होंने ऐसा अवसर दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

गांधी का नाम लेना चाहूंगा। उन्होंने भी इस देश से छुआछूत को मिटाने के लिए सफाई करने वाले लोगों को हरि का जन बताकर हरिजन नाम दिया। उन्होंने एक बहुत बड़ी पहल की थी।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम भी लेना चाहूंगा, उन्होंने एकात्म मानववाद का दर्शन हमारे समाज को दिया और समाज में वंचित, निराश्रित, निर्धन और कमजोर वर्ग के लोग जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए हैं उनके व्यक्तित्व का विकास करना और सरकार की समस्त योजनाओं का लाभ उस व्यक्ति तक पहुंच सके, उन्होंने यह दर्शन देकर समाज को नयी दिशा देने का काम किया है।

इस अवसर पर मैं हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति भैरोंसिंह जी शेखावत का नाम लेना चाहूंगा। 1977 में जब वे पहली बार मुख्य मंत्री बने थे, तब उन्होंने अंत्योदय योजना प्रारम्भ की और पूरे देश के अन्दर उस योजना की सराहना की गयी। उन्होंने एक काम और बड़ा किया कि कमजोर वर्ग के तबकों में और देश की जो आधी आबादी महिलाओं की है, उनके अन्दर राजनीतिक चेतना लाने के लिए, एससी, एसटी एवं ओबीसी और महिलाओं को आरक्षण देकर उनको राजनीतिक चेतना देने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने इतने वर्षों के बाद भी एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों को राजनीतिक आरक्षण नहीं दिया, इसके कारण इतने वर्षों तक वे पिछड़े रहे।

मैं इस अवसर पर प्रदेश की मुखिया रही हमारी नेता वसुन्धरा जी का नाम भी लेना चाहूंगा। उन्होंने गरीब और निर्धन लोगों के इलाज के लिए भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारम्भ करके गरीब लोगों का तीन लाख रुपये तक का इलाज कराने का प्रावधान किया।

इस अवसर पर मैं गहलोत साहब का नाम भी लेना चाहूंगा। उनको भी आई.ए.एस. अफसर डाक्टर समित शर्मा, जिन्होंने गहलोत साहब से कहा कि प्रदेश के अन्दर दवाइयां बहुत महंगी हैं और निशुल्क दवा योजना प्रारम्भ करो, तो निःशुल्क दवा योजना पिछली सरकार में चालू की। चालू करने के बाद क्या होता है कि दवाइयां समय पर नहीं मिलीं, व्यवस्थाएं नहीं कर पाये। गहलोत सरकार वास्तव में जादूगर है, जादू से ही सारे काम कर लेते हैं। जिस प्रकार से जादूगर आता है, कपड़ा ढकता है, उसके नीचे से आम लगा देता है। इस प्रकार से हवाई किले बनाने में माहिर हैं। (व्यवधान) आम लगे, आपने देखे होंगे।

मैं गहलोत साहब से यह निवेदन करना चाहूंगा कि निशुल्क दवा

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

योजना में कई दवाइयां अभी और सम्मिलित की हैं, यह अच्छा है, लेकिन समय पर वे दवाएं गरीब लोगों को मिल जाएं। आपने दो साल तक प्रदेश के कमजोर वर्ग के लोगों का इलाज बन्द कर दिया, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को बन्द करके इस प्रदेश की गरीब जनता के साथ अन्याय किया है, उसके लिए जनता आपको माफ नहीं करेगी। माननीय सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर मोदी जी का नाम भी लेना चाहूंगा।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): देश के प्रधान मंत्री जी ने निर्धन, गरीब, निराश्रित और विशेष योग्यजन एवं अभावों में जीने वाले व्यक्तियों को सरकार की योजनाओं से सीधा जोड़ने के लिए जन धन खाते खुलवाने का काम किया और जब जन धन खाते खुल गये, बीच में जो सरकार की योजना आती थी और हमारे देश के प्रधान मंत्री रहे राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं सौ रुपये वहां से भेजता हूं तो नीचे पन्द्रह रुपये पहुंचते हैं। अब जन धन के खाते खुलने के बाद गरीब के खाते में सीधे सौ रुपये जाते हैं, कट लगने का काम बन्द हो गया है। जब कट लगने का काम बन्द हो गया तो कई लोगों के पेट में दर्द होता है, जो कट से ही अपना काम चलाते थे।

मोदी जी ने पूरे देश को स्वच्छता के साथ जोड़ा। शौचालय से जो वंचित हैं, उनको 12-12 हजार रुपये देने का काम किया। गरीब के घर तक गैस पहुंचाने का काम किया। विशेष योग्यजन व्यक्तियों को मोटर साइकिल यानी बैटरी चालित व्हीकल देने का काम किया।

माननीय सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए सरकारें काम करती रही हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि गरीब, निर्धन, विशेष योग्यजन और बेसहारा लोगों के उत्थान के लिए प्रदेश में 52 योजनाएं चालू हैं। इनके लिए 52 योजनाएं प्रारम्भ हैं, लेकिन क्या होता है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक न्याय विभाग की कई योजनाएं हैं, जैसे छात्रवृत्ति योजना, आवासीय विद्यालय योजना, छात्रावास योजना, अनुप्रति योजना, इस प्रकार से कई योजनाएं हैं आर्थिक विकास के लिए भी, सम्बल योजना, देवनारायण योजना, मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास योजना, गाड़िया लोहार योजना। गाड़िया लोहार योजना, बजट कहां है? बजट है ही नहीं। बिना बजट की ही योजना है। सामाजिक कल्याण के अन्दर

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

महिला स्वयं सिद्धि योजना, अन्तरजातीय विवाह योजना, पांच लाख रुपये देंगे, पांच लाख रुपये कहां है? देने वाला कोई नहीं है। नवजीवन बीमा योजना, बजट ही नहीं है। सामाजिक सुरक्षा के अन्दर भी पालनहार योजना, बार-बार चर्चा हो रही है। पालनहार उस योजना का नाम है, जिस बालक के माता-पिता नहीं है और माता-पिता नहीं होने के कारण सरकार उसको पाल रही है। यदि सरकार बजट ही नहीं दे तो वे किसके भरोसे रहेंगे, कहां रोटी खायेगा?

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मैं पिछड़ी जाति का सदस्य हूं, मुझे 5 मिनट बोलने दें। मेरी अभी एक मांग हुई है, मुझे पांच मिनट का समय दें।

श्री सभापति: विराजिये, प्लीज सहयोग करें। विराजिये। श्री मेवाराम जैन।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): सभापति महोदय, +++

श्री सभापति: आप विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 000

श्री सभापति: आप वरिष्ठ सदस्य हैं, विराजिये। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 000

श्री सभापति: आप एक सैकण्ड भी नहीं बोल पाएंगे, आप अब विराजिये, प्लीज सहयोग करें। माननीय सदस्य, विराजिये। क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं?

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 000

श्री सभापति: प्लीज बैठें, प्लीज विराजिये। आसन पैरों पर है। कुछ सीख लीजिए। माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। आप काफी वरिष्ठ सदस्य हैं, आप विराजिये। आप मुझे बाध्य मत करिये। विराजिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 000

श्री सभापति: आसन पैरों पर है, आप विराजिये। आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, आपको अनुशासन में रहना जरा भी अच्छा नहीं लगता? समय मैंने निर्धारित नहीं किया है। मुझे समय आपके व्हिप ने निर्धारित करके दिया है

(श्री सभापति)

दस मिनट का। आप अब एक सैकण्ड भी नहीं बोलेंगे। आप आसन को मजबूर मत करिये। आसन के पास बैठाने का अधिकार है। आप इस तरह से अवहेलना करते हैं तो मुझे कतई अच्छा नहीं लगता है।

मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि 38 माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। यदि सभी लोग इस तरह से करेंगे तो माननीय अध्यक्ष महोदय का जो निर्देश है सात बजे रिप्लाई कराने का, वह पूरा नहीं होगा। मजबूरन जितने लोग बोल पायेंगे, उतने लोग बोल लेंगे और बाकी के लोग रह जाएंगे। यदि आप यह चाहते हैं कि जितने लोग हों, बाकी के लोग रह जाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप यह चाहते हैं कि सभी लोग जिन्होंने अपना नाम दिया है, वह इसमें हिस्सा लें तो आपको अनुशासित रहकर समय की पालना करनी पड़ेगी। जब आसन आपको निर्देश दे तो आप मेहरबानी करके विराज जाएं। यह आपके लिए भी अच्छा है और सदन की भी गरिमा बनी रहेगी। माननीय श्री मेवाराम जैन।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या...

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये आप।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, मुझे आपका नाम पुकारना पड़ेगा। प्लीज, विराजिये आप। आप विराजिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आसन को इतना मजबूर मत कीजिए कि आसन आपको बाहर जाने का निर्देश दे। जो कुछ भी आपने कहा है, उसमें भी कोई कंटेंट नहीं है। तैयारी करके आप आते नहीं हैं, सिर्फ खड़े होने के लिए, बाकी लोगों को दिखाने के लिए आप बोल रहे हैं। बोलने वाले लोगों को मैंने पूरा टाइम दिया है। कंटेंट आपके पास कुछ है नहीं, बोलना आपको कुछ है नहीं, उठकर आ गये, बोलना शुरू कर दिया क्योंकि आपके समाज का मामला है। अच्छा नहीं लगता बिलकुल आसन को। अवहेलना बिलकुल बर्दाश्त नहीं होगी। आसन के पास अधिकार है। आपको मजबूरन मुझे बाहर जाने का निर्देश

(श्री सभापति)

देना पड़ेगा। आपको थोड़ा-बहुत अनुशासन में रहना चाहिए। काफी वरिष्ठ हैं आप। श्री मेवाराम जैन।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही महत्वपूर्ण मांग जनजाति क्षेत्रीय विकास एवं सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, जो अपने आपमें सबसे महत्वपूर्ण विषय है, आज उस पर चर्चा हो रही है। पक्ष-प्रतिपक्ष सभी ने अभी इस चर्चा के बारे में बात की और हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर और हमारे नेताओं ने जो कल्पना की थी कि अंतिम छोर पर व्यक्ति बैठा हुआ, किसी भी जाति या धर्म का हो, सभी एक समान कैसे जीवन जीएं और ऊंच-नीच, जात-पांत, सारी खतम हो और आम गरीब का कैसे कल्याण हो, इन सब बिंदुओं को लेकर संविधान बाबा साहेब ने हमको दिया। आज 70 साल से ज्यादा समय हो चुका है, उसके बाद भी जो उनके मन में कल्पना थी, जो उनके अन्दर सोच था कि एक गरीब जिसको न्याय मिलना चाहिए, जिसको समान अधिकार हो बराबर जीने का और सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, पन्रतु आज पूरी तरह से हम नहीं दे पा रहे हैं। खूब प्रयास किये जा रहे हैं।

इस बजट के अन्दर भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत ही शानदार बजट इसके लिए दिया। राशि भी बढ़ाई, 11 हजार करोड़ से बढ़ाकर 15 हजार करोड़ की। चाहे निःशक्तजन हों, चाहे पेंशन योजना हो, एससी/एसटी के छात्रावासों के लिए हो, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल विद्यालय, आवासीय विद्यालय खोलने की बात हो, क्रमोन्नत करने की बात हो, अम्बेडकर छात्रावास के निर्माण की बात हो, कई घोषणाएं इस बजट में कीं। इसके पीछे मकसद एक ही है कि जो गरीब तबक़े के लोग हैं, जो पिछड़े हुए हैं, उनको किस तरीके से आगे लाएं और बराबर का जीवन जीएं, यह सबकी सोच रही है और सभी ने यही बात की है कि हम सब मिलकर कैसे इनको आगे लाएं।

सभापति महोदय, मैं तो इतना ही कहूंगा कि यह जो इतनी सारी योजनाएं हैं, ये समाज कल्याण विभाग की हैं, अगर इनकी हम समय पर मानिटरिंग कर लें, उन योजनाओं का लाभ आम आदमी को मिले। हम आपस में झगड़े नहीं, एक-दूसरे की टांग खिंचाई नहीं करें और इन योजनाओं की समीक्षा करें, हर जिला मुख्यालय पर एक महीने में कमेटी बनाकर उसकी

(श्री मेवाराम जैन)

मानिटरिंग करे और उसका लाभ आमजन तक पहुंचाए तो उनको वास्तव में जो लाभ होना है, वह तभी हो पाएगा जब समय पर हम इनकी मानिटरिंग करेंगे। इनका जो बजट है, वह समय पर उनको उपलब्ध हो सके, यह सबसे आवश्यक बात है।

सभापति महोदय, जो एससी/एसटी के लिए बात चलती है कि मुकदमों में उनके साथ अन्याय, कई तरह की घटनाएं, थानों में, पुलिस में, जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, चिंताजनक बात भी है। इसमें मेरा यही निवेदन है कि जो अपराध दर्ज हो रहे हैं, उसके अन्दर जो सही है, वाजिब है, उनका तुरंत निर्णय हो, समय पर उसका चालान हो और उस गरीब को न्याय कैसे मिले, इसमें भी प्राथमिकता होनी चाहिए।

अभी नि:शक्तजनों की बात चली। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट घोषणा में ही बात की कि निःशक्तजनों को बीपीएल के समान माना जाए, पेंशन की बढ़ोतरी, वाल्मीकि समाज की बात काफी चली। वाल्मीकि समाज की यह सही बात है कि नगर परिषद्, नगरपालिकाएं और सारी स्थानीय निकायों में भर्ती जो हो रही है, उसके अन्दर आरक्षण रखा। उसमें सभी जातियों को ले लिया और सफाई सिर्फ वाल्मीकि समाज वाले ही करते हैं, बाकी वाले आफिस में लग जाते हैं, सफाई नहीं करते हैं। वाल्मीकि समाज के उन कर्मचारियों में भारी रोष होता है। कई जगह प्रदर्शन भी होते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें भी कुछ सुधार होना चाहिए कि जो काम कर सके, उनको ही इसमें भर्ती करें ताकि उनके अन्दर यह रोष नहीं रहे। चाहे गाडोलिया लोहारों की ही बात है, हम चाह रहे हैं कि उनको प्लाट मिले, आवास मिले परंतु उनको भी पूरा नहीं दे पा रहे हैं। आवश्यकता है, उसके लिए भी हमको कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय भी नहीं लूंगा। छात्रावास भवन जो हैं, उनका अच्छी तरह से रख-रखाव हो। उनके अन्दर बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए अच्छे खाने की व्यवस्था हो, बिस्तर की व्यवस्था हो, उनको छात्रवृत्ति अच्छी मिले। विधवा, विकलांग जितने भी हैं, समय पर उनको कैसे पेंशन दे सकें? विधवा पेंशन 500 और 750 ये भी कम है। इससे उसका परिवार नहीं चलेगा। पालनहार योजना की बात है, इसके अन्दर भी समय पर उनको राशि मिले, हम सबको इसके लिए सोचना चाहिए। यह बहुत ही जरूरी है।

खाद्य सुरक्षा की बात है, बिलकुल सही है कि इसमें कई गरीब

(श्री मेवाराम जैन)

परिवार ऐसे हैं जो खाद्य सुरक्षा से वंचित हैं। उनको वाजिब इसमें जोड़ना चाहिए था परन्तु वंचित रह गये। पोर्टल बन्द है। इसका पुन: सर्वे करवाना चाहिए और खाद्य सुरक्षा में जो बिलकुल गरीब परिवार छूटे हुए हैं, उनको इसमें जोड़ना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं एसटी के लिए कहना चाहूंगा कि जिस तरह से टाडा-माडा योजना लागू है, उन लोगों को जिस तरह से लाभ मिल रहा है, वैसा लाभ हमारे जोधपुर संभाग के अन्दर एसटी के जो भील परिवार हैं, उनको मिलना चाहिए। आज मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, एक आईएएस, आईपीएस, आरएएस, आरपीएस, डाक्टर और इंजीनियर का लड़का पढ़ाई करेगा और एक गरीब झोपड़ी में मजदूरी करता हुआ उसका लड़का अगर पढ़ाई करेगा तो वह उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। इसी तरह से हमारे इस पश्चिमी राजस्थान के अन्दर मैं कहना चाहूंगा कि भील परिवार इतने गरीब हैं जिनके पास न तो जमीन हैं, न उनके पास पढ़ाई की पूरी व्यवस्था हैं, न बच्चे पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए करने की आवश्यकता है। उनके लिए हम जितना भी करें, उनको मुख्य धारा में जोड़ने की बहुत ही आवश्यकता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार भी उनके लिए इस पश्चिमी राजस्थान के लिए, हालांकि माननीय मुख्य मंत्री जी को मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा, मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जोधपुर में मारवाड़ जनजाति बोर्ड का गठन भी किया है और मुझे उम्मीद है कि वहां की जो समस्या है, जो वाजिब बात है, उनके लिए इस बोर्ड के अन्दर सारी बात आएगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में समाप्त करें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट में बात खतम करूंगा। मैं नौकरी की बात कह रहा था। जो गरीब हैं, उनके लिए कुछ प्रतिशत रखें ताकि वहां का नौजवान युवा नौकरी में भर्ती हो पाए। उस एरिया का शून्य प्रतिशत है। जो बिलकुल ही इसमें नहीं आ पा रहे हैं, इनके लिए भी व्यवस्था करें।

सभापति महोदय, कृषि कनेक्शन आप एससी को दे रहे हैं। एसटी के, वहां भील परिवार हैं, उनसे भी गरीब हैं, उनको तो कम से कम आप कृषि कनेक्शन प्राथमिकता से दो, ताकि वह अपना जीवन आत्मनिर्भर बना सकें। यह बहुत जरूरी है। सभापति महोदय, मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि इन परिवारों को लाभ दें, इसमें कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं लगेगा। मैं यही निवेदन

(श्री मेवाराम जैन)

करूंगा, एसटी के लिए, भील परिवार हैं, इनके लिए सरकार जरूर सोचे। बाकी जितनी भी योजनाएं हैं, उनका लाभ हम तभी दे पाएंगे, जितनी भी योजनाएं हैं, उनकी मानिटरिंग करें। हम सब आपस में मिल-जुलकर उनको कैसे ऊंचा उठा सकें, उनको किस तरह अपने बराबर ला सकें, यह हम सबका प्रयास होना चाहिए। मेरे से पूर्व सभी वक्ता बोल रहे थे, 70 साल बाद भी, हम उनको अपने बराबर नहीं ला पाए, इस पर जोर देने की आवश्यकता है।

पैसे खर्च करने की भी बात कर रहे थे, पारीक साहब ने भी बात कही। केन्द्र सरकार ने थोथे आश्वासन दिये। आज दो-दो करोड़ नौकरी की बात करते हैं, अगर दे देते, नौजवान गरीब बच्चों को नौकरी मिल जाती। काला धन की बात करते हैं, महंगाई खतम होती, 15-15 लाख रुपये इनके खाते में जमा हो जाते...

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): तो यह गरीबी कहां रहती, यह आगे बढ़ जाते, परन्तु थोथी घोषणाओं के सिवाय इन्होंने कुछ नहीं किया।

श्री सभापति: विराजिये। श्री बाबु लाल खराड़ी।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री बाबु लाल (झाडोल): सभापति महोदय, मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास एवं मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार।

सभापति महोदय, सभी वक्ताओं ने उस समाज के लिए चिंता व्यक्त की, जो सदियों से उपेक्षित रहा, कमजोर रहा और आर्थिक रूप से पिछड़ा रहा। जब तक देश में, समाज में गरीब-अमीर की खाई रहेगी तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता है। इस समाज को उठाने के लिए हमारे देश में इस विभाग का उदय हुआ। यह विभाग केवल उस जनजाति समाज और अनुसूचित जाति के समाज के लिए अलग से बजट आबंटित करके, उस तक योजनाओं का लाभ पहुंचाकर उसको ऊपर उठाने का काम करेगा। इतने वर्षों के बाद आज भी गांव का गरीब आदमी, एससी, एसटी का आदमी मजदूरी करने के लिए मजबूर है। विषय आया कि आज जनजाति का व्यक्ति मजदूरी करने के लिए गुजरात, मध्य प्रदेश जाता है, बच्चों को गिरवी रखता है। क्या कारण है? क्या वह शौक से गिरवी रखता है? उसकी मजबूरी है, उसकी माली हालत

(श्री बाबु लाल)

ठीक नहीं है। उसके कारण से वह यहां तक जाता है कि अपने बच्चों को गिरवी रखता है।

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, अगर जनजाति समाज उस पढ़े-लिखे वर्ग को, पिछली बार मैंने प्रश्न लगाया था, जवाब भी आया था, मैंने कहा था कि आपने कितने आईपीएस और आईएस तैयार किये, नहीं है। आरएएस और आरपीएस कितने हुए, नहीं है। आपने कोचिंग सेंटर खोल रखे हैं, वहां पर क्या होता है? मैंने उस समय कहा था कि प्राइवेट कोचिंग सेंटर हैं, वहां पर क्वालिटी की शिक्षा मिलती है, प्रशिक्षण मिलता है, जिसके कारण लड़का परीक्षा में पास होता है। विभाग इतना खर्चा क्यों नहीं करता है? कहीं न कहीं से उधार लेकर कोचिंग कराने वाले अध्यापक लगाते हैं, तो प्राइवेट सैक्टर में आप भेजिए न। वहां पर आप पैसा व्यय कीजिए, तो कम से कम वह बच्चा उस स्तर पर आएगा कि कम्पीटिशन में पास होगा।

सभापति महोदय, अभी आरक्षण की बात हुई। आरक्षण का विषय आया, अच्छी बात है, उस समाज को उठाने के लिए व्यवस्था की, बाबा भीमराव अम्बेडकर के कारण। मैं आपके सामने यह रखना चाहता हूं कि हमारे यहां 2013 में अनूसूचित जाति, जनजाति के कुल 184 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हुई थी, उसमें से 29 पात्र व्यक्ति मिले, उनको नियुक्ति दे दी गई। उसके बाद 155 लोग बाकी रह गये। बैकलाग है, उसको अभी तक नहीं भरा, अगर भरते तो इसमें इन लोगों को लाभ तो मिलता।

आगे मैं कहना चाहूंगा, बहुत बड़ा विषय है, बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि आदिवासी और गरीब आदमी को ऊपर उठाएंगे। 01.11.1986 में मेवाड़ में मावली, वल्लभनगर, भीण्डर, कानोड, कुराबड, गिर्वा, यहां के आदिवासी भील, मीणाओं को, वह किस कारण से हुआ, इस गहराई में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उनको रावत राजपूत मानकर एसटी से ओबीसी वर्ग में डालकर, राजस्व रिकार्ड में उनको राजपूत मान लिया गया। ओबीसी मान लिया गया। कौन-कौनसी जाति के थे, मैं आपको जाति भी बता दूंगा। वहां डामोर भी थे, खराड़ी थे, अन्य और भी जातियां थीं। वह लोग आज उस लाइन में खडे हैं कि हमको वापस आदिवासी मानकर राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया है, वापस जोड़कर, हमें उसका लाभ मिलना चाहिए। यह बहुत बड़ी बात है, मंत्री जी, चिंता का विषय है।

(श्री बाबु लाल)

दूसरा, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज मेवाड़ में, वसुन्धरा जी की सरकार में 12.5 परसेंट, 45 परसेंट आरक्षण नहीं मिलता, तो आज वहां का बच्चा डाक्टर नहीं लग सकता था। उस कानून के कारण वहां का बच्चा आज डाक्टर है। वहां का बच्चा बाबू है। इस कानून के कारण वहां का बच्चा अध्यापक है, इंजीनियर बना है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि उनको ऊपर उठाना है तो हमको कुछ करना पड़ेगा।

आगे मैं कहना चाहूंगा, हमने कुछ योजनाएं बनाईं, योजना में आपने खर्च किया उसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि समय बहुत कम है, मैं मेरी बात नहीं कह पाऊंगा। पिछली बार मैंने पर्यटन में, 131 में स्थगन लगाकर, ध्यान आकर्षण लगाकर पूछा था। मैंने कहा, हमारे यहां कमलनाथ, रामकुंडा है, राणा पूंजा है, राणा पूंजा का बहुत बड़ा योगदान रहा था, वहां पर पर्यटन स्थल बनाओ ताकि वहां पर दुनिया का पर्यटक आएगा, उसको देखेगा। वहां का व्यक्ति लारी लगाकर बैठेगा, गल्ला खोलकर बैठेगा, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी। आपने नहीं किया। क्या करना चाहते हैं? आपने कहा कि जनजाति क्षेत्र में, वन क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, वन उपज है, उन पर पूरा अधिकार होना चाहिए। क्या व्यवस्था की?

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा सुझाव है, वन क्षेत्र में जो भी लोग रहते हैं, वहां आपका होर्टिकल्चर विभाग बहुत अच्छा काम करता है। आप वहां बोर के पेड़ लगाएं। बाजार में आज बहुत महंगे भाव से मिलते हैं। वहां आप सीताफल लगाएं। महुआ के पेड़ हैं, गोंद है, उनको पूरा अधिकार दीजिए, निकालने की छूट दीजिए। पूरी छूट दो कि वह उनको इकट्ठा करके, वहां ऐसी संस्था बने, ऐसा ग्रुप बने, उसको इकट्ठा करके मार्केट में ले जाकर बेचें, तो उनके लाभ मिलेगा और उनका जीवन स्तर ऊपर उठेगा। हम क्या कर रहे हैं?

माननीय सभापतिजी, हमारे यहां कुछ तालाब हैं, मछली पालन हो सकता है। आप प्लान तो बनाओ, उनको बीज दो, बीज दे करके उनको नाव दो, जाल दो, मछलियां निकाल करके उसको मार्केट उपलब्ध कराओ।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें अपनी बात।

श्री बाबु लाल (झाडोल): मार्केट उपलब्ध कराओगे तो कम से कम वह व्यक्ति अपना जीवन उपार्जन कर सकता है, वह अपना जीवन स्तर सुधार सकता है।

(श्री बाबु लाल)

आगे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे यहां आपने कुछ लक्ष्य भी किये हैं। आपने लक्ष्य रखे थे पी.एम.टी., पी.ई.टी., आई.आई.टी. में प्रवेश परीक्षा हेतु कोचिंग, लक्ष्य कितना था, 313, और आपने उसमें से प्राप्त कितना किया, 11 बालकों को। हम क्या चाहते हैं? इसकी मानिटरिंग कौन करता है, कोई देखभाल करता है कि नहीं करता है? केवल इनको बजट दे करके हम फ्री हो जाते हैं, बरी हो जाते हैं कि यह काम चलता रहेगा। जब तक आप प्रोपर मानिटरिंग नहीं करोगे, तब तक यह बजट हर साल आएगा और आने के बाद में वापस जब भी बजट आएगा, हम चर्चा करेंगे, समीक्षा करेंगे कि हमने इतना खर्च किया, इतना वापस लैप्स हो गया तो इससे उस गांव और गरीब का भला तो नहीं हो सकता है।

हमने महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को कमरा किराये के लिए लक्ष्य रखा था, 18750, आपने उपलब्धि कितनी हासिल की है, 6247 की है। अब एक-एक आंकड़े पर हम जाएंगे, तब उस गरीब का भला करने की हमारी नीयत नहीं है। केवल और केवल बातें करके हम बरी होना चाहते हैं।

सभापति महोदय, आपसे मेरी प्रार्थना है कि कुसुम योजना, उस गांव के गरीब आदमी को, क्योंकि बिजली का बिल बहुत आता है, वह किसान भर नहीं पाता है, उसको हम सौर ऊर्जा से कनेक्शन करके बिजली उपलब्ध कराएंगे। मैंने तो मेरे क्षेत्र में कहीं नहीं देखा। जब जवाब दें, तब मेवाड़ में कहीं हो तो बता देना।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बाबु लाल (झाड़ोल): एक भी व्यक्ति को सौर ऊर्जा से आपने कनेक्शन नहीं दिया है। मंत्री महोदय, इसको भी आपको चिंता के साथ देखना चाहिए। मैं अनुशासित कार्यकर्ता हूं इसलिए आपकी बात को मानकर मेरी बात को यहीं खतम करता हूं। जय भारत, धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री गोपाल लाल मीना।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास एवं मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, अनुसूचित जाति-जनजाति के विकास पर जो आज सार्थक बहस चल रही है, उस पर आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत -बहुत धन्यवाद देता हूं।

(श्री गोपाल लाल मीना)

देश जब आजाद हुआ उससे पहले गांधीजी अफ्रीका से आये थे। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया और उनके खिलाफ एक बड़े आंदोलन के साथ में उनको देश से भगाने का काम किया। उसके बाद में हमारे देश में, आजाद होने के बाद इस बात की आवश्यकता पड़ी कि हमारे समाज के दलित, पिछड़ा, वंचित का भला कैसे हो? उनको अधिकार कैसे मिलें? इसके लिए देश के संविधान निर्माता आदरणीय भीमराव अम्बेडकरजी को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने देश के सभी लोगों को समानता का अधिकार देने का जो संविधान में प्रावधान रखा, निश्चित रूप से मैं उन्हें याद करता हूं। उनको यह कहना चाहूंगा कि आज 70 साल हो गये तो भी संविधान के आधार पर यह देश चल रहा है।

समानता का अधिकार, राजा हो या रंक, इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को समानता का अधिकार होगा। कानून के समक्ष हर व्यक्ति को, अगर वह जुर्म करेगा, अपराध करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत आगे की सोचकर संविधान की रचना की। हालांकि इसमें अमरीका के संविधान की बात करें, चाहे ब्रिटेन के संविधान की बात करें, चाहे जापान के संविधान की बात करें, उनमें से बहुत-सी अच्छी-अच्छी चीजें जो देश के हित में थीं, जो लीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रत्येक भारतीय को समानता का अधिकार दिया। सभापति महोदय, मैं बाबा साहब के चरणों में दो पंक्तियां कहना चाहूंगा:

"हमारे सिर का यह सम्मान तेरे संविधान से मिला है,
हमारे चेहरे की यह मुस्कान तेरे संविधान से मिली है,
औरों को जो मिला है उनके नसीब से मिला है,
लेकिन हमें जो मिला है, बाबा तेरे संविधान से मिला है,
बाबा तेरे संविधान से मिला है।"

माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान पैटर्न लागू करने की बात कही गई। मैं इनका स्वागत करता हूं। मैं मांग करता हूं कि इनको जल्दी से जल्दी लागू करें, ताकि आदिवासियों को लाभ मिल सके।

आदरणीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रदेश की महिलाओं की समस्याओं के समाधान हेतु सभी जिला मुख्यालयों पर इन्दिरा महिला शक्ति केन्द्र बनाने की बात कही है, उसके लिए उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

(श्री गोपाल लाल मीना)

जिस प्रकार से आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने 2008 से 2013 की जो सरकार थी, उसमें वृद्ध, विकलांग, विधवा तमाम जो असहाय लोग हैं उनको पेंशन देने का काम किया, विशेषकर जो बुजुर्गगण हैं, उन लोगों को पहली बार पेंशन देने का काम किया। फिर दोबारा सरकार आई तो आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने, जिनकी पांच सौ रुपये की पेंशन थी उन्हें साढ़े सात सौ किया, जिनके साढ़े सात सौ पेंशन थी उन्हें एक हजार रुपये किया। यह सोच आदरणीय मुख्य मंत्रीजी की है कि गरीब आदमी को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, उनका कैसे मान-सम्मान किया जाए। यह काम हमारे आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने किया। जो आज हमारे युवा साथी हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, जो भी इस देश में, जिनकी पढ़ाई करने में आर्थिक स्थितियां कमजोर थीं, उस जमाने से, हमारे देश की सरकार और संविधान में यह प्रावधान किया गया कि जो गरीब बच्चे हैं, एस.सी., एस.टी. के छात्र हैं, उन्हें छात्रवृत्तियां दी जाएं। आज छात्रवृत्तियों की बात देखें, सरकार कोई सी भी हो, लेकिन उन छात्रों को समय पर छात्रवृत्तियां नहीं मिल पाती हैं। इसके लिए मैं आदरणीय मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि अपने जो डिपार्टमेंट हैं वहां निश्चित करें कि छात्रवृत्तियां समय पर मिलें और छात्रों को जो समय होता है, उस समय अगर छात्रवृत्ति मिले तो आगे बढ़ने का उनका काम होगा।

जनजाति कल्याण के लिए प्रदेश में वर्ष 2016-17 से वर्ष 2020-21 तक जनजाति विकास विभाग में 2819.28 करोड़ रुपये आबंटित हुए। जनवरी, 2021 तक 2470.55 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं जबकि नोन टी.एस.पी. क्षेत्र में पांच वर्षों में बहुत कम बजट आबंटित हुआ है।

मैं माननीय मंत्री महोदय को यह कहना चाहूंगा कि हमारा टीएस.पी. और नोन टी.एस.पी. का जो भी बजट आता है, वह जनसंख्या के आधार से बजट आता है। मैं मंत्री महोदय से यही कहना चाहूंगा कि हमारी जो जनसंख्या है, उसके आधार से अगर बजट को वितरित किया जाए तो हमारे भी जो नोन टी.एस.पी. क्षेत्र हैं, उसमें विकास हो सके, वहां के लोगों को फायदा मिल सके क्योंकि यहां पर जो अब तक करीबन, पांच साल में केवल जयपुर जिले की बात करूं तो 42 करोड़ रुपये के लगभग खर्च हो पाये हैं, जबकि बजट 2819 करोड़ का है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए क्योंकि जनसंख्या के आधार से बजट आता है। हम पहले भी मांग कर चुके और अब भी कह रहे हैं कि इस प्रकार से इन क्षेत्रों में पैसे बिलकुल

(श्री गोपाल लाल मीना)

आबंटित नहीं होते हैं। मैं भी जब दो साल हो गये, दो साल से मेरे क्षेत्र के लिए, माडा क्षेत्र के लिए पैसे लिखे हैं, लेकिन अब तक वे स्वीकृत नहीं हो पाये हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे क्षेत्र की तरफ बिलकुल, जो जनसंख्या के आधार से भी कम नहीं है, उधर बिलकुल पैसे नहीं दे रहे हैं, तो इसमें माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि इस ओर ध्यान दें।

(16.00 बजे)

जनजाति क्षेत्र के छात्रों को स्कूटी वितरण की समुचित व्यवस्था की जाए क्योंकि 2019-20 में जयपुर जिले के 750 जनजाति छात्राओं को स्कूटी वितरण की जानी थी, उसमें से 356 को ही स्कूटी वितरण की गयी है, शेष को स्कूटी जल्दी वितरण करवाई जाए।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात को समाप्त करें।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): जब 2008 से 2013 की सरकार थी तो उस समय आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने यह स्कीम लागू की थी और माडा क्षेत्र, जनजाति को जोड़ने के लिए, इसमें 50 परसेंट जो जनजाति क्षेत्र है, उन गांवों को माडा क्षेत्र में जोड़ने के लिए जो प्रावधान है, मैं आदरणीय मंत्रीजी को यह कहना चाहूंगा कि इससे जो गांव अलग हो गये, नये रेवेन्यू विलेज बन गये और वहां पर सौ परसेंट आबादी होने के बावजूद भी उनको माडा क्षेत्र का लाभ नहीं मिल रहा है, तो जल्दी से जल्दी, हमने यह प्रस्ताव भिजवा दिये हैं और इन माडा क्षेत्र में जुड़ने वाले पचास परसेंट गांवों को जल्दी से जल्दी जोड़ा जाए।

मेरे जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र की ही नहीं कह रहा हूं, मैं सभी जगह की बात कह रहा हूं कि आदरणीय मनमोहन सिंहजी ने आदिवासी क्षेत्रों में, वन विभाग में पट्टे देने की घोषणा की थी लेकिन मेरे जमवारामगढ़ की ही बात कर रहा हूं, वहां पर आदिवासी क्षेत्र में आज तक एक भी व्यक्ति को पट्टा नहीं मिला है। मंत्री लेवल से या सरकार लेवल से इसको दिखवाएं ताकि लोगों को जो वन विभाग में रह रहे हैं, उनको एक पट्टा मिल जाता है तो उनको हर सम्भव, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिल जाएगा, और सुविधाएं भी मिल पायेंगी, वह लोन ले सकेंगे। इन तमाम चीजों का उनको फायदा मिल सकेगा क्योंकि अब तक उनको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। जो वाइल्ड लाइफ वाला क्षेत्र है उसमें तो स्थिति और भी खराब है, जिनकी खातेदारी जमीनें हैं, उनमें भी उनको के.सी.सी. का लोन नहीं मिल रहा है, न वह जमीन

(श्री गोपाल लाल मीना)

को किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, उनकी रजिस्ट्री भी नहीं हो रही है। यह तमाम चीजें आदिवासी क्षेत्र के लोगों को फायदा मिल सके। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री धर्मनारायण जोशी।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): मंत्री महोदय, मैं एक मिनट के लिए यह कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 2013 में अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय जमवारामगढ़, जयपुर में खोलने की घोषणा की थी। कुलपति भी लगवा दिया गया था किंतु भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही इसको समाप्त कर दिया। यह भारतीय जनता पार्टी की फितरत है कि वह अंबेडकरजी के नाम से कोई चीज खोलना ही नहीं चाहते।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): हमारे इस समाज के युवा वर्ग को डाक्टर भीमराव अम्बेडकर के आदर्श मूल्यों को, संविधान को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के, विधि शिक्षा के नेत्र, दरवाजे खोलने का काम किया है।

श्री सभापति: विराजिये-विराजिये। श्री धर्मनारायण जोशी। माननीय सदस्य, विराजिये। विराजिये, प्लीज, सहयोग करें।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): अत: विश्वविद्यालय इसी क्षेत्र में खोलें। मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगा कि इस अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय को जमवारामगढ़ में घोषणा हुई थी तो जमवारामगढ़ में ही खोला जाए।

श्री सभापति: विराजिये-विराजिये।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास एवं मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की चर्चा में आपने मुझे विचार रखने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत आभार।

इस सदन में हमारे पूर्व मुख्य मंत्री माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत की बात करूंगा, उन्होंने पहली बार 1990 में हमारे आदिवासी क्षेत्र में, क्योंकि विकास के लिए जहां उन्होंने अलग से मंत्रालय खोला इसलिए उनका आभार व्यक्त करता हूं और ऐसे ही माननीय वाजपेयीजी ने, जब केन्द्र में सरकार बनी और वाजपेयीजी ने जनजाति के लिए अलग से यह स्थिति खड़ी की, उन्होंने सुविधाएं दीं।

(श्री धर्मनारायण जोशी)

माननीय सभापति महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, मेवाड़ आदिवासी बहुल क्षेत्र है, विकास के नाम 70 सालों में ऐसा कहना चाहिए कि विकास अनेक हुए होंगे, सब सरकारों ने विकास की कोशिश की, मैं उसको इग्नोर नहीं करता हूं परंतु विकास कैसे हुए हैं? अभी माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि अम्बेडकर विश्वविद्यालय, हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अम्बेडकर विश्वविद्यालय में आज भी 79 विद्यार्थी हैं और हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय में आज भी 114 विद्यार्थी हैं और 11 लाख रुपये महीने का उसका खर्चा है।

मेरा यह निवेदन है कि हमारा आदिवासी भाई, माननीय सभापति महोदय, मेरी मंत्री महोदय से यह प्रार्थना है कि 100 साल से जो आदिवासी भाई रह रहा है, उसको पता ही नहीं है कि उसको पट्टा लेना पड़ता है। अब शहरी लोगों ने धीरे-धीरे उसके पास जाकर उसकी जमीनें ले लीं और उसको पता ही नहीं है, वह तो जंगल की रक्षा करने में लगा हुआ था। आज स्थिति यह है कि 100 साल से जो आदिवासी भाई वहां पर रह रहा है, उसको पट्टा नहीं मिल रहा है, पट्टा नहीं मिलने के कारण जो हमारे भारत सरकार की योजनाएं हैं, मकान के लिए 1 लाख 48 हजार रुपये और उनको शौचालय के लिए जो 12 हजार रुपये मिलने चाहिए, वह उसको नहीं मिल रहे हैं।

हमारे यहां पर विकास के जो काम हो रहे हैं, एक जनजाति परामर्शदात्री समिति बनी है। शायद, माननीय मंत्री महोदय, मुझे पता नहीं है कि मीटिंग हुई है या नहीं हुई परंतु फिजिकल मानिटरिंग इस विकास समिति ने कभी की नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, बेरोजगारों के लिए राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम के साथ एम.ओ.यू. हुआ। ढाई हजार छात्र, आठवीं, दसवीं और बारहवीं के लेकिन एम.ओ.यू. करने में यह विफल रहे, बेरोजगारों के लिए यह एम.ओ.यू. शीघ्र करें, यह मेरी मंत्री महोदय से प्रार्थना है।

मैं राज्यपाल महोदय का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने आदर्श गांव की अवधारणा पर आदर्श विलेज एक योजना दी, पंचायत समिति स्तर पर एक गांव विकसित होगा और वह गांव ऐसा होगा कि बरसाती पानी को रोकना, पुराने एनिकट को ठीक करना, नहरों की रिपेयर करना, उसके कारण से भू-जल बढ़ेगा। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा स्वीकृत योजनाओं के सारे कार्य अधूरे पड़े हैं। विकास के करोड़ों रुपये विभाग के पास बचे हुए पड़े हैं।

(श्री धर्मनारायण जोशी)

आश्रम छात्रावासों की हालत खराब है। वहां पर बिस्तर नहीं हैं, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। वहां आश्रम छात्रावासों में यह स्थिति है कि 45 छात्रावास हैं और 35 में वहां पर वैकेंसी है, 35 में वहां पर फिजिकल टीचर नहीं है, ऐसी स्थिति है। बिल्डिंग्स वहां पर जर्जर हो रही हैं। डिपार्टमेंट की स्थिति यह है कि एक अतिरिक्त आयुक्त का, विभाग के लगभग सभी जिलों में उपायुक्त के पद रिक्त पड़े हैं तो विकास कैसे होगा। कुल पद 271, खाली 123 हैं और हम जनजाति का विकास सम्भव कर रहे हैं। आश्रम छात्रावास, आपकी कुल 24 योजनाएं हैं जो 24 योजनाएं केवल कागजों में पड़ी हुई हैं।

दसवीं, बारहवीं छात्रों को स्कूटी देनी थी। वर्ष 2019-20 में पात्र 722 स्कूटी की छात्राएं जिनको देनी थी, आपने 591 को ही दी और 131 अभी भी बाकी हैं और सरकार ने यह कह दिया कि हमारे पास बजट नहीं है। रीट परीक्षा की तारीख तय हो चुकी है लेकिन जनजाति युवाओं के लिए रीट की कोचिंग प्रारम्भ नहीं की गयी है। विभाग का म्यूजियम पिछले काफी समय से बन्द है। शिल्प गांव में स्थित विभाग का म्यूजियम भी बन्द कर दिया है, जिससे आदिवासी कल्चर की लोगों को जानकारी नहीं हो सके।

माननीय सभापति महोदय, अधिकारी दौरे नहीं करते हैं। राज्य सरकार का यह आदेश है कि अधिकारी गांव में जाकर रात्रि विश्राम करें लेकिन ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जिसने जनजाति क्षेत्र में जाकर रात्रि विश्राम किया हो, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। किये गये कार्य, जो कार्य हुए हैं, मेरा माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह निवेदन है कि स्वतंत्र एजेंसी से उनका मूल्यांकन कराएं।

श्री सभापति: आप दो मिनट में समाप्त करें।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, आश्चर्य यह होता है कि विभाग द्वारा करोड़ों रुपये के सिविल कार्य हो रहे हैं जबकि विभाग के पास एक भी सिविल इंजीनियर नहीं है।

एक निवेदन और है जो पुरानी मांग है, माननीय मंत्री महोदय, मैंने आपको व्यक्तिगत रूप से भी यह निवेदन किया है कि हमारे उदयपुर डिविजन में कमिश्नर बैठते हैं, जनजाति कमिश्नर, वहां पर संभागीय कमिश्नर ने कब्जा कर रखा है उस कार्यालय पर। मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि संभागीय कमिश्नर को संभागीय कार्यालय अलग से बैठने के लिए करें और वह बिल्डिंग हमारे जनजाति कमिश्नर को दी जाए।

(श्री धर्मनारायण जोशी)

लॉकडाउन में जयपुर में बीड़ी का एक ट्रक पकड़ा क्योंकि राजस्थान में नशे पर पाबंदी है। अब ट्रक वहां से, एक करोड़ रुपये का ट्रक बीड़ी का तेलंगाना से आया क्योंकि वहां पर बीड़ी की छूट है। आदिवासी भाइयों की स्थिति यह है कि पुलिस का कोई भी अधिकारी आदिवासी क्षेत्र में लगना चाहता है, क्यों? क्योंकि एक तो मौताणा, उनके आपस में समझौते होते हैं और समझौते होने के कारण पैसा मिलता है। जो भोला-भाला आदिवासी है, छोटे-मोटे केस, महुआ की छोटी-मोटी शराब निकालता है वह घर के लिए, उसको पकड़कर यह केस बनाते हैं।

मेरी एक प्रार्थना और है। हमारा गुजरात के साथ सीमा विवाद चल रहा है और सीमा विवाद, 1955 में सैटलमेंट के समय राजस्थान सरकार ने झांझर गांव के ग्रामीणों को जमीन दी। इसी जमीन को 1958-59 में गुजरात के वहां के किसानों को दे दी। आज कोटड़ा के क्यारिया फला, आंजणी, बुझा, कानाकाबर, महाड़ी, मेडवाड, राजपुर, ढूंढिया, भूरीढेबर आदि गांवों में सीमा विवाद है। मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि यह सीमा विवाद भी बैठाकर सुलझाएं और इसकी सुविधा हो जाएगी।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): कुछ और निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति: श्री गणेश घोघरा।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): मेरा दो मिनट का निवेदन है, माननीय सभापति महोदय, हर बार मेरे साथ ऐसे ही होता है।

श्री सभापति: विराजें। प्लीज सहयोग करें।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, मेरा सिर्फ दो मिनट का निवेदन है।

श्री सभापति: विराजिये आप। प्लीज सहयोग करें। श्री गणेश घोघरा।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या-30 एवं मांग संख्या-33 जनजाति क्षेत्रीय विकास और सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्री गणेश घोघरा)

माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि हमारे टी.एस.पी. एरिये में काफी लंबे समय से एक मांग थी, डूंगरपुर जिले में कृषि महाविद्यालय और आर्चरी एकेडमी, पुल और सड़कें दीं, इनके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी को बहुत्तबहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। कुसुम योजना के अन्तर्गत भी जनजाति विभाग से नि:शुल्क इनको कनेक्शन मिलेंगे, जो भी पहले अनुदान देना पड़ता था वह अब जनजाति को नहीं देना पड़ेगा, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं जनजाति बहुल क्षेत्र से आता हूं। वीर कालीबाई की भूमि से आता हूं, सेंगा भाई की भूमि से आता हूं, संत सूरमाल दासजी, मावजी महाराज और गोविन्द गुरु की धरती से आता हूं। आदिवासी समाज में राणा पूंजा भील जैसे कई महापुरुष पैदा हुए हैं। प्राचीन काल में महाभारत में एकलव्य जो श्रेष्ठ धनुर्धर था, आज उसी की तर्ज पर हम भील वंश से आते हैं। टी.एस.पी. क्षेत्र से मैं आता हूं। प्राचीनकाल में आदिवासियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। उस समय एकलव्य का अंगूठा काट दिया गया, क्योंकि वह अर्जुन से आगे निकल जाएगा। गुरु द्रोणाचार्य की सोच थी कि अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना है।

माननीय सभापति महोदय, आज मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आज भी हर विभाग में गुरु द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं और वह ऐसे एकलव्य को आगे नहीं आने देना चाहते हैं। एस.टी., एस.सी. के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आज भी हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। मैं हमारे क्षेत्र की बात कर रहा हूं। कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसी पंचायतें हैं, आज भी वहां पर चारपाई पर बैठने का अधिकार नहीं है। वहां नाममात्र के प्रधान हैं, कोई नाममात्र के सरपंच हैं। वहां उप-सरपंच चलाता है, उप-प्रधान चलाता है, ऐसी स्थिति आज भी है। यह ऐसा सिस्टम क्यों चल रहा है, प्रशासन कार्यवाही क्यों नहीं कर रहा है? यहां हमारे मंत्रीजी भी बैठे हुए हैं, आप भी इस बात से अवगत हैं, तो आदिवासी का अर्थ है आदिकाल से यहां निवास करने वाला आदिवासी। लेकिन आदिवासियों को आज अधिकार नहीं दिये जा रहे हैं। आदिवासियों के जो पूरे अधिकार मांगता है, उस पर कई झूठे मुकदमे लगा दिये जाते हैं।

हमारे डूंगरपुर की स्थापना राजा डूंगर बरंडा, भीलों का सरदार था, वह राजा था, उसके नाम से डूंगरपुर का इतिहास है लेकिन आदिवासी अनपढ़ होने

(श्री गणेश घोघरा)

के नाते, अनभिज्ञ होने के नाते, उसका इतिहास दबा दिया गया और आदिवासियों को आगे नहीं आने दिया गया। आज भी ऐसा ही हो रहा है। हमारे आदिवासी क्षेत्रों का जो भी बजट है वह आदिवासियों पर पूरा खर्च नहीं हो रहा है। वह आदिवासियों का बजट कहीं और खर्च हो रहा है, यह मैं आपसे कहना चाह रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे टी.एस.पी. क्षेत्र में विशेषकर दो ही मांगें हैं। इसके अलावा कोई मांग नहीं है। सड़क बनती रहेगी, पुल बनते रहेंगे, सब बनते रहेंगे, लेकिन हमारे युवाओं की मांग है, पूरे टी.एस.पी. क्षेत्र की मांग है कि राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं में राज्य स्तर पर एस.टी. वर्ग हेतु 12 प्रतिशत आरक्षण में से अनुसूचित क्षेत्र टी.एस.पी. के एस.टी. वर्ग के लिए भौगोलिक क्षेत्र एवं जनसंख्या के आधार पर साढ़े पांच प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाए। यह काफी लम्बे समय से मांग है। टी.एस.पी. क्षेत्र में सभी भर्तियों में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, यह दो बड़ी मांग हैं। आगे भी भर्तियों में एस.सी. या एस.टी. का लड़का अगर जनरल में ही टाप करता है, लेकिन उसकी मैरिट उसके कोटे में बनायी जाती है, खाली नाममात्र का हमको आरक्षण दे रखा है। 50 प्रतिशत हमारे टी.एस.पी. एरिये में ओपन कर रखा है, 5 एस.सी. के लिए और 45 एस.टी. के लिए, लेकिन कई भर्तियों में पहले भी ऐसा हुआ है कि एसटी. का व्यक्ति जनरल में ही टाप कर रहा है, फिर भी उसको एस.टी. कैटेगरी में डाल रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि एस.टी. को आरक्षण मिल रहा है। माननीय सभापति महोदय, ऐसा अन्याय होता आ रहा है।

माननीय सभापति महोदय, हमारी एक मांग लंबे समय से है। हमारी संस्कृति अलग है, हमारी परम्पराएं अलग हैं, हमारा खान-पान अलग है, हमारे रीति-रिवाज अलग हैं, तो मैं सदन के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि हमारा आदिवासी धर्म कोड अलग से दर्शाया जाए। यह मोदीजी और मोहन भागवत जी हमको आदिवासी नहीं, हम हिन्दू हैं, यह कहते हैं। हमारी हिन्दू से कोई संस्कृति मिलती जुलती नहीं है। हमारी प्रथा अलग है, शादी-ब्याह में अलग प्रथा है। हम प्रकृति पूजक हैं, हम नदी को पूजते हैं, पहाड़ को पूजते हैं और हम बैल को, गाय को पूजते हैं। हमारी संस्कृति एकदम अलग है और यह आर.एस.एस. वाले लोग हमको कहते हैं कि आदिवासी हिन्दू हैं। हम हिन्दू मानने के लिए तैयार नहीं हैं। आज भी हमारा हिन्दू के नाम से शोषण हो रहा

(श्री गणेश घोघरा)

है। हमको खाली ....(व्यवधान) आप बैठो। मोहनजी भागवत जो भाषण कर रहे हैं कि आदिवासी हिन्दू हैं, हमारे पर हिन्दू धर्म मत थोपो। हम आदिवासी हैं, हमारा कल्चर अलग है, हमारी भाषा अलग है, हमारी शैली अलग है, हम अपने को हिन्दू नहीं मानते। हम अपने आप में अलग हैं। आदिवासी हमारा धर्म कोड अलग होना चाहिए, यह हमारी मांग है। यह हमारे टी.एस.पी. की, पूरे देश की मांग है। यह मैं अकेला नहीं कह रहा हूं।

इसी के साथ ही, +++ तो वैसे ही आदिवासियों को खतम करना चाहते हैं और आरक्षण भी खतम करना चाहते हैं। यह सामने जो लोग बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी गरीबों का भला नहीं कर सकती, आदिवासियों को आरक्षण नहीं दे सकती। आज हमें जो भी मिला है, वह कांग्रेस की वजह से मिला है। आज +++ ने कई आदिवासियों को बेघर कर दिया, कई उद्योगपतियों और पूंजीपतियों को आदिवासियों की जमीन बेच दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे भी आदरणीय हैं, लेकिन वहां पर आदिवासियों की जमीन पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनायी। आदिवासियों को विस्थापित कर दिया और आदिवासियों को छोटा-मोटा मुआवजा दिया। ये +++ के हाल हैं। आदिवासी को खतम करना चाहते हैं, देश में आदिवासियों को नष्ट करना चाहते हैं, आदिवासियों के अधिकार छीनना चाहते हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी और +++ मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, इस तरह से आदिवासियों का शोषण हो रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हिन्दू होने के लिए अफसोस है,...(व्यवधान) इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। (व्यवधान) जिन्होंने देश के लिए जान दे दी थी। उस व्यक्ति के लिए इतनी बड़ी ...(व्यवधान)

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं आग्रह करना चाहूंगा ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं करें। व्यवधान) विराजिये। विराजिये। आप भी विराजिये। प्लीज, माननीय सदस्य, विराजिये। माननीय सदस्य, मेरी बात सुनिये। आप सब्जेक्ट पर बोलिए।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): सब्जेक्ट पर ही बोल रहा हूं।

श्री सभापति: अकारण उत्तेजना पैदा मत करिये। कोई इश्यू नहीं है। उत्तेजना पैदा करने का कोई ऐसा इश्यू नहीं है। आज का जो विषय है, उस

(श्री सभापति)

विषय पर सीधे-सीधे अपनी बात करें। उनके कल्याण के लिए हम क्या बात कर सकते हैं, वह बात आप सीधे-सीधे करिये न। उत्तेजना क्यों पैदा कर रहे हैं आप? (व्यवधान) उत्तेजना पैदा करना अच्छा लग रहा है तो आप सब एक साथ उत्तेजना कर लीजिए।

एक माननीय सदस्य: अच्छा बोल रहे हैं।

श्री सभापति: आप निर्णय करेंगे कि अच्छा बोल रहे हैं या खराब बोल रहे हैं?

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): मुझे मेरा आदिवासी धर्म कोड मांगने का अधिकार नहीं है? एकलव्य का भी अंगूठा काट दिया प्राचीनकाल में।

श्री सभापति: यहां धर्म की चर्चा नहीं हो रही है। यहां पर जनजाति कल्याण और समाज कल्याण के बारे में बात हो रही है। यहां पर कोई धर्म की चर्चा नहीं हो रही है। आप अपनी बात रखिये, उत्तेजना क्यों पैदा कर रहे हैं?

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): उत्तेजना पैदा मैं नहीं कर रहा हूं, यह विपक्ष वाले उत्तेजना पैदा कर रहे हैं। मैं काहे की उत्तेजना पैदा कर रहा हूं, मैं तो अपनी बात बता रहा हूं, मुझे बोलने का मौका दिया है, मैं बोलूंगा नहीं तो क्या करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आधा समय तो यूं ही ले लिया, फिर आप कहोगे कि जल्दी बैठो। हमको आदिवासी होने के नाते, टी.एस.पी. एरिया से आने के नाते हमें 10 मिनट और बढ़ाये जाएं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय सदस्य बाबु लाल जी खराड़ी, जो झाड़ोल से आते हैं, उन्होंने जो मांग रखी, वह मांग मैं भी रखना चाहता हूं। 01.11.1996 को मेवाड़, मावली, वल्लभनगर, भीण्डर, कानोड, कुरावड, गिर्वा क्षेत्र में जो आदिवासी राजस्व रिकार्ड में पहले आदिवासी मीणा भील थे, लेकिन उसके बाद उनको मीणा रावत कर दिया गया, उनको ओबीसी बना दिया गया, एस.टी. से ओबीसी में डालकर राजपूत बना दिया गया। उस क्षेत्र की मांग है, उस क्षेत्र की समस्या है कि उनके पास जमीन नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, कपड़े नहीं हैं लेकिन डरा-धमकाकर राजनीतिक स्वार्थ के कारण उन आदिवासियों को राजपूत बना दिया गया ओ.बी.सी. में। मैं आपसे मांग करता हूं कि उनको वापस एसटी. में दर्ज किया जाए। यह इनके पास रिकार्ड भी है। यह चन्द्र प्रकाश पुत्र मावा जाति मीणा, यह 1995 के पहले और 1995 के बाद उसको रावत बना दिया गया। यह मेरे पास प्रूफ है

(श्री गणेश घोघरा)

तो प्रशासन क्या कर रहा है? जनजाति विभाग क्या कर रहा है? हमारा टी.ए.डी. विभाग क्या कर रहा है? आज आदिवासियों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। यह कैसा षड्यंत्र है, यह कैसी राजनीति है आदिवासियों की जमीन हड़पने की? आप आदिवासियों की जाति और धर्म बदल रहे हो। यह कौन सी राजनीति है? मेरे पास यह प्रूफ है। 1995 के बाद टी.एस.पी. क्षेत्र में जिसका भी मूल निवास बनाया हो उसका मूल निवास खतम किया जाए, यह मैं सदन से मांग करना चाहता हूं।

अभी टी.एस.पी. एरिया में बाहर से भी आकर किसी ने गैस एजेंसी खोल दी, किसी को पैट्रोल पम्प मिल गया, पैट्रोल पम्प खोल दिया, बड़ी-बड़ी होटलें खोल दीं। यह टी.एस.पी. के नाम से बाहर से आकर हमारे आदिवासियों की जमीन छीन ली और मैं यह कहना चाहता हूं कि जिसके भी यह पैट्रोल पम्प है, गैस एजेंसी हैं उनको कैंसिल किया जाए। माइनिंग में आदिवासियों के पत्थर ग्रीन मार्बल निकलता है, वो भी बाहर वालों को ही पट्टा मिल रहा है, आदिवासियों को क्यों नहीं मिल रहा है? बस खाली आदिवासियों को किताबों में इनको आरक्षण मिल रहा है, लेकिन धरातल स्तर पर आदिवासियों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है।

माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि टी.एस.पी. क्षेत्र में अंग्रेजी शराब की दुकानें बन्द कर दी जाएं। वहां जो नीलामी बोल रहे हैं, फिर आदिवासियों को बदनाम करो, हमारे टी.एस.पी. क्षेत्र में अंग्रेजी शराब की दुकान बन्द होनी चाहिए। अगर नीलामी बोलेगा तो आदिवासी ही बोलेगा, आदिवासियों के अलावा वहां नीलामी कोई नहीं बोलेगा।

नगर परिषद् डूंगरपुर में मैं पहले भी मांग उठाते आया हूं, भले एम.एल.ए. नहीं बना था, इसके पहले भी मैंने मांग उठाई थी, पेरिफेरी के नाम पर, वहां वर्षों से आदिवासी बैठा हुआ है, सौ-डेढ़ सौ साल से बैठा हुआ है लेकिन आज तक उसको उसके मकान का, जमीन का पट्टा अधिकार कुछ नहीं मिला है। जो मास्टर प्लान उन्होंने बना दिया है, वहां मौके पर तो लोग पहले से बैठे हुए हैं लेकिन वहां नगर परिषद् के बाबू ए.सी. में बैठे-बैठे, पदाधिकारी बैठे-बैठे, हां यह जमीन खाली है, लेकिन वहां मौके पर नहीं गये। वास्तविकता में वहां सर्वे कराते उसके बाद में मास्टर प्लान बनाते तो जो यह मास्टर प्लान बनाया है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह मास्टर प्लान कैंसिल करें और मालपुर भाटपुर, मातुगमड़ा, गोकुलपुरा, भंडारिया, बोरी जो आदिवासी लोग

(श्री गणेश घोघरा)

बैठे हुए हैं उनको अलग से शिविर लगाकर सर्वे करवाकर उनको खातेदारी हक दिलवाया जाए। यह मैं सदन से मांग रखता हूं।

सभापति महोदय जी, इसी के साथ हमारे डूंगरपुर में एक ही महाविद्यालय है, लगभग सात हजार के करीब छात्र-छात्राएं हैं, लेकिन वहां रहने की सुविधा नहीं है, हॉस्टल नहीं है तो, जनजाति मंत्री महोदय जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बच्चे गरीब हैं बड़े दूर-दराज से आते हैं, किराये पर कमरा लेकर नहीं रह सकते हैं, तो मातुगमड़ा रोड पर पहले जो वहां पर हॉस्टल था, कालेज चल रही थी, वो जर्जर अवस्था में है, बिलकुल गिर चुका है और वहां पर लोगों ने गेट में अतिक्रमण भी कर रखा है, तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वहां हॉस्टल बनाया जाए बच्चों के लिए और उदयपुर में प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो वहां कोचिंग सेंटर है, उसकी अलग से शाखा डूंगरपुर में बच्चों के लिए भी कोचिंग सेंटर वहां उस हॉस्टल में चलाया जाए, हॉस्टल भी चलेगा और कोचिंग सेंटर भी खोला जाए। उससे हमारे बच्चों को फायदा होगा, मंत्री महोदय, यह मैं आपसे मांग करना चाहता हूं।

इसी के साथ अभी जो बच्चियों को स्कूटी मिलने वाली थी, पहले तो 65 प्रतिशत था अब 66 प्रतिशत कर दिया है, तो वहां क्षेत्र के बच्चों में काफी नाराजगी है कि 65 प्रतिशत ही रखें जिस पर स्कूटी दी जाए। वह 66 प्रतिशत कर दी है, पता नहीं किस वजह से की है। मंत्री महोदय जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 65 प्रतिशत जिन बच्चियों के हों उनको स्कूटी दी जाए।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): सर, मेरा 20 मिनट का समय है, अभी 20 मिनट भी नहीं हुए हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें, आपका समय कम कर दिया। प्लीज सहयोग करें, विराजिये आप।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय जी, खाद्य सुरक्षा में कई लोगों के नाम नहीं जुड़े हैं। एक पिता के चार बच्चे हैं, उसमें से...

श्री सभापति: श्री गोपीचंद मीणा।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): सर, मुझे पांच मिनट बोलने दीजिए।

श्री सभापति: आपका समय आपके डिप्टी चीफ व्हिप साहब ने कम कर दिया, सभी का कम कर दिया। आपका ही नहीं किया सबका ही कर दिया। प्लीज अब आप विराजिये।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): खाद्य सुरक्षा में जिनके नाम नहीं जुड़े हैं उनके खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़े जाएं और जो बिखरी आबादी में है, राजसमंद, जैसलमेर, बाड़मेर ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य से कहें, सहयोग करें।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): जो बिखरी आबादी में भील हैं, उनको आज तक कोई आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा है, उनको भी फायदा मिलना चाहिए। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 30 और 33 पर बोलने का मुझे मौका दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, इन्होंने यह कहा था कि हिन्दू होने में इनको अफसोस है तो पूरी कांग्रेस सारे लोग सहमत हो न आप इस बात से?

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इस बात से सहमत हो न?

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज सहयोग करिये, विराजिये आप। (व्यवधान) किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये, विराजिये। अंकित नहीं होगा। विराजिये।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपने स्थान पर जाइये। माननीय सदस्य, जगदीश जी, आप अपने स्थान पर पधारिये।

श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या और 30 और 33 पर बोलने का दिया जिसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।

इस अवसर पर इस सदन में मुझे मांग संख्या 30 और 33 पर

(श्री गोपीचंद मीणा)

बोलना था लेकिन सबसे पहले मैं एक दूसरी बात बोलूंगा। हमारे माननीय सदस्य ने इस सदन के अन्दर हिंदुओं की जो बात की है उस पर बोलना चाहता हूं। हम हिन्दुस्तान में रह करके हम हिन्दू नहीं बोल सकते, यह बहुत बड़ी समस्या है। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा यदि आप धर्मांतरण करना चाहते हैं, कर सकते हैं लेकिन पूरे सदन के अन्दर इस बात को गुमराह नहीं कर सकते, यह मैं सदन से कहना चाहता हूं। जबकि हिन्दुस्तान के अन्दर हम रह रहे हैं और हम सबको ऊपर से बोलते हैं कि धर्मांतरण कर रहे हैं ... (व्यवधान) हम धर्मांतरण करते हैं या आप करते हो, यह आपको देखना चाहिए।

श्री सभापति: माननीय नेता प्रतिपक्ष। माननीय सदस्य, एक बार विराजिये, विराजिये आप। (व्यवधान) आप एक मिनट विराजिये। विराजिये, विराजिये। किसी का अंकित नहीं हो रहा है।

सदन में इसी विषय पर चर्चा करनी है तो फिर अपन काहे को करें, इनको फ्री कर दें, यह भी बोलते रहेंगे, यह भी बोलते रहेंगे वरना इसको करना पड़ेगा। अननेसेसरी उत्तेजना पैदा करने का कोई अर्थ नहीं है। यह बोलेंगे वो बोलेंगे। समय निर्धारित है, नेता प्रतिपक्ष को भी बोलना है, इधर से जो बोलना है, तो यह मैं अलाउ नहीं करूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: मैं कतई अलाउ नहीं करूंगा। मैं अलाउ नहीं करूंगा। एक बार उन्होंने बोल दिया, एक बार इन्होंने बोल दिया, अब मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): 000

श्री सभापति: प्लीज, विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये। आप भी विराजिये, विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये, आपस में वार्ता नहीं करें।

महत्वपूर्ण विषय है, जनजाति और समाज कल्याण पर आप लोगों को चर्चा करनी है। उनके उन्नयन के लिए, उनके उद्भव के लिए हम कितनी अच्छी सार्थक चर्चा कर सकते हैं, यह मैसेज सदन से जाएगा। किसने किसका धर्म परिवर्तन कर दिया, किसने किसी का धर्म परिवर्तन कर दिया, अब मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को आपका संदेश पहुंचा दूंगा। एक बार इस पर भी डिबेट करा लेंगे वे। अकारण इस तरह की वार्ता करने का कोई अर्थ नहीं है। मैं

(श्री सभापति)

सभी माननीय सदस्यों से अपेक्षा भी करता हूं और विनम्र आग्रह भी करता हूं कि सीधे-सीधे आज की जो चर्चा है उस पर कन्फाइन करें ताकि आज का विषय भी पूरा हो, समय पर पूरा हो और अकारण उत्तेजना भी पैदा नहीं हो। सभी से अपेक्षा करता हूं इस तरह की कोई वार्ता नहीं होगी जो सदन में अकारण उत्तेजना पैदा करे। मैं इधर से भी माननीय सदस्य हैं उनसे भी अपेक्षा करता हूं, इधर भी माननीय सदस्य हैं उनसे भी अपेक्षा करता हूं और, माननीय नेता प्रतिपक्ष, कृपया आप भी अपने साथियों को निर्देश दें कि वे विषय पर कन्फाइन करें और आप भी अपने साथी से कहें कि वे विषय पर वार्ता करें। प्लीज सहयोग करें। श्री गोपीचंद मीणा।

श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): माननीय सभापति महोदय, इस अवसर पर एक बात कह करके मैं दूसरी बात मांग संख्या 30 और 33 पर बोलूंगा। हम आदिवासी आदिवासी करके हमको इस प्रकार से धर्म के बारे में नहीं कह सकते। धर्म परिवर्तन करना है वो करे...

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): 000

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): 000

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। अंकित नहीं होगा। कोई अंकित नहीं होगा। प्लीज सहयोग करें, विराजिये।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): 000

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): 000

श्री सभापति: प्लीज, सहयोग करें ...(व्यवधान) विराजिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 000

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज सहयोग करें ...(व्यवधान) विराजें आप। विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): 000

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): 000

श्री सभापति: विराजें, प्लीज सहयोग करें ...(व्यवधान) विराजिये, आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य, विराजें। आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। आसन पैरों पर है, आप विराजिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री सभापति: आप विराजिये। बहुत वरिष्ठ हैं आप ...(व्यवधान) प्लीज विराजिये ...(व्यवधान) किसी का अंकित नहीं होगा। विराजें आप ...(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें। राजस्थान ही नहीं पूरा हिन्दुस्तान आपको देख रहा है, जिसमें कितने वरिष्ठ माननीय सदस्य और कितने ही जो नये-नये लोग आए हैं। नयों से मेरी यह अपेक्षा है कि बहुत भाग्य से आपको मौका मिला है। सदन में गरिमापूर्ण आपकी उपस्थिति होगी तो कुछ सीखकर के जाएंगे। जो वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्होंने भी हमारे जो दिग्गज, लीजेंड लोग थे, उनसे कुछ सीखा होगा। सदन की गरिमा किसको किस तरीके से रखनी है, आप सभी ने सीखा भी होगा। हम क्या साबित करना चाह रहे हैं? यह कोई खुला मैदान, खुला मंच नहीं है जहां हम धर्म की चर्चा कर रहे हैं।

सदन में विषय निर्धारित है। आपके नेता प्रतिपक्ष और इधर चीफ व्हिप और अध्यक्ष महोदय, सब ने मिलकर के आज का विषय निर्धारित किया है, उस विषय पर हम सार्थक चर्चा करेंगे। जिनके बारे में चर्चा करने के लिए हम आज उपस्थित हैं। उनका यदि आपके बोलने से, सार्थक चर्चा होने से अच्छी बातें आ जाएंगी, सरकार उनके बारे में कुछ अच्छे निर्णय ले लेगी, आपके कुछ अच्छे सुझाव मान लेगी तो इससे फायदा किसको होना है? जिस तरह की चर्चा हम करना चाह रहे हैं उससे किसको फायदा हो रहा है? आप सभी वरिष्ठ भी हैं, नये माननीय सदस्य भी हैं।

मेरा पुन: आप सबसे विनम्र आग्रह है। अभी जो बाकी के लोग हैं, अभी कम से कम 26 लोगों को बोलना है। समय निर्धारित किया गया था कि 7-7 मिनट आप सब बोलेंगे। माननीय नेता प्रतिपक्ष अपने विचार रखेंगे, 25-30 मिनट यह भी बोलेंगे। यदि आज की चर्चा पूरी विषय पर नहीं हुई और जो माननीय सदस्य यहां पर बोलना चाहते हैं वह नहीं बोल पाएंगे तो उनको अच्छा लगेगा क्या यह?

माननीय अध्यक्ष महोदय और इन्होंने समय की सीमा तय कर रखी है। पुन: आपसे आग्रह है कि गरिमापूर्ण उपस्थिति रखें। नये सदस्य कुछ

(श्री सभापति)

सीखकर के जाएं। पुराने जो माननीय सदस्य हैं उनका यह दायित्व बनता है कि जो नये सदस्य हैं, उनको सिखाएं। यह कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। जो कुछ सीखना है वह आपको इसी सदन से सीखना है।

मैं भी पिछले 30 सालों से इस सदन में हूं। इस सदन ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मान-सम्मान भी दिया है और मुझे एक अनुशासन भी दिया है। उन्हीं माननीय सदस्यों का मेरे जेहन में आता है जिन्होंने मुझे अनुशासित किया तो मेरा सर श्रद्धा से उनके चरणों में झुक जाता है। क्या लोग थे, क्या लीजेंड लोग थे जिन्होंने मुझे अनुशासित किया। मैं उनके प्रति आज भी समर्पित हूं। माननीय कल्ला साहब आज भी यहां पर बैठे हुए हैं जिन्होंने मुझे सिखाया। मैं आदर के साथ इनका सम्मान करता हूं। माननीय कटारिया जी आज भी यहां उपस्थित हैं, लेकिन कभी इस तरह की चर्चा नहीं हुई।

मेरा पुन: आप सभी से आग्रह है कि कृपया सदन की गरिमा बनाए रखें। आसन का निर्देश मानें। समय सीमा सभी की 7 मिनट तय की गई है, तो आप मुझे सहयोग करके 7 मिनट में ही विराजें, ताकि दूसरे माननीय सदस्य अपनी बात रख सकें। प्लीज सहयोग करें। श्री मीणा जी।

श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जनजाति मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह तीसरा बजट इस सदन में पेश हुआ है, लेकिन एक बहुत बड़ी विडम्बना है कि हमारे क्षेत्र में 26 माह के अंतराल में जनजाति का पैसा हरेक विधायक को नहीं मिला है, न ही विकास के कोई काम हुए हैं। हमें मात्र 15-15 हैंडपम्पों की स्वीकृतियां मिली हैं।

माननीय सभापति महोदय, जितना भारत सरकार का बजट आता है, या तो इनके द्वारा खर्च नहीं हो रहा है अथवा यह कहां पर खर्च कर रहे हैं, यह तो यही बता सकते हैं। मैं इस अवसर पर यह भी कहूंगा कि पिछले समय में जब बजट सत्र चल रहा था, उस टाइम में मैंने दोनों बार बेणेश्वर धाम संत मावजी महाराज की धरती के लिए बात रखी थी। उसमें मैं कहना चाहूंगा कि पिछले कार्यकाल में वसुन्धरा जी ने वहां के लिए 22 करोड़ की स्वीकृति निकाली थी। उसमें थोड़ा-बहुत काम हुआ, काम पूरा नहीं हुआ, जिसके बारे में मंत्री जी ने समीक्षा भी की थी लेकिन आज तक वह कार्य पूरे नहीं हुए।

बेणेश्वर धाम आदिवासियों का कुंभ मेला माना जाता है। वहां पर आपकी निगाह होनी चाहिए। मैं इस सदन में हमारे पूर्व मंत्री मालविया जी से

(श्री गोपीचंद मीणा)

भी कहना चाहूंगा कि आपके द्वारा वहां पर संत मावजी महाराज के चौपड़ों का हिन्दी में अनुवाद करने की बात रखी थी, उसमें भी आज तक कुछ नहीं हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि अब की बार आप इस काम को हाथ में लेकर इसको कराएं।

बेणेश्वर का टापू 218 बीघा की भूमि में है। वह टापू कटाव के कारण कट रहा है। वह त्रिवेणी संगम है। जैसे हम सभी गंगा जी में जाते हैं, हरिद्वार को मानते हैं, वैसे राजस्थान में बेणेश्वर धाम हरिद्वार के रूप में पूजा जाता है। वहां पर देश, विदेशों से लोग अस्थियां विसर्जित करते हैं। मैं चाहूंगा कि उस टापू का कटाव रोकने के लिए उस टापू के चारों तरफ रिंग वाल और उसके घाट बनाकर के उस कटाव को रोकने का काम करें। यह मैं आपसे उम्मीद करता हूं।

सभापति महोदय, दूसरी बात वहां पर पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी के टाइम में 255 करोड़ का मास्टर प्लान बनाकर के देवस्थान विभाग को दिया था, उसको आप देवस्थान से मांगकर के उस काम को कराएं। यदि वह पैसा नहीं मिलता है तो इस काम को आप भारत सरकार को भेजें। नरेन्द्र भाई मोदी वहां पर 2 बार पधारे हैं। मैं इस अवसर पर यह भी कहूंगा कि वह हमें 255 करोड़ रुपया देंगे और बेणेश्वर धाम का विकास होगा। इस काम को भी आप हाथ में लें।

तीसरी बात मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जनजाति क्षेत्र में आप इसको एजेंडे में लें कि हमारे क्षेत्र में कई ऐसी नदियां और नाले बहते हैं, वहां पर लिफ्ट लगाकर के उस क्षेत्र के काश्तकार को सशक्त किया जा सकता है। वहां पर जल स्रोत है, लेकिन किस प्रकार से पानी पहुंचाया जाए, जिसके लिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि वहां पर लिफ्ट लगे।

दूसरी बात, वहां पर कई पुलियाओं का निर्माण होना चाहिए, वह भी नहीं हुआ। सामुदायिक भवन बनना चाहिए था, वह भी नहीं हुआ। सड़कें भी नहीं बनीं। उम्मीद करते हैं कि इस बजट सत्र में आप इन सब कामों को लेकर के आने वाले इन 2 सालों में हमारी जो उम्मीदें हैं, उन पर खरा उतरेंगे, ऐसा भरोसा करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे जितने आवासीय छात्रावास चल रहे हैं, हॉस्टल्स चल रहे हैं, खेलकूद हॉस्टल्स चल रहे हैं, जिसमें एक बच्चे के लिए 2500 या 2600 रुपया महीने का भारत सरकार

(श्री गोपीचंद मीणा)

वहन कर रही है, उस पैसे का सही सदुपयोग नहीं हो रहा है। उसकी देखरेख नहीं हो रही है, उसकी मानिटरिंग नहीं हो रही है। बच्चों को किसी भी प्रकार से जितनी खान-पान की सुविधा मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल रही है। आपने यदि इन 2 सालों में परामर्शदात्री समिति की बैठक रखकर के सभी एमएलएज से इस बात का जिक्र किया होता तो हर जगह पर इसकी मानिटरिंग होती और बच्चों को सारी सुविधा मिलती। इन 2 सालों में आपने किसी भी प्रकार की परामर्शदात्री समिति की बैठक नहीं रखी।

मैंने ऐसा सुना है कि 09 फरवरी, 2021 को आपने विधान सभा के पहले परामर्शदात्री समिति की बैठक रखी थी, जिसमें उदयपुर संभाग के किसी भी भारतीय जनता पार्टी के एमएलए को आपने आमंत्रित नहीं किया। इस तरह से हमारे साथ क्यों भेदभाव किया जा रहा है? क्या हम जन प्रतिनिधि नहीं हैं? इसके बारे में मुझे बड़ा खेद है। हमारे साथ कहीं न कहीं भेदभाव किया जा रहा है जिसके बारे में आप थोड़ा सोच-विचार करें। हम भी इस जनजाति क्षेत्र में रहते हैं।

श्री सभापति: 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): हमारे नाम से जो बजट आता है, वह आप अन्य जगह खर्च करते हैं। ऐसा हमारे साथ में अन्याय नहीं करें।

मैं इस अवसर पर यह भी कहूंगा कि अभी आपने इस बजट सत्र में 250 मां-बाड़ी केन्द्र खोलने का जिक्र किया है, जिसके लिए तो मैं, मुख्य मंत्री जी, आपको धन्यवाद दूंगा। पिछले कार्यकाल में, वसुन्धरा जी के टाइम पर एक साथ 1000 मां-बाड़ी केन्द्र खोले थे। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप भी 250 से बढ़ाकर के ज्यादा मां-बाड़ी केन्द्र खोलने का काम करें। आज जितने भी मां-बाड़ी केन्द्र चल रहे हैं, जिनको आप डे-केयर में परिवर्तित करके और वहां पर शिक्षा सहयोगी लगाकर के, वहां उस क्षेत्र में कई बालक, बालिकाएं ऐसे हैं जो पढ़-लिखकर के बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनको शिक्षा कर्मी लगाने का अवसर देंगे, यह मैं आपसे आशा करता हूं।

दूसरी बात मैं और कहूंगा कि स्वच्छ परियोजना में कार्यालय में जो कर्मचारी पांच साल से काम कर रहे हैं, जिन लोगों ने आज तक कर्मचारी के रूप में काम किया है, इनके लिए आप कुछ भी करें लेकिन इनको नियमित करें। ये कहां जाएंगे? इनका पेमेंट प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से होता है, वह समय पर नहीं देते हैं, तो क्यों नहीं हम स्वच्छकार परियोजना के माध्यम से

(श्री गोपीचंद मीणा)

उनको पेमेंट दें ताकि उनको समय पर पैसा मिल सके। उन पर विशेष ध्यान दें। वे गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोग हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर आपसे कहना चाहूंगा कि मेरे पिछले कार्यकाल में देव सोमनाथ मंदिर के लिए 70 लाख रुपये का बजट देकर उस क्षेत्र का विकास करने का काम सोचा था, वह धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि उस पैसे को भी आप लगवाने का काम करें। विजवा माता क्षेत्र में तीन राज्यों के लोग, जो लूले-पांगळे हो जाते हैं, वो सभी वहां पर आते हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्रीमती रमीला खड़िया।

श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): उनको वहां पर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, धर्मशाला नहीं है, तो आपसे उसके लिए भी निवेदन करूंगा। इसके लिए एक करोड़ रुपये वसुन्धरा राजेजी ने देकर उस काम को करने का किया था लेकिन वह काम आज तक नहीं हो पाया।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): वहां पर वह एक करोड़ रुपया लगे और विजवा माता क्षेत्र में धर्मशाला बनवाने का काम आप शुरू करवाएंगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि हमारे काम के लिए आप विशेष ध्यान देंगे। मेरे क्षेत्र में सोनार माता का मंदिर है।

श्री सभापति: विराजिये। माननीय सदस्य, प्लीज सहयोग करें, विराजिये। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्रीमती रमीला खड़िया (कुशलगढ़): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 30 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आती हूं वह बिलकुल जनजाति क्षेत्र है। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की जनता की ओर से माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि मेरे सज्जनगढ़ में जनजाति छात्रावास की घोषणा की। मेरा विधान सभा क्षेत्र एक टीएसपी क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, वहां बहुत छोटी-मोटी समस्याएं हैं। चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार, मेरे विधान सभा क्षेत्र की काफी लम्बे समय से एक बड़ी मांग है कि कुशलगढ़ में माही का पानी लाया जाए, मैं इस मांग को सदन के सामने रखना चाहती हूं। मेरा क्षेत्र पहाड़ी है, सूखा क्षेत्र है, घाटा क्षेत्र है, पहाड़ तोड़कर, खोदकर ट्रेनों का रास्ता बनाया जाता है, तो क्यों नहीं मेरे

(श्रीमती रमीला खड़िया)

क्षेत्र में पानी की समस्या के हल के लिए लिफ्ट के माध्यम से हमारे घाटा क्षेत्र को और कुशलगढ़ को माही का पानी पहुंचाया जाए?

माननीय सभापति महोदय, बजट घोषणा होती है तो हमारे स्कूल खोलने की घोषणा तो हो जाती है, स्कूल खुल जाते हैं पर वहां टीचर नहीं हैं। मैं मांग करती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में टीचर्स की काफी कमी है, इसकी सरकार भरपाई करे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत अच्छी जगह है वहां पर छोटे-छोटे तालाब बनाए जाएं, एनिकट बनाया जाए ताकि हमारे पहाड़ी इलाके को पानी मिले, बिजली मिले, सड़कें मिलें।

(16.45 बजे)

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आती हूं वह बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारे क्षेत्र में छात्रावास खुलें। माननीय सभापति महोदय, आप जिस समय टीएडी मंत्री थे उस समय मेरे क्षेत्र में उकाला में छात्रावास का शिलान्यास हो चुका था, पिछली बीजेपी सरकार में वह निरस्त किया गया, वह एरिया बिलकुल पिछड़ा हुआ है, इसलिए मैं मांग करती हूं कि उकाला में जनजाति का छात्रावास खोला जाए।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पाटन, बड़ी सरवा, कसारवड़ी, पाली में बालक-बालिकाओं का छात्रावास खोला जाए, यह मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूं। मेरा क्षेत्र पहाड़ी है, आदिवासी बहुल है, इसलिए वहां अधिक से अधिक मां-बाड़ी केन्द्र खोले जाएं। 250 केन्द्र दिये हैं, हमारा बांसवाड़ा जिला टीएसपी है, पहाड़ी इलाके वहां ज्यादा हैं, यदि वहां पर अधिक संख्या में मां-बाड़ी केन्द्र खुलें तो हमारे जो लड़के-लड़कियां बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार मिले। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं, माननीय मंत्रीजी यहां सदन में नहीं हैं, हमारे यहां कम से कम 1000 मां-बाड़ी केन्द्र खोलने की सरकार घोषणा करे।

माननीय सभापति महोदय, 1999 में आप भी एमपी थे, उस समय चुड़ादा में एक आदिवासी आवासीय छात्रावास बना था, उसका माननीय गहलोत साहब के कर कमलों से उद्घाटन हुआ था। उसमें न तो और कमरे बने, जो बने हुए कमरे थे उन पर 1999 से लेकर आज तक, पुताई हुई है, न कलर

(श्रीमती रमीला खड़िया)

हुआ है। उनके जो शौचालय बने हुए हैं वे बिलकुल जर्जर अवस्था में हैं बिलकुल खराब पड़े हुए हैं। वहां 350 बच्चे अभी रह रहे हैं। पिछली बार 4 करोड़ का बजट आया था, वह बजट पता नहीं कहां गया। मैं सदन के माध्यम से मांग रखती हूं कि हमारे जनजाति छात्रावास, चुड़ादा में जमीन पर्याप्त है, तो वहां खेल छात्रावास खुले और जो बजट है, 1999 से ये खोले हुए हैं, उनमें रंग-रोगन करें, उन्हें बजट दिया जाए और इनके जो शौचालय हैं, इन्हें ठीक करें। बच्चे बहुत परेशान हैं।

मैं आपके माध्यम से एक मांग रखती हूं कि मेरे कुशलगढ़ क्षेत्र में खेल छात्रावास जो 1995 से स्टेडियम बना हुआ है, उसमें कोई रख-रखाव नहीं है। वह ग्राम पंचायत कोटलिया में पड़ता है। वहां बजट दिया जाए और हर कार्यक्रम हमारे स्टेडियम में होता है, मैं सदन के माध्यम से मांग करती हूं कि यह बजट हमारे कुशलगढ़ को दिया जाए।

एक और मांग मैं रखती हूं। पिछली बार भी हमारे माननीय गहलोत साहब थे, उनके कार्यकाल में एक घोषणा हुई थी कृषि मण्डी की और अभी भी घोषणा हुई है। उनका बजट आया है, बजट आने के बाद भी आज तक उस कृषि मण्डी का काम नहीं चालू किया गया है। सभापति जी, आपके माध्यम से मैं मेरी मांग रखती हूं कि जल्द इस काम को किया जाए। वहां करीब पांच एकड़ जमीन है तो हमारे व्यापारी, इनकी दुकानें मार्केट के अन्दर लगी हुई हैं, तो जो हमारे काश्तकार, जो गरीब हैं, जो पोटली लेकर वहां बेचने के लिए जाते हैं तो उनके आने-जाने में काफी समस्या है, तो जल्द से जल्द उस मण्डी को चालू किया जाए ताकि हमारे काश्तकार परेशान न हों और मार्केट में जो व्यापारी हैं, उन्हें कृषि मण्डी में बसाया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाकर 6 बजे कर दिया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया।

श्री नारायण बेनीवाल।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 30 व 33 पर विचार

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 30 - जनजाति क्षेत्रीय विकास और मांग संख्या 33 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर चर्चा में भाग लेने का आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

मांग संख्या 30 जनजाति क्षेत्रीय विकास को लेकर बहुत लम्बी एवं सार्थक चर्चा सुबह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने की है तथा अपने अमूल्य सुझाव दिये हैं। हमारे इलाके में जनजातीय क्षेत्र नहीं है, लेकिन कुछ सर्वे और डेटा बड़े चिंतित करने वाले हैं, जिनकी यहां चर्चा हो नहीं पायी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जनजातीय क्षेत्रों में कुपोषित बच्चों के संरक्षण के लिए जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, उन्हें लेकर जो आंकड़े आ रहे हैं, वे बड़ी चिंता में डालने वाले हैं। इन पर किसी न किसी प्रभावी मानिटरिंग की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

संचालित छात्रावासों में आवश्यक संसाधन, चाहे वे तारांकित प्रश्न हों या जो भी चर्चाएं हुईं विभागों की, उन्हें लेकर अधिकतर माननीय सदस्यों ने चिंता जाहिर की। सबसे बड़ी बात है कि जनजातीय क्षेत्रीय विकास की बात यदि हम करें तो 192 अरब और 86 करोड़ से ज्यादा के बजट का माननीय मंत्री जी ने सुबह प्रस्ताव रखा था। बहुत बड़ा पैसा है यह। इस पर मानिटरिंग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इनकी जो भी योजनाएं लागू हैं, चाहे वे केन्द्र सरकार की हों अथवा राज्य सरकार की हों, उन पर हम कितने सफल हुए हैं, कौन-कौन-सी योजनाएं असफल हुईं और उनका प्रतिशत क्या है, इस पर कहीं न कहीं विस्तृत कार्ययोजना की आवश्यकता मैं महसूस कर रहा हूं।

इसके अलावा जो व्यय होने वाली राशि का भौतिक सत्यापन है, जिसकी आज सबसे बड़ी आवश्यकता है, मैं एक सुझाव मंत्री जी को जरूर दूंगा, क्योंकि सदन में माननीय मंत्री जी सिर्फ बजट के प्रावधान की ही बात रखते हैं, उसके बाद चाहे वह व्यय होने वाली राशि हो या उसके भौतिक सत्यापन की बात हो, किसी भी जन प्रतिनिधि का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि जो भी कार्यों का भौतिक सत्यापन हो, उसमें कहीं न कहीं लोकल जन प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए।

(श्री नारायण बेनीवाल)

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण मामलों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान में समाज कल्याण विभाग के अधीन जितने भी छात्रावास बने हुए हैं, उनमें मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता और अनुपलब्धता की समीक्षा करके आवश्यक कार्यों हेतु बजट जारी किया जाए ताकि वहां रह रहे छात्र-छात्राओं को कोई असुविधा न हो।

सभापति महोदय, प्रदेश में दिव्यांगजन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लम्बे समय से आंदोलित हैं, इसलिए सरकार को प्राथमिकता से उनकी बात सुनकर सकारात्मक निर्णय लेने की जरूरत है। जितने भी दिव्यांगजन हैं, उन्हें सरकारी मद से इलैक्ट्रिक स्कूटी दी जाए। इसके लिए विशेष कैम्पों का आयोजन हो। हमारे साथी विधायक माननीय इन्द्राज सिंह जी ने सुबह एक बहुत अच्छा प्रस्ताव भी रखा था, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह मांग भी करूंगा कि यदि कोई जन प्रतिनिधि, विधायक अपने कोष से इन चीजों के लिए पैसा देता है तो कम से कम आधा बजट सरकार दे, तब इस योजना को हम बहुत अच्छी तरह से लागू कर सकते हैं। ये वे व्यक्ति हैं, जो समाज के बिलकुल अंतिम छोर पर बैठे हुए हैं। इन्हें यदि सरकारी योजना का लाभ मिलेगा, तभी हम समानता और समरसता की जो बातें अपने-अपने माध्यमों से सुबह से कर रहे हैं, उन्हें सार्थक कर पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन व जरूरतमंद लोगों को ब्लाक स्तर पर कम समय में बेहतरीन सेवाएं देने के उद्देश्य से ब्लाक स्तर पर ब्लाक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के कार्यालय की स्थापना करके ब्लाक सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों को पदस्थापित किया जाए, क्योंकि कई जगह इन्हें स्थापित नहीं किया गया। जहां स्थापित कर दिया गया है, वहां इनके पास न तो स्टाफ है, न इनके पास कोई कम्प्यूटर है, न ही कोई संचार माध्यम है, जिन्हें लेकर इनकी प्रभावी मानिटरिंग की जा सके।

माननीय सभापति महोदय, पालनहार योजना में स्वीकृत मानदेय राशि जो कि 1000 रुपये है, उसे बढ़ाकर कम से कम 1500 रुपये करने का निवेदन मैं माननीय मंत्री जी से करूंगा। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के परिवार की जो वार्षिक आय सीमा ढाई लाख सरकार ने निर्धारित की है, वह कम से कम पांच लाख पर निर्धारित हो। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री

(श्री नारायण बेनीवाल)

जी से निवेदन करूंगा, सम्बल गांव जहां एससी-एसटी की आबादी ज्यादा है, उन गांवों के विकास कार्यों के लिए पहले जो विशेष आर्थिक पैकेज दिये जाते थे, वे आज-कल बन्द हैं। सम्बल गांवों की पूरी सूची बनाकर उनके लिए विशेष पैकेज बनाने की आपके माध्यम से मैं मांग करूंगा।

नव जीवन योजना, जिसका जिक्र माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी बजट घोषणा में किया था कि बावरी समाज और हथकढ़ शराब का धंधा करने वाले लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए यह योजना लागू की गयी, इसकी प्रभावी मानिटरिंग भी हो और समय पर अच्छे धन की भी व्यवस्था हो ताकि ये समाज की मुख्य धारा में आ सकें।

माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, एसबीसी, अल्पसंख्यक व अन्य श्रेणियों में दिये जाने वाले ऋणों के भौतिक सत्यापन के लिए कमेटी का गठन कर स्थानीय जन प्रतिनिधियों को सम्मिलित करने के सम्बन्ध में आवश्यक चर्चा की मैं बहुत जरूरत महसूस कर रहा हूं। इनकी योजनाएं बहुत अच्छी चल रही हैं लेकिन उचित व्यक्ति को, जो वास्तव में जरूरतमंद है, उसे उसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो उन ऋणों का वापस भौतिक सत्यापन करने का भी कहीं न कहीं उसके अन्दर स्थानीय जन प्रतिनिधियों को भी स्थान दे। यह मांग मैं आपके माध्यम से करूंगा।

गाड़िया लोहारों के लिए आवास बनाने के लिए नि:शुल्क भूमि और बजट जारी करने की मांग मैं करूंगा। घुमंतू जातियों के लिए पट्टे जारी करके उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाया जाए। दलित अत्याचारों पर रोक लगाने की एक ठोस कार्ययोजना बने।

अनुसूचित जाति-जनजाति के लोग, यह मेरी निजी राय भी है, वे अपनी कृषि भूमि को किसी सवर्ण जाति के व्यक्ति को नहीं बेच सकते, उन्हें कई बार पैसे की जरूरत होती है। इसी कैटेगरी के दूसरे लोग जो आज साधन सम्पन्न हो गये, वे इनसे सस्ती दरों पर ही जमीनें खरीदते हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा...

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय जी, इसके अलावा ओबीसी के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति, जो लम्बे समय से बन्द पड़ी है और एक साल जब पूरा हो जाता है तो बजट के अभाव में वह पोर्टल पर बन्द हो जाती है, इसके बारे में भी आपके माध्यम से मांग करूंगा।

श्री सभापति: समाप्त करें प्लीज।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): विभिन्न भर्तियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों में कटौती बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, इसे लेकर भी कोई ठोस कार्ययोजना बने और प्रत्येक जिला मुख्यालय पर ओबीसी के छात्रावास खोले जाएं। ये सब मांगें मैं आपके माध्यम से करूंगा। आपने मुझे इस मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री फूल सिंह जी मीणा।

(17.00 बजे)

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 30 और 33 पर बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि वास्तव में हमारा मेवाड़ भील, आदिवासी मीणा समाज का जाना हुआ एरिया है और महाराणा प्रताप के साथ में बुरे वक्त में हरावल दस्ते के रूप में यही आदिवासी भील, मीणा समाज ने आकर हमारे मेवाड़ की रक्षा की थी। आज हम वास्तव में गौरव महसूस करते हैं कि भीलू राणा हमारे समाज का गौरव था, है और रहेगा तथा उससे हम प्रेरणा लेते हैं।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि आज ढाई वर्ष हो गये हैं और ढाई वर्ष के अन्दर परामर्शदात्री कमेटी की आपने एक भी मीटिंग नहीं बुलाई है। सुना है कि एक मीटिंग बुलाई है और जनजाति कमेटी उसकी सदस्य है मगर हमें किसी को कहा नहीं। अगर हमारी इस कमेटी के सदस्य को आप नहीं बुलाओगे तो यह जनजाति की मांग या उसकी कमी है या कोई वहां का विकास है, वह कौन बताएगा? इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि परामर्शदात्री कमेटी के अन्दर हमारी जनजाति, एसटी कमेटी के सदस्यों को भी बुलाएं।

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उदयपुर जिले के अन्दर 9 विधायक आते हैं और 9 विधायकों में से 6 विधायक ट्राइबल एरिया के हैं। आपके जो प्रभारी मंत्री आते हैं वे अधिकारियों को ले जाकर वहां जिला परिषद् में मीटिंग करके आ जाते हैं पर हमारे वहां के क्षेत्र की कोई समस्या है तो वह फिर हम किसे बताएं? अधिकारीगण मंत्री महोदय को गोलमाल करके भेज देते हैं और हमारी समस्या यों की यों रह जाती है। सभापति महोदय, मैं मांग करता हूं कि प्रभारी मंत्री आये तो जैसे पूर्व सरकार में भी मीटिंग होती

(श्री फूल सिंह मीणा)

थी, हर महीने एक मीटिंग होती थी उसमें जन-प्रतिनिधि, प्रधान, एमएलए, हमारे मंत्री महोदय और अधिकारीगण रहते थे, जिसमें सारी बातों के ऊपर रिसर्च होता था।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि हमारा ट्राइबल एरिया है और वहां पर विकास के लिए बहुत कम संसाधन हैं। वहां पर दो माइंस चल रही हैं, उनके अन्दर भी हजारों की संख्या में रोजगार मिलता है मगर वहां पर हमारे ट्राइबल एरिया के श्रमिक को नहीं लगाया जाता है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि वहां पर इंजीनियरिंग कालेज खोल दिया जाए तो हमारे वहां का ट्राइबल का बालक वहां पर ट्रेनिंग करके झामरकोटड़ा माइंस और जावर माइंस के अन्दर नौकरी लगेगा तो पूरा परिवार चलेगा। हमारी टीडी ग्राम पंचायत, जावर, चिणावदा, बारां, पडूणा, अमरपुरा, बारापाल, सरूपाल, जाबला, झामरकोटडा, पारोला, नसाजपुर, मिनान, मामादेव, चासदा, खारवा, मानपुरा आदि गांवों के लोग वहां पर रोजगार से जुड़ेंगे और अपने परिवार को पालेंगे। वैसे तो ठेकेदार के मार्फत लगते हैं मगर ठेकेदार में भी अच्छी तनख्वाह मिलती है, कम से कम चालीस हजार रुपये तनख्वाह मिलती है इसलिए हमारे ट्राइबल के लिए यह बहुत बड़ा सुनहरा मौका होगा, इसलिए मेरी मांग है कि इंजीनियरिंग कालेज खोले बिना इनको रोजगार नहीं मिल सकता।

मंत्री महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्राइबल एरिया के अन्दर शिक्षा का स्तर बहुत डाउन है और जब तक हमारा ट्राइबल का बालक पढ़ेगा नहीं, बालिका पढ़ेगी नहीं तो वह आगे कैसे बढ़ेगी, अपने परिवार को कैसे चलाएगी? आज हमारी स्कूलों के अन्दर अध्यापक नहीं हैं, हमारे बैठने के लिए वहां कमरे उपलब्ध नहीं हैं और जो संसाधन होने चाहिए, वे नहीं हैं। बरसात के अन्दर बच्चों को छुट्टी देनी पड़ती है। जो स्कूल की बिल्डिंग बनी हुई हैं वह भी जर्जर अवस्था में हैं। इसलिए सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि हमारा ट्राइबल एरिया है, उसमें कम से कम बैठने के लिए ट्राइबल के इस फण्ड से हमारे स्कूल में कमरों का आप प्रावधान करें।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि हमारे जो छोटे-छोटे गांव, मजरा, ढाणी हैं वे आज भी सड़कों से

(श्री फूल सिंह मीणा)

जुड़े हुए नहीं हैं। कहीं पुलिया है या छोटीमोटी रोड की सुविधा है, वह इस बजट में लेकर हमारे ट्राइबल को सुविधा देंगे तो यह हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा।

पूर्व सरकार में तीन-तीन किसानों को मिलाकर एक ओपन कुआं खोदा जाता था, उसको आपने ढाई साल से बन्द कर रखा है। किसानों के लिए आप सामूहिक कुए खोदकर उनको सौर ऊर्जा से जोड़कर प्रावधान करेंगे तो इससे बहुत बड़ा योगदान मिलेगा और आपका मैं आभार व्यक्त करूंगा।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं पोली हाउस द्वारा किसानों को, छोटे-छोटे काश्तकारों को सब्सिडी देकर जनजातीय एरिया में मजबूती प्रदान करने के लिए आप इस बजट में यह भी जोड़कर हमारे किसानों को लाभ देने की गुजारिश है, जिसकी भी पालना करें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि आपने अभी मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा था कि 150 से लेकर 400 की आबादी के अन्दर मिनी आंगनबाड़ी खोलते हैं और 400 से 800 की आबादी के बीच में आंगनबाड़ी खोलते हैं। हमारे ट्राइबल एरिया के अन्दर मां-बाड़ी की सख्त जरूरत है इसलिए ज्यादा से ज्यादा मां-बाड़ी खोलकर हमारे गरीबों को शिक्षा से जोड़ने का काम करें, यह मेरी मांग है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि ट्राइबल एरिया के अन्दर आज हमारा जनजाति परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित है क्योंकि उसके पास जमीन नहीं है, वन विभाग के अन्दर वह रह रहा है। उसको शिविर लगाकर वन अधिकार पत्र दिलवाने का आप कष्ट करेंगे तो हमारे ट्राइबल को यह बहुत बड़ी सौगात आप देंगे, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

साथ ही, सरकार ने ढाई वर्षों से इस एरिया पर ध्यान नहीं दिया। पूर्व सरकार द्वारा हमारे घर-घर लाइट लगाने का सौभाग्य योजना के मार्फत जो काम चल रहा था, आज वह योजना यों की यों पड़ी है और आज भी हमारा ट्राइबल लाइट से वंचित है। वह एक बल्ब लगाने के लिए तरस रहा है, तो उस योजना को लागू करें या ट्राइबल एरिया के अन्दर ऐसी योजना लागू करें जिससे उस गरीब को लाइट मिल सके।

सभापति महोदय, ये कहते हैं कि सरकार ट्राइबल के लिए बहुत कुछ करती है पर, सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ दिनों

(श्री फूल सिंह मीणा)

पहले ही हमारे कलड़वास रीको एरिया में 90 प्लाटों की आनलाइन नीलामी, आक्शन हुआ था जिसमें एसटी के लिए चार प्लाट दिये थे पर उनमें भी एक जनरल महिला को डालकर एसटी के साथ में अन्याय किया है। उसमें जनरल महिला का 25 परसेंट आरक्षण देकर उस जनरल प्लाट से भी उसकी रेट ज्यादा आ गई और हमारे ट्राइबल को चार में से एक भी प्लाट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? अगर ट्राइबल को ही यह सरकार देना चाहती है तो हमारे तीन ही प्लाट रखते, मगर ट्राइबल का, एससी, एसटी का कम से कम अलग से आरक्षण होता पर उसके अन्दर जनरल महिला को देकर हमारे साथ में कुठाराघात किया है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): इसलिए, मैं मांग करता हूं कि या तो आरक्षण दो मत और दो तो जनरल को उसमें क्यों घुसाते हो? इसलिए हमारे ट्राइबल के साथ में अन्याय न करें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, आपसे आग्रह करता हूं कि वास्तव में पेंशन जो घरघर हमारा डाकिया देने जाता था, 200-200 रुपये वह दो महीने के ले लेता था मगर आज बैंक के द्वारा बीसी लगा रखा है, मोदी ने उसके डायरेक्ट खाते में पैसे तो डलवा दिये मगर वह बीसी इतना अन्याय कर रहा है, वाउचर भरता है वह दस हजार का और उस अनपढ़ महिला से अंगूठा लगवा लेता है और उससे दस हजार रुपये निकालकर पांच हजार अपनी जेब में रखता है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इसके ऊपर भी अंकुश लगाएं।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, अन्त में मैं मेरी पोपल्टी ग्राम पंचायत के अन्दर एक बालक-बालिका छात्रावास खोलने की मांग करता हूं। मंत्री महोदय, मुख्य मंत्री जी ने जो 40 हैण्डपम्प और 10 ट्यूबवैल दिए हैं, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं मगर हमारे इस बैल्ट के अन्दर संख्या बढ़ाकर, हमारे ट्राइबल में वाटर लेवल बहुत नीचा है इसकी संख्या बढ़ाकर कम से कम 100 हैंडपम्प और 10-10 ट्यूबवैल आपकी तरफ से सौर ऊर्जा की दी जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय भारत-जय हिन्द।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें। श्री हरीश जी मीना।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): धन्यवाद, सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या-30 और 33 पर बोलने का मौका दिया। महोदय, मांग संख्या-30, जो जनजाति विकास से सम्बन्धित है। सर, राजस्थान में करीब 14 परसेंट आबादी जनजाति की है। उस 14 परसेंट में से 45 प्रतिशत टीएसपी क्षेत्र में रहती है और 55 प्रतिशत आबादी टीएसपी क्षेत्र के बाहर है और इन दोनों के विकास का काम जनजातीय विकास मंत्रालय के पास है। महोदय, इसके लिए कमेटी बनी हुई है टी.ए.सी., मैं भी उसका सदस्य हूं। मुझे ढाई साल हो गये, मंत्री महोदय, उसकी आज तक मीटिंग नहीं हुई। एक फार्मेलिटी कुछ दिन पहले पूरी की थी, जिसमें आपने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग कर ली। ऐसी मीटिंग से लाभ नहीं होता। मीटिंग ज्यादा हो, मंथली हो, त्रैमासिक हो, जो भी हो, सार्थक हो, इसमें कुछ गम्भीरता आए ताकि मुद्दे उठा सकें, हमें मौका मिले।

दूसरा महोदय, इसमें जो बजट मिलता है, उस बजट के आबंटन का कोई मापदंड होना चाहिए, या तो आप क्षेत्रफल के आधार पर कर दें, आबादी के आधार पर कर दें, उस पर कोई न कोई, आप पर-कैपिटा दे दें, इतने बजट का इतना हिस्सा प्रति व्यक्ति इतना, इस हिसाब से मिलेगा, क्षेत्रफल के हिसाब से कर दें, कुछ उसका आधार होना चाहिए। उसके अभाव में इसका सही उपयोग नहीं हो सकता। मैं आग्रह यह करूंगा, इसकी रूपरेखा बनाई जाए, इसकी गाइडलाइन्स बनाई जाए कि पैसा कैसे खर्च होगा, किस क्षेत्र पर होगा, किस हिसाब से होगा।

महोदय, अभी हरियाणा ने वहां के लोकल लोगों के लिए 75 प्रतिशत जो चतुर्थ और तृतीय श्रेणी जाब्स हैं, उसमें आरक्षण किया है। मैं राजस्थान सरकार से मांग करूंगा कि टीएसपी क्षेत्र में या उदयपुर डिविजन में, उसके लगते हुए इलाके में, जितने भी बड़े-बड़े उपक्रम हैं, जैसे सीमेंट फैक्ट्रीज हैं और कोई माइन्स हैं, जिसमें हमारे बच्चों को रोजगार मिलता है, वहां के लोगों के लिए, टीएसपी क्षेत्र के लोगों के लिए, वे जाब्स आरक्षित हों, ताकि वहां के लोगों को कम से कम मजदूरी के लिए गुजरात या अन्य प्रदेशों में पलायन नहीं करना पड़े, यह सरकार कर सकती है और सरकार को करना चाहिए।

महोदय, कुछ अन्याय की मैं बात बताऊं। इस कार्यकाल में तो नहीं हुआ, माडा योजना में जनजाति विभाग, उदयपुर की ओर से वर्ष 2012 में टोंक जिले के मेरे विधान सभा क्षेत्र उनियारा के रूपरा ग्राम पंचायत के श्रीपुरा गांव में 18 करोड़ 95 लाख रुपये की लागत से एकलव्य माडल आवासीय

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

विद्यालय निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी। इस विद्यालय में छठी कक्षा से लेकर 12वीं तक जनजाति वर्ग के बालक-बालिकाओं के पढ़ने तथा रहने की सुविधा उपलब्ध कराई जानी थी। इसकी वित्तीय स्वीकृति भी 1 अक्टूबर, 2013 को जारी हो गई थी, इसके बाद विद्यालय के निर्माण के टेंडर भी जारी हो गये थे तथा उसका शिलान्यास भी हो गया था। यही नहीं, महोदय, साथ ही साथ माडा योजना जनजाति विकास, उदयपुर की ओर से टोंक ग्रामीण विकास अभिकरण के खाते में 3 करोड़ रुपये हस्तांतरित कर दिये गये थे। अब सरकार बदल जाती है। सर, मैं पूर्ववर्ती सरकार के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, उनके बदलते ही, उन्होंने इसको पूरी को निरस्त कर दिया। मंत्री महोदय, मैं आग्रह करूंगा, जिसकी पूरी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हो गई, जिसका ठेका हो गया, जिसका शिलान्यास हो गया, ऐसी योजना का लाभ करने से, पूर्ववर्ती सरकार की आदिवासी विरोधी और विकास विरोधी जो मानसिकता है, वह झलकती है, इसको बन्द करना चाहिए और जो अन्याय हुआ है, उसको यह सरकार पुनः दुरुस्त करे।

महोदय, मांग संख्या 33-सामाजिक न्याय, राजस्थान में ओबीसी एक बड़ा वर्ग है, जिसमें 91 जातियां आती हैं, उनको भी आरक्षण का प्रावधान है। अब ओबीसी के आरक्षण में देखने में आता है, बहुत सारी ऐसी जातियां हैं, आप तो मेवाड़ से आते हैं, महोदय, आपने नाम नहीं सुने होंगे-तेली, तम्बोली, भड़भुजे, खाती, नाई, धाकड़, मेव, रंगरेज, कीर, कहार, कुम्हार, अथाह लिस्ट है। किसी भी नौकरी में, कहीं भी मैंने इनका नाम सुना नहीं, ये कब कैसे पास होते हैं तो उनको यह आरक्षण देने का क्या लाभ था? जैसी मेरे पास सूचना है, हिन्दुस्तान के 10 प्रदेशों ने ओबीसी के आरक्षण का वर्गीकरण कर रखा है, जिसकी जितनी योग्यता, जितनी जिसकी आवश्यकता, उसके मुताबिक उसकी हिस्सेदारी तय होनी चाहिए, अन्यथा आरक्षण का कोई लाभ नहीं है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि और स्टेट्स में जो व्यवस्था है, उसकी स्टडी कर लें और सबको इसमें भागीदारी मिले, ऐसी मेरी सोच है, जब ही इसका पूरा लाभ होगा।

सर, मेरा सरकार से आग्रह है कि जो जाब्स हैं, सरकारी नौकरियां खास तौर से एससी, एसटी, ओबीसी के जहां बच्चे आते हैं, ज्यादातर नौकरियों में लड़के जनरल लिस्ट में आने लग गये, राजस्थान में ज्यादातर एससी,

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

एसटी, ओबीसी के लड़के जनरल की मैरिट में पास होते हैं, फिर भी जब इनकी मैरिट लिस्ट बनती है, इनको उस वर्ग में डाल दिया जाता है, यह कानून की, कानून की मंशा की अवहेलना है। जिम्मेदारी तय हो और जो बच्चे जनरल में आते हैं उनको जनरल का लाभ मिले और बाकी रिजर्वेशन के बाद शुरू होता है, उसके समेत नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने अनेक बार अपने आदेशों में कहा है तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी आदेश हैं, जो उसकी मंशा है, उसकी राजस्थान में पालना कराई जाए।

सर, दिव्यांगों का, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। सर, जब क्षेत्र में जाते हैं, हमारे पास लोग आते हैं, ट्राई-साइकिल के लिए, बाई-साइकिल के लिए, हैंड साइकिल के लिए। न तो हमारे पास पैसा है और हमारा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र है, न हमारे पास वहां सीएसआर का पैसा है, अब उनको कहां से उपलब्ध कराएं और लोग कहते हैं, साहब, आप इसको ये ही नहीं दिला सकते एक ट्राई-साइकिल तो क्या फायदा आपका। सरकार को कम से कम यह रखना चाहिए कि हर महीने, 6 महीने में, साल में कैम्प लगाएं विधान सभा क्षेत्रवाइज, तहसीलवाइज, जिलेवाइज ताकि इन दिव्यांगों के साथ भी न्याय हो सके।

सर, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत आभार। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री कैलाशचन्द्र मीणा।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): सभापति महोदय जी, आपने मांग संख्या-30 एवं 33 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय जी, वैसे तो टीएसपी क्षेत्र के उत्थान के लिए कई सारी घोषणाएं बजट में ली जाती हैं, परंतु धरातल पर योजना नहीं पहुंचने से टीएसपी क्षेत्र का विकास का सपना पूरा नहीं होता। वर्ष 2018-19 में उदयपुर सम्भाग में 20 से 25 हजार व्यक्तिगत कुओं को गहरा करने की स्वीकृतियां जारी हुई थीं और उसमें नरेगा के तहत लेबर का भुगतान किया जाना था, लेकिन वर्तमान सरकार के आने के बाद जो नरेगा से भुगतान करना था, उसको रोक लिया और किसानों ने अपना काम पूरा कर लिया और किसान आज भी अपने पैसों के लिए भटक रहा है। मेरा माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन है कि जो लेबर, नरेगा से देनी थी, उसको हम जनजाति विकास विभाग से देकर, उसकी स्वीकृति जारी करके, उन किसानों को अगर भुगतान

(श्री कैलाशचन्द्र मीणा)

किया जाता है तो किसान की जो अभी स्थिति खराब हो रही है, वह ठीक हो सकती है।

माननीय सभापति महोदय जी, टीएसपी क्षेत्र में छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों का संचालन हो रहा है, परंतु उसका सुपरविजन धरातल पर नहीं होने से वार्डन छात्रावासों में नहीं रुकते, मात्र औपचारिकता ही करते हैं एवं आवासीय विद्यालयों में विषय अध्यापक नहीं होने से बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। वार्डन को पाबन्द भी करना चाहिए और आवासीय विद्यालय में पर्याप्त विषय अध्यापक और स्टाफ की व्यवस्था हो तो बच्चों का भविष्य बन सकता है।

माननीय सभापति महोदय जी, टीएसपी क्षेत्र उदयपुर संभाग का आदिवासी परिवार जंगलों में, पहाड़ियों में अलग-अलग मकान बनाकर निवासरत है। वहां की जमीन जंगल किस्म, वन विभाग एवं समस्त किस्म की भूमि को आदिवासियों को वन विकास के लिए बांटकर आबंटन करना चाहिए, ताकि वनों का विकास एवं विस्तार आदिवासी स्वयं करें व सुरक्षित रख सकें। माननीय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि उक्त वनों में आयुर्वेद में काम आने वाले पेड़-पौधे, वनौषधि आदि लगाये जाएं ताकि आदिवासी युवा बेरोजगारों को उसमें रोजगार प्राप्त हो सके।

सम्माननीय सभापति महोदय जी, मेरा आपसे निवेदन है कि पिछले समय राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, केन्द्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और इस देश और प्रदेश के लिए स्थायी योजना लागू करने का काम किया। जैसे कि टीएसपी क्षेत्र में दीनदयाल ज्योति योजना के माध्यम से जंगलों में रहने वाले प्रत्येक आदिवासी के घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया, सबके घरों में गैस पहुंचाने का काम किया, प्रधानमंत्री आवास के नाम से पूरे क्षेत्र में पक्के मकान बनाने का, भामाशाह योजना, श्रमिक कार्ड के लाभ, मुफ्त इलाज, महानरेगा योजना के तहत 3 लाख तक का व्यक्तिगत लाभ, प्रधानमंत्री फसल बीमा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कें, एक ही आदेश में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 5 हजार सीनियर विद्यालय खोलकर के माननीय वसुन्धरा जी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐतिहासिक काम किये। भाजपा की सरकार में हमेशा स्थायी कार्य होते हैं, वैसा वर्तमान सरकार नहीं कर पा रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि

(श्री कैलाशचन्द्र मीणा)

यह तीसरा बजट जो सरकार ने पेश किया है, इस तीसरे बजट तक सरकार ने बांसवाड़ा जिले को चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली, आदिवासियों के आस्था के केन्द्र एवं माही की नहरों के सुधार के लिए बजट में प्रावधान नहीं लेकर टीएसपी क्षेत्र के साथ में अन्याय किया है। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए अलग से पैकेज देकर उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए और क्षेत्र में 1000 मां-बाड़ी खोली जाएं और पुरानी जो मां-बाड़ी हैं, ठीक तरह से चल रही हैं, उनको क्रमोन्नत भी कराया जाए।

माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि हमारे बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिले में जोगी और रावल समाज, यह दोनों एक ही हैं लेकिन जब यह आरक्षण का बंटवारा हुआ उस समय जोगी समाज को ओबीसी में रख लिया और रावल समाज को एससी में रख लिया। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस सम्बन्ध में इस समाज ने हाई कोर्ट में जा करके उसकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली है लेकिन विभाग से अभी आदेश नहीं हुए हैं। जोगी और रावल एक हैं, तो जोगी को रावल के साथ में जोड़ करके उनको एससी वर्ग का दर्जा दिया जाए और इस सम्बन्ध में सारी पत्रावली विभाग के पास में प्रस्तुत है और इसके लिए कमेटी का भी गठन हो गया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इसमें जितना जल्दी हो सके एक आदेश जारी कर उनको इसका लाभ दिया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिले में आदिवासियों के आस्था के केन्द्र बेणेश्वर धाम, महाकुंभ, त्रिपुरा सुंदरी, माही डैम, घोटिया अंबा, मानगढ़ धाम, शहीद स्थली, अरथूना हनुमान यह जो पौराणिक स्थल हैं, इन धार्मिक स्थलों का टूरिज्म से जुड़ना आवश्यक है, जैसे कि बेणेश्वर से त्रिपुरा सुंदरी, माही डैम, घोटिया अंबा, मानगढ़ शहीद स्थली, अरथूना हनुमान, गलियाकोट शक्ति पीठ, बोहरा समाज विश्व विख्यात दरगाह, क्षेत्रपाल खड़गदा अंधेरी माता, बेड़ माता, सोमनाथ से केसरिया जी वाया उदयपुर नगरी तक टूरिज्म से जोड़ा जाता है तो हमारे क्षेत्र के कई बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हो सकता है।

माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जनजातीय क्षेत्र के लिए आवास, पशु शैड, मछली पालन, मुर्गी पालन, भेड़ पालन, मधुमक्खी पालन, आधुनिक बागवानी की अपार संभावनाएं

(श्री कैलाशचन्द्र मीणा)

हैं परंतु इन योजनाओं को धरातल पर सुपरविजन कर नहीं पहुंचाया जा रहा है। इसका लाभ भी क्षेत्र को मिलना चाहिए, जो नहीं मिल रहा है।

माननीय सभापति महोदय जी, आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर सम्भाग टीएसपी क्षेत्र में अलग से पैकेज बनाकर समस्त विभागों में भर्ती निकालना आवश्यक है, ताकि समस्त वर्ग के बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। टीएसपी क्षेत्र के कर्मचारी-अधिकारी जो नोन टीएसपी में कार्यरत हैं एवं नोन टीएसपी के कर्मचारी टीएसपी में कार्यरत हैं, उनका स्थानांतरण भाजपा सरकार में हुआ था। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इनका स्थानांतरण गृह क्षेत्र में समायोजित कर किया जाए।

माननीय सभापति महोदय जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि राजस्थान सरकार के कुल बजट का 13.5% बजट टीएसपी क्षेत्र को मिलना चाहिए परंतु सरकार ऐसा नहीं कर रही है। जनजाति क्षेत्र के साथ में यह अन्याय है। यह राशि राज्य सरकार टीएसपी क्षेत्र को नियमानुसार आबंटित करती है तो मैं समझता हूं कि टीएसपी क्षेत्र के समस्त वर्ग के लोगों का विकास हो सकता है। टीएसपी क्षेत्र में सम्पूर्ण वर्ग में गरीब लोग निवासरत हैं। गरीब की कोई जाति नहीं होती है, गरीब गरीब होता है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सभी वर्ग के गरीब लोगों को चिह्नित किया जाए और टीएसपी क्षेत्र का लाभ उन्हें भी मिलना चाहिए।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें, कैलाश जी।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): सर, एक मिनट, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। माननीय सभापति महोदय जी, मेरे गढ़ी विधान सभा क्षेत्र में पूर्व में 5 लिफ्टें स्वीकृत थीं, जिसका बजट देकर उनको प्रारम्भ कराया जाए। जलोत्थान सिंचाई योजनाएं स्वीकृत कराई जाएं। जनजाति क्षेत्रों में आदिवासी बिखरी हुई बस्तियों को जिनमें अलग से पहाड़ियों में मकान बनाकर रहते हैं, उनमें पीने के पानी की गर्मी में गम्भीर समस्या है। वहां विभाग द्वारा हैंडपम्प निर्माण, सौर ऊर्जा चलित पेयजल योजना स्वीकृत कराना आवश्यक है। आपके माध्यम से निवेदन है कि उक्त कार्य स्वीकृत कराए जाएं।

मेरा आपके माध्यम से यह भी निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन कुछ अनुपयोगी हो चुके हैं, जैसे तलवाड़ा, गढ़ी परतापुर खोडन, डकार कुंडी, परतापुर झोलाना, अरथूना, इन पुराने भवनों का निर्माण करने की आप स्वीकृति प्रदान करें।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। प्लीज समाप्त करें।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): एक मिनट, साहब। माननीय सभापति महोदयजी, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा सारी योजनाएं संचालित हैं परंतु योजनाएं धरातल पर क्रियान्वित नहीं होती हैं। छात्रावासों की दुर्दशा है। पर्याप्त संसाधन समय पर उपलब्ध नहीं होने से बालक अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाता है। बच्चों को समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। पेंशन योजना समय पर नहीं मिलती है। आवासीय विद्यालय की दुर्दशा है। वहां पर विषय अध्यापकों के पद रिक्त होने से पढ़ाई नहीं होती है। मेरे क्षेत्र में भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय, खोडन संचालित है। उसमें पिछले समय कोरोना काल के दौरान वहां के प्रभारी ने 500 बालिकाओं के लिए जो संसाधन खरीदने चाहिए, बालिकाओं के नहीं होने के बाद भी सम्पूर्ण संसाधन खरीद करके पूरा का पूरा पैसा उसने हड़प लिया।

श्री सभापति: समाप्त करें। प्लीज समाप्त करें।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): उसकी जांच ठीक तरीके से होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय जी, मेरा एक निवेदन है... सभापति जी, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामलाल जी।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-33 और 30 पर बोलने का मुझे मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मांग संख्या-33 के बारे में मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि प्रतापगढ़ जिला सम्पूर्ण आदिवासी क्षेत्र होने के साथ-साथ वहां एससी वर्ग के भी काफी गांव हैं, उनकी स्थिति बहुत कमजोर है लेकिन अनुसूचित जाति का एक भी छात्रावास वहां नहीं है। मैं इस मौके पर यह मांग करता हूं कि अनुसूचित जाति का छात्रावास प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर हो ताकि वहां के अनुसूचित जाति के गरीब बच्चों के लिए भी पढ़ने की व्यवस्था हो सके। दूसरा, एमबीसी गुर्जर समाज के भी हमारे यहां 7 से 8 गांव हैं, उनके लिए एक भी आवासीय विद्यालय नहीं है, देवनारायण बोर्ड से एमबीसी के आवासीय विद्यालय की मैं मांग करता हूं। तीसरा, विकलांगों के लिए सभी माननीय विधायकों ने भी मोटर ट्राई साइकिल की बात की है, जब भी हम दौरे पर जाते हैं, एक या दो विकलांग आ जाते हैं और उनकी वास्तविक मांग भी है, तो निश्चित रूप से प्रत्येक विधायक को कम से कम एक साल के अन्दर 50 मोटर ट्राई साइकिल बांटने का, भले ही विधायक मद से आधा पैसा हो

(श्री रामलाल मीणा)
जाए और आधा सरकार दे दे, लेकिन व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उनको भी आने-जाने में कोई तकलीफ नहीं हो।

दूसरी बात, माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-30 के बारे में मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि चकुंडा, बोरी, पाल, जोलर, देवपुरा, लुहारिया, हिंगलाट में आश्रम छात्रावास खोलने की व्यवस्था की जाए और प्रतापगढ़ जिले में एकलव्य मॉडल विद्यालय भी दलोट तहसील के सालमगढ़ में दिवाक माता के चौराहे भाटखेड़ी, छोटी सादड़ी में, पीपलखूंट में और दमोदर पंचायत समिति के देवपुरा में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की व्यवस्था हो, ताकि गरीब आदिवासी के बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था हो सके।

दूसरा, माननीय सभापति महोदय, आज भी आदिवासी क्षेत्रों के किसानों के खेत सूखे पड़े हैं, उनके सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रतिवर्ष ऐसे कुएं उनके यहां खोदे जाएं जिनके लिए 3 लाख रुपये तो नरेगा में खुदाई का पैसा मिल जाए और 3 लाख रुपये में बंधाई और ब्लास्टिंग का पैसा मिल जाए। 6 लाख रुपये में एक आदिवासी किसान का कुआं अगर खुद जाता है, उसके मोटर और पाइपलाइन की व्यवस्था भी उसके अन्दर कर दी जाती है तो निश्चित रूप से आदिवासी क्षेत्र के किसान के परिवार का भला हो सकता है, उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है।

आज मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को, माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि गत बजट सत्र के अन्दर मैंने मांग की थी कि कुसुम योजना के अन्दर 10 परसेंट जो हिस्सा राशि है, वह हमारे आदिवासी क्षेत्र के किसान नहीं दे पाएंगे, तो उन्होंने घोषणा करते हुए निःशुल्क कुसुम योजना के अन्तर्गत सोलर पनघट पम्प सैट देने की मांग को पूरा किया है। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, लेकिन कोरोना काल होने की वजह से किसानों को उसका फायदा नहीं मिल पाया है। इस बार टार्गेट को बढ़ाते हुए आदिवासी क्षेत्र के सभी किसानों को इसका फायदा मिल सके, इसके लिए माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरा, प्रतापगढ़ जिले में एक तो नागदी आश्रम छात्रावास और अरनोद आश्रम छात्रावास बिलकुल जर्जर हो चुके हैं, कभी भी हादसा हो सकता है। हादसा होने से पहले अपन संभल जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा और कोई

(श्री रामलाल मीणा)

जनधन की हानि नहीं होगी। इसलिए इनके नये भवन का निर्माण अतिशीघ्र से शीघ्र कराया जाए। कई छात्रावास ऐसे हैं जहां शौचालय और पेयजल की व्यवस्था नहीं है, जैसे अरनोद में शौचालय नहीं है, लड़के बाहर जाते हैं और रामपुरिया जैसे कई आवासीय विद्यालयों में, आश्रम छात्रावासों में पेयजल की व्यवस्था नहीं है, तो वहां सोलर पनघट की स्थापना की जाए ताकि बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आये।

दूसरा, करीब-करीब सभी माननीय सदस्यों ने कहा है और मेरी भी मांग है क्योंकि मां-बाड़ी केन्द्र आदिवासी क्षेत्र के अन्दर एक वरदान साबित हुए हैं। जहां पहले अध्यापक नहीं जा पाते थे, स्कूल खोलने की समस्याएं आती थी, वहां जनजाति विकास विभाग के मां-बाड़ी केन्द्र जो काम कर रहे हैं, आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को आंगनबाड़ी और स्कूल दोनों का काम वह कर रहे हैं, क्योंकि पोषाहार भी वहां मिल जाता है, पौष्टिक आहार भी उनको वहां मिल जाता है और शिक्षण की व्यवस्था भी वहां हो जाती है। कुछ मां-बाड़ी केन्द्रों में तीसरी तक पढ़ाई हो रही है और कुछ डे-केयर में पांचवीं तक की पढ़ाई हो रही है और बढ़िया तरीके से पढ़ाई हो रही है। बढ़िया तरीके से इसलिए हो रही है कि वहां लोकल अध्यापक उनको पढ़ा रहे हैं। वह स्थानीय भाषा समझते हैं तो बच्चे उनकी शिक्षा को बहुत जल्दी ग्रहण कर सकते हैं।

इस मौके पर मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो 250 मां-बाड़ी केन्द्र खोलने का प्रावधान किया है, माननीय मंत्री जी, टीएसपी क्षेत्र में ही एक हजार मां-बाड़ी केन्द्र खोलने की घोषणा करें। दूसरा, जो मां-बाड़ी केन्द्र अभी चल रहे हैं, उनको डे-केयर केन्द्र में परिवर्तित करें ताकि आदिवासी क्षेत्र के बच्चों का भला हो सके। तीसरी बात, जिस प्रकार से मां-बाड़ी केन्द्र के शिक्षा सहयोगी बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों के अध्यापकों से भी मां-बाड़ी शिक्षा सहयोगी बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, उनको बराबर तरीके से तनख्वाह मिले, उनकी तनख्वाह को बढ़ाया जाये और संविदा के आधार पर उनको दर्जा देते हुए उनको कहीं न कहीं समायोजित किया जाए ताकि वह और अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाई करा सकें।

अभी हमारे माननीय सदस्य आदिवासी धर्म कोड की बात कर रहे थे। इधर से विपक्ष से हमारे राजेन्द्र राठौड़ साहब खड़े होकर उन पर +++ लगे। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी हमेशा आदिवासियों का शोषण करते आई है। उसका जीता जागता उदाहरण आज आपके सामने दिख रहा है। माननीय

(श्री रामलाल मीणा)

राजेन्द्र राठौड़ साहब अपने बीच में नहीं हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर देश में जनगणना होगी तो पारख साहब और कटारिया जी क्या लिखेंगे? क्या वह हिन्दू लिखेंगे या जैन लिखेंगे? यह आप मुझे सबके सामने बताएं। हिन्दुस्तान में रहने वाला हर शख्स हिन्दू है, भले ही वह हिन्दू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, जैन हो। मैं पुरजोर तरीके से मांग करता हूं कि आदिवासियों की अलग से धर्म कोड की स्थापना होनी चाहिये, होनी चाहिये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अपने सब्जैक्ट पर आइए।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से माननीय सदस्य अभी कह रहे थे कि हम हिन्दू हैं, मैं मानता हूं कि हम सब हिन्दू हैं लेकिन आदिवासियों को बराबर अधिकार है कि वह आदिवासी धर्म कोड की मांग करते हुए उनका अलग धर्म इंद्राज किया जाए। मैं सभी माननीय सदस्यों से कहना चाह रहा हूं, यह भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का धर्म कौनसा है, अभी पता नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले हमारे पूर्व सांसद साहब इस दुनिया में नहीं रहे, वह भारतीय जनता पार्टी से थे, किस धर्म के अनुसार उनका वह किया गया था, यह बताएं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप टोपिक पर आइए।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): मैं तो आपकी कथनी और करनी में जो फर्क है, वह बताना चाह रहा था। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया शांत रहें। माननीय सदस्य, आप विराजें। विराजिये, विराजिये।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): आपके तो चोटी भी होगी, मेरे चोटी भी है लेकिन मैं आदिवासी धर्म कोड की मांग करता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। आप विराजें। विराजिये, विराजिये।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय सभापति महोदय, जब जब आदिवासी उनके हक, अधिकार की बात करता है तब तब यह धर्म परिवर्तन की बात करते हैं आदिवासियों को दबाने के लिए, यह मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, आज आदिवासी क्षेत्र में गरीब आदिवासियों को, भले सरकार कोई-सी भी हो, देशी दारू के नाम पर उनको पकड़ा जाता है, उनको बन्द किया जाता है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो। माननीय सदस्य, विराजो, विराजो, आप विराज जाइए। कोई अंकित नहीं हो रहा है।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): मैं भारतीय जनता पार्टी में था, मेरा भारतीय जनता पार्टी ने शोषण किया, मैं कांग्रेस में आकर चुनाव लड़ा हूं। (व्यवधान) वहां बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी में बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी इसलिए यहां आकर चुनाव लड़ा हूं और आज जनता की मांग को उठा रहा हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। श्री पुष्पेन्द्र सिंह। विराजिये आप।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): श्रीमान मेरी बात ही पूरी नहीं हुई है।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): 000

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): 000

श्री सभापति: आप विराज जाइए, ...(व्यवधान) आपके सदस्य बोल रहे हैं। उन्हें बैठा दूं क्या, अगला नाम पुकार दूं? (व्यवधान) कैलाश जी, माननीय सदस्य, मैं नाम ले रहा हूं, आप बैठ जाइए। जब आपका सदस्य बोल रहा है तब तो बोलने दो। (व्यवधान) आप बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए। पुष्पेन्द्र जी, बोलिए आप।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास ...(व्यवधान)

श्री सभापति: राठौड़ साहब, आप इनको बैठाइये। हो गया, समय पूरा हो गया, समय पूरा हो गया। आप इधर-उधर जाओगे तो समय पूरा हो ही जायेगा। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। पुष्पेन्द्र जी, चलिए।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): आप हाउस को कंट्रोल में लाइए। मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास और मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर, सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं तहे दिल से आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य और प्रतापगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ...

श्री सभापति: अपन को इधर-उधर नहीं जाना, आप अपने टोपिक पर बात करो।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): मैं इस पर जा ही नहीं रहा हूं। अम्बेडकर जी

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

ने जो हमारा संविधान बनाया है, उसमें जो आपके प्रिएंबल राइट्स हैं, राइट टू रिलीजन, जिस धर्म में आपको विश्वास है, अपने धर्म का विश्वास करो। इस पर आर्गुमेंट की बात ही नहीं है।

श्री सभापति: आप भी मत जाइए। आप सामाजिक न्याय की ...(व्यवधान) बात करो।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): ...(व्यवधान) अपने धर्म को स्वीकार करें। आज सबसे बड़ी मांग है जनजाति क्षेत्र के विकास के बारे में और समाज कल्याण के विकास के द्वारा मैं समझता हूं अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान के लिए और हमारे समाज के साथ वह समाज भी खड़ा हो। पिछले कई सालों से वह समाज बिलकुल गरीब तबका था, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति से काफी कमजोर था, उनको ऊपर लाने की बात थी, इस पर हमको विचार करना चाहिये। जरूरी नहीं हम धर्म के बारे में बात करें।

सभापति महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा वसुन्धरा जी की पूर्ववर्ती सरकार को, 1981 के नोटिफिकेशन के बाद, 43 साल बाद नरेन्द्र मोदी जी की केन्द्र सरकार वापस नोटिफिकेशन लाई है। पिण्डवाड़ा, गोगुन्दा और बड़ी सादड़ी का जो क्षेत्र है, वहां लगभग 95 परसेंट आदिवासी लोग भील, गरासिया रहते थे, इनको टीएसपी क्षेत्र का फायदा मिलता नहीं था। आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे यहां से जो प्रस्ताव गया और राजस्थान में जिस ब्लाक में जहां 60 परसेंट से ऊपर आबादी आदिवासी क्षेत्र की थी, उनको ट्राइबल सब प्लान एरिया में सम्मिलित किया। मेरे इस क्षेत्र में 33 गांव हैं, 11 पंचायतें हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने आदिवासी क्षेत्र के विकास की बात की। आज यही कारण है पूरा मेवाड़ देख लें और जहां आदिवासी क्षेत्र से हम विधायक जीते हैं, सिरोही से हो, रेवदर से हमारे जगसी राम जी हों या समाराम जी हों, राजस्थान के ट्राइबल क्षेत्र से जितने भी विधायक जीत कर आये हैं, उनमें ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी से जीत कर आये हैं क्योंकि उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी में भैरोंसिंह जी के कार्यकाल से विकास की दृष्टि से आदिवासी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया, इसके बाद वहां का व्यक्ति सरपंच बन सका, प्रधान बन सका, प्रमुख बन सका, एमएलए बन सका।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वसुन्धरा जी को जिन्होंने 2003-08 के अपने कार्यकाल में 45 परसेंट, 12 परसेंट में ट्राइबल सब प्लान एरिया को

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

आरक्षण दिया। उससे आज हमारे वहां बाबू से लेकर डाक्टर, इंजीनियर आदिवासी भाई बन रहे हैं। आज वह नौकरी कर रहा है, नहीं तो सपना था। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां एक दो बच्चे आज टीचर हैं, एक दो बच्चे एएनएम हैं, नहीं तो ढूंढने से एक आदमी नहीं मिलता था। पूर्ववर्ती राजस्थान से लोग आकर हमारे क्षेत्र में नौकरी करते थे और दो साल में ट्रांसफर करा कर वापस चले जाते थे। शिक्षा की यह हालत थी कि स्कूल में शिक्षा नाम की कोई चीज नहीं थी। घर बैठे हाज़िरी होती थी और तनख्वाह उठाते थे। मैं वसुन्धरा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने ट्राइबल सब प्लान एरिया को रिजर्वेशन दिया, तब जाकर हमारे वहां के बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में, उन बच्चों को आज नौकरियां उपलब्ध हो रही हैं।

आज यह शिक्षा की बात कर रहे हैं, भैरोंसिंह जी फर्स्ट मुख्य मंत्री थे जिन्होंने राजस्थान में प्रत्येक पंचायत पर उच्च प्राथमिक स्कूल खोली। उसके बाद वसुन्धरा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा समानांतर लेवल पर प्रत्येक पंचायत पर माध्यमिक स्कूल खोली और गत सरकार में उन्होंने प्रत्येक पंचायत में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल खोली, जिसमें विज्ञान, कामर्स और आर्ट्स, जहां पूरे ब्लाक में एक स्कूल में विज्ञान का सब्जैक्ट एक होता था, आज प्रत्येक ब्लाक में 10-10 ऐसे स्कूल हैं जहां विज्ञान और कामर्स के संकाय खुले हुए हैं, जहां आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूं कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खाली नाम से नहीं कहा, उन्होंने पूरी टीचर्स की भर्ती की। वहां अगर लेक्चरर्स की कमी थी, प्रिंसिपल की कमी थी, पीटीआई की कमी थी, शारीरिक शिक्षक की कमी थी तो उसको पूरा किया है और बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बाली तक कोशिश की कि प्रत्येक स्कूल में पूर्ण टीचर्स उपलब्ध हों।

मैं सरकार के माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह तीसरा बजट है। मैं भी टीएसपी क्षेत्र से हूं मेरे यहां 11 पंचायत हैं। आश्रम छात्रावासों को चलाने और उनकी रिपेयरिंग के लिए हमारे पास कोई बजट नहीं है। मंत्री जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि आप तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ आते हो, हमारे क्षेत्र पिंडवाड़ा और आबूरोड में आप एक बार आकर देखें कि गरीबी क्या होती है? गरीबी देखनी हो तो हमारे क्षेत्र में आएं, कोटड़ा, झाड़ोल। हमारे वहां की गरीबी देखेंगे कि हमारे आदिवासी वहां किस तरह से गरीब हैं? आप हमारे ऊपर भी ध्यान दें, जो जनजाति विकास का पैसा आता

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

है, उसको किस तरह से बांटना है, उस पर सरकार कोई न कोई टीएफसी, एसएफसी, जो पंचायत में पैसा बंटता है, वह जनसंख्या के आधार पर बंटता है। कृपा करके आप हमको भी जनसंख्या के आधार पर कोई पैसा दें, ताकि हम हमारे क्षेत्र का विकास कर सकें।

मैं प्रधान मंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 250 की आबादी वाले जनजाति क्षेत्र को उन्होंने रोड से जोड़ा। आज छोटा-सा आदिवासी क्षेत्र भी रोड से जुड़ा है। यह हालत भी हमने देखी है। 1980 में जो गरासिया भील चलता था, 20 किलोमीटर चलकर आता था, लकड़ी लेकर आता था और बड़े गांव में आकर लकड़ी देता था और एक पांच लीटर की जरीकेन में छाछ लेकर जाता था, उसके अन्दर मक्के का आटा घोलता था और बच्चे को एक टाइम की रोटी खिलाता था। आज वह हालत नहीं है। मैं प्रधान मंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने गांवों को जोड़ा।

मैं मोदीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने एक-एक घर पर दीनदयाल योजना में लाइट दी है। मैं प्रधान मंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने आवास योजना में डेढ़-डेढ़ लाख रुपये दिये, खास तौर पर ये वे लोग हैं जिनके पास वास्तव में कच्ची झोपड़ियां थीं उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी। मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान बने हैं, आपको प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने मन में विचार किया कि गरीब को पक्का मकान दूं।

मैं प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उज्ज्वला योजना से अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र में उन्होंने हर घर पर गैस दी है, जिससे कि माता-बहनें खाना खिला सकती हैं। आपने 50 साल में इन आदिवासी क्षेत्रों में विकास नहीं किया है।

शिक्षाकर्मी योजना में, हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री गुलाब जी कटारिया, जो आज नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने शिक्षाकर्मी योजना लागू की। वहां का जो लोकल व्यक्ति था, जो आठवीं पास, दसवीं या बारहवीं पास था, उसको शिक्षा कर्मी योजना के अन्तर्गत टीचर लगाया और उसने वहां के लोकल बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। मैं वसुन्धरा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर जो टीचर लगे थे, उनको और जो शिक्षाकर्मी, एसटीसी और बी.एड.

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

थे, उनका समायोजन किया, उनको टीचर बनाया। थर्ड ग्रेड टीचर बनाकर स्थिति खड़ी की तो पूरे आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा का बहुत बड़ा दौर आया।

सभापति महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि काकराड़ी ग्राम पंचायत है, मेरे यहां दो आश्रम छात्रावास हैं, एक बिनाड़ा में सौ बच्चों का है और एक दानवेली में सौ बच्चों का है। मैं चाहता हूं कि बालिकाओं के लिए एक आश्रम छात्रावास खुले, जिससे हमारी बालिकाएं वहां पढ़ें। उनमें बहुत हुनर है और वे 12वीं तक तो पढ़ती हैं पर उन्हें दूर जाना पड़े तो वे जा नहीं सकतीं, इसलिए बीच में ड्रोपआउट ज्यादा होता है। एक तो काकराड़ी में बालिका छात्रावास खोला जाए। दूसरा, मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे बाली में महाविद्यालय है। अगर आप किसी भी तरह से वहां आदिवासी क्षेत्र के बच्चों के लिए एक हॉस्टल खोल दें, बाली शहर है, उनको किराये पर कोई मकान नहीं देगा और किराया भी वे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अगर वहां एक छात्रावास खुल जाए तो वे कालेज पूरी कर सकते हैं।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र से दो-तीन लड़के हैं, एक एम.एससी. है। आज उस लड़के ने एसीएफ का एग्जाम दिया। वह मेरे घर पर ही रहता है। आज वह जयपुर में पढ़ता है। मैं उनको कोचिंग कराता हूं। आपने कहा कि हमारे क्षेत्र के बच्चों को कोचिंग देंगे, आई.टी.आई. की कोचिंग, मेडिकल की कोचिंग देंगे। हमारे क्षेत्र, खास तौर पर जो पिंडवाड़ा है, आबू रोड है, कोटड़ा और झाड़ोल है, उस पर भी आप ध्यान दें। हम बहुत दूर रहते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे जितने भी विकास के प्रस्ताव हैं, हमको जिला परिषद् भेजना पड़ता है। आज आबू रोड में जनजाति क्षेत्र विकास का अधिकारी बैठता है, क्यों नहीं पिंडवाड़ा और बाली में अधिकारी लगाएं, ताकि हमारे यहां के प्रस्ताव डायरेक्ट सरकार तक पहुंच सके, नहीं तो हमें डी.आई.डी. देना पड़ता है। हमारे डी.आई.डी. के प्रस्ताव कचरे की टोकरी में जाते हैं। आज दिन तक हमको एक भी पैसा नहीं मिला है।

मेरा आपसे दूसरा अनुरोध है कि टीएसपी क्षेत्र में वसुन्धरा जी के कार्यकाल में जितने भी बीपीएल थे, उनकी सौ यूनिट बिजली माफ की। उनको एक रुपये देने की आवश्यकता नहीं थी। आप कह रहे थे कि हमने क्या किया है? उसके बाद वहां के जो ओबीसी और जनरल हैं, उनको आउट आफ प्रायोरिटी एग्रीकल्चर कनेक्शन देना शुरू किया। बीपीएल के सौ यूनिट माफ किये। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि मेरा जो क्षेत्र है, उसमें हमने ऐसे कई

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

महिला समूह बनाये हैं, इन 12 पंचायतों में हमारे यहां करीब 500 महिला समूह हैं। वे महिला समूह अंबुजा और एक सीजन एनजीओ, उसके माध्यम से हमने महिला समूह बनाये हैं। आज मेरे क्षेत्र में एक समूह है, जो सीताफल का फल इकट्ठा करके बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज को फल सप्लाई करता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): अगर उस समूह को आप फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करेंगे, आज वे बिजली के बिल नहीं भर सकते हैं। ऐसे महिलाओं के समूह को आप वापस मजबूती से फाइनेंस का सपोर्ट दें, ताकि वे महिला, माता, बहनें, अपना खुद का जीवन यापन कर सकती हैं। काटेज इंडस्ट्रीज के माध्यम से वे अपना काम कर सकें।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): मेरा आपसे दूसरा अनुरोध रहेगा कि पालनहार योजना 2005 में शुरू हुई। 2005 में भी हजार रुपये मिलते थे, उस बच्चे को और आज भी हजार रुपये मिल रहे हैं। महंगाई का युग है, आप उस छात्रवृत्ति को कम से कम पन्द्रह सौ रुपये कर दें। आज पालनहार बहुत विस्तृत है, एच.आई.वी., कैंसर, सिलिकोसिस पेशेंट, जो भी विकलांग हैं, सबको मिल रहा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य समाप्त करें, कृपया समाप्त करें।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): एक मिनट का टाइम ले रहा हूं।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्रीमती निर्मला सहरिया।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): सभापति महोदय, एक मिनट ले रहा हूं, मैं कन्क्लूड कर रहा हूं। मेरा एक निवेदन है कि आदिवासी क्षेत्र में जोइंट परिवार मतलब एक परिवार में चार बच्चे थे, चारों बच्चों का विवाह हो गया, अलग से राशन कार्ड बनाया, जोब कार्ड बनाया। जो बीपीएल परिवार था।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। अब अंकित नहीं हो रहा है।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): 000

श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 30 - जनजाति क्षेत्रीय विकास और मांग संख्या 33 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

(श्रीमती निर्मला सहरिया)

सभापति महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आती हूं, मेरा विधान सभा क्षेत्र किशनगंज सहरियाओं का है, आदिवासी एरिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को यह कहना चाहती हूं कि बजट घोषणा में सहरियाओं के लिए नरेगा में 200 दिन किये, उन्होंने आवासीय विद्यालय 4 दिये हैं और सहरिया क्षेत्र के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति दी और कर्मचारियों को भी दिया, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूं।

साथ ही मैं यह कहना चाहती हूं, पिछली बार भी जब टीएडी की चर्चा हुई, तब भी मैंने यह मांग रखी थी कि जब पिछली सरकार आयी, उस वक्त 1994 से जो सहरियाओं के लिए टीएडी आवासीय मकान मिलते थे स्वच्छकार परियोजना के जरिये, वह पिछली सरकार आते ही, जो सम्माननीय एमएलए और जनप्रतिनिधि वहां से जीतकर आये थे, उनमें माननीय मुख्य मंत्री जी जो हमारे झालावाड़ से जीती थीं, सहरियाओं के आवास को कैंसिल कर दिया और उनकी जगह पीएम आवास रखे। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मांग करना चाहती हूं, माननीय अधिकारीगण भी यहां बैठे हैं, वापस सहरिया कालोनियां बनायी जाएं, ताकि वे भी पक्के आवासों में रह सकें, जो झोपड़ियों में निवास करने वाले हैं, उनके लिए।

उच्च भर्तियों में 25 परसेंट का जो आरक्षण सहरियाओं का है, पिछली बार जब हम जीत कर आए थे तो मैंने एक मांग रखी थी कि पूरे बारां जिले को उच्च भर्तियों में लिया जाए। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह मांग करती हूं कि मेरी किशनगंज विधान सभा और बारां जिले में हमारे समाज के जो अन्य सहरिया आते हैं, उनके लिए अलग से और किशनगंज विधान सभा का कोटा 25 परसेंट जैसे का जैसा रखा जाए। ये मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है।

सभापति महोदय, मंत्री महोदय यहां बैठे हैं। आपके टीएडी क्षेत्र यानी कि उदयपुर की तरफ खेल छात्रावास है। मैं खेल छात्रावास की मांग करती हूं ताकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में शाहबाद एरिया में एक खेल छात्रावास मुझे दिया जाए। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि सहरियाओं का 25 परसेंट का आरक्षण का पुलिस, पटवारी, एलडीसी, सैक्रेटरी इनमें लाभ दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से उच्च भर्ती के लिए भी इनकी मांग करती हूं ताकि उच्च भर्तियों में भी हमें लाभ मिले। आज तक हमारा एक भी सहरिया समाज का

(श्रीमती निर्मला सहरिया)

बालक या बालिका उच्च पद पर नहीं आया। हमारे बच्चे छात्रावास में पढ़ तो लेते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वह कोटा, उदयपुर या जयपुर आकर कोचिंग कर सकें, इसलिए 25 परसेंट से या 50 परसेंट में उच्च भर्तियों में उन्हें लाभ दिया जाए।

मैं यह भी मांग करती हूं कि उनको कोटा कोचिंग के लिए क्योंकि हमारे सहरिया जहां रहते हैं वहां आनलाइन की ज्यादा नहीं है, उनके पास मोबाइल भी नहीं है, अभी भी मेरे कम से कम 25 सहरिया ऐसे थे जो दसवीं और बारहवीं के बोर्ड के फार्म नहीं भर पाये। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि आनलाइन वाला जो सिस्टम है, वह तो ठीक है, लेकिन आप ऐसी कोई व्यवस्था करें कि मेरे जो बच्चे हैं वह फार्म टाइम पर भर सकें और परीक्षा में बैठ सकें। मैं यह भी मांग रखना चाहती हूं और पिछली बार भी मैंने मांग रखी थी कि कोटा में हमारे लिए, सहरियाओं के लिए एक छात्रावास खोला जाए ताकि बारां से आने वाले सारे सहरिया बच्चे कोटा रहकर कोचिंग कर सकें। कोचिंग की व्यवस्था हो जाए, उनके खान-पान की व्यवस्था अच्छी हो जाए।

मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि सहरिया परियोजना से हमें पिछली बार जो लाभ मिलते थे, सहरिया परियोजना से हमें सीसी, खरंजे, कुएं मिलते थे, 5 किसानों पर सहरियाओं के लिए कुएं दिये जाते थे, ट्यूबवैल दी जाती थी, वह सब बन्द कर दिये गये हैं। मैं चाहती हूं कि इनको पुनः चालू करें। मंत्री महोदय से मेरी आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट है कि इनको वापस चालू कराया जाए। साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूं...

श्री सभापति: समाप्त कीजिए।

श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज): मैं यह कहना चाहती हूं कि जिस क्षेत्र से मैं जीत कर आई हूं वह क्षेत्र सहरिया इलाका है। सहरियाओं की जमीन पर प्रभावशालियों ने कब्जा कर रखा है, मेरा खूब प्रयास रहता है, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय और यहां जो अधिकारी बैठे हैं, उनसे कहना चाहती हूं कि उनका अधिकार उन्हीं को मिले। उनकी जमीनों पर दूसरे कब्जे कर लेते हैं उनको डरा-धमकाकर और आज भी उनका शोषण हो रहा है।

मेरी आपसे यह भी मांग है और मैंने पिछली बार भी उठाई थी कि हमारे सहरिया जंगल में जाकर गोंद वगैरह, जड़ी-बूटियां ढूंढ कर लाते हैं। मैंने आपसे पिछली बार मांग रखी थी कि उनके लिए उपभोक्ता की शाहबाद के

(श्रीमती निर्मला सहरिया)

अन्दर दुकान खोली जाए ताकि हमारी जो जड़ी-बूटियां हैं, राजस्थान की राजस्थान में रह जाए, एमपी में न जाएं। मैंने पिछली बार भी इस मांग को रखा था और अभी भी मैं इस मांग को रख रही हूं।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज): एक मिनट में समाप्त करती हूं। मैं एक बात और मां-बाड़ी के ऊपर कहना चाहती हूं। जितने भी मांबाड़ी में शिक्षा सहयोगिनी लगी हैं, या तो उनको परमानेंट किया जाए या फिर उनका मानदेय बढ़ाया जाए। साथ ही जितनी भी मां-बाड़ियां हैं, उन मां-बाड़ियों में टायलेट की व्यवस्था की जाए ताकि बच्चों को इधर-उधर न भटकना पड़े।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज): साथ ही मां-बाड़ियों में बच्चों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की जाए।

श्री सभापति: समाप्त कीजिए।

श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज): सर, एक और है। मेरे आवासीय विद्यालय हैं, मेरे क्षेत्र के जो आवासीय विद्यालय हैं, उनमें पानी की ज्यादा समस्या है। बच्चे बाल्टियां लेकर जाएं या स्कूल में पढ़ने जाएं? मैंने स्वयं ने मेरे गांव में परानिया में अभी टैंकर की व्यवस्था कर रखी है। सहरियाओं के जो स्कूल हैं, उनमें भी मैंने खुद ने 4 टैंकर लेकर चलवा रखे हैं। आपके माध्यम से मेरी मंत्री महोदय से यह रिक्वेस्ट है कि परानिया का जो प्रिंसिपल है, उसके पास यह जिम्मेदारी है, वह खुद यह करा सकता है परंतु नहीं करवा रहा है क्योंकि सहरियाओं के साथ, आवासीय विद्यालय में सहरिया ही नहीं, सभी रहते हैं, भील भी हैं, मीना भी हैं, परंतु उनकी आज ये कंडीशन है कि वह स्कूल छोड़कर चले गये हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री राजकुमार रोत।

श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज): मंत्री महोदय, आप मेरी बात सुन लीजिए, उस प्रिंसिपल को वहां से हटा दीजिए, और किसी को लगाएं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं

(श्री महेन्द्र चौधरी)

प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाकर 7 बजे तक कर दिया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 30 व 33 पर विचार

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 30 और 33 सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग और जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग पर जो डिबेट हो रही है, सभापति महोदय, मैं पहले ही आपका संरक्षण चाहूंगा कि जो नये सदस्य आए हैं और अनुसूचित जाति या जनजाति से सम्बन्ध रखते हैं, उनको थोड़ा बोलने का अवसर प्रदान करें।

श्री सभापति: आप भूमिका नहीं बनाएं, सीधा ही बोलें, आपको पूरा ही अवसर है।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, मैं दक्षिणी राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला, धर्म पूर्वी समाज आदिवासी समाज के भील समूह से इस सदन में आता हूं। अभी कुछ विषय पर इस सदन में हंगामा हो रहा था। मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले कि आदिवासी समाज में कभी भी पति-पत्नी के बीच में कोई विवाद होता है तो सामाजिक रीति-रिवाज जो पहले होता था, वह कहलाता था सेडाफाडा, पति-पत्नी के बीच में कोई भी विवाद हुआ तो सेडाफाड़ा एक व्यवस्था होती थी, वह सामाजिक अलिखित संविधान था, एक कानून था वह और उसको समाज मान्यता प्रदान करता था। आज हम लोग कोर्ट में जाते हैं और वहां पर विभिन्न समाज या विभिन्न जातियों के लोग कोर्ट में तलाक के लिए एप्लाई करते हैं, इसके बाद तलाक होता है। सरकार ने भी विभिन्न भर्तियों में एक प्रावधान कर रखा है कि तलाकशुदा महिलाओं के लिए एक कोटा रखा है, उसमें कुछ सीट रहती हैं। मैंने अभी पता लगाया कि आज तक आदिवासी समाज के थ्रू जितने परिवार गये कोर्ट में, किसी भी परिवाद में तलाक नहीं हुआ। मेरा जो कहने का उद्देश्य है कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 2 आदिवासी समाज पर लागू नहीं होती है। इससे सिद्ध होता है कि आदिवासी समाज वर्ण व्यवस्था या किसी

(श्री राजकुमार रोत)

(18.00 बजे)

धर्म व्यवस्था में नहीं आता है। अब मैं अपनी बात शुरू करूंगा। इस बिन्दु पर मेरा मत है, किसी एक दिन लंबी डिबेट होनी चाहिए। यह समाज कौनसे धर्म में आता है, उसका अभी तक निश्चित नहीं हुआ है क्योंकि लंबे समय से अलग धर्म कोड की डिमांड चल रही है।

माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जनजाति के लिए टीएडी का फण्ड होता है, उसमें राज्य सरकार, केन्द्र सरकार की तरफ से कई मदों में पैसा आता है, लेकिन आज तक जो व्यवस्था बनी है, उस पैसे को सम्बन्धित विभागों में डिवाइड किया जाता है। वह विभाग उस पैसे का कहां-कहां, कैसे-कैसे उपयोग कर रहा है, उसकी प्रोपर मानिटरिंग अब तक नहीं हो पा रही है। हालांकि, अभी हाल ही बजट घोषणा में सीएम साहब ने एससी, एसटी के लिए अलग से कानून बनाने की घोषणा की है, राजस्थान पैटर्न। हम चाहेंगे कि पहले जिस तरह से बंटवारा हुआ है, 2019-20 का आबंटित बजट है, इसमें टीएडी विभाग से पैट्रोलियम विभाग को 44 सौ करोड़ रुपये दिये गये। वहीं आगे दिल्ली-मुम्बई कोरिडोर निकल रहा है, उसमें 10 करोड़ रुपये टीएडी विभाग से दिये गये हैं। इसी तरह बाकी कई जगह जो अनुपयोगी है, एससी, एसटी से रिलेटेड नहीं है, ऐसी जगह टीएडी विभाग का पैसा उपयोग में लिया जा रहा है। कहीं न कहीं आदिवासी समाज के साथ अन्याय हो रहा है।

इसी क्रम में, बजट ज़िलेवार आबंटन हो रहा है, पूरे राजस्थान में टीएडी विभाग का बजट आबंटन किया जाता है। मैंने एक-दो जानकारी प्राप्त की। ऐसे ज़िले हैं जहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या है, जैसे कि हनुमानगढ़ है वहां 0.8 जनसंख्या है, वहां टोटल बजट में से 10 प्रतिशत दिया गया है। बजट का जो बंटवारा है, इसी कारण आदिवासी इलाक़े में, आदिवासी समाज का उद्धार नहीं हुआ है।

अनुसूचित क्षेत्र में कानून व्यवस्था। हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले अँग्रेज़ी शासनकाल था। अंग्रेजों ने भी इस इलाक़े में किस तरह कानून व्यवस्था बनाई जाए, अपने प्रावधान किये थे। हम बात करते हैं, अनुसूचित क्षेत्र, शिड्यूल्ड एरिया, 5वीं अनुसूची। संविधान में प्रावधान है 244 (1) के तहत, शिड्यूल्ड एरिया 1935 के अधिनियम से संविधान में लिया गया है। उसमें यह प्रावधान है कि शिड्यूल्ड एरिया में आदिवासी समाज के लिए

(श्री राजकुमार रोत)

अलग से भर्तियों में है। जमीनों के मामले में है कि आदिवासी की जमीन कोई दूसरा नहीं खरीद सकता है। आज भी कई जगह ऐसा हो रहा है कि धोखाधड़ी से सड़कों के आस-पास आदिवासी की जमीन खरीदी जा रही है।

सभापति महोदय, उस इलाक़े में दहेज के मुक़दमे होते हैं। आप भी भली भांति जानते हो कि आदिवासी समाज में दहेज प्रथा होती ही नहीं है, वहां पर दापा प्रथा होती है। दहेज महिला की तरफ से मांगा जाता है। आदिवासी समाज में आज तक दहेज प्रथा प्रचलन में ही नहीं है। दापा प्रथा होती है। उलटे दूल्हे की तरफ से महिला वालों को दिया जाता है। वह गांव में प्रवेश करता है, उसी वक्त से वह सारा सिस्टम शुरू होता है। उस इलाक़े में जितने भी दहेज वाले मामले हो रहे हैं, सारे के सारे झूठे हो रहे हैं। सभी जानते हैं लेकिन फिर भी इसमें लोगों को इन्वाल्व करके यह किया जा रहा है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इसमें ऐसी कोई व्यवस्था की जाए, हम जान रहे हैं कि झूठे मामले हैं, इसके बावजूद भी हम लोग यह प्रचलन आगे बढ़ा रहे हैं।

एक घटना 02 अप्रैल को भारत बन्द के दौरान हुई थी। आसपुर में कांड हुआ था। हम लोग कहते हैं कि छुआछूत, भेदभाव होता है। भेदभाव हर स्तर पर होता है, कानूनी कार्यवाही में हो, किसी विभाग में हो, पदोन्नति में हो, हर जगह किया जाता है।

(18.04 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

02 अप्रैल को घटना हुई। एक मुकदमा था, 71/2018 और 72/2018, उन लोगों ने थाने के सामने, एससी, एसटी के लोगों पर तलवार चलाई थी। सीसीटीवी फुटेज भी थे। सारे एविडेंस थे, लेकिन आज तक उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया, आज तक उनका चालान पेश नहीं किया गया है।

सभापति महोदय, अनुसूचित क्षेत्र में आरक्षण व्यवस्था। अभी चल रहा था, कोई कह रहा था कि आरक्षण हमने दिया, कोई कह रहा था आरक्षण हमने दिया। आरक्षण कोई भीख या दया नहीं है कि किसी ने दिया है। हम शिड्यूल 5 की बात कर रहे थे। हमारे पूर्वजों ने वह लड़-झगड़कर लिया है। 1935 के अधिनियम में था। कई लोगों ने खून बहाया है, बलिदान दिया है। संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर और जयपाल सिंह मुंडा जैसे लोगों की मेहरबानी है कि आरक्षण जैसी व्यवस्था दी। यह व्यवस्था इसलिए की थी कि

(श्री राजकुमार रोत)

जो दबे कुचले लोग हैं, जिन पर आज तक शोषण हुआ है, अंग्रेज़ी शासन काल में हुआ, इससे पहले भी हुआ, उन लोगों को आगे की कड़ी में लाया जाए, उन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इसलिए आरक्षण व्यवस्था लागू हुई थी।

अभी हाल ही में अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार हुआ। विस्तार हुआ, उस अधिसूचना में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह विस्तार हुआ इसके बाद वाली जो भर्तियां हैं, इन सभी भर्तियों में, यह नया एरिया जुड़ा है, उन लोगों को जोड़ा जाएगा। लेकिन फिर भी बैक डोर एंट्री से, साइड की गली से, अधिकारियों की मिलीभगत से बाहरी लोगों को अनुसूचित क्षेत्र में ले लिया गया। इससे कई स्थानीय बेरोज़गारों के साथ अन्याय हुआ। शिक्षक भर्ती 2018, सैकण्ड ग्रेड की भर्ती, एलडीसी भर्ती, कई भर्तियों में अनुसूचित क्षेत्र के युवा हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है।

हमारे कई माननीय सदस्यों ने बताया, काकरी डूंगरी घटना हुई थी। इसका जिम्मेदार कौन है? मेरे जैसा आरोप लगाता है किसी और पर, कोई और आरोप लगा देता है किसी और पर। मैंने अभी तक महसूस किया कि 2013 की अधिसूचना शिड्यूल्ड एरिया के लिए जारी हुई है, उसको 2016 में निरस्त कर दिया गया। 2016 में वापस उस इलाके के लिए अधिसूचना जारी हुई। उसमें 45 परसेंट एसटी, 5 परसेंट एससी, 50 परसेंट सीटें अनारक्षित। 50 परसेंट सीटों के लिए एसटी के जो पात्र अभ्यर्थी थे, उन्होंने दो साल तक आंदोलन किया। कांग्रेस के भी गए, बीजेपी के भी गए, हम लोग भी गए, बाकी जद वाले, सभी लोग गए। सभी ने वहां जाकर अपनी-अपनी थोड़ी बहुत भूमिका निभा दी लेकिन उस मामले को वास्तविक परिणाम तक ले जाने के लिए किसी ने पहल नहीं की। 50 परसेंट सीटें अनारक्षित थीं, इसमें आज तक यह क्लियर नहीं किया गया है कि इसके लिए किस-किस वर्ग के लिए क्या पात्रता है, उसका क्लेरीफिकेशन आज तक नहीं किया गया है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में समाप्त करें।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): सर, निवेदन है थोड़ा समय दें। मैं अनुरोध करूंगा कि इसका क्लेरीफिकेशन हो जाए कि इसमें किस-किस वर्ग के लिए क्या-क्या पात्रता है, ताकि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं नहीं दोहराई जाएं।

माननीय सभापति महोदय, बेणेश्वर आदिवासी समाज का धार्मिक स्थल है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पूरे आदिवासी समाज के

(श्री राजकुमार रोत)

लिए धार्मिक स्थल है। यह बेणके के नाम से जाना जाता है। वहां यह स्थिति बनी हुई है कि आदिवासी समाज के लिए, आस-पास के जो लोग हैं..

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री समाराम गरासिया।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): सर, अपनी बात तो पूरी रखने दीजिए।

श्री सभापति: प्लीज, सहयोग करें।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): सर, मैं दो मिनट में अपनी पूरी बात रख दूंगा।

श्री सभापति: आप अपनी बात एक मिनट में समाप्त करिए।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि बेणके है, इसमें स्थानीय आदिवासी लोगों के नाम से जमीन आबंटित कर दी जाए। स्वच्छ परियोजना के तहत मां-बाड़ियां चल रही हैं। मां-बाड़ी केन्द्रों का उद्देश्य यह है कि कहीं न कहीं आदिवासी बच्चों को लाभ दिया जाए लेकिन सही समय पर यूनिफार्म नहीं पहुंच रही है। अभी सीएम साहब ने मां-बाड़ी की घोषणा की है, हम चाहते हैं कि नियम के अनुरूप, जो लोग वास्तव में पात्र हैं या जिस इलाके में जरूरत है ...

श्री सभापति: विराजिये। समाराम गरासिया।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): उसी इलाके में खोली जाए।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, सीएम साहब चाह रहे हैं कि...

श्री सभापति: विराजिये। प्लीज सहयोग करें। अंकित नहीं होगा।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): 000

श्री सभापति: विराजिये। प्लीज, सहयोग करें। श्री समाराम गरासिया।

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): सभापति महोदय, मांग संख्या 30 व 33 पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। जनजाति कल्याण विभाग, जनजाति के लिए ही बजट आबंटित होता है, यह तीसरा बजट हुआ है, इसमें कहीं भी जनजाति का, सिरोही ज़िले में बजट नहीं हुआ है। मैं पूर्व सरकार को धन्यवाद देता हूं कि पिंडवाड़ा के 51 गांव को टीएसपी में लिया गया था, 20 पंचायतें हैं। मैं मांग करता हूं कि वहां जनजाति बालिका आवासीय छात्रावास खोले जाने चाहिए। ईसरा, ठंडी बेरी है, वहां शिक्षा का स्तर

(श्री समाराम गरासिया)

बहुत ही पीछे रहा है, क्योंकि टीएसपी क्षेत्र नहीं था। जब पंचायत विभाजन हुआ, भुला एक पंचायत थी, उसमें पहले सर्वे हुआ था, लेकिन काला महादेव खेडा अलग से हुआ। उसमें 100 परसेंट एस.टी. होने के उपरांत भी उस पंचायत में एक जनरल सीट खोली गई, तो इस अधिकारी के खिलाफ, मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि कार्यवाही हो जानी चाहिए ताकि एस.टी. का फायदा भी, वहां एक कोई घर रहता है, उसको मौका मिले। उसमें भी वह सीट गलत आबंटित की गई, जनरल की सीट खोली गई, जबकि टी.एस.पी. का फायदा उनको मिले। पिंडवाड़ा तहसील में ऐसे कई गांव हैं जो 100 परसेंट एस.टी. के हैं, तो उनको भी मैं निवेदन करूंगा, आप प्रस्ताव बना करके, राज्य सरकार केन्द्र सरकार को भेजे तो वहां से पूरा 100 प्रतिशत अगर पिंडवाड़ा तहसील टी.एस.पी. का होगा तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में सबको रोजगार और विकास का काम अच्छा होगा।

जिस प्रकार से पेसा एक्ट का कानून भी है, तीसरा बजट है, लेकिन पेसा एक्ट का आज दिन तक पंचायत की ग्राम सभा में हुआ नहीं। जिस प्रकार से हमारे जनजाति आवासीय बालिका छात्रावास पूर्व में खोले गये थे, मैं मंत्रीजी से मांग करूंगा, जिस प्रकार से एक सावित्री बाई फुले छात्रावास है आबू पर्वत पर, वहां पर छात्रावास तो बन गया, बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन वहां एक नाला है, 12 लाख रुपये स्वीकृत थे, वहां अभी तक नहीं बना है, वहां रसोईघर भी नहीं है। क्या उस छात्रावास में रसोईघर का या उसका बजट नहीं था? उसकी भी आप जांच करवाएं।

मैं धन्यवाद दूंगा कि इस सरकार ने मारवाड़ जनजाति विकास बोर्ड का गठन तो किया है, पर लागू होगा कि नहीं होगा। ऐसे तो कई लीलो रीवरलिया, आज तीसरा बजट हुआ है, तब जा करके हुआ है। जिस प्रकार से जोधपुर सम्भाग में जनजाति के कई लोग रहते हैं, तो उनको भी कृषि कनेक्शन एस.टी. के तर्ज पर दिये जाएं, जिस प्रकार टी.एस.पी. में रहते हैं। इसी प्रकार से उसमें भी कानून बनाया जाए तो आपका जनजाति के प्रति अच्छा वातावरण रहेगा।

जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि मैं एक एस.टी. से हूं, जनजाति से हूं और कहीं, जो पूर्वजों से आज तक मानते आये हैं कि हम गर्व से कह सकते हैं कि हम हिन्दू हैं और हिन्दू रहेंगे। जिस प्रकार से वातावरण बनाया जा रहा है, अनुसूचित जनजाति में आते हैं, सारा फायदा भी लेते हैं और कहते हैं कि

(श्री समाराम गरासिया)

मोदीजी आरक्षण खतम करेंगे। मोदीजी अगर आरक्षण खतम करते तो एस.सी. का महामहिम राष्ट्रपति नहीं बनाते। आरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं हमारे यशस्वी प्रधान मंत्रीजी को। जिस प्रकार से यह माहौल खराब किया जा रहा है, कई नास्तिक हो सकते हैं, लेकिन अपने जनजाति आदिवासियों को, यह आदिवासी नाम भी अंग्रेजों ने रखा हुआ है, लेकिन वास्तव में वन अधिकार के तहत वनवासी कहे जाते हैं, क्योंकि वन अधिकार के तहत पट्टे वनवासियों को मिलते हैं, इसलिए आदिवासी नहीं हैं। हम वनवासी हैं और वनों में रहते हैं। कहीं भी थोड़ी-बहुत जगह मिली, हम वहीं रहते हैं।

जिस प्रकार से हम वन अधिकार के पट्टे के तहत बात करते हैं कि वन अधिकार के पट्टे कब दिये, मैं धन्यवाद देता हूं हमारे प्रभारी मंत्री राजेन्द्रजी राठौड़ को, एक ही सभा के अन्दर 700 पट्टे पिंडवाड़ा-आबू विधान सभा क्षेत्र, पूरे जिले में दिये गये थे। उस सरकार की मैं प्रशंसा करता हूं, जिसमें हम गर्व से कह सकते हैं कि हम हिन्दू हैं, हिन्दू रहेंगे, यह हिन्दुस्तान और गर्व से हम हिन्दू कह सकते हैं।

बाकी, मंत्रीजी से निवेदन है कि जिस प्रकार से एस.टी. कमेटी तो आपने जनजाति की बना दी, परामर्शदात्री की मीटिंग में हम भी आते हैं, लेकिन पूर्व में सदस्यों ने कहा, कभी लैटर भी भेजा करो। परामर्शदात्री की बैठक होती है, उससे पहले बैठक ली जाती है कि वास्तव में सभी माननीय सदस्यों को बुलाया जाए। यह बजट के पहले, उनके बजट में आपको क्या देना है, कम से कम आप हमारे को डिमांड लिखो, तब जाकर आप उसमें लिख सकते हो कि वास्तव में आपकी क्या-क्या घोषणा करेंगे।

दोहित्रा के अन्दर एक छात्रावास है, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि 1983 में बना है, पत्तरों के नीचे वह छात्रावास चल रहा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में समाप्त करें।

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): इतना पुराना, ढाई सौ करोड़ का बजट स्वीकृत भी हुआ था, लेकिन वह स्वीकृत नहीं हुआ। मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि कम से कम जनजाति छात्रों का ध्यान रखें और बजट को स्वीकृत करें। मैं छात्रावास खोलने की मांग करता हूं। आपने बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, मांग संख्या 30 और 33 पर आपने बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं आज इस अवसर पर हमारे पूर्व दिवंगत मंत्री मास्टर भंवरलालजी को याद करूंगा, जो पिछली बार सारे दिन सदन में बैठे थे। इस मुद्दे पर जब लोग बोल रहे थे तो उनको बड़े ध्यान से सुन रहे थे और बड़ा जोरदार जवाब उन्होंने दिया था।

सभापति महोदय, देश गुलाम था, पहले राजाओं का, फिर अंग्रेजों का। देश में आजादी आई, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में संविधान बना। संविधान में स्पष्ट लिखा गया कि हम भारत के लोग इस देश के लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणतंत्र की रक्षा करेंगे। उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर संविधान को स्वीकार करते हैं।

सभापति महोदय, जब बात स्पेशली अनुसूचित जनजाति के विकास और सामाजिक कल्याण पर आई तो स्वाभाविक बात है कि 70 साल में बहुत कुछ हुआ भी है। हम इस बात से इन्कार नहीं कर सकते। जब आजादी नहीं थी, समाज जाहिल था, बेकारी, बेरोजगारी, अशिक्षा, सारी चीजें थीं। स्कूल बने, कालेज बने, नौकरियां बनीं, उद्योग लगे, कारखाने लगे। लोग अम्बेडकर छात्रावास में पढ़ करके, दूसरे छात्रावासों में पढ़ करके, सरकारी स्कूलों में पढ़ करके आई.ए.एस., आई.पी.एस. भी बने। इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जिस तेजी के साथ समाज को आगे बढ़ना चाहिए था, उस स्थिति से समाज नहीं बढ़ा।

मैंने पिछले सत्र में, 2019 में इस बात की चर्चा की थी कि अनुसूचित क्षेत्र में, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुपोषण की मात्रा, शिशुओं और माताओं की स्वस्थता सम्बन्धी कुछ वैज्ञानिक सोच सामग्री सदन के पटल पर रखी थी। मैं आज फिर आपका ध्यान स्पेशली एक सहरिया जाति की तरफ करना चाहूंगा। सभापति महोदय, आज भी सहरिया जाति में एनीमिया से आधे से ज्यादा महिलाएं पीड़ित हैं और तीन-चौथाई बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं। प्रजनन काल में संक्रमण लगभग 42 प्रतिशत है। मलेरिया, टीबी, पोलियो, डायरिया आदि को छोड़ करके प्रभावी उपचार कहीं उपलब्ध नहीं है। आज भी लोग गम्भीर बीमारियों से पीड़ित हैं।

(श्री बलवान पूनियां)

आज भी टी.एस.पी., नोन टी.एस.पी. के नाम पर झगड़े चल रहे हैं। नोन टी.एस.पी. क्षेत्र के जो शिक्षक टी.एस.पी. क्षेत्र में लगे हुए हैं, वे बाहर जाना चाहते हैं। उनकी एवज में टी.एस.पी. के लोगों को वहां नौकरी मिले, इस बात की मांग उठती है। आज भी डूंगरी काकरी का जो मामला हुआ, उस मामले में जिस तरह से एक विद्रोह देखा गया, और उसका जिस तरीके से झूठे मुकदमे में दमन हुआ, लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे यहां मुकदमे वापस लिए जाएं।

आज भी मैं एक बात, आपके बीच 2011 का एक सर्वे रखना चाहता हूं, जिससे यह साबित होगा कि सामान्य समाजों से आज भी टी.एस.पी. और नोन टी.एस.पी. में किस तरीके से साक्षरता दरें अभी भी कम हैं। वहां मेल में 68.55 प्रतिशत और फीमेल में 48.35 प्रतिशत, सहरिया जाति में 36.27 प्रतिशत मेल और फीमेल में अभी भी 7.85 प्रतिशत शिक्षा है। इसका मतलब जनजाति क्षेत्र पिछड़ा हुआ है और जनजाति में सहरिया जाति पिछड़ी हुई है। इस तरीके से अगर हम अलग-अलग वैल्यूएशन करें, अलग-अलग पैमाने पर देखें तो आज भी जनजाति क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि अशिक्षा, गरीबी, भुखमरी, यातायात की कमी आज भी इस क्षेत्र में है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि जहां भी टीएस.पी. क्षेत्र के लोग रहते हैं, उन वार्डों में, उन मौहल्लों में स्पेशली नशे पर ध्यान दिया जाए और समाज को बराबर लाने के लिए बार-बार जो मांग उठ रही है, उसको गम्भीरता से संविधान में प्रदत्त अधिकारों के तहत लागू किया जाए।

सभापति महोदय, मैं बराबरी की बात पर आऊं तो रेस्ला नाम के एक संगठन के लोग, जो विधान सभा के बाहर पिछले पांच दिन से भूख-हड़ताल पर बैठे हैं, उनकी मांग है कि व्याख्याताओं की संख्या 52699 है, जो प्रिंसिपल बनने के लायक हैं, उनको सिर्फ 14 प्रतिशत आरक्षण है, 14 प्रतिशत सीटें मिली हुई हैं पर अध्यापक की, जो कि 3650, उनको 120 प्रतिशत मौके मिले हुए हैं। वे इस बात की मांग पिछले 5 दिन से राजस्थान सरकार से कर रहे हैं। मेरे पत्र के जवाब में सरकार ने 20.07.2020 को उत्तर दिया था कि 80:20 के रेशो से हम इसका समाधान करेंगे लेकिन पत्रावली आज भी लम्बित है और पूरे प्रदेश के 55 हजार जो लेक्चरार हैं, स्कूल व्याख्याता हैं, वे हड़ताल पर हैं। मैं इस मसले पर सवाल इसलिए उठा रहा हूं कि बराबरी की बात की

(श्री बलवान पूनियां)

जब हम बात करें तो आज भी हम उसको गम्भीरता से लागू नहीं कर पा रहे हैं।

संविधान की व्याख्या की जब बात आ जाती है तो मैं एक बात आपके बीच में निवेदन करना चाहूंगा। एससी. की महिला हमारे यहां शादी करके आ गई, ओ.बी.सी. की महिलाएं हमारे यहां शादी करके आ गईं, सभापति महोदय, आज भी उनको यहां आरक्षण नहीं है। राजस्थान सरकार से हम कई दफा यह मांग उठा चुके हैं, कई माननीय सदस्य यह मांग उठा चुके हैं। जनता हमसे मांग करती है कि जो आरक्षित वर्ग में बच्चा पैदा हुआ है, आरक्षित वर्ग में ब्याहा गया, दूसरे स्टेट में चला गया, लेकिन उसको आरक्षण नहीं मिल रहा। मैं सरकार से इल्तिजा करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में एसएल.पी. लेकर जाए और यह प्रावधान कराये कि जो आरक्षण में पैदा हुआ, आरक्षित परिवार में चला गया उसको आरक्षण क्यों नहीं।

बात जब यह आ जाती है संविधान को लागू करने की तो आज भी गाड़िया लोहार, घुमक्कड़ परिवार दर-दर की ठोकर खाते फिर रहे हैं। हमें इस बात की जरूरत है कि गम्भीरता से जो फैसले सरकारों ने लिए हुए हैं उनको बचाने का काम करें और यह जो हमारे समाज में ऊंच-नीच का भेदभाव आज भी बढ़ रहा है, इसको मजबूती के साथ पाटने का काम करें।

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात को समाप्त करें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय सभापति महोदय, खाद्य सुरक्षा को मजबूती से और बी.पी.एल. परिवारों का सर्वे कर गरीबों व भूमिहीनों को इस योजना में शामिल करने का लाभ दिलाएं।

माननीय सभापति महोदय, मैं लास्ट में इस बात के साथ आपका छोटा-सा ध्यान इंगित करना चाहूंगा कि बी.पी.एल. परिवारों का सर्वे अभी नहीं हो रहा है, लोगों को जोड़ा नहीं जा रहा है, खाद्य सुरक्षा में लोगों के नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं, जिससे लोगों को बहुत भारी दिक्कतें हो रही हैं। मैं आपका ध्यान, सरकार का ध्यान इस तरफ इंगित करना चाहूंगा। अम्बेडकर छात्रावासों की दशा सुधारी जाए, उनकी संख्या बढ़ाई जाए और आरक्षण को गम्भीरता से लागू किया जाए, उसकी व्याख्या सही ढंग से की जाए। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।

श्री सभापति: श्री गोपी चन्दजी मीणा, श्री कालूरामजी, श्री जगसी

(श्री सभापति)

रामजी, श्री छगनसिंह राजपुरोहित, श्री पदमारामजी, श्री प्रशान्त बैरवा, श्री लक्ष्मण मीणा, श्री बलजीत यादव, इन सबको अपना भाषण टेबल करने की मैं अनुमति देता हूं। श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया। विराजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय के वेश्म में जो बात हुई, उसमें यह तय हुआ था कि आठ बजे तक माननीय सदस्यों को विचार व्यक्त करने दिया जाए और उसके बाद सरकार अपना उत्तर दे।

श्री सभापति: माननीय अध्यक्ष महोदय का ही यह निर्देश है कि माननीय नेता, प्रतिपक्ष से उनकी वार्ता हो चुकी। सात बजे माननीय मंत्री महोदय का रिप्लाई शुरू होगा और कटारिया साहब और श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आठ बजे। आप मुझे अगर आज्ञा दे दें तो मैं एक बार पूछ आऊं?

श्री सभापति: एक तरह से मेरा कोई निर्णय नहीं है, यह माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देश हैं कि माननीय नेता, प्रतिपक्ष से वार्ता हो चुकी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं पूछकर आ सकता हूं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, आठ बजे तक जिनको बोलना है, जिसमें हम भी आ गये, वह पूरा कर देंगे और आठ बजे मंत्रीजी का जवाब शुरू हो जाएगा, यह बात हुई थी।

श्री सभापति: ठीक है, आप बात कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप जाकर एक बार बात कर लो। तब तक आप बोल लें।

श्री सभापति: ठीक है, फिर आप बैठिये। आप बोलिए। श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (बागीदौरा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-30 और 33 के ऊपर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं।

आज दिन भर पक्ष और विपक्ष, दोनों ही पार्टियों ने अपनी सरकार के, अपने-अपने कार्यकाल के बहुत उदाहरण भी दिये, गुणगान भी गाये, एक दूसरे

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया)

के ऊपर आरोप-प्रत्यारोप भी लगाये लेकिन मेरा इस अवसर पर यह निवेदन है कि अनुसूचित जनजाति की 13 परसेंट और अनुसूचित जाति की 17 परसेंट, यह कुल मिलाकर 30 प्रतिशत पूरे राजस्थान की जनसंख्या का, आज इस विषय के ऊपर डिबेट हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैंने इस सदन के अन्दर पहले भी यह कहा था कि एस.टी. और एस.सी. कोई भी राजनीतिक दल के तमाम सदस्यों का अगर आंकड़ा हम गिनते हैं तो करीबन 57 व्यक्ति हम यहां पर बैठे हुए हैं, जो हम सरकार का आधा हिस्सा हैं। अगर इसको सही मायने में, चाहे सरकार हमारी रही हो या चाहे सरकार उनकी रही हो, इन लोगों से हम जिस तरह से वोट लेकर आते हैं और वोट लेने के साथ ही जन-कल्याणकारी योजनाओं को हम जनता के बीच में गिनाते हैं और उससे जनता, मतदाता बहुत खुश हो जाता है और ऐसा लगने लगता है कि यह सरकार हमारी बन जाएगी और सरकार बनते ही हमारे कल्याण का काम इतनी तीव्र गति से हो जाएगा कि हमारा कोई काम बाकी नहीं रहेगा।

माफ करना, किसी को बुरा नहीं लगे। इस सदन में मैं तीसरी बार जीतकर आया हूं और उससे पहले मैं मैम्बर आफ पार्लियामेंट भी रहा हूं। हमारी सरकार के बारे में हमारे खूब माननीय सदस्यों ने कहा है, बोला है और पूर्व की सरकार चाहे केन्द्र की रही हो, चाहे राज्य की रही हो, इस सम्बन्ध में भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों ने खूब बात कही है।

पिछली सरकार में, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इस राज्य के अन्दर यह शासन कर रहे थे, मुझे यह कहते हुए बहुत मन में दुख हो रहा है कि सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग का मंत्रालय हमारे किसी एस.सी. भाई के पास में रहना चाहिए, जिस तरह कि हमारे मास्टर भंवरलालजी आज हमारे बीच में नहीं हैं, वह एस.सी. के थे, उनके पास में था लेकिन पिछली सरकार में वह मंत्रालय एस.सी. परिवार में नहीं होकर किसी अन्य के पास में था, जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता और वह पूरे पांच साल तक काम करते रहे। कितना काम किया, कितना काम नहीं किया, मैं इस विषय पर जाना नहीं चाहता लेकिन एक किसी एस.सी. के भाई को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर इस सदन में कोई उपस्थिति दर्ज करवाते तो पूरे राजस्थान में एस.सी. परिवार का मान-सम्मान और ताकत बढ़ जाती।

माननीय सभापति महोदय, मैं एस.टी. बजट के ऊपर अपनी बात को

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया)

रखना चाहता हूं। पिछले टाइम इस सदन में मैं सामने बैठा हुआ था और तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने लहजे में बहुत सरल तरीके से बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को रखा और यह कहा कि उदयपुर डिविजन के तमाम आदिवासी परिवार, तमाम आदिवासी समाज मेरे साथ में रहा और उसका परिणाम है कि सबसे ज्यादा एम.एल.ए. जीतकर आये और उस उदयपुर डिविजन से मैं अकेला जीतकर आया था कांग्रेस पार्टी से और जिस तरह से आज टी.ए.डी. के बजट के ऊपर चर्चा हो रही है, माननीय मैडम ने टी.ए.डी. के ऊपर अपनी बात कहते हुए यह बात कही कि मैं बहुत खुश हूं और जनजाति के विकास के लिए एक हजार करोड़ रुपये देने की घोषणा करती हूं। खुद माननीय मुख्य मंत्रीजी थे, खुद ही वित्त मंत्री थे, पांच साल निकल गये पर पांच रुपया भी इस एक हजार करोड़ रुपये में से नहीं मिला। अब किसी को अच्छा लगे या चाहे बुरा लगे, यह बजट की किताब मेरे पास में है, अभी मैंने सरसरी निगाह से देखी है, मैं कोई तैयारी करके नहीं आता, सदन में जो माननीय सदस्य बोलते हैं, उसका कोई सारांश निकालकर बोलने की कोशिश करता हूं।

अभी मैं यह देख रहा था कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सप्लीमेंट्री में क्या बोला, इसको तो मैंने नहीं लिखा है लेकिन टी.एस.पी. क्षेत्र में मूल बजट में बोला, चाहे वह सड़क हो, चाहे हास्पिटल हो, चाहे वह वेद विद्यापीठ हो, चाहे वह बेणेश्वर जैसी जगह पर 132 करोड़ रुपये की पुलिया का निर्माण हो या बांसवाड़ा में विद्यापीठ हो, इन तमाम कामों के लिए यह 1114 करोड़ रुपया दिया है, यह 1114 करोड़ रुपये और सप्लीमेंट्री बजट में दिया, वह अलग और अन्य जो अलग प्रकार की स्कीम होगी, जिसका उस क्षेत्र की जनता को लाभ मिलेगा, वह अलग।

1975 में इस मंत्रालय का भारत सरकार के द्वारा गठन हुआ और आप सब जानते हैं कि 1975 में किसकी सरकार थी? 1975 में राज्य सरकार किसकी थी, वह सबको पता है। उस वक्त सरकार के जो भी हमारे नेता, प्रतिनिधि जो भी रहे हैं, उन्होंने जल्दबाजी में एरिया को अलग-अलग बांट दिया। यह एरिया तो हमारा टी.एस.पी. का होगा और यह नोन-टी.एस.पी. का होगा, यह माडा का होगा, यह सहरिया का होगा, वह हो गया। पिछली बार आपकी सरकार में इसका दोबारा सर्वे हुआ और जो क्षेत्र छूट गया था, उसको वापस ले लिया, उसके लिए आपको धन्यवाद लेकिन माननीय सभापति

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया)

महोदय और सदन के तमाम पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों से मेरी यह अपील है कि भगवान मुझे अगर जन्म लेने से पहले यह पूछता कि आपको कहां जाना है, तो मैं पता नहीं क्या मांगता? उस आदिवासी की क्या गलती हो गयी जो जैसलमेर और बाड़मेर, रेगिस्तान के उस टीले से संघर्ष कर रहा है या नाथद्वारा के आस-पास में जो आदिवासी, जन्मजात आदिवासी है, वह संघर्ष कर रहा है या कोटा के आस-पास में संघर्ष कर रहा है। आदिवासी है लेकिन वह सवर्ण समाज के साथ में रहता है और उसकी वजह से बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा में छूट, यह विभिन्न प्रकार के लाभ उसको नहीं मिलते हैं।

मैं आज सदन में दोनों तरफ से यह अपील करना चाहूंगा कि राजनीति में आना और जाना तो बना रहेगा लेकिन हम सब एकमत होकर सरकार से यह मांग करते हैं कि सम्पूर्ण राजस्थान के अन्दर आदिवासी और हमारे एस.सी. भाई कहां-कहां रहते हैं, इसका सर्वे होना चाहिए और बाकी लाभ नहीं मिले, उसके बच्चे की शिक्षा के अन्दर पढ़ाई में फीस माफ हो जाये, उसका बिजली का कनेक्शन आदिवासी की तरह हो जाये, या जो भी उसको सुविधाएं मिलनी चाहिए, वह पूरी सुविधा उसको मिलनी चाहिए। इस प्रकार का एक अलग से सर्वे करने की आज आवश्यकता है।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जैसलमेर के आस-पास में एक बोर्ड का गठन करने की घोषणा की है, इसी तरह से मारवाड़ के अन्दर घोषणा की है। इसके अलावा भी अगर कोई क्षेत्र छूट जाता है तो मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं और निवेदन करता हूं कि ऐसा सर्वे किया जाये और सरकार की तरफ से जो सुविधाएं उनको मुहैया होनी चाहिए, वह सुविधा उनको मुहैया होती रहनी चाहिए।

1975 के मंत्रालय के गठन के बाद समय-समय पर सरकार की ओर से विभाग को अपना रुपया मिलता रहा और वह काम करते रहे। पिछली टाइम में जब मैं सरकार में मंत्री था तो माननीय कटारिया साहब ने मुझे कहा था कि महेन्द्र भाई, क्या हो रहा है? वह बात तो ठीक है, वह पैसा तो मिल रहा है, लेकिन यह 13 प्रतिशत पैसा जो फण्ड फ्लो के रूप में मिलना चाहिए, वह पैसा आज नहीं मिल रहा है। मैं विभाग से और पूरे सदन से अपील करता हूं कि सरकार कानून बनाती है और कानून बनाने के बाद में भूल जाती है। वह जो टोटली बजट का 13 प्रतिशत जो फण्ड फ्लो है, वह टी.ए.डी. विभाग को मिलना चाहिए। यह मिलेगा तो उनकी शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो,

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया)

बिजली हो, पानी हो, यह तमाम सुविधाएं उन सबको मुहैया होंगी लेकिन, सभापति महोदय, होता क्या है? विभाग के अधिकारी भी यहां बैठे हुए हैं, हम सब जन-प्रतिनिधि यहां बैठे हुए हैं। कोई सड़क बन रही है, उस सड़क का पैसा जब वहां खर्च किया जाता है तो उसको कह दिया जाता है यह जनजाति विभाग का पैसा है। जनजाति विभाग नहीं होता तो क्या उदयपुर डिविजन में सड़क नहीं बनती, क्या तालाब नहीं बनते? लेकिन इस तरह से बहाना करके इन लोगों के साथ में धोखा हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, महाराष्ट्र पैटर्न भी लागू हुआ, कुछ टाइम तक उड़ीसा पैटर्न भी लाये, उन राज्यों का हमने अध्ययन भी किया। इस बार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अलग कानून बनाने की घोषणा की है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिस तरह से सदन में अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, उन भावनाओं के साथ राजस्थान में सख्त से सख्त कानून बने और पूरा का पूरा पैसा टी.एस.पी. क्षेत्र के विकास के लिए, जनजाति के विकास के लिए या एस.सी. भाइयों के विकास के लिए उसमें लगे और वह विकास की मुख्य धारा में जुड़ें। इसके लिए एक सम्मानजनक तरीके से हम सबको मिलकर कार्य करने की आज आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, टी.एस.पी. क्षेत्र में बहुत आन्दोलन चल रहे हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद करता हूं कि आबू रोड के अन्दर जब महामहिम राज्यपाल साहब वहां गये हुए थे, मैं और सी.एम. साहब वहां गये और हमने बात की कि टी.एस.पी. क्षेत्र में अलग से आरक्षण की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 16 जून, 2013 को महामहिम राज्यपाल महोदय से एक घोषणा कराई कि 45 प्रतिशत आरक्षण स्थानीय लोगों के लिए होगा, 5 प्रतिशत एस.सी. के लिए होगा और रेस्ट 50 प्रतिशत स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए होगा लेकिन इसके बावजूद आज भी वहां पर धरने-प्रदर्शन हो रहे हैं। आज मैं पत्र-पत्रिकाएं पढ़ रहा था, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी बोलने लगा है कि जो 50 प्रतिशत आरक्षण का राइडर था, उसको हटाओ और जनसंख्या के आधार पर उन लोगों की मदद करो।

मैं इस मौके पर पुरजोर तरीके से यह मांग रखता हूं कि हमारे टी.एस.पी. क्षेत्र में, कोई भी समाज हो, समाज की आनुपातिक जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाये, ताकि आये दिन यह लड़ाई-झगड़े और दंगे-फंसाद या रास्ता रोकना, घर जलाना, दुकानें जलाना, यह काम बन्द हो जाये।

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया)

हमारे मीणा भाई यहां बैठे हुए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि कहने के लिए हम सब कह देते हैं कि आपस में हम भाई-भाई हैं। वह भाई-भाई कह देने से काम नहीं चलेगा। मैं रोटी खाऊंगा तो मेरी भूख खतम होगी, आप रोटी खाओगे तो आपकी भूख खतम होगी। मेहरबानी करके 12 पाइंट समथिंग जो आरक्षण है हमारे पूरे राजस्थान की प्रशासनिक सेवाओं का, उस आरक्षण का प्रशासनिक सेवाओं में जो हमारी जनसंख्या वहां पर टी.एस.पी. क्षेत्र में है, वह आरक्षण हमको दिया जाये। अगर यह मिलेगा तो वहां का लड़का भी एस.डी.ओ., तहसीलदार कुछ बनेगा।

इसके साथ ही, मुझे आज कहते हुए बहुत हर्ष है कि बांसवाड़ाडूंगरपुर की हमारी दो बच्चियां आई.ए.एस. बनीं बहुत मुश्किल से। आईए.एस. बनीं तो लोग बहुत खुश हैं।

माननीय सभापति महोदय, मुझे यह बात कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि टी.एस.पी. क्षेत्र में मेडिकल के अन्दर अलग से आरक्षण की व्यवस्था की, जिसका परिणाम है कि उदयपुर डिविजन में 500 आदिवासी और अन्य समाज के हमारे डाक्टर बन गये हैं। अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर से डाक्टर आता था, तब जाकर हमारी नाड़ी देखता था। आज घर-घर में डाक्टर हो गये हैं। अगर यह परिणाम आया है तो अशोक गहलोत साहब की वजह से आया है। इस अवसर पर मैं यह बात कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, एरिये के बढ़ाने की बात हो गयी। (व्यवधान) आधा आपने किया, आधा हमने किया, विराजो। आधा आपने किया, आधा हमने किया, किया तो है न? (व्यवधान) पूरा आपने कर दिया। पूरा-पूरा आपने किया, हमारे तो 500 बच्चे डाक्टर बन गये, खुशी इस बात की है।

मैं इस अवसर पर एक बात और कहूंगा। माननीय सभापति महोदय, बहुत गम्भीर मामला है। यह वन अधिकार पट्टे का मामला है। यह वन अधिकार पट्टा टी.ए.डी. डिपार्टमेंट के ऊपर छोड़ दिया है। अधिकारी यहां बैठे हुए हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वन अधिकार का काम सिर्फ टी.ए.डी. विभाग करे, यह सम्भव नहीं है। मैं दरख्वास्त करता हूं कि वन अधिकार का काम सबसे ज्यादा वन विभाग के लोगों को करने की आवश्यकता है। जब जंगल उनका है, उनको पता है कि जमीन किसकी है, कौन बैठा हुआ है। 91 का अगर केस बना रहे हैं तो वन विभाग के लोग केस बना रहे हैं और टी.ए.डी. विभाग को कह रहे हैं कि आप दरख्वास्त लीजिए और उसका

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया)

निस्तारण कीजिए। किसकी लड़की और कौन शादी करा रहा है, बड़ी गजब की बात है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले टाइम में हमने 44 हजार आवेदन प्राप्त किये थे लेकिन कुछ डिस्प्यूट में रहे और कुछ हो गये। तब तक लोगों ने और जमीन पर कब्जा कर लिया। माननीय सभापति महोदय, मैं यह चाहूंगा कि तमाम जो लोग बरसों से कब्जा करके बैठे हुए हैं वन विभाग आगे होकर काम करे और जितने भी कब्जेधारी लोग हैं, उनको जमीन दे दें ताकि वह लोग स्वाभिमान के साथ अपना मकान बना सकें और वहां रह सकें।

माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार में मैं स्वयं मंत्री था। वन विभाग ने कहा कि हमारे पास में लोकेशन ट्रैस करने के लिए कोई साधन नहीं है, इसलिए हमें दिक्कत आ रही है। हमने उनको जी.पी.एस. खरीदकर दिया था। अधिकारी यहां बैठे हुए हैं, सरकार के मंत्री यहां बैठे हुए हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी अगर जीपी.एस. की आवश्यकता हो कि कौनसे नंबर पर किसान बैठा है, तो टी.ए.डी. विभाग से जी.पी.एस. दीजिए, लेकिन जल्दी से जल्दी उन लोगों को उस जमीन का मालिकाना हक दीजिए ताकि वह ठीक ढंग से अपने जीवन को जी सकें। इस अवसर पर मैं यह बात कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मुझे दूसरी बात यह कहनी है कि जितने भी खनिज हैं, माइनिंग हैं, यह तमाम जनजाति क्षेत्र के अन्दर माइनिंग का काम हो रहा है। मैं बांसवाड़ा जिले की बात करना चाहता हूं। यह सरकार कानून तो नहीं बना पा रही है, लेकिन जो वहां पर मैंगनीज है, जो बड़ी महंगी चीज है, वह अवैध रूप से माइनिंग होकर गुजरात और मध्य प्रदेश जा रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसा कोई कानून बनायें, जिस कानून के तहत वह मैंगनीज हम सरकार के हित में निकाल सकें। उससे हमें पैसा भी अर्जित होगा और सरकार की आय भी बढ़ेगी। यह बात भी इस अवसर पर कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मुझे यह बात कहते हुए बहुत खुशी है अभी हमारे कुछ साथियों ने कहा भी था कि राजनीतिक आरक्षण तो हमको मिल गया लेकिन प्रशासनिक और अन्य कर्मचारियों के अन्दर कुछ जरूर छोटी-मोटी दिक्कतें आ रही हैं। इसको हम धीरे-धीरे करके समाप्त करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, सदन में हम सब भाई हैं और जब तक

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया)

बांहें चढ़ाकर लड़ते रहेंगे तब तक यह मजे मारते रहेंगे, इस बात का ध्यान रखना। इसको छोड़ो। सदन के बाहर जाकर अपनी बात करो, लेकिन बात करने के बाद में किसी नतीजे पर तो आओ, नहीं तो उसका कोई रास्ता निकलने वाला नहीं है। पिछले टाइम में मैंने एक बात कही थी कि उधर का नेतृत्व कटारिया साहब कर रहे हैं और इधर का नेतृत्व इधर वाले कर रहे हैं। कटारिया साहब उधर से आपको नहीं आने देंगे और इधर वाले आपके वहां नहीं आने देंगे। मेहरबानी करके इसको छोड़ो। अभी हमारे एक साथी ने कहा था, यह क्यों कहा था, मुझे यह नहीं पता। लेकिन कौनसे संविधान में लिखा हुआ है 'वनवासी' शब्द? मुझे लगता है कि उनके पास गुजरात की हवा आ गयी, क्योंकि वहां 'वनवासी' शब्द लगाया जा रहा है। मेहरबानी करके हमारा बाप-दादाओं का शब्द है, जुल्मीराज का शब्द है 'आदिवासी' और 'आदिवासी' का मतलब है इस धरती पर आदिकाल से रहने वाले। मेहरबानी करके अपनी इस अस्मिता को मत बेचो और 'आदिवासी' बहुत सम्मानजनक शब्द है, उस 'आदिवासी' शब्द को स्वीकार करो। मैं इस अवसर पर यही बात कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, अंत में, माननीय मंत्रीजी हों चाहे सरकार के अधिकारी और कर्मचारी हों, सबसे मेरी प्रार्थना है कि अगर थोड़ी-सी भी पीड़ा है इस समाज के प्रति, तो मेहरबानी करके मनुष्य का अवतार भगवान ने मुझे दिया है और इस सदन में बड़ी मुश्किल से 7 करोड़ जनता में से मुझे आने का अवसर मिला है, मैं जनता की सेवा करूंगा, सरकार के पूरे धन का उपयोग करूंगा और किसी भी गरीब को दु:खी नहीं देखना चाहता, ऐसा मन लेकर चलेंगे तभी जाकर हमारे सबका विकास और सबकी भलाई होगी। यही मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं।

अंतिम मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बारम्बार धन्यवाद करता हूं कि इस बार के बजट से राजस्थान की जनता के लिए विकास के दरवाजे खुले हैं, धन का रेलमपेल हुआ है कोरोना जैसी बीमारी के बाद भी और अभी तो लास्ट 17 और 18 तारीख का दिन बाकी है, पता नहीं वो जादूगर क्या जादूगर का पिटारा लेकर आते हैं, उसका कोई पता नहीं है।

आपने मुझे इन दोनों ही मांग संख्या के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया। जहां तक सामाजिक न्याय अधिकारिता का विषय है, सामाजिक न्याय अधिकारिता के अन्दर समाज का कोई व्यक्ति उस विभाग से वंचित नहीं रह

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया)

जाए, इस विभाग के अन्दर भी एक से बढ़कर एक बेहतर कार्य हो रहे हैं और आगे भी कार्य होते रहेंगे। यही मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं। मुझे आप सबने बोलने का मौका दिया, आप सबने सुना, आप सबके प्रति आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये, एक मिनट विराजिये।

नौ माननीय सदस्यों को बोलना है, पांच माननीय सदस्य इधर से बोलेंगे और चार माननीय सदस्य इधर से बोलेंगे, 25 मिनट माननीय नेता प्रतिपक्ष का उद्बोधन होगा और समय के हिसाब से जो मैंने देखा है सभी माननीय सदस्य 6 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे। जो भी सारगर्भित बात हो वो आप रखेंगे ताकि माननीय नेता प्रतिपक्ष का 25 मिनट का जो समय तय किया गया है वो पूरा हो जाए और 8 बजे माननीय मंत्री महोदय का उद्बोधन हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसमें सहयोग करेंगे। श्री गोपी चन्द मीणा।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास व मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, जनजाति बहुल क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बालिका आवासीय विद्यालय खोला जाए। जहां जनसंख्या के अनुपात में जनसंख्या है, जहां छात्र नामांकन है वहां एकलव्य विद्यालय खोला जाए। हमारे क्षेत्र में हम लगातार बालिका छात्रावास और एकलव्य विद्यालय की मांग करते आ रहे हैं लेकिन जनसंख्या के अनुपात में सरकार ध्यान नहीं देती है। एक तरफ बात करते हैं जनजाति क्षेत्र के विकास की लेकिन इस सरकार में हमारे क्षेत्र में दो साल के बजट में कोई प्रावधान नहीं किया। मैं माननीय मंत्री महोदय से बार-बार मांग कर रहा हूं, मैं मंत्री महोदय से चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में बालिका छात्रावास आवासीय विद्यालय खोला जाए और एकलव्य विद्यालय खोला जाए।

जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र जनजाति बहुल क्षेत्र है। गरीब ढाणी, गांव हैं, उनको 250 की आबादी के मजरे, ढाणियों को सड़क से जोड़ा जाए। पेयजल के लिए व्यवस्था की जाए। पहाड़ी क्षेत्र है, वहां किसानों की आय बढ़ाने के लिए एनिकट निर्माण किये जाएं, नहर लिफ्ट योजना स्वीकृत की जाए। लंबे समय से हमारे क्षेत्र की मांग है, वहां पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण ओपनवैल कुआं, स्प्रिंकलर सैट, पाइपलाइन 15 साल से यह कोई आवेदन स्वीकृत नहीं

(श्री गोपी चन्द मीणा)

किये गये, तो बजट में प्रावधान किया जाए कि गरीब जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए, किसानों के लिए पाइपलाइन, फव्वारा सैट अनुदान राशि स्वीकृत की जाए।

हमारे क्षेत्र में जनजाति बहुल छात्रछात्राओं के लिए आईटीआई कालेज में नि:शुल्क प्रशिक्षण शिविर लगाकर डिप्लोमा दिया जाए। लगातार शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मैं मांग करता हूं कि नामांकन के आधार पर जहां विद्यालयों में भवन, कक्षा कक्ष की कमी है वहां अतिरिक्त कक्षा कक्ष स्वीकृत किये जाएं। जिस विद्यालय के चारदीवारी नहीं है वहां उस विद्यालय के चारदीवारी का बजट आबंटन किया जाए।

हमारे क्षेत्र में जहां पेयजल की कमी है वहां हैंडपम्प या अन्य योजना से सिंचाई के लिए लिफ्ट योजना स्वीकृत की जाए।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र की एक प्रमुख समस्या की ओर मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जहाजपुर उपखण्ड मुख्यालय पर वर्ष 1958 से राज्य सरकार द्वारा अनुदानित छात्रावास आदिम जनजाति स्वयं संगठन द्वारा, 50 बच्चों का नामांकन था, वो आवासीय छात्रावास चल रहा था, विगत दो वर्ष से क्षतिग्रस्त होने से इस सरकार ने बन्द कर दिया। अतः आपके माध्यम से सरकार से, मंत्री महोदय से अनुरोध है कि नया भवन निर्माण या मरम्मत हेतु राशि स्वीकृत की जाए, जिससे हमारे क्षेत्र के गरीब बच्चों को लाभ मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, हमारे समाज कल्याण विभाग द्वारा कई सारी योजनाएं संचालित हैं परंतु ये योजनाएं धरातल तक क्रियान्वित नहीं होती हैं। छात्राओं की दुर्दशा है। पर्याप्त संसाधन समय पर उपलब्ध नहीं होने से बालक अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाता। बच्चों को समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलती, आवासीय विद्यालयों की दुर्दशा है, वहां पर विषय अध्यापक के पद रिक्त होने से पढ़ाई नहीं होती है। अतः मेरा मंत्री महोदय से, सरकार से निवेदन है कि रिक्त पदों को भरा जाए।

दिव्यांगजनों के लिए कई माननीय सदस्यों ने निवेदन किया है कि हम क्षेत्र में जाते हैं तो दिव्यांगजन ट्राई साइकिल और स्कूटी मांगते हैं, तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि प्रत्येक विधान सभा में ट्राई साइकिल और स्कूटी समाज कल्याण विभाग से दी जाए या हम उसमें विधायक कोष से भी सहयोग राशि देने के लिए तैयार हैं।

(श्री गोपी चन्द मीणा)

माननीय सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में पिछले नगरपालिका चुनाव में, ट्राइबल क्षेत्र को हम बात करते हैं विकास की लेकिन परिसीमन के समय हमारे वार्डों में एक हजार से 1200 की आबादी का वार्ड था, उस वार्ड का परिसीमन नहीं किया जबकि अभी डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य धर्मांतरण की बात कह रहे थे, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे साथ हमेशा अन्याय हुआ है। सामने जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, उनके जो माइनोरिटी के वार्ड थे उसमें 350 के वार्ड में, उन्होंने वार्ड बनाकर नगरपालिका बनाने का प्रयास किया है। हर तरीके से यह सत्ता में आना चाहते हैं। हमें फिर भी जनता का सहयोग मिला, आशीर्वाद मिला और वहां भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना।

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में ट्राइबल एरिया है, हम 33 करोड़ देवी-देवताओं को मानते हैं, हम भगवान श्रीराम के आदर्श को मानते हैं, उनको पूजते हैं, हम हिन्दू हैं हिन्दू रहेंगे। जल जंगल जमीन में हमारा यह नारा है, आदिवासी हम सब हिन्दू हैं, यह मानते हैं, पूजते हैं भगवान श्रीराम के आदर्श।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने पूरे मेवाड़ और वागड़ में जो ऐतिहासिक काम किये हैं, माननीय वसुन्धरा जी ने विकास के काम किये हैं, भीलवाड़ा जिले में सात सीटों में से छह सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दीं। मैं एक साधारण कार्यकर्ता जो आदिवासी हूं, जनरल सीट से केन्द्रीय नेतृत्व ने, वसुन्धरा जी ने मेरे को देकर सम्मान दिया है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पिछली सरकार में वसुन्धरा जी ने चीफ सैक्रेटरी के पद पर मीणा समाज के अधिकारी को पोस्टिंग दी है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारा सम्मान किया है, आदिवासी भाइयों का विकास किया है, हर क्षेत्र में विकास किया है।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री रूपाराम जी।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): आपने बोलने का मौका दिया, जय हिन्द। जय भारत माता की।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो मुझे मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास और मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की मांगों पर चर्चा के लिए मौका दिया।

(श्री रूपाराम)

शुरू से इन विभाग में एस.सी., एस.टी. के उत्थान के लिए प्रावधान था। आज की तारीख में इसमें पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, शहीदों के आश्रित, विकलांग, वृद्ध सभी का प्रावधान डाला गया है।

देश आजाद होने से पहले विशेष करके एस.सी., एस.टी. के लोगों की ग्रामीण क्षेत्र में जो हालत थी वो नारकीय थी। दूसरे इंसान जो जीते थे उनके सापेक्ष में वो अपने आपको इंसान ही नहीं मान पा रहे थे, एकदम अलग थलग थे। आज भलाइयां कोई भी लें लेकिन उस वक्त कई वर्षों तक संघर्ष करके देश को आजाद कराया और आजाद कराने के बाद में बाबा साहब भीमराव जी अम्बेडकर जी ने, उनकी अध्यक्षता में और भी मेम्बर, और संविधान बनाया, जिसके अन्दर विशेष करके पिछड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रावधान डाले गये। वह जब शुरुआत में नारकीय जीवन जी रहे थे, वहां से आगे लाने के लिए जिन्होंने भी प्रयास किया, जो कि 1950-51 में शुरू हुआ, वह सबसे बड़ा काम था। कोई आदमी रोटी खाकर के धापा हुआ होता है, उसको एक रोटी खिला दें तो वह कोई बड़ी बात नहीं होती है लेकिन जो सदियों से, पीढ़ियों से भूखा था, त्रस्त था, अपमानित था, उस जगह से उठाकर के उसको मेन धारा में लाना शुरू किया। उसके बाद में सरकारें अलग-अलग बनती रहीं। सभी ने अपना-अपना प्रयास किया। आज इस पर लम्बा डिस्कशन हो चुका है।

मैं इस मौके पर यही कहना चाहूंगा कि जिस ढंग से अन्य समाज देश की आजादी से लेकर के आज तक बढ़े हैं, कई समाज ऐसे थे जो आजादी के पहले काफी पिछड़े हुए थे, एससी, एसटी के अलावा भी, लेकिन आज जहां खड़े हैं, वहां अधिकतर लोग एससी, एसटी के अभी भी दुनियादारी से बहुत पीछे हैं।

जब देश आजाद हुआ तो 31-32 करोड़ आबादी थी, आज सवा अरब आबादी है। कई लोग मेन्यू तय करते हैं कि सुबह नाश्ते में क्या, दोपहर में क्या और शाम को क्या बनाना है, लेकिन आज भी कम से कम 35 करोड़ लोग देश में ऐसे हैं, जो कैसे रोटी खाकर के जीवित रहना है, यही काम कर पाते हैं। आज कई ऐसे सक्षम लोग हैं जो एक ड्रेस को साल में दोबारा पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं। 35 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अंग ढकने के लिए पूरे कपड़े भी शायद 2 बार ही लेते हैं, एक बार तो जब जन्म होता है, नामकरण होता है तब, एक शादी में और एक बार जब मरता है तब ढकने के लिए। उसके अलावा शायद उनको नसीब नहीं होता है।

श्री सभापति: कन्क्लूड करें।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): उसमें अधिकतर लोग एससी, एसटी या अल्पसंख्यक हैं। मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि अलग-अलग सरकारों ने एससी, एसटी और अन्य वर्ग जो इससे जुड़े हैं, पिछड़ा वर्ग है, जिनकी स्थिति कमजोर थी, उनके उत्थान के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। कई योजनाएं ऐसी हैं जो 2012 में बनी हैं और कोई अमाउंट तय हो गया, लेकिन 2020 में भी वही है, जबकि महंगाई बहुत बढ़ गई है। एक तो हम सबको मिलकर के कोई भी योजना हो, जिसमें कोई प्रावधान डालते हैं, उस वक्त की स्थितियां देखकर के डालते होंगे, फिर महंगाई को देखते हुए हर वर्ष उसमें इन्क्रीमेंट होना चाहिए। जैसे पढ़ने वाले बच्चों को 50 और 60 रुपये भी स्कालरशिप मिलती थी, मैंने सीएम साहब से निवेदन किया, और लोगों ने भी किया होगा, तो 50-60 से सीधे ही 500-600 पर आया। इसका मतलब है कि बीच में गैप रहा। इसमें एक सिस्टम होना चाहिए कि जो स्कीम हो, जिसमें जो अमाउंट हो, वह निरन्तर, ईयरली बढ़ता रहे। जितनी भी स्कीम हैं, उसकी सिम्पलीसिटी होनी चाहिए।

कई गांवों के अन्दर पात्र लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे उद्धार के लिए स्कीम क्या है? इसके लिए जो राजकीय नौकर हैं, ग्राम सेवक हैं या दूसरे जो सम्बन्धित हैं, उनको सैलरी देने या एसीआर जब भरी जाती है तो उनसे एक सर्टिफिकेट लिया जाए कि मेरे कार्य क्षेत्र में एससी, एसटी, ओबीसी, विधवा, कोई शहीद की आश्रित, कोई भी पात्र व्यक्ति, चाहे महिला हो, चाहे अनाथ बच्चा हो, जो वांछित लाभ है, उसे मिलने से वंचित नहीं है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): यह चीज होनी चाहिए अन्यथा स्कीमें तो बन जाती हैं लेकिन वास्तव में लाभ नहीं होता है।

श्री सभापति: प्लीज विराजिये। श्री कालूराम।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): धन्यवाद।

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य। एक मिनट।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास

(श्री महेन्द्र चौधरी)

और मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर माननीय मंत्री महोदय के जवाब देने और मांग के पारण होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय मांगों के पारण होने तक बढ़ा दिया जाए।

(स्वीकृत)

सदन का समय मांगें पारण होने तक बढ़ाया गया।

श्री कालूराम।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 30 व 33 पर विचार

श्री कालूराम (डग): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 30 और मांग संख्या 33 पर बोलने के लिए आपने मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा के तहत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों व गरीब परिवारों को पालनहार योजना के तहत मिलने वाली सहायता ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्णतया नहीं मिलती है क्योंकि इसका प्रचार-प्रसार पूरी तरह से नहीं होता है। पालनहार में किसी विधवा महिला को या उसके बच्चों को पैसे दिये जाते हैं। ग्राम पंचायतों में इसका एक शिविर लगाकर के ग्राम सेवक इसके लिए अलग से कार्यक्रम बनाएं, उन परिवारों के पेंशन के फार्म भरवाएं, क्योंकि आजकल आनलाइन फार्म हैं, अधिकतर साइट्स बन्द रहती हैं। पटवारी, तहसीलदार लोग चक्कर देते रहते हैं। मैं मंत्री महोदय से चाहता हूं कि अलग से शिविर लगाकर के पेंशन योजना के और पालनहार योजना के फार्म भराएं। इनकी राशि भी बढ़ाई जाए। पालनहार योजना में एक बच्चे को एक हजार रुपया मिलता है। एक हजार रुपये की जगह दो हजार रुपया किया जाए। उसकी माता, उस विधवा महिला को हम 500 रुपये देते हैं। उसको भी एक हजार रुपये या 1500 रुपये देने चाहिए।

इसमें ईडब्ल्यूएस के तहत एक प्रमाण-पत्र बनाने का प्रावधान है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि जिसकी भी 8 लाख रुपये तक की आय होगी, उसको ईडब्ल्यूएस का प्रमाण-पत्र दिया जाएगा। मगर देखने में यह आता है कि वह ईडब्ल्यूएस के प्रमाण-पत्र के लिए दफ्तरों के चक्कर काटता रहता है। मान लिया जाए कि उसके पिता के नाम पर 10 बीघा जमीन

(श्री कालूराम)

है और उसके तीन भाई हैं। तीन भाई और 2 पति-पत्नी, ऐसे करके 5 हो जाते हैं, 10 में अगर 5 का भाग दें तो उसके 2 बीघा जमीन आती है लेकिन पटवारी उसके पिता की 10 बीघा ही जमीन उस ईडब्ल्यूएस के प्रार्थी के नाम पर लिखते हैं। माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो जमीन उसके नोशनल शेयर के हिसाब से उसके हिस्से में आए, वही उसके दर्ज होनी चाहिए क्योंकि उसको उसका फायदा नहीं मिलता है।

दिव्यांगजनों के लिए आपने पिछले बजट में घोषणा की थी कि हम 5 लाख रुपये तक का इनको ऋण देंगे, लेकिन किसी दिव्यांगजन को अभी तक ऋण नहीं मिल रहा है। इन लोगों के अधिकतर फार्म भी आनलाइन नहीं होते हैं। साइट्स बन्द रहती हैं। इनको एक अलग से गारंटर की जरूरत भी होती है। मैं चाहता हूं कि बिना गारंटर के दिव्यांगजन और युवाओं को ऋण दिया जाए। युवाओं को भी ऋण के लिए गारंटर चाहिए, वह भी कर्मचारी ही चाहिए। कोई कर्मचारी आजकल किसी की गारंटी नहीं देता। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बिना गारंटी के उसको ऋण मिलना चाहिए।

आपने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चलाई थी। हमारी सरकार के टाइम पर भी यह योजना चल रही थी। हमारी सरकार के टाइम पर इसमें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के साथ-साथ शुभ शक्ति योजना के तहत श्रम विभाग से भी अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को 50 हजार या 51 हजार रुपया मिलता था। इसमें आपने 3 कैटेगरी कर रखी हैं, 31 हजार, 41 हजार और 51 हजार। आठवीं तक की बच्ची को 31 हजार, आठवीं से दसवीं तक को 41 हजार और बारहवीं के बाद 51 हजार। मैं चाहता हूं कि 30-31 हजार में शादी नहीं होती है, इसको बढ़ाकर के एक लाख रुपया किया जाए।

अनुसूचित जाति के व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, 40 प्रतिशत से ज्यादा जहां निवास करते हैं, उसमें अलग से आदर्श गांव घोषित करने का प्रावधान है, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं देखने में आता है। वहां अम्बेडकर भवन बनाने की जरूरत रहती है। जिस गांव में 40 या 50 परसेंट से ज्यादा जनसंख्या एससी की है, वहां स्पेशल पैकेज देकर के उन ग्रामीणों को, उन एससी के व्यक्तियों के लिए अलग से व्यवस्था की जाए।

जब स्कूलों में छात्रवृत्ति मिलती है, उनमें 2019-20 से लेकर के 2021 अभी तक बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। इस वर्ष कोरोना काल में बच्चे-बच्चियों को स्कूलों में आपने पास तो करा दिया कि बच्चा स्कूल में नहीं

(श्री कालूराम)

जाएगा तो भी पास माना जाएगा, लेकिन उनकी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उनको छात्रवृत्ति दी जाए।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री कालूराम (डग): जो बच्चियां स्कूल में रहती हैं, छात्रावास में बच्चे रहते हैं। मेरी विधान सभा के चौमहला में 40 बैड का, उन्हेल में 50 बैड का, डग में कन्या छात्रावास 25 बैड का, पचपाड़ में 50 बैड का, भवानी मंडी में 75 बैड का और भीलवाड़ी में 25 बैड का छात्रावास है। इस प्रकार से छात्रावास खोले गए हैं। इनकी संख्या बढ़ाई जाए। इनमें व्यवस्था नहीं होने के कारण आधे बच्चे भी वहां नहीं रुक पाते हैं।

डग में कन्या छात्रावास होने के बाद भी यहां वार्डन नहीं है। कई दिनों से यहां महिला वार्डन का पद खाली चल रहा है। अगर महिला वार्डन कन्या छात्रावास में नहीं रहेगी तो किस प्रकार से बालिकाएं वहां पढ़ाई करेंगी? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन कन्या छात्रावासों में तो महिला वार्डन

(19.00 बजे)

होनी ही चाहिए। बाकी जगह भी जहां महिला छात्रावास हैं, वहां महिला वार्डन या महिला कर्मचारी ही रहने चाहिए।

हमारे क्षेत्र में गरीब परिवारों के लिए एक पोप योजना चलाई जाती है, उस पोप योजना के अन्तर्गत हमारे क्षेत्र से फार्म तो कई भर दिये जाते हैं लेकिन बैंक वाले पोप वालों को ऋण नहीं देते हैं। पिछले साल मैंने विधान सभा में प्रश्न लगाया था कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कितने परिवारों से पोप योजना के आवेदन प्राप्त हुए, उसमें जवाब आया कि 100 परिवारों के आवेदन प्राप्त हुए, उनमें से मात्र 5 परिवारों को ऋण दिया गया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मात्र 10 हजार रुपये इसमें सब्सिडी है, इस सब्सिडी को बढ़ाकर कम से कम 50 हजार रुपये किया जाए। आज के जमाने में 10 हजार रुपये की कोई वैल्यू नहीं है, 10 हजार के बावजूद भी उन लोगों को वो 10 हजार रुपये सब्सिडी और ऋण नहीं दिया जाता है।

श्री सभापति: विराजो।

श्री कालूराम (डग): माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां कूप निर्माण के लिए ब्लास्टिंग का काम चलता था, कूप निर्माण होते थे, वह कूप निर्माण का काम भी अभी बन्द ही है।

श्री सभापति: कृपया विराजो। सहयोग करें। श्री पदमाराम।

श्री कालूराम (डग): नरेगा के तहत गरीबों के लिए कूप निर्माण कराया जाए। उन गरीबों को फायदा दिया जाए। भवानी मंडी में जो गाडोलिया लोहार रहते हैं, माननीय मंत्री महोदय, उनके लिए हमारी सरकार ने सामुदायिक भवन बनाये थे, इस सरकार में उन सामुदायिक भवनों में ताला लगाकर उनको हटा दिया गया है। मैं आपसे मांग करता हूं कि गाडोलिया लोहार को वहां से हटा दिया गया है, तो आपको अधिकारियों को निर्देशित करना चाहिए कि वो उन मकानों में रहें, उनको जमीनों के पट्टे दिलायें नहीं तो हमको धरने पर बैठना पड़ेगा।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री कालूराम (डग): 000

श्री पदमाराम (चौहटन): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास एवं मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के बारे में बोलने का समय दिया, आपका बहुत आभार।

माननीय सभापति महोदय, आज उस मांग की चर्चा हो रही है जो समाज के अन्दर असहाय लोग हैं, गरीब हैं, अनुसूचित जाति के, जनजाति के हैं, महिला हैं, विधवा हैं, वृद्ध हैं, विकलांग हैं, उनका विकास कैसे हो, उनको मूल धारा से कैसे जोड़ा जाए, उसके बारे में आज डिमांड पर चर्चा हो रही है। माननीय सदस्य पक्ष और विपक्ष के, वो अपने फीते बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। मेरा निवेदन है कि आज की जो मांग है उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि सामाजिक कल्याण की जो मांग है, अनुसूचित जाति की मांग है, अनुसूचित जनजाति की मांग है, उसके अन्दर पक्ष और विपक्ष के दोनों के सदस्य मिलकर इनको आगे बढ़ाने के लिए इनका विकास करने के लिए, इनको मूल धारा में जोड़ने के लिए काम करें, यह मेरा पहले भी निवेदन था और आज भी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं हमारे विपक्ष के साथियों से कि हां, राजनीति होनी चाहिए, राजनीति करनी चाहिए, अपने हित के लिए बात करनी चाहिए लेकिन जहां समाज को आगे बढ़ाने के लिए, अपने समाज के बंधुओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनके

(श्री पदमाराम)

लिए योजनाओं को क्रियान्वित करने की मांग होती है उस समय जोर शोर से दोनों पक्षों को मिलकर बात करनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अनुसूचित क्षेत्र, जो आदिवासी क्षेत्र को पूरे राजस्थान का जितना भी अनुसूचित जनजाति विकास है, टाडा है, माडा है, जो भी योजना है, वो सिर्फ आदिवासी क्षेत्र तक ही सीमित कर दिया गया है। मेरा निवेदन है सरकार से, सभी अधिकारियों से कि ये जो विभिन्न तरह के क्षेत्र हैं, जहां आदिवासी लोग रह रहे हैं, उनका जीवन स्तर कैसे ऊपर उठाया जाए, उनको शिक्षा की मूल धारा से जोड़ने की व्यवस्था की जाए, उनको कृषि कनेक्शन में सुविधा मिल रही है या नहीं, शिक्षा में उनकी क्या स्थिति है, उसकी जांच की जाए। दूसरी जो योजनाएं राजस्थान सरकार और भारत सरकार की हैं, उनकी सुविधाएं उनको मिल रही हैं या नहीं, इसका सर्वे तो कराओ। कई सालों से बैठे हैं, हम भी वोट लेकर आ जाते हैं, सामने वाले भी वोट लेकर आ जाते हैं, वोट लेकर आने के बाद हम हमारे काम में व्यस्त हो जाते हैं। वे कई सालों से चिल्ला रहे हैं।

अभी माननीय सदस्य जो सामने बैठे हैं उन्होंने जो पाइंट उठाया वह सही बात है, उनका स्तर बहुत निम्न है, उनकी शिक्षा का स्तर जीरो के बराबर है। उनकी बहन बेटियां आज भी खेतों में मजदूरी कर रही हैं और अभी विपक्ष के साथी कह रहे थे, उज्ज्वला योजना में गैस की टंकियां नि:शुल्क दे दीं, अच्छी बात है, आपने लोन के रूप में दी है, सरकार का कितना वेस्ट किया है, आपने उद्योगपतियों को खुश करने के लिए वह दे दी, उसके बाद में वापस कितनी टंकियां भराई गईं? आपने गैस की रेट क्या कर दी? एक मजदूर के घर खाने के लिए अनाज नहीं है, हजार रुपये की टंकी कहां से भराएगा? उसके बारे में कोई बात ही नहीं करते, वाहवाही करते हैं। वाहवाही करने से कुछ काम नहीं होगा। आज सुबह मैंने अखबारों में पढ़ा कि एक साल के अन्दर 2,94,000 करोड़ रुपये मोदीजी पेट्रोल के अन्दर कमा गए। वह पैसे कहां खर्च किये? किस योजना में खर्च किये, मेहरबानी करके वह तो बताएं? आपने कहा कि बहुत अच्छा काम किया, देश का विकास हो रहा है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपने काम नहीं किया है, काम तो आपने भी किया है लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ों को मूल धारा में जोड़ने का काम शुरुआत से कांग्रेस सरकार ने किया है। माननीय कल्याणकारी मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि 200 रुपये पेंशन थी, उसको 500 रुपये किया, अभी 500 रुपये थी, उसको 750 रुपये किया।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री पदमाराम (चौहटन): यह काम किया तो अशोकजी गहलोत ने किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, अभी तो दो मिनट ही हुए हैं।

अनुसूचित क्षेत्र में बच्चों को शिक्षा की मूल धारा में जोड़ने के लिए स्कूटी दी जाती है। एसटी को देते हो, ओबीसी को देते हो, अदर सब लोगों को देते हो, एससी के लोगों ने क्या गुनाह कर दिया? मेरा निवेदन है विशेषकर अधिकारी बंधुओं से और माननीय मंत्रीजी से कि जहां भी अनुसूचित क्षेत्र है, वहां एससी की बच्चियां पढ़ रही हैं, उनको स्कूटी दी जाए। मेरा निवेदन है कि विधवा है, जो असहाय हो गई है, भगवान ने ऊपर से उस पर से हाथ उठा लिया, उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं, उसका भरण पोषण करने के लिए पेंशन दे रहे हैं 750 और 1000 रुपये, मेरा निवेदन है कि विधवाओं की पेंशन 2000 रुपये होनी चाहिए। उसके बच्चों को पढ़ाने के लिए जो योजना लागू की है, पालनहार योजना है, उसमें 2000 रुपये दिये जाने चाहिए। मेरा निवेदन है कि उनको गैस कनेक्शन हो, बिजली का बिल हो, और कोई सुविधा हो तो उसको वह प्रदान की जाए। इससे वो मूल धारा से जुड़कर अपने बच्चों का भरण पोषण करेगी और समाज में शान से जी सकेगी।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि दूसरी जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए सरकार की तरफ से एक मानिटरिंग कमेटी होनी चाहिए, उस कमेटी की समय-समय पर मीटिंग होनी चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी और सभी वर्गो के प्रतिनिधियों को उसमें बुलाया जाए और उनको जो धन मिल रहा है, उसका सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, समाज के लोगों को मूल धारा में जोड़ने की ओर वे अग्रसर हैं या नहीं, सरकारी कर्मचारी और अधिकारी उनमें क्या व्यवस्था कर रहे हैं, उनका पूरा खर्चा हो रहा है या नहीं, यह देखा जाना चाहिए, यह मेरा निवेदन है।

श्री सभापति: समाप्त करें। (व्यवधान) श्री जगसी राम। ...(व्यवधान)... प्लीज विराजिये।

श्री पदमाराम (चौहटन): जगसी रामजी, एक मिनट। मैं सरकार को छात्रावास के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि एसटी के लिए आवासीय विद्यालय सेड़वा में खोला जाए।

श्री सभापति: विराजिये। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा। श्री जगसी राम।

श्री जगसी राम (रेवदर): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास, मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर चर्चा हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, आज दिन भर से माननीय सदस्य जनजाति क्षेत्रीय विकास, सामाजिक सुरक्षा के बारे में अपनी-अपनी बात रख रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप पूरे राजस्थान के मंत्री हैं। पिछली बार विधान सभा में मैंने प्रश्न भी लगाया था लेकिन जिस तरह से सिरोही के साथ और रेवदर विधान सभा क्षेत्र के छात्रावासों की व्यवस्था के बारे में मैंने आपसे निवेदन किया था, मैं समझता हूं कि रेवदर और आबू रोड के छात्रावासों की व्यवस्था के बारे में चाहे आप बैड की व्यवस्था देख लो, शौचालयों की व्यवस्था देख लो, यानी कि मैं समझता हूं कि वहां पर अधिकारी किसी प्रकार से नहीं देख पा रहे हैं। मैंने आपको दूसरी बार अवगत करवाया है।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मां-बाड़ी के लिए आपने पूरे राजस्थान के लिए जिक्र किया है, आबू रोड के लिए मैंने माननीय मंत्रीजी को तीन बार पत्र द्वारा अवगत करवाया है, उदयपुर में आयुक्त महोदय को भी जानकारी में लाया हूं लेकिन आज तक इन्होंने हमारे सिरोही जिले के साथ में ऐसा व्यवहार क्यों किया है? माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी की जानकारी में लाना चाहूंगा कि आप पूरे प्रदेश के मंत्री हैं, विशेष तौर पर हमारे दूसरे माननीय सदस्यों ने भी इस बात को बताया। अभी सभापति महोदय मुझे बैठने के लिए कह देंगे, इसलिए मैं अपनी बात को जल्दी से कहने का प्रयास करूंगा।

सभापति महोदय, जो अभी हम जनजाति की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे राजस्थान में और खासकर आबू रोड में, मैं समझता हूं कि जनजातीय क्षेत्र के लोग पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं वहां पर चिकित्सा की जो व्यवस्था है, उसे देखने की बहुत आवश्यकता है। अस्पतालों के लिए 20-30 किलोमीटर, अम्बाजी से भी हमारे आबू रोड में आने के लिए काफी दूरी है। मैं समझता हूं कि जगह-जगह पर पंचायत मुख्यालय पर चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था यदि हो जाती है तो जनजातीय क्षेत्र के लिए अच्छा होगा।

सिलिकोसिस वाली बीमारी जो है, मैं समझता हूं कि जो लोग माइन्स में काम कर रहे हैं, उनमें ज्यादा होती है। उनके लिए भी पंचायत स्तर पर

(श्री जगसी राम)

चिकित्सा की व्यवस्था होगी तो जो लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा।

मैं इस अवसर पर आगे कहना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी जनजातीय और एससी-एसटी की जो चिंता हम कर रहे हैं, तो उसमें आईटीआई कालेज और प्रशिक्षण के द्वारा शिविर लगवाकर इनकी व्यवस्था करवायी जाए ताकि आने वाले समय में यहां के छात्र-छात्राएं आगे बढ़ें।

मैं एक बात यह कहना चाहूंगा कि जो बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं और दूसरे कामों में लग जाते हैं, कारीगर वगैरह बन जाते हैं या पत्थर गढ़ाई में लग जाते हैं, इस पत्थर गढ़ाई का काम पिण्डवाड़ा में हो रहा है, श्रीराम मंदिर जो है अयोध्या में, जहां भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, वहां सिरोही जिले का पत्थर जा रहा है, उन्हें प्रशिक्षित कर हमारे जनजातीय भाइयों को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना बनानी चाहिए।

मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं जो जनजातीय किसान हैं क्षेत्र में, उनके खेत-खलिहान छोटे-छोटे होते हैं, वहां सही तरीके से वे अपने खेत का समतलीकरण नहीं कर सकते हैं और कृषि भी नहीं कर सकते हैं, तो इस क्षेत्र के लिए सरकार की ओर से उनके खेतों के समतलीकरण हेतु कोई योजना बने ताकि उसमें विद्युतीकरण हो जाए और अपना पालन-पोषण वे कर सकें, क्योंकि युवा आदमी तो पढ़-लिखकर सर्विस में भी चला जाएगा लेकिन जो अधिक उम्र वाले लोग हैं, वे न तो मजदूरी करने के लिए जाएंगे और न ही कोई और दूसरा काम कर पाएंगे, तो कृषक बनकर वहां वे काम कर सकते हैं।

आबू रोड पंचायत समिति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यु है, मैंने जिला कलेक्टर महोदय को भी बताया कि एक मीन तलेटी ग्राम पंचायत है आबू रोड में, उसमें आज से तीस साल पहले एक सामुदायिक भवन बना था, वहां जनजातीय मेला लगता था। होली के बाद में कम से कम दस दिन तक वहां भव्य मेला लगता था। सरकार ने होटल या रिसोर्ट के नाम से अलाट करके आस-पास के जाने वाले सारे रास्ते अवरुद्ध कर दिये हैं। मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि उस जमीन के पूरे नक्शे को ट्रेस किया जाए कि सामुदायिक भवन कहां है, वगैरह, वगैरह। मेरे पास सारी डिटेल्स हैं जो भी आप चाहें, लेकिन समय की कमी के कारण अभी नहीं बता पाऊंगा। उसकी वस्तुस्थिति को जानने के लिए मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वहां का

(श्री जगसी राम)

खसरा नम्बर अलग है और होटल अलग बन रही है और सामुदायिक भवन को नहीं गिरना चाहिए। वह सरकार की सम्पत्ति है। जनजाति विभाग की सम्पत्ति को भी सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए, विशेष तौर से यहां पर जो अभी जनजाति और एससी-एसटी की बात की गयी और मुझ से पूर्व वक्ताओं ने सुबह भी बात की थी कि जिस क्षेत्र में शराबबंदी और शराब के ठेकों के मार्च महीने में टेण्डर भी होते हैं, पर जहां तक मेरी जानकारी है, वहां पर एससी-एसटी बहुल एरिया जो होता है, वहां भी अवैध शराब की और लीगल शराब की दुकानें खोली जाती हैं...

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री प्रशान्त बैरवा (अनुपस्थित)। श्री लक्ष्मण मीणा।

श्री जगसी राम (रेवदर): इनके लिए भी आवश्यकता है कि अगर उसके लिए आप चिंता कर रहे हैं तो सरकार को बताना चाहूंगा कि उन पर आप नियंत्रण करें या उन्हें बन्द करें ताकि वहां के बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो। विद्युत कनेक्शन के बारे में जो कहते हैं कि पूर्व में सरकार ने बाकी जो काम किये थे...

श्री सभापति: विराजिये। प्लीज विराजिये।

श्री जगसी राम (रेवदर): सभापति महोदय, दो मिनट में अपनी बात को पूरी कर रहा हूं।

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। अंकित नहीं होगा। श्री लक्ष्मण मीणा।

श्री जगसी राम (रेवदर): 000

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास एवं मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण से सम्बन्धित मांग पर अपने विचार रखने का आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले मांग संख्या 30 पर अपने विचार रखूंगा। राजस्थान प्रांत में आदिवासियों की 13-13.5 परसेंट जनसंख्या है। उसे अलग-अलग तरीके से बांट रखा है। टीएसपी क्षेत्र है, माडा क्षेत्र है। माडा क्लस्टर क्षेत्र, बिखरी हुई जनजाति तथा सहरियाओं में बांटा हुआ है।

(श्री लक्ष्मण मीणा)

माननीय सभापति महोदय, टीएसपी क्षेत्र में 49.27 परसेंट जनसंख्या निवास करती है और बाकी सहरिया क्षेत्र में 1.31 परसेंट निवास करती है तथा बिखरी हुई जनजाति, माडा क्षेत्र और माडा क्लस्टर क्षेत्र में 49.42 परसेंट आदिवासी जनसंख्या निवास करती है। भारत सरकार की योजनाओं से, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत विशेष अनुदान से, सेन्टर की विशेष योजनाओं से, राज्य की योजनाओं से काफी धनराशि इनके विकास के लिए आती है।

माननीय सभापति महोदय, पिछले 60-70 सालों में जितने पैसे आये हैं, उनका अधिकतम बजट का हिस्सा टीएसपी एरिया में खर्च हुआ है। मैं दिनभर से टीएसपी क्षेत्र के माननीय विधायकों को सुन रहा था कि अभी भी उनकी प्राब्लम्स वही हैं। अभी उनके यहां पानी नहीं है, सड़कें नहीं हैं, उनके हॉस्टल, स्कूलों, सार्वजनिक भवनों की हालत बहुत ही खराब है। इससे ऐसा प्रतीत होता है, या तो योजनाओं की क्रियान्विति ठीक नहीं हुई, वहां के जन प्रतिनिधियों ने वहां की योजनाओं की कियान्विति पर ध्यान नहीं दिया या फिर पूरा पैसा न लगाकर उसे दूसरी तरफ ट्रांसफर किया गया। सरकार कोई भी रही हो, सभी सरकारों की नीयत साफ रही है, प्रत्येक सरकार आदिवासियों का विकास करना चाहती है, लेकिन नीचे के लेवल पर जिस तरह से इन योजनाओं की क्रियान्विति होती है, उसकी असफलता से अभी भी आदिवासी उन सभी सुविधाओं से महरूम हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए थीं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसका एक सर्वे किया जाए और हर साल इसका अध्ययन होना चाहिए कि जितना पैसा खर्च किया गया है, उसका आदिवासी समाज पर कितना इम्पैक्ट आया है, उनके जीवन स्तर में कितना सुधार हुआ है। अगर वे योजनाएं सफल नहीं हुई हैं तो कोई और योजना वहां लागू की जाए। माननीय सभापति महोदय, अभी भी वहां रोजगार की समस्या है। पूरे टीएसपी क्षेत्र के लोग गुजरात में काम के लिए जाते हैं। वहां पीने के पानी की समस्या है। इन्हीं बातों को लेकर वहां के लोग परेशान हैं कि उनके यहां किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को दो-तीन सुझाव देना चाहूंगा। एक यहां जयपुर में कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है जिसमें आदिवासी क्षेत्र के लोगों को प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी के

(श्री लक्ष्मण मीणा)

लिए कोचिंग दी जाएगी। उसमें अभी तक जो इनका विचार है, वह यह है कि टीएसपी क्षेत्र के केवल 100 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। मेरी मांग है कि इसमें टीएसपी ही नहीं, इसमें दूसरे क्षेत्र जो हैं, माडा क्षेत्र है, बिखरी जनजाति क्षेत्र है, सहरिया क्षेत्र है, उनके भी कुछ विद्यार्थियों को कुछ सर्टेन परसेंटेज में एडमिशन दिया जाना चाहिए ताकि वे आपस में मिलकर करेंगे तो एक-दूसरे के विचार जानेंगे और अच्छी तैयारी कर पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी मेरी मांग है कि यहां महारानी कालेज में आदिवासी बालिकाओं के लिए एक हॉस्टल बनकर तैयार है, बिल्डिंग बन गई है तो उसको शीघ्रातिशीघ्र चालू किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, तीसरी मांग मैं यह करता हूं कि डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य का शायद अपनी बात रखने का तरीका ठीक नहीं होगा, पर बात यह है कि जो 2021 की जनगणना हो रही है, यह भारत सरकार का विषय है, इसमें सबके कोड नम्बर दिये हुए हैं, तो हमारी मांग है कि मंत्री जी एक लैटर भारत सरकार को लिखें कि आदिवासियों को भी एक सैपरेट कोड नम्बर दिया जाए जिस तरीके से ओबीसी के लिए दिया जाता है, जिस तरीके से एमबीसी के लिए दिया जाता है, जिस तरीके से एससी के लिए दिया जाता है, यह शायद उनकी मंशा थी।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी चाहता हूं कि जयपुर राजधानी है और सारे आदिवासी यहां आते हैं, गरीब लोग हैं और उनके ठहरने की कहीं जगह नहीं होती है, तो एक आदिवासी विकास केन्द्र की यहां स्थापना की जाए। उसमें आदिवासी कल्चर से सम्बन्धित एक म्यूजियम हो, डिस्प्ले गैलेरी हो, सभी सुविधाएं हों, रहने के लिए वहां व्यवस्था हो ताकि पूरे प्रदेश के आदिवासी वहां अपना विचार-विमर्श कर सकें, अपने प्रोग्राम यहां आयोजित कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, साढ़े तेरह परसेंट आबादी है तो साढ़े तेरह परसेंट बजट भी आदिवासियों पर खर्च होना चाहिए। उसमें जैसा कि देवली-उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य का विचार था कि इसका पापुलेशन के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, वह भी हमारी एक मांग है।

माननीय सभापति महोदय, मैं समाज कल्याण से सम्बन्धित मांग पर भी दो मिनट बोलना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण से सम्बन्धित बहुत सारी योजनाएं सरकार ने बना रखी हैं, समय-समय पर बजट भी दिया जाता है। जब बजट होता है तो उनकी क्रियान्विति

(श्री लक्ष्मण मीणा)

बहुत अच्छे तरीके से होती है, गरीब लोगों को फायदा मिलता है, लेकिन अभी हम महसूस कर रहे हैं और मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के बारे में बात करूं तो पालनहार योजना है, विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, इनमें पैसे नहीं आ रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, एक सम्बल योजना है, जिसके लिए यहां की राज्य सरकार पैसे देती है। एक प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है, जिसमें भारत सरकार पैसे देती है....

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): एक मिनट में खतम कर रहा हूं, माननीय सभापति महोदय। इन दोनों योजनाओं में जहां एससी की पापुलेशन 40 परसेंट या उससे ऊपर है, उन गांवों के लिए कई विकास कार्य होते हैं, लेकिन, माननीय सभापति महोदय, इन दोनों ही योजनाओं में पिछले दो साल से तो कोई पैसे आ नहीं रहे हैं और अगर आ भी रहे होंगे तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन विधान सभा क्षेत्रवाइज नहीं किया जाकर कुछ सर्टेन विधान सभा क्षेत्रों में ही कर दिया जाता है।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसकी क्रियान्विति भी सही तरीके से नहीं हुई है। कई जगह तो जो गरीब लोग हैं उनके पास जमीन नहीं है। मकान बनाने के लिए सरकार पैसे दे रही है लेकिन मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है। ऐसे लोगों को, जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है उनके लिए प्लाट्स भी होने चाहिए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, नवजीवन योजना है, ये कई तरीके की योजनाएं हैं, लेकिन जब तक इन पर पर्याप्त बजट नहीं होगा, इनकी क्रियान्विति सही तरीके से नहीं होगी और लोगों को लाभ भी नहीं मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, अभी के बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने राजस्थान एससी, एसटी डवलपमेंट कानून बनाने की घोषणा की है, तो इससे निश्चित रूप से इनके विकास में और गति आएगी।

देवनारायण योजना के अन्तर्गत भी एमबीसी के तीन छात्रावासों के निर्माण की इन्होंने घोषणा की है। प्रदेश में पहली बार विमुक्त घुमन्तु व अर्द्धघुमन्तु समुदाय यथा गाड़िया लोहार, बंजारा, सांसी, बावरी, भाट, नट तथा मदारी, सपेरा, बहुरूपिये इत्यादि के उत्थान के लिए डिनोटिफाइड ट्राइब पालिसी लायी जाएगी और इनके विकास के लिए 50 करोड़ के बजट की घोषणा की है। यह बहुत ही जबरदस्त इनके बदलाव लाने वाली योजना है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): इससे उन लोगों को भी सम्मान मिलेगा, वे भी हिन्दुस्तान के नागरिक हैं, उनको रहने का अधिकार है, सम्मान प्राप्त करने का अधिकार है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने और भी कई योजनाएं डीएनटीज के विकास के लिए कोष बनाने की घोषणा की है। माननीय सभापति महोदय, कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की रही हो, कांग्रेस की रही है, नीयत सबकी अच्छी है, सब इन लोगों का विकास करना चाहते हैं, लेकिन हम सबको, पक्ष-विपक्ष को मिलकर यह विचार करना पड़ेगा कि इन योजनाओं की क्रियान्विति सही ढंग से हो और नीचे तक लोगों को इसका लाभ मिले, इसके लिए अपने को प्रतिबद्धता दर्शानी पड़ेगी। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री छगनसिंह राजपुरोहित।

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास और मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए खूब-खूब धन्यवाद।

मैं सीधे मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा। मेरा विधान सभा क्षेत्र आहोर, जो टीएसपी से जुड़ा हुआ नहीं है उसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में आलावा ए, बी, सी, डोडियाली, बारलावास, गुढ़ा, छीपरवाड़ा, अगवरी, महिलावास आदि ऐसे कई गांव हैं जो भील बहुल क्षेत्र हैं और उनकी जीवन शैली देखी हो तो 70 वर्ष पहले भारत आजाद हुआ है और भारत आजाद होने के 70 वर्ष बाद भी उनकी स्थिति देखते हैं तो पता चलता है। सभापति महोदय, मैं सुबह से देख रहा हूं और दो साल से देख रहा हूं, यह तीसरा बजट है, जनजाति क्षेत्र के विकास की बात होती है, लेकिन क्या ये योजना लागू होती है वह धरातल पर आ रही है क्या? मेरे क्षेत्र की जो मैं इन गांवों की संख्या बता रहा हूं, यहां भीलों की बस्ती है, भीलों के पूरे-पूरे गांव हैं, लेकिन एक भी योजना वहां पर लागू नहीं है। वहां की स्कूल की स्थिति देखें तो वहां पांचवीं तक स्कूल है। वहां की स्कूल को क्रमोन्नत करने के लिए बार-बार मुख्य मंत्री जी को लैटर लिखते हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आलावा, डोडियाली, बारलावास, गुढ़ा, छीपरवाड़ा, अगवरी,

(श्री छगनसिंह)

महिलावास, इन क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा आवासीय विद्यालय खोलें, जिससे उनके परिवार में पढ़ने की भावना होगी।

मैं एक निवेदन करूंगा कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए एक अच्छी छात्रवृत्ति शुरू करें। स्कालरशिप अगर शुरू कर दोगे तो मुझे विश्वास है कि उनके माता-पिता उनको पढ़ने के लिए भेजेंगे, नहीं तो आज आजादी के 70 साल के बाद में हम लोग भील समाज की बात कर रहे हैं, वह भील समाज 20 साल बाद भी ऐसा का ऐसा रहेगा। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरे आहोर विधान सभा क्षेत्र का देखकर जांच कर लें कि वास्तव में यह है।

इसी प्रकार से पांचोटा, बेदाणा, हरियाली, रसियावास, भाद्राजून के मेवासा, हरजी, थांवला, बुडतरा, मालपुरा, सेदरिया, रामा आदि गांवों में मीणों का वास है और मीणों का बाहुल्य है, वहां की स्थिति भी ऐसी है। आरक्षण की बात सभी करते हैं और मुझे तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में कहीं आरक्षण नहीं लग रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में न तो मीणा और न भील कोई आईएएस अधिकारी है, न ही कोई आरएएस अधिकारी है और न ही कोई बड़े अधिकारी हैं और मुझे नहीं लगता कि हमारे क्षेत्र में कहीं आरक्षण है। आरक्षण की सुविधा उन लोगों तक कैसे पहुंचे, पश्चिमी राजस्थान में यह आरक्षण की व्यवस्था कैसे पहुंचे, यह चिंता अगर मंत्री जी करें तो हमें लगेगा कि हमारे क्षेत्र की आपने चिंता की है।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से भीलों के एरिया में, हरजी में अगर एक आवासीय विद्यालय खोला जाए तो वास्तव में बहुत बड़ा उपकार होगा। उसी प्रकार से आहोर में मीणा और भीलों के जनजाति क्षेत्रों के लिए भी एक आवासीय विद्यालय खोला जाए। आज भी मैं देखता हूं, मैं जब बाल्यावस्था में था तो मेरे साथ खूब खेलते थे और उनमें आधों की तो मौत हो गई है कुपोषण से। मेरे साथ 15 लोग तीसरी-चौथी में पढ़ते थे, उनमें से दो-तीन बचे हैं क्योंकि वे सब कुपोषण के शिकार हैं। वे पढ़ने कहां जाएं? इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र में भी जनजाति बहुल क्षेत्र में उनका भी ध्यान रखकर विकास किया जाए।

उसी प्रकार से मैं एक छोटी-सी बात समाज कल्याण के सम्बन्ध में भी कहूंगा कि पालनहार योजना है, उसमें किसलिए पेंशन बढ़ानी है, क्योंकि जिसके भी बच्चे होते हैं उन्हीं को पालनहार योजना का लाभ मिलता है, तो मैं

(श्री छगनसिंह)

निवेदन करूंगा कि अगर बच्चा स्कूल जाता है तो उसके कई तरह के खर्चे आते हैं, एक तो 'राइट टू एजुकेशन' में, वास्तव में जब तक वह पढ़ता है, उसका हमेशा के लिए फ्री में एडमिशन हो जाए, उसके बाद उसके अन्य खर्च बढ़ते हैं। सभापति महोदय, इसलिए मैं सदन से निवेदन करूंगा कि पालनहार योजना में जो पेंशन मिल रही है, जो एक हजार रुपये है, उसको एक हजार से बढ़ाकर 2 हजार किया जाए। वास्तव में पालनहार योजना बहुत ही लोक कल्याणकारी योजना है। वास्तव में, बहुत दुखी लोग जब भी हमारे पास पेंशन के लिए आते हैं, उनकी स्थिति देखते हैं तो दया आ जाती है, आंखों में आंसू आते हैं। इसलिए, मैं निवेदन करूंगा इस पालनहार योजना में 2 हजार रुपये किया जाए क्योंकि, वास्तव में बहुत ही आवश्यक है। इसी प्रकार से विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन की भी लिमिट बढ़ाई जाए।

मैं यही निवेदन करूंगा कि अगर दो आवासीय विद्यालय, आहोर में और हरजी में खोले जाएं और एक आलावासी में सामुदायिक भवन भील समाज के लिए मंत्री जी आज घोषणा कर दें तो मुझे लगेगा कि वास्तव में आपने जनजाति क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा उपकार किया है।

आज मैं इस सदन से भी अपेक्षा रखूंगा, माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी बैठे हैं, दयालु भी हैं, तो मुझे एक सामुदायिक भवन आलावासी और दो आवासीय विद्यालय की घोषणा कर दें, मेरी यह मांग है। वास्तव में, दिल से कह रहा हूं।

श्री सभापति: दयालु ही नहीं, इनको दाता भी बोलो, तब देंगे, वर्ना कैसे देंगे।

श्री छगनसिंह (आहोर): पैसा तो, मुझे पता है कि इन्होंने 1200 करोड़ की घोषणा की है। यह बजट दिया तो मुझे विश्वास है कि मेरे क्षेत्र में भी आप आवासीय विद्यालय के लिए बड़ी घोषणा करेंगे, इसी मनोकामना के साथ मुझे विश्वास है कि आप घोषणा करेंगे। जय हिन्द, भारत माता की जय।

श्री सभापति: श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, मैं केवल जनजाति पर ही अपने आपको सीमित करूंगा, मांग संख्या-30 पर। मैं सोचता हूं, मैं भी सदन में बहुत लम्बे समय से हूं और एक मांग बारबार उठती है कि जितनी हमारी आबादी है, उसके अनुसार हमको बजट का एलोकेशन करना चाहिए और बीच में आपने, हमने, सबने महाराष्ट्र पैटर्न को भी अपना आधार

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बनाकर, महाराष्ट्र पैटर्न में टोटल बजट का 8 परसेंट मिलता था, हमने उसके लिए कहा कि उसको लागू करो, लेकिन मैं आज बहुत ही विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं कि 28.12.2016 के दिन इस बात के आदेश हो चुके हैं कि जनजातीय व्यक्तियों के समग्र विकास के लिए 13.48 परसेंट बजट में रखने का प्रावधान है और ये आपने इस बजट में भी देखा होगा।

मेरे पास अभी आंकड़े हैं। मैं आपको बता रहा हूं, 2020-21 का जो बजट पेश हो गया और जिसका अभी हम लास्ट में आ रहे हैं 31 मार्च में, इसमें इसका प्रोविजन किया था, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है परसेंटेज की दृष्टि से, लेकिन निश्चित रूप से सब लोगों की इस मांग को ध्यान में रखकर के टोटल बजट का 13.48 परसेंट, जो इनकी आबादी है, उसके अनुसार बजट हो, वह एलोकेशन होना शुरू हो गया है 2016 के बाद ही। मैं सोचता हूं, उसको ठीक प्रकार से काम में लेने का काम विभाग का और विभाग के अधिकारियों का है। इसको अगर ठीक ढंग से एलोकेट करके उसकी मानिटरिंग हो, तो मैं सोचता हूं कि इस बजट को जिस भावना से दिया, उसका पूरा-पूरा सम्मान होगा।

2020-21 में जो बजट पेश हुआ था। उसमें हमारी जनजातीय उप योजना में 16 हजार 17 करोड़ का प्रावधान किया गया, टोटल अपना बजट लगभग एक लाख समथिंग करोड़ राजस्थान का है, थोड़ा-सा परसेंट कम हो सकता है, पर उसको कवर करने की कोशिश की है लेकिन दु:ख इस बात का है कि इस बात की कोई मानिटरिंग नहीं करता है कि जो बजट हमें प्राप्त हो गया वह समय पर खर्च हो जाए। 16 हजार 17 करोड़ रुपया जो मिला था, उसको दिसम्बर तक जो फिगर आपने हमको दिये हैं, उसमें आप 9 हजार 517 करोड़ रुपये ही खर्च कर पाये, अर्थात् टोटल बजट का केवल 51 परसेंट आप खर्च कर पाए। इन तीन महीनों में आप 49 परसेंट पैसे का खर्चा करेंगे, इसका मतलब इसकी केवल और केवल खानापूर्ति होगी, सच में जमीन पर नहीं उतरेगा और इसका उपयोग नहीं होगा।

यह जो जनजातीय विकास कार्यक्रम है, इसमें जहां से पैसा हमको मिलता है, राज्य योजना से भी मिलता है, जनजातीय कल्याण निधि के रूप में मिलता है, राज्य योजना प्रवाह के रूप में मिलता है, केन्द्रीय सहायता से भी हमको पैसा मिलता है, विशेष केन्द्रीय सहायता और सेन्ट्रल स्पोंसर्ड स्कीमों के तहत मिलता है और एक संविधान की धारा 275(ए) के तहत भी हमको

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इसके लिए पैसा मिलता है। अब मैं आपको बता रहा हूं आपका ये जो एलोकेशन है, विभिन्न सेक्टरों में आबंटन व व्यय की स्थिति, इस पर अगर आप निगाह डालेंगे तो इसमें कृषि का भी है, ग्रामीण विकास का भी, विशेष खेती प्रबंध है, सिंचाई है, विद्युत है, उद्योग है, परिवहन है, वे सारे हैं, जो हम हमेशा बजट में, बाकी जनरल बजट में जो हैड रखते हैं, उन्हीं हैडों के आधार पर इनमें भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है लेकिन, अब ये जो आपने देखा होगा कि सिंचाई में हमने रखा था 446 करोड़, लेकिन अभी हम खर्च कर पाए इस दिसम्बर तक केवल 166 करोड़। अब हमारे पास पैसा है, कारण क्या है? हम क्या करते हैं, पैसा सीधा डिपार्टमेंट को अलाट कर देते हैं और अलाटमेंट करने के बाद वह डिपार्टमेंट क्या करता है, क्या नहीं करता है, इसके बारे में जो मानिटरिंग में सख्ती चाहिए, वह डिपार्टमेंट बिलकुल पैसा देने के बाद बरी हो जाता है। बरी नहीं हो, डिपार्टमेंट इसकी प्रोपर मानिटरिंग करे कि जो पैसा हमने जिस डिपार्टमेंट को दिया इस जनता पर खर्च के लिए, वह हो रहा है या नहीं हो रहा है? केवल 37 प्रतिशत खर्चा हुआ दिसम्बर तक का।

इसी तरह से विद्युत में आपने दिया 2 हजार 802 करोड़ रुपया, खर्च हुआ है केवल 1345 करोड़ रुपया, 47 परसेंट खर्चा हुआ है। इसी तरह से उद्योग और खनिज में आपने 169 करोड़ रुपये दिया बजट एलोकेशन 2020-21 में, उसमें से केवल 49 करोड़ रुपया खर्च किया है, केवल 29 प्रतिशत खर्चा कर पाए। इसी तरह से परिवहन पर भी आपका यही है, 792 करोड़ रुपया आपने दिया, उसके अगेंस्ट में आपने 278 करोड़ रुपया खर्च किया।

मेरी आपसे प्रार्थना यह है, मंत्री महोदय और इस डिपार्टमेंट के अधिकारी भी यहां बैठे हैं, बजट का एलोकेशन होता है, अगर इसको ठीक ढंग से जमीन पर उतारने के लिए प्रयास करें तो मैं सोचता हूं इनकी समस्या को बहुत आसानी से खतम तो नहीं कर सकते पर काफी सीमा तक कम कर सकते हैं, यह मेरा आपसे निवेदन है।

मैं सोचता हूं कि यह अनुसूचित क्षेत्र जो बना है जो शिड्यूल्ड एरिया बनाया, ये शिड्यूल्ड एरिया राजस्थान में बना 1981 में और हिन्दुस्तान के बाकी राज्यों में, अब सरकार की स्थिति यह तो आप सब लोग गिनती करते रहना। मैं सोचता हूं कि सबसे पहले आंध्र प्रदेश ने अपने क्षेत्र में शिड्यूल्ड एरिया बनाया था 26.01.1950 को, इस शिड्यूल्ड एरिया का जो लाभ मिलता है, उन्होंने 1950 से शुरू कर दिया। हिमाचल प्रदेश ने किया 21.11.1975 से,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

गुजरात ने किया 31.12.1977 से और उड़ीसा ने किया 31.12.1977 को और हमने राजस्थान में इस शिड्यूल्ड एरिया को बनाया 12.02.1981 को, लगभग 34 वर्ष देश की आजादी के बाद हम शिड्यूल्ड एरिया को बना सके और 1952 से तो लगातार चुनाव हो रहे हैं। मैं सोचता हूं कि यह जिम्मेदारी किसकी थी, जिसको बनाना था और उसके बाद भी एक सैकण्ड टाइम में अभी हमने संशोधन लिस्ट निकाली, यह भी 1977 में भैरोंसिंह जी के आने के बाद हम लोगों ने इस कागज को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, बाद में सरकार आपकी आ गई। हमको यह स्वीकृति मिली 1981 में फरवरी के महीने में और अभी ये जो आपकी संशोधित सूची, जिसमें हमने आबू रोड को भी जोड़ा, गिर्वा को भी जोड़ा, बाकी बड़गांव ये जो सारे स्थानों को जोड़ा है, वह हमको परमिशन मिली है 19.05.2018 को। ये दोनों शिड्यूल्ड एरिया का जो लाभ मिलता है न, इसके लिए हम लोगों ने कुछ प्रयत्न किये होंगे तब मिला होगा। केवल अपनी आप कहने के लिए तो आप कह सकते हो। ये जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, इस अनुसूचित क्षेत्र में 8 जिले, 45 तहसीलें, 5 हजार 696 गांव मिलाकर अनुसूचित क्षेत्र बनता है और इसमें लगभग आपने देखा होगा कि जो इस एरिये की जनंसख्या है, वह 64 लाख 63 हजार है, उसमें से 45 लाख 51 हजार ट्राइबल हैं। इसका मतलब इस शिड्यूल्ड एरिये में 70 प्रतिशत आबादी ट्राइबल की है, इसको मिलाकर के शिड्यूल्ड एरिया बनाया है जिसमें ये सारे के सारे बांसवाड़ा पूरा, डूंगरपुर पूरा, प्रतापगढ़ पूरा, उदयपुर की 9 तहसीलें हैं, बड़गांव के कुछ गांव 35 लिए हैं, वल्लभनगर के 5 लिए हैं, भीण्डर के 17 लिए हैं, मावली के 4 लिए हैं, सिरोही के आबूरोड का पूरा का पूरा लिया और पिण्डवाड़ा के 51 गांव लिए हैं, राजसमंद जिले के नाथद्वारा के 15 गांव लिए, कुंभलगढ़ तहसील के 16 गांव और ये जो पाली जिले की बाली, इसके भी 33 गांव लिए हैं, ये सारा है।

अब ये शिड्यूल्ड एरिया में और इस सारे ट्राइबल में जो काम होना है वह अनुसूचित क्षेत्र में होना है, फिर आपका माडा में होना है, माडा क्लस्टर में होना है, बिखरी जनजाति आबादी, माननीय मालविया जी ने जो बात कही थी, मैं सोचता हूं यह जो बिखरी जनजाति है, यह वह सारा क्षेत्र है जो आपके इस शिड्यूल्ड एरिया में टच नहीं हुआ और शहरी आबादी है। मैं सोचता हूं यह जो बजट का 16,000 करोड़ रुपये का जो बंटवारा किया है इसमें से अगर यह सदन चाहे तो बाकी छोटी-मोटी बस्तियों में जो लोग फैले हुए हैं, उनके बच्चों

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

को भी कम से कम शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई बजट का एलोकेशन कोई कानून के परव्यू को ध्यान में रखते हुए किया है तो निश्चित रूप से उन लोगों की मदद हो जाएगी।

मैं सोचता हूं कि यह जनजाति विकास के जो प्रमुख काम हैं वह सारे के सारे यह 24 काम हैं, जिनमें आपका यह पैसा लगता है। आश्रम छात्रावास हैं, आवासीय विद्यालय हैं, मॉडल स्कूल हैं, एकलव्य मॉडल स्कूल हैं, बहूद्देशीय छात्रावास हैं, कालेज छात्रावास हैं, इन सारी एक्टिविटीज के लिए, यानी इन 24 एक्टिविटीज के लिए यह पैसा आपने बुक कर रखा है। अब इन 24 में जब पैसा बुक होता है तो वापस इसकी प्रोपर मानिटरिंग नहीं होती है। मतलब मैं सोचता हूं कि जितनी आवश्यकता हो जिस काम के लिए उसके हिसाब से, अब सौर ऊर्जा के लिए भी इसमें पैसा है, जनजाति उपयोजना क्षेत्रों में छात्रावासों के निर्माण के लिए भी पैसा है, हर एक के लिए पैसा है। मैं सोचता हूं कि बजट बनाते समय जब आपके डिपार्टमेंट को 16,000 करोड़ रुपये मिल गये तो आपका डिपार्टमेंट इन सब कामों को देख करके फिर इसकी आवश्यकता के अनुसार इनको बजट का एलोकेशन करके इस काम को अगर पूरा कराने का प्रयास करे तो मैं सोचता हूं कि सही पैसा सही जगह जा करके उसका विकास हो सकता है।

अब यह कई बार आप लोगों को केवल आलोचना करनी है तो करो, हम आपको कोई न नहीं कहते हैं। आप करिये, जरूर करिये लेकिन मैं आपसे कुछ चीजें जानना चाहता हूं कि शिक्षा की दृष्टि से भैरोंसिंह शेखावत जब मुख्य मंत्री थे और मैं जब शिक्षा मंत्री था तो प्रत्येक पंचायत में चाहे वहां हम को वोट मिलते हैं, जीते हैं या हारे हैं, एक ही लाइन से सारी पंचायतें जो मिडल स्कूल से वंचित रही थीं, वहां सब में एक ही कलम से खोला था स्कूल। उसके बाद वसुन्धरा जी आईं तब हमने 2003 से लेकर 2008 में सभी पंचायतें जो बाकी रह गई थीं, उनमें सैकण्डरी स्कूल खोला बिना किसी भेदभाव के और तीसरे टर्म में राजस्थान में सभी पंचायतों में 12वीं का स्कूल बिना भेदभाव के एक साथ खुला और यह जो शिक्षा का जिस प्रकार से फैलाव हुआ उसमें आदिवासी क्षेत्र भी है, कोई भी पंचायत ऐसी नहीं है जिस पंचायत में स्कूल नहीं खोला। मैं सोचता हूं कि 5200 अगर मुझे फीगर सही याद है, एक साथ स्कूल भी खोला और स्कूल के स्टाफ की व्यवस्था करने का प्रयास किया, सलेक्शन में थोड़ा-सा विलम्ब होने से जरूर वहां पोस्टों को भरने में हमको दिक्कत आई लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मैं आज आपसे जानना चाहता हूं कि यह जो 45 परसेंट आरक्षण इस शिड्यूल्ड एरिया में दिया, पहले केवल 12 परसेंट ही था न? उस 12 परसेंट में सारे राजस्थान का ट्राइबल आता था न? आपके यहां सायरा की पहाड़ी पर भी अगर कोई बच्चा था तो कोई भरतपुर का टीचर बैठता था कि नहीं बैठता था? यह भैरोंसिंह जी के कारण था। तारीख निकालकर बताना कि ईमानदारी से यह 45 परसेंट का इस शिड्यूल्ड एरिया में आरक्षण देने की अगर हिम्मत किसी आदमी ने की तो उसका नाम स्वर्गीय भैरोंसिंह शेखावत है। उस समय हमने इसमें नंबर 1 से 6 तक ही दिया कि स्केल नंबर 1 से लेकर थर्ड ग्रेड के मास्टर तक के जो सलेक्शन होंगे इस शिड्यूल्ड एरिया में वहां के बच्चे 45 परसेंट होंगे लेकिन वसुन्धरा जी के आने के बाद हमने आग्रह किया स्केल नंबर 1 से लेकर 9 तक में जाकर तहसीलदार तक की सर्विस के लिए दिया और आज मैं बहुत ही संतोष के साथ कह सकता हूं कि आज उस एरिया में जितने भी बच्चे नौकरी में लगे हैं, बच्चियां नौकरी पर लगी हैं, इस 45 परसेंट आरक्षण और शिड्यूल्ड एरिया की वैकेंसी अलग से काउंट करके जब देना शुरू किया तब बना है।

मालविया जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है कि वास्तव में मैं उस समय मंत्रिमंडल का सदस्य था। 1994 में भैरोंसिंह जी के समय में कहा कि हमारे सारे एरिया में 2 डाक्टर भी नहीं बनते हैं तो आखिर हमारे एरिया का ट्राइबल का बच्चा, तब उस समय हमने, आप तारीख निकालकर के देखना, वह भैरोंसिंह शेखावत के द्वारा स्पेशल कोटा मेडिकल के लिए 5 परसेंट उस शिड्यूल्ड एरिया के लिए निकाला जिसके कारण से आज आपको डाक्टर्स की संख्या दिखाई देती है।

मैं सोचता हूं कि अगर यह प्रधानमंत्री सड़क योजना नहीं बनाते अटल बिहारी वाजपेयी, सच्चाई को स्वीकार करो, तो इन पहाड़ों पर यह सड़कें चढ़तीं? मेरे को भी घूमते-घूमते मोटरसाइकिल पर 30-35 साल निकल गए। मैं सोचता हूं कि पहाड़पहाड़ की टूंकर पर अगर कोई डामर की सड़क गई है न तो उसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी की योजना, वह भी पक्षपात से नहीं, आबादी के आधार पर। ढाई सौ की आबादी तक के हर गांव को डामर की सड़क से जोड़ने का काम उस व्यक्ति ने उस एरिया को विकसित करने के लिए किया। ट्राइबल के लिए और रेगिस्तानी एरिया के लिए ढाई सौ, बाकी के लिए 500 रखा। क्या यह सच नहीं है कि दीनदयाल ज्योति के कारण से आज

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आपके गांव-गांव बिजली का खंभा गया कि नहीं गया और आपके उस आदिवासी के घर में जो लट्टू के लिए तरसता था, उसके घर में आज लट्टू जला कि नहीं जला इस योजना के तहत? लेकिन आप उसको स्वीकार नहीं करोगे। आप तो केवल कमियां निकालोगे। मैं कहता हूं कि कमियां हों तो जरूर गिनानी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है।

प्रधानमंत्री आवास योजना, पहले इंदिरा आवास बनते थे, जंगल में बनते थे और उसमें आदमी जाकर रह नहीं सकता था क्योंकि न पानी था, न सड़क थी, न स्कूल था, कुछ नहीं था लेकिन देश के प्रधान मंत्री ने इसको टर्न किया, आपकी मर्जी हो जहां बनाओ, पुराना घर तोड़कर बनाना चाहो तो बनाओ, खेत पर बनाना चाहो तो बनाओ, जहां बनाना चाहो बनाओ। हमारा काम तो यह है कि 1 लाख 48 हजार आपके खाते में डाल देंगे। मेहनत करके और अच्छा बनाओ और मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि आदिवासी एरिया में 1-1 पंचायत में 300 से लेकर 500 तक वो पक्के मकान बने हैं, जिस परिवार के बच्चे ने कभी सोचा भी नहीं होगा, वह सोचता था कि जानवर और मैं दोनों एक साथ रहते थे लेकिन आज मुझे पक्के मकान में रहने को मिला। मैं सोचता हूं कि यह जो सारा, गरीब को यह जो गैस कनेक्शन के बारे में, वह महंगा हो गया, हो गया, वह एक अलग बात है। लेना, न लेना यह आपकी इच्छा पर है पर देने का प्रयत्न है। घर-घर शौचालय बनाया, क्या उस ट्राइबल के लिए उपयोग नहीं हुआ, उसके लिए नहीं पहुंचा?

आपदा राहत के नियमों में हमने पहली बार, आप सब लोगों में से जो लोग यहां हाउस में होंगे न उस समय जब भयंकर ओलावृष्टि हुई तो सदन 2 दिन के लिए बीच में वसुन्धरा जी ने बन्द किया और सबको फील्ड में भेजा और हम पैरवी करने के लिए दिल्ली गये। हमने कहा कि यह 50 परसेंट का आपने जो राइडर लगा रखा है कि इससे ऊपर वाले को ही खराबे का मिलेगा, हमने पहली बार हिन्दुस्तान में पहल करने से 33 परसेंट से ऊपर के खराबे को आपदा में जोड़ा कि नहीं जोड़ा? इससे इस गरीब को भी फायदा हुआ कि नहीं हुआ? फसल बीमा योजना अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की कि नहीं की? किसान सम्मान निधि शुरू की कि नहीं की? केवल और केवल बात करने से काम नहीं चलेगा।

मैं सोचता हूं कि अब आपने देखा कि यह जो आपने परामर्शदात्री

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

समिति बनाई, भगवान के लिए कम से कम इस परामर्शदात्री समिति बनाने के पीछे जो भाव था वह यह था कि यह समिति निरन्तर आदिवासी क्षेत्र में, इस शिड्यूल्ड एरिया में जो-जो काम होते हैं उसकी प्रोपर मानिटरिंग करे, अपने सुझाव दे, भविष्य में क्या योजना बनानी है उसको हर 3 महीने में करनी थी। हमारे टाइम पर भी यह हर 3 महीने में नहीं हुई, मैं इसको स्वीकार करता हूं लेकिन आपके आने के बाद भी इसकी प्रोपर मीटिंग्स नहीं हुई हैं और नहीं होने के कारण से यह सारा का सारा परामर्शदात्री समिति का जो नुकसान है, और इस परामर्शदात्री समिति में भी आपने थोड़ा-सा परिवर्तन करके माननीय मुख्य मंत्री जी को इसका अध्यक्ष बनाया, राज्य मंत्री जो भी हैं आपके जनजाति के, वह इसके उपाध्यक्ष हैं और उसके बाद आपके सदस्य हैं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं इस प्रकार के चश्मे से अगर देखोगे न तो राजस्थान का भला नहीं कर सकते आप। आपकी पार्टी का भला हो सकता है। मैं आपको नाम पढ़ता हूं। क्या सोचकर के बीजेपी को बाहर रखने का प्रयत्न किया? 14 ट्राइबल मैम्बर बनते हैं इसमें, मैं नाम पढ़ता हूं एक-एक का। दयाराम जी, गणेश घोघरा जी, रामलाल जी मीणा (प्रतापगढ़), मुरारी जी (दौसा), इंदिरा, (सवाई माधोपुर), गोपाल मीणा (जमवारामगढ़), निर्मला सहरिया (बारां), जौहरीलाल मीणा (लक्ष्मणगढ़), महेंद्रजीत सिंह मालविया (बागीदौरा), हरीश चंद्र मीणा (उनियारा), कान्ति प्रसाद मीणा (अलवर), लक्ष्मण मीणा (विधायक बस्सी), रमिला खड़िया (कुशलगढ़ बांसवाड़ा), रामकेश (विधायक गंगापुर सिटी) और उसके बाद एंड। इस परामर्शदात्री समिति में एक भी बीजेपी के किसी भी विधायक को नहीं लेना, यह आपके चश्मे को शो कर रहा है। अगर इस दृष्टि से देख करके काम करोगे न तो एक तरह से आप इस सारे समाज के प्रति भी घोर अन्याय कर रहे हो। मैं सोचता हूं कि हमारे सुझाव कोई आपको कड़वे लगते हैं क्या? पालना करते, नहीं करते आपकी इच्छा हो, जो करते लेकिन हमको इस बात से महरूम किया आपने, यह आपकी लिस्ट है, यह निकली हुई है आपकी 27-11-2019 को। यह 27-11-2019 की लिस्ट है आपकी। यह परामर्शदात्री समिति है। यह है अर्थ आपका। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया शांत रहें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान, यह बनाया इसलिए था कि यह नये-नये शोध करेंगे, इस क्षेत्र के विकास के लिए अपने कुछ रिसर्च होगी, कुछ सुझाव आएंगे, इसके

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लिए बनाया था और यह कब बनाया, यह 1964 में बनाया था। आदिम जाति शोध संस्थान, मेरा आज भी, मंत्री जी, आपको निमंत्रण है कि इस संस्था पर जितने करोड़ रुपये आपने खर्च किये उतने कागज भी इन्होंने बना दिये हों तो मैं समझने को तैयार हूं। एक दिन का एक कागज भी बनाया हो तो मैं समझ सकता हूं। कोई मानिटरिंग नहीं करता है। इतनी बड़ी संस्था बनाई, किसके लिए बनाई? कि चलो इस आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए यह संस्था किसी न किसी प्रकार का सहयोग करेगी।

अब मैं इसका थोड़ा-सा बताता हूं। पीएचडी कर रहे जनजाति समूह के छात्रों को प्रतिमाह 15,000 रुपये और 40,000 रुपये स्टेशनरी के लिए देंगे। दिसम्बर, 2019 तक 8 छात्रों को और दिसम्बर, 2020 तक 20 अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया, इतनी बड़ी संस्था और 8 और 20 बच्चों को 15 हजार रुपये स्कालरशिप देकर रिसर्च के लिए पैसा दिया, यह आपके हालात हैं। इसी तरह से 31 दिसम्बर, 2019 तक के इस मद में 18 लाख 35 हजार रुपया भुगतान किया गया जबकि 2020-21 में 17 लाख 95 हजार रुपया कुल इन बच्चों को दिया है। इस संस्था के इतने बड़े-बड़े हाथी जिनकी तनख्वाह जोड़ो तो आपका दिमाग घूम जायेगा कि वास्तव में हम कर क्या रहे हैं।

इसी तरह से हमने 1976 में जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ बनाया था, किसके लिए? कि विभिन्न प्रकार के व्यापार में आमदनी बढ़ाने के लिए आदिवासियों को मदद करें और जिसमें मछली पालन भी एक काम था, और छोटे-छोटे काम थे, मधुमक्खी पालन भी था, जितनी भी लघु उपज बनती है, उस लघु उपज को आप अच्छी रेट पर बेचकर आदिवासी को पैसे देने का काम करो। कोई जमाना था जब यह संस्था ईमानदारी से अच्छा काम करती थी और मछली पालन से अकेला जयसमंद ही मैं सोचता हूं ट्राइबल की इतनी बड़ी संख्या को रोजगार देता था, आज वह सारा का सारा समाप्त हो गया। इस सारे काम का परपज क्या रहा?

मैं सोचता हूं जनजाति उपयोजना में हमने 37 समितियां बनाई थीं और 2 बनाई थीं सहरिया क्षेत्र में। राजस्थान में दिनांक 31.12.2019 को इस संस्था में 162 स्वीकृत पद हैं, उनमें से केवल 53 पद आज की तारीख में काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी व्यापारिक संस्था बनाई, सब प्रकार के साधनों से सम्पन्न किया। इसके पास कई गाड़ी-घोड़े हमने दिये, कई ट्रक हमने दिये,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इनको सब प्रकार की बिल्डिंग बनाकर स्टोरेज करने के लिए सामान दिया और लंबे समय तक इस क्षेत्र का अधिकांश अनाज वितरण के लिए कोटा जाता था, वह यही संस्था करती थी, इसी संस्था को सारे के सारे कोटे दिये थे जिसके कारण से करे। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, आलोचना करने मात्र से कोई मामला नहीं बैठने वाला है। सच में जो हमारी कमी है, वह पैसे की कमी नहीं है। अभी इतना समय नहीं था क्योंकि आपने मुझे 25 मिनट के लिए बांधा था तो मैं उसी हिसाब से रहा।

श्री सभापति: नहीं, आप बोलें, 8 बजे तक बोलें आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं सोचता हूं कि जो केन्द्र सरकार से सहयोग मिलता है, हमारे बजट से सहयोग मिलता है लेकिन हमारे इन छात्रावासों के बच्चों की पढ़ाई को देखकर रोना नहीं आता है? इतने टैलेंटेड बच्चे इस कारण से हॉस्टल आते हैं कि मुझे यहां फ्री खाना मिलेगा, फ्री कपड़े मिलेंगे, रहने को मिलेगा, परिवार का खर्चा नहीं होगा, टैलेंटेड बच्चा आता है, लेकिन पढ़ाने के लिए अध्यापक नहीं है। आप अलग से एक कैडर बनाओ। मैं चाहता हूं कि केवल और केवल आपके इस शिड्यूल्ड एरिया के लिए टीचर्स सलैक्शन के लिए आप अलग कैडर बनाओ। भले ही उन्हीं टीचर्स में से जो आपको अच्छे लगें, उनका सलैक्शन लेकर सारे पद भरो, जिससे इन बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो। आज हम और आप में से उस एरिये में जो कुछ भी देख रहे हैं, वह पढ़ाई का ही एक मात्र माध्यम है या नहीं है? पढ़ाई की अच्छी गुणवत्ता होगी, उसी में से बच्चा निकलेगा। आज जैसे मालविया जी ने कहा कि दो बच्चियां आईएएस बनी हैं, बहुत खुशी होती है कि आज उस झोपड़े में भी इस प्रकार का दीपक जला, जिसके लिए हम सब लोग वर्षों से तरसते रहते हैं। वह कहां से आया, पढ़ाई में से ही आया। मैं सोचता हूं कि बाकी काम देर से होंगे तो चलेंगे लेकिन इन हॉस्टलों की दशा को देखकर इनको ठीक करने की कोशिश करो। बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो, उसके लिए कोशिश करो।

जितने भी आपके कोचिंग सेंटर के बारे में कहा है, भगवान के लिए कभी जाकर उन कोचिंग सेंटरों को देख लो। मन की भावना बहुत अच्छी है। कोटा में भी सेंटर होगा, उदयपुर में भी होगा और सागवाड़ा में होगा। हुआ कितना, क्या हुआ, उन बच्चों का रिजल्ट क्या है, अगर ईमानदारी से आपके जितने भी आश्रम छात्रावास और जितने भी रेजिडेंशियल स्कूल चल रहे हैं, उसकी शीट को लेकर आप यहां बैठ जाओ कि इन बच्चों की क्या परसेंटेज

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आई है, तो आप माथा पकड़कर बैठ जाओगे। टैलेंटेड बच्चों को लाकर हम केवल रोटी और कपड़े के कारण से उस बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि बाकी काम तो होगा, नहीं बनेगा तो दो साल बाद बन जायेगा लेकिन इस बच्चे का जहां भविष्य बनता है, कम से कम इस संस्था को आप, हम सब मिलकर सुधारें और इसका अलग से कैडर बनाकर ताकि 100 परसेंट पद किस तरह से भरे रहें और इन बच्चों को पढ़ने के लिए जो सुविधाएं अपन देना चाहते हैं, वह सुविधाएं प्रोपर मिलें।

एक प्रश्न के जवाब में आपने कहा था, वास्तव में छात्रावास में क्या स्थिति है, खाने के लिए जो टेंडर प्रक्रिया है, उस टेंडर प्रक्रिया में सारा रद्दी माल डाल जाता है। किसी उपभोक्ता भण्डार से आप तय कर लो, किसी सरकारी दुकान से ही, कम से कम अच्छा स्टैंडर्ड का माल तो मिलेगा। दो पैसे बचाने के चक्कर में टेंडर निकालकर इन सब लोगों को बांटने के धंधे को बन्द करो। मैं सोचता हूं पूरे मन से काम करो तब तो इसमें परिणाम आयेगा और केवल और केवल इस कमीशन खोरी के आधार पर हम इसी प्रकार का निर्णय करेंगे तो उस बच्चे का भला नहीं होगा, जो उसको मिलना चाहिये।

मैं आपसे बहुत विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं। मैं सोचता हूं इस ट्राइबल एरिये में आज की तारीख में भले ही यह कितनी ही आलोचना करें, कहते हैं हम उसके नहीं हैं, भगवान राम ने शबरी के बेर खाये थे, उस समय आप और मैं दोनों पैदा हुए थे क्या? कहां समाज को बांटने का धंधा करते हो... (व्यवधान) मैं सोचता हूं कि बड़ी अजीब बात करते हो। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये, विराजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): कमाल हो गया, इस प्रकार के छोटे मन से कभी भी ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। अंकित नहीं होगा कुछ भी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): कभी भी जिंदगी में ऐसे नहीं बढ़ पाओगे। मैं सोचता हूं महाराणा प्रताप का अगर पूंजा राणा नहीं होता तो महाराणा प्रताप युद्ध नहीं जीतते, अगर पूंजा की मदद नहीं होती तो महाराणा युद्ध नहीं लड़ते। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह केवल वोटों की खेती पकाने का धंधा ...(व्यवधान) समाज को बांट कर ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। विराजिये आप, विराजिये आप। विराजिये, विराजिये। कुछ सीख लीजिए, अनुशासित रहिए आप। विराजिये, प्लीज विराजिये आप। विराजिये, कुछ अंकित नहीं होगा। एक मिनट, कटारिया साहब, यह कौनसी परम्परा है? सुनिए मेरी बात आप, अध्यक्ष जी के स्पष्ट निर्देश थे कि जब कोई माननीय सदस्य बोल रहा है तो बीच में आप इंटरवीन नहीं करेंगे, आप भी उस वक्त मौजूद थे। अध्यक्ष जी ने जो भी निर्देश दिये, क्या उसकी हम अवहेलना करें? अच्छा नहीं लगता। माननीय कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि कभी भी किसी को तोड़कर समाज नहीं बनता है। अगर उसमें सुधार की गुंजाइश है तो उन कदमों को जरूर उठाओ और उसको सुधार के रास्ते पर आगे बढ़ाओ लेकिन एक दूसरे के सिर फुड़ाने के लिए अगर करो तो क्या वहां रहने वाले लोग, जैसे कश्मीर से ब्राह्मण आये थे, कभी आप चाहते हो कि उनको डंडे मारकर निकाल दोगे और उसके कारण से कोई अच्छा भारत बनेगा, अच्छा राजस्थान बनाओगे? मैं सोचता हूं जैसे खेरवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने मन की पीड़ा कही, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। हम समस्या को समझें और समझ कर, बैठकर उसको हल करने का प्रयत्न करें, यह तो उसकी बात हो सकती है लेकिन हम समस्या को उलझाकर केवल और केवल माथे फुड़ाकर अपनी वोट की राजनीति करेंगे तो इससे बंटवारा होगा और बंटवारे में कभी किसी को कोई लाभ नहीं होगा। हाउस के सभी लोगों से मेरी बहुत विनम्र प्रार्थना है और अधिकारी भी सुन रहे हैं, वास्तव में यह एक ऐसा मानवीय काम है कि आपके पास पैसा है, उस पैसे का सदुपयोग हो। आपका डिपार्टमेंट तो केवल खाते में ट्रांसफर कर देता है और बरी हो जाता है। आपकी जिम्मेदारी है, जिसकी जेब से पैसे गये उसको मानिटरिंग करने का भी हक है। उसको मानिटरिंग करना चाहिये और जिन डिपार्टमेंटों में काम नहीं होता है, उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये, केवल पैसा देकर पटकना नहीं चाहिये। इतना ही निवेदन करके अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति: श्री अर्जुन सिंह बामनिया।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

चाहता हूं जिन्होंने जनजाति क्षेत्रीय विकास की अनुदान मांगों पर, करीब 34 माननीय सदस्यों ने भाग लिया, 106 कटौती प्रस्तावों के माध्यम से इन्होंने मुद्दे उठाए। निश्चित रूप से जो-जो प्रस्ताव आए हैं हमारे विभाग में और उस विभाग में जो सुधार करने की आवश्यकता होगी, उसमें निश्चित रूप से माननीय सदस्यों के प्रस्ताव स्वीकार करके हम उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे।

(20.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, मुझे कहते हुए गर्व है कि माननीय मुख्य मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जनजाति समुदाय के समग्र विकास हेतु हम वचनबद्ध हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं इस मौके पर कोविड की तरफ जाऊंगा। इस महामारी कोविड के समय जनजाति विभाग के द्वारा करीब 8 आवासीय विद्यालयों एवं 17 छात्रावासों में लगभग 10 हजार व्यक्तियों को आइसोलेशन में रखने योग्य व्यवस्था की गयी और इसी अवधि के दौरान हमारे स्वच्छ परियोजना के स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा घर-घर जाकर सर्वे का कार्य किया गया।

सभापति महोदय, मुझे कहते हुए दुख है कि कोविड-19 का सबसे ज्यादा कष्ट अगर राजस्थान में हुआ है तो टीएसपी एरिया उदयपुर संभाग में हुआ है। उस कष्ट में जब वह दृश्य देखा जाए तो गुजरात में हमारे टीएसपी एरिये के जितने भी मजदूर गये थे, वे पैदल चलकर जब राजस्थान की तरफ बोर्डर पर आये, भूखे-प्यासे, छोटे बच्चे रोते हुए, टीएडी विभाग ने आसपास के छात्रावासों की जो भी सामग्री होगी, उन मजदूरों की तृप्ति के रूप में, उन मजदूरों की भूख शांत करने के लिए, चाहे पानी, बिस्किट हो, सब हमने उपलब्ध कराये। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में जो मजदूर बाहर गुजरात से आये, उसके बाद राजस्थान की सरकार ने माननीय गहलोत साहब के निर्देशानुसार बसों द्वारा घर-घर भेजने का भी कार्यक्रम किया है। मैं हमारे विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान में टीएसपी एरिया है, उस टीएसपी एरिये में जो गुजरात से चलकर आ रहे थे तो गुजरात में किसकी सरकार थी, जो लोग पैदल चल-चलकर आये, जिनके पांवों में छाले पड़ गये, वह कहां की सरकार थी? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप मंत्री महोदय को बोलने दें।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय सभापति महोदय, सही बात सुनने की क्षमता होनी चाहिए और सही

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

बात यह है, जैसा कि सम्माननीय बाबु लाल जी खराड़ी, झाड़ोल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे भाई गुजरात और मध्य प्रदेश में बच्चे गिरवी रखकर मजदूरी करने जाते थे। वक्तव्य आपका भी है। आज की मांग संख्या 30 पर आपका वक्तव्य है। झाड़ोल से आने वाले माननीय सदस्य, खेरवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, बागीदौरा से आने वाले माननीय सदस्य, इनसे जानकारी लें कि गुजरात के बोर्डर पर जब आप खड़े थे, उस समय आने वाले मजदूर की क्या स्थिति थी? माननीय सभापति महोदय, मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा गहराई से जाना नहीं चाहता हूं, पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने, जब-जब राजस्थान के बोर्डर पर आये, कभी किसी को भूखा नहीं मरने दिया। माननीय मुख्य मंत्री के निर्देशानुसार हमने किसी को भूखा भी नहीं सोने दिया। यह बात मुझे कहते हुए गर्व है कि जनजाति क्षेत्र में जनजाति भाइयों को मजदूरी से लौटते हुए, चाहे उनको मजदूरी मिली या नहीं मिली।

आज मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात इस पवित्र सदन में रखना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, बांसवाड़ा से केरल साढ़े नौ सौ किलोमीटर है, वहां से मेरे यहां लक्ष्मणगढ़ की जरी पंचायत के चार आदमी पैदल चलकर 15 दिनों में बांसवाड़ा आये थे। नेता प्रतिपक्ष, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। लॉकडाउन की अगर एक दिन भी तारीख बढ़ा दी होती तो केरल से मेरा भाई पैदल चलकर नहीं आता।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात पर जाना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए जो योजना लायी है, उसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारी सरकार जनजाति युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए विभिन्न प्रयास कर रही है। विभाग द्वारा महात्मा गांधी उत्कृष्ट कोचिंग केन्द्र, उदयपुर एवं सागवाड़ा, डूंगरपुर तथा केन्द्रीय कैरियर काउंसिल सेंटर, जयपुर में जनजाति युवाओं को व्यक्तित्व विकास, कम्युनिकेशन स्किल के साथ-साथ कम्प्यूटर का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। जनजाति युवाओं को नवीनतम तकनीकी प्रशिक्षण हेतु एमएसएमई, भिवाड़ी एवं सिपेट, जयपुर के साथ एमओयू, प्लास्टिक प्रोसेसिंग एवं सीएनसी मशीन चलाने हेतु आवासीय प्रशिक्षण भी प्रारम्भ कर दिया गया है।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ प्रतियोगिता परीक्षा की

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

तैयारी, व्यक्तिगत विकास हेतु जयपुर में ट्राइबल यूथ हॉस्टल एवं कैरियर काउंसलिंग सेंटर हेतु 17.99 करोड़ रुपये स्वीकृत कर जवाहर सर्किल के पास भवन का निर्माण कराया जा रहा है, जिसे आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर क्रियाशील कर दिया जाएगा।

मैं विपक्ष के माननीय साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले विधान सभा सत्र में आपने आरटीआई के माध्यम से हमारे कोचिंग सेंटर की बात कही थी। उस समय विधान सभा में यह बात उठी थी कि अभी तक हमने कोई अधिकारी नहीं दिया। माननीय मुख्य मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनकी सोच के अनुसार टीएसपी में जो बच्चे इंटेलीजेंट हैं, उनको यहां प्राइवेट कोचिंग सेंटर से कोचिंग दिलाकर आर.ए.एस., आई.ए.एस. की कोचिंग के लिए भवन बनाया गया है। यह मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि Center of Excellence की स्थापना हेतु 150 छात्राओं का आवासीय कौशल प्रशिक्षण 17.74 करोड़ रुपये का उदयपुर में बहूउद्देश्यीय छात्रावास किया है। माननीय सभापति महोदय, अभी प्रतिपक्ष के नेता जी अपने वक्तव्य में बता रहे थे। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि सरकारें आपकी भी रहीं, सरकारें हमारी भी रहीं, जो ट्राइबल बच्चे, शोधकर्ता हैं, उनको तीन साल तक स्टाइपेंड देते थे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि तीन साल के अन्दर पी.एचडी. का कोई कोर्स पूरा नहीं होता है। जो 20 बच्चे पिछले टाइम से बैठे थे, हमारी सरकार ने माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देशानुसार उनको पांच साल का स्टाइपेंड देकर उन 20 बच्चों का भविष्य आगे बढ़ाने का काम किया है।

माननीय सभापति जी, जयपुर में महारानी कालेज में 100 छात्राओं का छात्रावास, बहुउद्देश्यीय छात्रावास का भवन कम्प्लीट हो चुका है मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि उस छात्रावास के अन्दर हमारी बच्चियां पढ़ें, रहें और एजुकेशन में आगे बढ़ें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि शैक्षणिक व्यवस्था में, शिक्षा की दृष्टि से हमने यह तैयारी कर रखी है कि आने वाले समय जैसे ही कोविड थोड़ा-सा कम हो, उसके बाद प्रत्येक आवासीय विद्यालय में हम हर महीने उन बच्चों का टेस्ट लेंगे और उस टेस्ट को उनके अभिभावक तक पहुंचाएंगे कि आपके बच्चे की स्थिति यह है। यही नहीं, उस बच्चे का हौसला अफजाई करने के लिए, उनकी और आगे की महत्वाकांक्षा

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

बढ़ाने के लिए आश्रम छात्रावासों में जितने भी बच्चे हैं, उनके लिए देश भर के भ्रमण की भी हमारी तैयारी है, ताकि बच्चा देखे और सोचे और समझे।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस मौक़े पर एक चीज और कहना चाहूंगा कि सरकार आपकी भी रही, राजस्थान की सरकार में माननीय मुख्य मंत्री जी अशोक गहलोत साहब इस सरकार में नेतृत्व कर रहे हैं, मैं आपसे उस बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं, अभी आसपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, बेणेश्वर धाम के अन्दर, मैं उनसे भी जानना चाहता हूं कि आपने कितने बच्चों को सम्मानित किया और कब किया? ये अगर देन है तो अशोक गहलोत के नेतृत्व की सरकार की है। 25 बच्चे जो ट्राइबल बच्चे थे, जिन्होंने इस साल एमबीबीएस में प्रवेश लिया है, ऐसे बच्चों को सम्मानित करने में माननीय सदस्य भी उपस्थित थे।

माननीय सभापति महोदय, मुझे कहते हुए गर्व भी है कि पिछली बार जैसे ही सरकार बनी, हमने कोटा के अन्दर 50 बच्चियों का हॉस्टल तैयार करके वहां 50 बच्चियां सिर्फ कोचिंग के लिए रखी थीं। इस बार कहते हुए मुझे खुशी है, कोविड की वजह से जरूर हम कहीं न कहीं कमजोर हुए हैं, 100 बच्चे फाउण्डेशन कोर्स के लिए 11^{th} to 12^{th} वहां हम कोटा में शिफ्ट करेंगे, 100 बच्चे हम उदयपुर में शिफ्ट करेंगे और कोटा में गर्ल्स एंड बाय्ज का अलग-अलग हॉस्टल हमने तैयार कर दिया है। हम आगे एक महीने के आसपास उन बच्चों को वहां शिफ्ट करके कोचिंग करायेंगे। यह बात मैं सदन में अवगत कराना चाहता हूं। यही नहीं, करीब 620 बच्चों को, नीट की परीक्षा के छात्रों को नि:शुल्क कोचिंग प्रारम्भ करायी जा रही है। इसके साथ-साथ, एजुकेशन में जब तक यह भवन तैयार नहीं हो, उसके पहले आरएएस की कोचिंग के लिए आवेदन हमने 30 लड़कों का ले लिया है और बहुत जल्द ही बेस्ट कोचिंग सेंटर से उनको कोचिंग की तैयारी हम आने वाले समय में कर देंगे।

सभापति महोदय, इसके साथ मैं खेल जगत की बात कहना चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय खेल मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने खेल जगत में जो बच्चे आगे आ रहे हैं, उनको भी सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने का जो काम किया है, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम जितने भी

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

आवासीय विद्यालय हैं, उसके अन्दर 14 से 19 साल के बच्चों का जिलेवार गेम्स का कार्यक्रम कराएंगे। उसके बाद में जो भी बच्चे वहां से सलेक्ट होंगे, उनको स्टेट लेवल का फिर टूर्नामेंट कराएंगे। स्टेट लेवल के टूर्नामेंट में जो बच्चे सलेक्ट होंगे, उनको आगे बढ़ाने के लिए अच्छी एकेडमी के माध्यम से आगे प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। यह विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है।

माननीय सभापति महोदय, इस बात की जानकारी देते हुए मुझे खुशी है कि 13 खेल छात्रावासों में 825 बालक-बालिकाएं खिलाड़ी के रूप में पोषाहार उपलब्ध करने हेतु 200 रुपये प्रति माह माननीय मुख्य मंत्री जी ने उनका बढ़ाया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को उन बच्चों की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। जनजाति खिलाड़ी की बेहतर प्रतिभा पहचान एवं उनको आवश्यक सुविधा एवं मंच उपलब्ध कराने हेतु खेल छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में रहने वाले छात्रों की खेल प्रतियोगिता कराएंगे। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। आज से एक साल-डेढ़ साल पहले एक बच्ची जिसके पांव में टूटी-फूटी चप्पल थी और गरीब परिवार से आयी थी, उस बच्ची का मुझे उदाहरण देते हुए बड़ा गर्व है कि अभी-अभी चंडीगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में राजकुमारी गरासिया द्वारा सिल्वर एवं कांस्य पदक जीतने पर हमारे विभाग ने उसको 50 हजार रुपये का इनाम दिया है। इस तरह खिलाड़ियों को इस प्रकार का प्रोत्साहन आगे भी दिया जायेगा और उनको अच्छी एकेडमी में, इस प्रकार परिवर्तन किया जाएगा।

माननीय सभापति जी, मैं खेती के बारे में, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई बात बताना चाहूंगा। (व्यवधान) क्यों पढ़ा हुआ मान लें, सुनना पड़ेगा। कोविड के बाद में जब टीएसपी और अन्य जगह से हमारे आदिवासी भाई बिना मजदूरी के घर लौटे और उसके बाद में जब बरसात का समय आने वाला था, उसको देखते हुए, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को पुन: धन्यवाद देता हूं कि उन किसानों को ध्यान में रखते हुए 5 लाख 90 हजार किसानों को मक्की के किट दिये और उस मक्की के किट से उत्पादन भी बहुत अच्छा हुआ है यह मैं दावे के साथ आपके बीच में कह सकता हूं।

माननीय सभापति महोदय, एनिकट की बात बताऊं। जल ग्रहण एनिकट में 2018-19 के अन्दर, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि 2018-19 के अन्दर 24 एनिकट बनाये हैं और 2019-20 के अन्दर 17 एनिकट कार्य पर हैं और करीब 1049.50 लाख का प्रावधान किया,

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

जिसमें 800.00 लाख की राशि रिलीज कर दी है। ये आप आंकड़ा बता रहे थे, मैं आपको बता रहा हूं और उसका सुपरविजन बराबर कर रहे हैं। इसी के साथ में सिंचाई योजना के तहत सोलर जलोत्थान में 2018-19 में 51 लिफ्ट चालू कीं, 2019-20 में 16 और माह दिसम्बर तक 544.75 लाख रुपये की राशि रिलीज करके आगे और हमारी सर्वे हो रही है और अभी कुछ काम निर्माणाधीन हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि ये एग्रीकल्चर की बातें हैं। खेती के साथ-साथ सोलर ऊर्जा में हमने कृषि विभाग को आगे बढ़ाने के लिए कुसुम योजना के अन्तर्गत भी विद्युत विभाग को पैसा ट्रांसफर कर दिया है।

माननीय सभापति महोदय, मुझे कहते हुए खुशी है और माननीय सदस्य यहां नहीं हैं बाली से पधारने वाले और माननीय सदस्य आहोर से आने वाले, अपने वक्तव्य में बोल रहे थे, बाली से पधारे हुए माननीय सदस्य ने बोला कि आप कभी आकर देखिए। मैं जानकारी देना चाहता हूं, मैं जालौर भी गया था, मैं बाड़मेर भी गया था, मैं जैसलमेर भी गया था और आहोर से आने वाले माननीय सदस्य को मैं जानकारी देना चाहूंगा कि मैंने आपके खुद की पार्टी के जिला प्रमुख, प्रधान, वहां के सरपंच उन सब के साथ में चर्चा की और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आहोर के अन्दर हमने 100 बच्चियों के हॉस्टल निर्माण की राशि भी ट्रांसफर कर दी है और टेंडर भी हो चुके हैं। एक साल के अन्दर उसको पूरा करेंगे। अभी दूसरी जानकारी और दे दूं, जब तक भवन नहीं बने तब तक हम दूसरे भवन में उन बच्चियों का हॉस्टल एजुकेशन शुरू कर देंगे। माननीय सभापति महोदय, इसी तरह बाड़मेर के अन्दर भी मैं गया था। स्कूल परिसर में गर्ल्स हॉस्टल के लिए जमीन मिल चुकी है, टेंडर हो चुके हैं। जब तक भवन बने, तब तक के लिए हमने दूसरी सरकारी बिल्डिंग भी देखी है, उसके अन्दर काम कराकर हम उन बच्चियों की व्यवस्था वहां करेंगे।

जैसलमेर के अन्दर हमने बच्चियों के लिए हॉस्टल और बच्चों के लिए भी हॉस्टल तैयार कर दिया है। बच्चियों के लिए हमने जमीन अलाट करके नये भवन की व्यवस्था कर ली है। मैं उस बारे में भी आपको जानकारी देना चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने मारवाड़ जनजाति विकास बोर्ड का गठन कर लिया है और उस बोर्ड के माध्यम से हम जोधपुर संभाग के तमाम भील, आदिवासी, मीणा, जो भी हैं, उनके विकास के लिए कटिबद्ध हैं। वहां एक आरएएस अधिकारी की नियुक्ति भी होगी। आगे वहां के एरिया का विकास होगा, मुझे यह कहते हुए खुशी है।

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात का धन्यवाद दूंगा कि 9 अगस्त, 20वें आदिवासी दिवस के अवसर पर मुख्य मंत्री जी ने राजकीय अवकाश घोषित कर दिया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस तरह टीएडी विभाग ने आगामी आने वाले समय में विकास की बातें कहीं।

अभी सम्माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जो बातें कही हैं, उसमें कुछ बातों पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। माननीय नेता महोदय, मैं आपका सम्मान करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के आने के बाद इस विभाग ने, सरकार आपकी भी रही हो, सरकार इधर की भी रही हो, आते ही पहले इस विभाग में, जो 15-15, 20-20, 25-25 साल से डेपुटेशन पर आए हुए हॉस्टल वार्डन बैठे हुए थे, आते ही 300 वार्डनों को चेंज किया। यह मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले टाइम में घोषणा भी की और काफी कुछ चीज़ें हमारी आगे बढ़ चुकी हैं। आने वाले समय में हम हॉस्टल वार्डन का, टीएडी विभाग का खुद का कैडर बनाने की विज्ञप्ति निकालकर वार्डनों की भर्ती करेंगे। उसके साथ ही साथ मुझे कहते हुए गर्व है कि अभी मुख्य मंत्री जी ने फैकल्टी बेस पर अध्यापकों की भर्ती के लिए, अध्यापकों को गेस्ट फैकल्टी के अनुसार रखने की घोषणा की है, उसके लिए मैं विभाग की तरफ से तथा समस्त जनजाति की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने बच्चों के भविष्य को देखते हुए घोषणा की है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस मौक़े पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों के कुल 106 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, उनके जवाब निर्धारित समय पर माननीय सदस्यों को प्रस्तुत कर दिये जाएंगे। इस अवसर पर मैं माननीय सदस्यगणों द्वारा उठायी गयी मांगों के क्रम में घोषणा भी करता हूं।

माननीय प्रतिपक्ष नेता महोदय के वक्तव्य की बात मैं भूल गया, मैं बीच में और बताना चाहता हूं। मैं आपका सम्मान करता हूं। पिछली बार की स्थिति, आप टीएसी की बैठक की बात कर रहे हैं, अभी आप लिस्ट पढ़ रहे थे। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली बार परामर्शदात्री समिति गठित की, उसमें मात्र एक टीएसपी एरिया का विधायक, महेन्द्रजीत सिंह मालविया, जिनका नाम ...(व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज, आप बीच में मत बोलिए। बीच में क्यों बोल रहे हो ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, बीच में मत बोलिए।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): सुन लो, क्यों बीच में क्यों कर रहे हो? (व्यवधान) सभापति महोदय, घोषणा के पहले मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि झाड़ोल से आने वाले माननीय सदस्य, जिन्होंने रोड के बारे में, एनिकट के बारे में बात कही। मैं सभी टीएसपी के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप करीबकरीब पेसा (PESA) एक्ट पढ़ लो तो आधी समस्या हमारे एरिया की खतम हो जाएगी। आप पेसा एक्ट का पूरा अध्ययन करें। यह मेरा सब माननीय सदस्यों को सुझाव है।

इस अवसर पर माननीय सदस्यगणों द्वारा उठाई गई मांगों के क्रम में निम्नांकित घोषणा करता हूं:

प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर स्वच्छकार परियोजना का नवीन कार्यालय खोला जाएगा।

महाडी बालिका आश्रम छात्रावास, कोटड़ा पंचायत समिति की क्षमता 50 से बढ़ाकर 75 की जाएगी।

मावली, झाडोल, धरियावद, सलूम्बर एवं गोगुन्दा विधान सभा क्षेत्र में पेयजल सुविधा के लिए 15-15 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की जाती है।

गोगुन्दा से आने वाले माननीय सदस्य ने आश्रम छात्रावास में रोड की मांग की है, मैं उनको भी आश्वस्त करता हूं कि आपका आश्रम छात्रावास एकलव्य मॉडल छात्रावास में जाने के लिए, जो आधा किलोमीटर का रोड निर्माण है, उसके लिए भी घोषणा करता हूं, आपकी मांग पूरी करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, पारित करने की अनुशंसा करता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र सिंह यादव।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, आयोजना): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर कुल 98 माननीय सदस्यों ने अपने कटौती प्रस्ताव पेश किये हैं। जिन माननीय सदस्यों ने चर्चा के दौरान सदन में अपने विचार प्रकट किये हैं, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का उनके बहुमूल्य सुझावों के लिए आभार प्रकट

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

करता हूं, साथ ही यह निवेदन करता हूं कि कटौती प्रस्ताव के उत्तर अगले दो दिनों में सभी माननीय सदस्यों को भिजवा दिये जायेंगे।

मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए विभिन्न घोषणाओं को बजट भाषण में शामिल किया।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना की घोषणा की, जिससे पांच हजार छात्र लाभान्वित होंगे।

एससी, एसटी, ओबीसी व अल्पसंख्यकों को समावेशी विकास हेतु प्रत्येक वर्ग के लिए 100 करोड़ रुपये के विकास कोष और ट्रांसजेंडर्स के लिए 10 करोड़ के उत्थान कोष की घोषणा की गई है।

वाल्मीकि समाज के बच्चों एवं युवाओं के प्रशिक्षण हेतु 20 करोड़ के वाल्मीकि कोष की घोषणा की गई है।

राजकीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालय में पात्रता की सीमा परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये की गई है।

साथ ही DNT पालिसी, देवनारायण योजना में 200 करोड़ का पैकेज, विशेष योग्यजन के लिए छात्रवृत्ति में वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभान्वित को बी.पी.एल. का दर्जा देने, नेहरू बाल संरक्षण कोष आदि घोषणाओं के लिए मैं विभाग की तरफ से माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, प्रथम पंचवर्षीय योजना में पिछड़ी जाति के कल्याण के लिए स्थापित यह विभाग 'सर्वजन सुखाय-सर्वजन हिताय' की अपनी अनवरत यात्रा पर चलते हुए प्रदेश के दुर्बल वर्गों, विशेष तौर से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं समाज के दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि और उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से संरक्षण प्रदान करता है। वर्ष 2007 में इस विभाग का नाम सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग किया गया।

सभापति महोदय, हमारी प्रतिबद्धता गहरी होनी चाहिए और हमारे प्रयास बड़े होने चाहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ हमारा विभाग बालक से लेकर वृद्ध तक और महिलाओं से लेकर युवाओं तक, सबके कल्याण के प्रयास में लगा है।

सभापति महोदय, मुझे यह बताते हुए गर्व है कि आज विभाग के दायरे में समाज का प्रत्येक वर्ग शामिल है, चाहे वह सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

हो, आर्थिक दृष्टि से वंचित हो अथवा शारीरिक दृष्टि से अक्षम हो। मैं यहां कहना चाहूंगा कि गरीब, वंचित, पिछड़े वर्ग के जरूरतमंद लोग सदैव जननायक गांधीवादी मुख्य मंत्रीजी की प्राथमिकता में रहे हैं और उनकी भलाई के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है।

सभापति महोदय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी ने कहा है कि खुशी तब मिलेगी जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं उनमें सामंजस्य हो। सभापति महोदय, हमारे प्रदेश के संवेदनशील और सर्वजन हिताय की सोच वाले माननीय गांधीवादी मुख्य मंत्रीजी की कथनी-करनी एक है। वे जो सोचते हैं, कहते हैं, वह करते हैं।

माननीय अशोक गहलोतजी के नेतृत्व में विभाग ने फ्लैगशिप योजनाओं, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, सिलिकोसिस पालिसी, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्य मंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना और पालनहार योजना के माध्यम से समाज कल्याण के महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किये। इनके लिए नियमों का सरलीकरण कर इन्हें सुलभ और सहज बनाया।

लॉकडाउन की अवधि में भी विभाग ने निरन्तर कार्य करते हुए विभाग की विभिन्न योजनाओं से समाज के उपेक्षित व असहाय वर्गों को लाभान्वित किया। राज्य के यशस्वी मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोतजी ने सरकार बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में वृद्धावस्था पेंशन में 250 रुपये प्रति माह एवं विशेष योग्यजन पेंशन में 250 से 500 रुपये प्रति माह की वृद्धि की, जिससे लगभग 58 लाख पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन मिल रही है।

राजस्थान सरकार ने सिलिकोसिस पीड़ितों के दु:ख और उनके परिवार पर पड़ने वाले आर्थिक भार की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान न्यूमोकोनिओसिस सिलिकोसिस नीति, 2019 लागू की। प्रतिमाह 1500 रुपये, वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा 19361 सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्तियों को पेंशन राशि का भुगतान किया जा रहा है।

कृषक हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। कृषकों के प्रति इस भावना को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक पेंशन योजना लागू की गई। इसके अन्तर्गत 268000 किसान लाभान्वित हो रहे हैं। वर्तमान में राज्य में लगभग 8486000 पेंशनर्स हैं, जो माह दिसम्बर, 2018 की पेंशनर्स संख्या से लगभग 1950000 से अधिक हैं।

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि पेंशन संख्या में यह वृद्धि इसलिए हुई कि हमारी सरकार द्वारा दिनांक 01.07.2019 से पेंशन स्वीकृति की प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए स्वत: स्वीकृति की प्रक्रिया को लागू किया। प्रक्रिया का सरलीकरण होने के परिणामस्वरूप निर्धारित अवधि की पेंशन अवधि के पश्चात् लम्बित पेंशन आवेदन पत्रों की संख्या शून्य हो गई, जिससे पेंशन स्वीकृति हेतु पृथक् से शिविर आयोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप पेंशनर को समय पर पेंशन का भुगतान कर हमारी सरकार ने बड़ी राहत प्रदान की। पेंशनर के भौतिक सत्यापन के सम्बन्ध में पूर्व में यह व्यवस्था थी कि जिस माह में किसी पेंशनर को ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, जवाब दे रहे हैं और ये मंत्रीजी को डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज, प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, आप बीच में खड़े नहीं हों। आप बीच में खड़े नहीं हो सकते।

एक माननीय सदस्य: आपको क्या तकलीफ है?

श्री सभापति: कृपया शांत रहें।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, आयोजना): पेंशनर को पेंशन स्वीकृत की जाती है, उसे प्रति वर्ष उसी माह में भौतिक सत्यापन करवाना आवश्यक था, जिसके अभाव में उसकी पेंशन का भुगतान रोक दिया जाता था। राज्य सरकार ने पेंशनर को एक और राहत देते हुए उनके प्रति वर्ष माह नवम्बर एवं दिसम्बर में भौतिक सत्यापन कराये जाने का प्रावधान किया है। कोविड-19 की विषम परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस वर्ष भौतिक सत्यापन की अवधि 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दी गई है।

कोविड-19 के अत्यन्त कठिन समय में राज्य की संवेदनशील सरकार की तत्परता के कारण जरूरतमंद परिवारों को उपलब्ध करायी गयी सहायता राशि में विभाग ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मुझे माननीय सदस्यगण को यह बताते हुए अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि विभाग के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी राशि, रुपये 877 करोड़ सहित राज्य के 33 लाख जरूरतमंद परिवारों को हमारी सरकार द्वारा राशि रुपये 1155 करोड़ की सहायता राशि उपलब्ध करायी गयी।

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

पेंशन की स्वीकृति प्रक्रिया का सरलीकरण करने के साथ ही पेंशन के भुगतान की प्रक्रिया का भी सरलीकरण करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा माह अप्रैल, 2020 से पेंशन की केन्द्रीकृत भुगतान प्रणाली प्रारम्भ की गई। इसके अन्तर्गत पूर्व में राज्य के 292 कोष, उपकोष कार्यालयों द्वारा बिल तैयार करके भुगतान करने के स्थान पर विभाग के निदेशालय स्तर पर ही एक आहरण एवं वितरण अधिकारी बनाया गया है। राज्य के एक ही कोषालय के माध्यम से समस्त पेंशनर्स को भुगतान किया जा रहा है। इससे जहां एक ओर कोष-उपकोष कार्यालयों द्वारा पेंशन भुगतान हेतु अपनाई गई अलग-अलग कार्यविधि के स्थान पर एकीकृत कार्यप्रणाली होने से पेंशनर को राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर निदेशालय स्तर पर बजट नियंत्रण होने से बजट की आवश्यकता का समय पर आकलन कर त्वरित आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में हमारे विभाग का यह प्रयास है कि कोई भी बालक, जिसे नियति ने सामाजिक दृष्टि से अनाथ बना दिया है, उसके पालन-पोषण का दायित्व सरकार निभाये। पालनहार योजना के माध्यम से ऐसे अनाथ बच्चों के पालन-पोषण, शिक्षा आदि का कार्य सरकार की आर्थिक मदद से हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में पालनहार योजना के अन्तर्गत माह फरवरी, 2021 तक 495 करोड़ रुपये व्यय कर 494271 बच्चों को इस योजना से लाभान्वित किया गया है।

सभापति महोदय, विभाग द्वारा सत्र 2020-21 में 722 राजकीय एवं 84 अनुदानित विद्यालय, एक महाविद्यालय, स्त्री छात्रावास, कुल 806 छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। इनमें छात्र-छात्राओं की स्वीकृत क्षमता 38486 है। अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग राजकीय छात्रावासों की मैस भत्ते की राशि दो हजार रुपये से बढ़ाकर ढाई हजार रुपये प्रति विद्यार्थी प्रति माह की गई है।

माननीय सभापति महोदय, विभाग द्वारा 29 आवासीय विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं, जिसकी कुल स्वीकृत अभ्यर्थी संख्या 11184 है। इन आवासीय विद्यालयों में प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग के साथ-साथ अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग एवं निष्क्रमणीय पशुपालकों तथा भिक्षावृत्ति एवं अवांछित गतिविधियों में लिप्त परिवारों के विद्यार्थियों का शैक्षणिक विकास किया जा रहा है। इन आवासीय विद्यालयों

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

में अध्ययनरत विद्यार्थियों को नि:शुल्क शिक्षा, आवास, भोजन, विद्यालय पोषक, पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री आदि का समस्त व्यय राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जा रहा है। इन विद्यालय में 9 हजार 37 छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2020-21 में प्रवेश दिया गया है।

महिला पुनरुत्थान सुरक्षा एवं जीविकोपार्जन आदि के लिए संभाग स्तरीय नारी निकेतनों में राज्य महिला सदन में आवासीय महिलाओं की सुविधाओं हेतु वर्ष 2020-21 में प्रति माह प्रति आवासीय राशि 1900 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये किया गया है।

वृद्धावस्था में वृद्धजन अपने जीवन को सम्मानपूर्वक एवं उल्लासपूर्वक बिता सकें, इसके लिए विभाग द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम (डे-केयर सेंटर) एवं वृद्धाश्रम केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं, जिसमें 60 वर्ष या अधिक आयु के पुरुष एवं 55 वर्ष या अधिक आयु की महिलाओं को, नि:सहाय, संतानहीन, परित्यक्ता हो तथा परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो, ऐसे वृद्धजनों को प्रवेश दिया जाता है। वर्तमान में राज्य के 13 जिलों में 20 भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम, डे-केयर सेंटर तथा 23 जिलों में 42 वृद्धाश्रमों का संचालन किया जा रहा है, जिसकी स्वीकृति क्षमता 1275 है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में राशि रुपये 2 करोड़ 10 लाख के विरुद्ध माह फरवरी, 2021 तक 1 करोड़ 94 लाख रुपये व्यय कर वृद्धाश्रम डे-केयर सेंटर्स में कुल 1275 वृद्धजनों को लाभान्वित किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, अति पिछड़ा वर्गों के कल्याण हेतु देवनारायण योजना, वर्ष 2008-09 में पांच जिलों की 13 तहसीलों में प्रारम्भ की गयी थी। राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय श्री अशोक गहलोतजी के गत कार्यकाल से इसे पूर्ण राज्य में संचालित किया जा रहा है। देवनारायण योजनान्तर्गत अति पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के शैक्षणिक उत्थान हेतु अनुसूचित जाति, जनजाति के विद्यार्थियों के अनुरूप उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, अनुप्रति योजना, छात्रावास आवासीय विद्यालय संचालित हैं। देवनारायण योजनान्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए वर्ष 2020-21 में 222 करोड़ 36 लाख रुपये का बजट प्रावधान रखा गया, जिसके विरुद्ध माह फरवरी, 2021 तक 131 करोड़ 44 लाख रुपये व्यय हो चुका है। वर्ष 2021-22 में 213 करोड़ 76 लाख रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है।

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों पर गैर अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों द्वारा अत्याचार करने पर पीड़ित आश्रित को न्यूनतम राशि 85 हजार रुपये से अधिकतम 8 लाख 25 हजार रुपये तक की राहत राशि प्रदान की जाती है। विशेष योग्यजन कल्याण उत्थान के लिए वर्ष 2011-12 में विशेष योग्यजन निदेशालय की स्थापना की गयी। इनको सरकारी सेवाओं में आरक्षण का लाभ तीन प्रतिशत से बढ़ाकर चार प्रतिशत किया गया है। इससे विशेष योग्यजनों का सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व बढ़ेगा एवं आत्मनिर्भर बनेंगे।

माननीय सभापति महोदय, बच्चों के साथ होने वाली हिंसा, दुर्व्यवहार, उनके साथ सम्पूर्ण जीवनभर एक कटु अनुभव के रूप में साथ रहती है। लैंगिक हिंसा से पीड़ित बालक-बालिका एवं उनके परिवार के विचारण से पूर्व एवं विचारण के दौरान विभिन्न प्रकार के सहयोग प्रदान करने तथा बेहतर केस प्रबंधन के लिए विभाग द्वारा बाल मित्र योजना लागू की गयी है। योजना के अन्तर्गत बाल मित्र को बच्चों के केस प्रबंधन के लिए पारिश्रमिक के रूप में राशि रुपये 9 हजार प्रदान की जायेगी।

श्री सभापति: आप तो मांग पास करवा लो।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, आयोजना): माननीय सभापति महोदय, इस विशेष पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग के समग्र कल्याण एवं उत्थान के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। इसके लिए विभाग द्वारा विस्तृत कार्ययोजना विभिन्न पोर्टल के माध्यम से, आवेदन प्रक्रिया में सरलीकरण कर अधिक से अधिक व्यक्तियों को लाभान्वित करने के पूर्ण प्रयास किये जाएंगे। इसके लिए मैं गरीबों के मसीहा जन नायक गांधीवादी मुख्य मंत्री महोदय का विशेष आभार प्रकट करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, अजमेर दक्षिण से आने वाली माननीय सदस्या श्रीमती अनिता भदेलजी ने एस.सी., एस.टी. पर अत्याचार के बारे कहा है। मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानिटरिंग समिति की नियमित बैठक आयोजित हो एवं एफ.आई.आर. स्तर पर, चालान स्तर पर लम्बित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

माननीय सभापति महोदय, सिरोही से पधारने वाले वरिष्ठ माननीय सदस्य श्री संयम लोढ़ाजी ने उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के बारे में सदन में अपनी बात रखी है। मैं माननीय सदस्य एवं पूरे सदन को यह निवेदन करता हूं कि पिछले वर्षों की तुलना में दिसम्बर, 2020 तक छात्रवृत्ति कम वितरित हुई है परंतु मैं सदन को यह आश्वस्त करता हूं कि समस्त पात्र विद्यार्थियों को शीघ्र ही छात्रवृत्ति का वितरण करवाना सुनिश्चित किया जाएगा। गत वर्ष की छात्रवृत्ति भुगतान के आंकड़े माह मार्च, 2020 तक के हैं जबकि इस वर्ष के आंकड़े माह दिसम्बर, 2020 तक के हैं।

विराटनगर से आने वाले हमारे साथी माननीय सदस्य श्री इन्द्राज सिंहजी गुर्जर ने पालनहार योजना एवं पेंशन राशि का जिक्र किया है। इस सम्बन्ध में मैं सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि पालनहार योजना में पात्र लाभार्थियों को समय पर भुगतान किया जा रहा है। जहां तक पेंशन राशि बढ़ाने की बात है तो यह केन्द्र सरकार की पालिसी पर निर्भर करता है, केन्द्र का भी शेयर होता है इसलिए माननीय सदस्य से मैं यह कहूंगा।

यहां एक चीज और आयी थी कि कुछ माननीय सदस्यों ने अपने एम.एल.ए. लैड से जो कहा कि आधा पैसा हम दे दें और आधा पैसा सरकार से मिले, उसके लिए अपन बैठकर माननीय मुख्य मंत्रीजी से बात करके, उसके लिए प्रयास करेंगे कि वह योजना में हम सब भागीदार हों।

आप सबने मुझको सुना, बहुत-बहुत धन्यवाद। एक यह रह गया।

श्री सभापति: आप तो मांग पास कराओ।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, आयोजना): हां, यह ठीक है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को पारित किया जाए।

मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास का पारण

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,92,86,49,12,000/- (एक सौ बानवे अरब छियासी करोड़ उनचास लाख बारह हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(श्री सभापति)

जो पक्ष में हों, वह 'हां' कहें।

अनेक माननीय सदस्य: हां।

श्री सभापति: जो विपक्ष में हों, वह 'न' कहें।

अनेक माननीय सदस्य: न।

श्री सभापति: जो पक्ष में हों वह 'हां' कहें।

अनेक माननीय सदस्य: हां।

श्री सभापति: जो विपक्ष में हों, वह 'न' कहें।

अनेक माननीय सदस्य: न।

श्री सभापति: 'हां' पक्ष जीता, 'हां' पक्ष जीता।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,03,44,08,06,000/- (एक सौ तीन अरब चवालीस करोड़ आठ लाख छह हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 10 मार्च 2021 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20:51 बजे बुधवार, दिनांक 10 मार्च 2021 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्य के तारांकित प्रश्नोत्तर

टी एस पी क्षेत्र में आबंटित बजट

132. श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) अनुसूचित क्षेत्र में टीएसपी योजना क्या है? उक्त योजना किस-किस वर्ग के लिए बनाई गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना से अन्य वर्गों को भी लाभ दिया जा रहा है? यदि हां, तो विभाग को विगत पांच वर्षों में कितना बजट आबंटित हुआ व उसमें से कितना बजट व्यय हुआ? जिले व ग्राम पंचायत सहित योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत भारत सरकार से राज्यों को सहायता अनुदान 100% वार्षिक है। यह भारत के समेकित कोष (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अनुदान को छोड़कर एक अनिवार्य मद) के लिए लिया जाता है।

टीएसपी योजना (ट्राइबल सब प्लान) अन्तर्गत जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को निम्न मदों में राशि का आबंटन प्राप्त होता है।

1. जनजाति कल्याण निधि - राज्य बजट
2. केन्द्रीय सहायता मद -

अ. विशेष केन्द्रीय सहायता

ब. संविधान के अनुच्छेद 275 (1)

स. अति पिछडा वर्ग (पी.वी.टी.जी.) का विकास

द. जनजाति शोध संस्थानों को सहायता

य. लघु वन उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य

ट्राइबल सब प्लान की योजनाएं जनजाति वर्ग के कल्याण हेतु बनाई गयी हैं।

(2) जी नहीं। संविधान की धारा 275(1) योजना से विभाग द्वारा जनजाति वर्ग तथा जनजाति क्षेत्र को ही लाभान्वित किया जाता है।

गौलारी व बागथर (बसेड़ी) में आयुर्वेद औषद्यालयों की स्थापना

137. श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि जिला धौलपुर में नये आयुर्वेद औषधालय खोला जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी के गौलारी व बागथर में उक्त औषधालय कब तक खोल दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

बजट घोषणा वर्ष 2021-22 के बिन्दु संख्या 25 अन्तर्गत राज्य के 58 ब्लाक मुख्यालयों पर आयुर्वेद औषधालय चरणबद्ध रूप से प्रारम्भ किये जायेंगे, जिसके अन्तर्गत धौलपुर जिले में सैपऊ पंचायत समिति मुख्यालय पर नवीन आयुर्वेद औषधालय खोला जाना प्रस्तावित है ।

उक्त के अतिरिक्त वर्तमान में धौलपुर जिले में नये आयुर्वेद औषधालय खोले जाने का अन्य कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

खाजूवाला में बारानी व कमाण्ड भूमि का आबंटन

138. श्री गोविन्द राम (खाजूवाला): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में बारानी व कमाण्ड भूमि का सामान्य आबंटन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के प्रथम चरण में विभाग के पत्र दिनांक 15.01.1987 द्वारा सामान्य आबंटन प्रतिबंधित है। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में उपलब्ध सम्पूर्ण बारानी भूमि का आबंटन मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 65/2009 दिनांक 25.08.2009 के अनुसरण में विभाग के पत्र दिनांक 26.08.2009 द्वारा प्रतिबंधित है तथा द्वितीय चरण में बारानी भूमियों के अलावा चकबंदी क्षेत्र में कमाण्ड एवं अनकमाण्ड भूमियों के सामान्य आबंटन पर रोक नहीं है। भूमि की उपलब्धता और सक्षम पत्रावलियों के आधार पर आबंटन अधिकारी द्वारा आबंटन की कार्यवाही नियमानुसार की जाती है।

प्रतापगढ़ में विधि महाविद्यालय की स्थापना

140. श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में आगामी वित्तीय वर्ष में विधि महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में राजकीय विधि महाविद्यालय की स्थापना का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सरकारी विज्ञापनों में सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों की पालना

143. श्री रमेश चन्द मीना (सपोटरा): क्या सूचना एवं जन संपर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सरकार द्वारा जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2020 के मध्य कुल कितनी राशि के विज्ञापन प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में दिये गये? वर्षवार एवं विभागवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सभी विज्ञापनों में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों की पालना की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वांछित जानकारी संलग्न प्रपत्र संख्या 1 से 2 पर उपलब्ध है।

(2) राज्य सरकार द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों, बोर्ड, निगम आदि को परिपत्र संख्या DIPR/WP/C/13/2003/2851-956 जयपुर दिनांक 02.06.2015 एवं परिपत्र संख्या DIPR/WP/C/2003/161-267 जयपुर दिनांक 05.02.2019 द्वारा निर्देशित किया जा चुका है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

भोपालसागर (कपासन) में महाविद्यालय की स्थापना

146. श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र कपासन के उपखण्ड मुख्यालय भोपालसागर में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त स्थान पर राजकीय महाविद्यालय स्थापना के लिए कोई कार्ययोजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र कपासन के उपखण्ड मुख्यालय भोपालसागर में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) जी नहीं।

कोटा सम्भाग में इंजीनियरिंग कालेजों में स्वीकृत सीटें

147. श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि नीति आयोग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स में प्रदेश के इंजीनियरिंग कालेजों की स्थिति संतोषजनक नहीं है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत 2 वर्षों में कोटा संभाग के इंजीनियरिंग कालेजों में कितने नवीन संकाय खोले गये तथा कितने छात्रों का प्लेसमेन्ट हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त संभाग के इंजीनियरिंग कालेजों में कितनी सीटें स्वीकृत हैं तथा कितनी सीटें रिक्त हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए क्या प्रयास कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। नीति आयोग द्वारा जारी इण्डिया इनोवेशन इंडेक्स के अन्तर्गत स्कूल शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा किये गये विभिन्न आयामों जैसे Investment, Safety & Legal Environment, Knowledge workers, business Environment Knowledge output, Knowledge diffusion एवं Human Capital की सूचना के आधार पर निकाला जाता है। नीति आयोग के द्वारा जारी इण्डिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में राजस्थान राज्य की स्थिति एवं इंडेक्स का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विगत दो वर्षों में कोटा सम्भाग के इंजीनियरिंग कालेजों के अभियांत्रिकी संकाय में एक संस्थान मोदी इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी में एक नया संकाय (आर्टीफिशियल इन्टेलीजेन्स एण्ड डाटा साइन्स) वर्ष 2020-21 में खोला गया।

विगत दो वर्षों में कोटा सम्भाग के इंजीनियरिंग कालेज में हुए प्लेसमेन्ट सम्बन्धी विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) कोटा संभाग के 04 (कोटा, झालावाड़, बारां, बून्दी) जिलों में 04 निजी इंजीनियरिंग कालेज, राजकीय क्षेत्र में 02 स्ववित्तपोषित इंजीनियरिंग कालेज एवं 01 राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का संघटक महाविद्यालय स्थापित है, जिनकी कुल स्वीकृत प्रवेश क्षमता 2613 है। इस वर्ष अभियांत्रिकी प्रवेश प्रक्रिया रीप-2020 सम्पन्न होने के पश्चात् 1827 सीटें रिक्त हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की दृष्टि से विभाग के अधीन संचालित पोलीटेक्निक महाविद्यालयों में आई.आई.आई. सेल में स्टूडेंट एडवाइजरी एवं गाइडेंस ब्यूरो चालू कर दिये गये हैं। सत्र 2020-21 से सेमेस्टर आधारित पाठ्यक्रम पोलीटेक्निक महाविद्यालयों में लागू किया गया है। विद्यमान ब्रांच की क्षमता में परिवर्तन करते हुए व्यवसाय उन्मुख नवीन ब्रांच रोबोटिक्स, मैकेट्रोनिक्स, साइबर फॉरेसिक एंड इनफोर्मेशन सिक्योरिटी सत्र 2020-21 से 19 पोलीटेक्निक में नवीन ब्रांच शुरू की गई तथा चार अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में Artificial Intelligence & Data Science, Machine Learning, Internet of Things पाठ्यक्रम प्रारम्भ कर दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा आटोकैड, रेफ्रिजरेशन, अनुरक्षण विषयक कोर्स कराये जा चुके हैं। समय की मांग के अनुसार सम्बन्धित संस्थाओं से निरन्तर समन्वय व सामन्जस्य स्थापित किया जा रहा है। पोलीटेक्निक महाविद्यालयों

(राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा)

द्वारा I.I.I. Cell के माध्यम से उद्योगों के साथ एम.ओ.यू. किये गये। औद्योगिक क्षेत्र के विशेषज्ञों को आमंत्रित कर CII के प्रतिनिधियों तथा AICTE के अध्यक्ष के साथ बैठक आयोजित की गई। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा की बोर्ड आफ स्टडीज में उद्योगों के प्रतिनिधियों को नामित किया गया। विभाग द्वारा विभिन्न वेबीनार भी आयोजित की गई।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लाभार्थी

143. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) प्रदेश में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब प्रारम्भ हुई? उक्त योजनान्तर्गत 01 जनवरी, 2021 तक कितने लघु उद्योगों को कितना ऋण उपलब्ध करवाया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में अधिकतम कितनी राशि का ऋण कितने ब्याज पर स्वीकृत किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला चूरू में उक्त प्रोत्साहन योजना में 01 जनवरी, 2021 तक कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितने प्रकरण स्वीकृत किये गये तथा कितना ऋण वितरण हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना दिनांक 17.12.2019 से प्रारम्भ हुई। योजनान्तर्गत 01 जनवरी, 2021 तक 5337 लघु उद्योगों को राशि रुपये 92127.178 लाख का ऋण उपलब्ध करवाया गया है, जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) योजना में अधिकतम 10 करोड़ रु. तक का ऋण योजनान्तर्गत प्रावधित वित्तीय संस्थानों के माध्यम से कराये जाने का प्रावधान है, जिसमें 25 लाख रु. तक की परियोजनाओं पर 8 प्रतिशत, 25 लाख से 5 करोड़ रु. तक की परियोजनाओं पर 6 प्रतिशत एवं 5 करोड़ रु. से 10 करोड़ रु. तक की परियोजनाओं पर 5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

योजनान्तर्गत अधिकतम 10 करोड़ रु. तक ऋण दो इकाइयों/उद्यमों को वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान किया गया है, जिन पर वित्तीय संस्थानों द्वारा निम्नानुसार ब्याज दर प्रभारित किया गया है:-

क्र. सं.	जिले का नाम	वित्तीय संस्थान	ऋण राशि	प्रभारित अधिकतम ब्याज दर
1	जयपुर	एचडीएफसी बैंक	10.00 करोड़	7.35 प्रतिशत
2	जयपुर	आईसीआईसीआई बैंक	10.00 करोड़	7.90 प्रतिशत

(उद्योग मंत्री)

(3) योजनान्तर्गत 01 जनवरी, 2021 तक चूरू जिले में 825 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 597 आवेदन विभिन्न वित्तीय संस्थानों को अग्रेषित किये गये। इनमें से 81 प्रकरणों में 1536.36 लाख रु. का ऋण स्वीकृत तथा 68 प्रकरणों में 1434.95 लाख का ऋण वितरण किया गया है।

दौसा में आयुर्वेद औषधालय खोलने की योजना

144. श्री मुरारी लाल (दौसा): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र दौसा में कितने आयुर्वेद औषधालय कहां-कहां पर संचालित हैं?

(2) उक्त औषधालयों में कौन-कौनसे पद स्वीकृत हैं तथा कितने रिक्त हैं? औषधालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त औषधालयों में से कितनों के भवन उपलब्ध हैं एवं कितने भवनविहीन हैं?

(4) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में नये आयुर्वेद औषधालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दौसा में 20 आयुर्वेद चिकित्सालय/औषधालय संचालित हैं, जिनकी स्थानवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त चिकित्सालय/औषधालय में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र दौसा में सभी आयुर्वेद चिकित्सालय/औषधालयों के भवन उपलब्ध हैं। कोई भी चिकित्सालय/औषधालय भवन विहीन नहीं है।

(4) जी नहीं। दौसा जिले में नये आयुर्वेद औषधालय खोले जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

गोगुन्दा में पी.एच.सी. तथा सी.एच.सी. पर एम्बुलेंस का संचालन

145. श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री प्रताप लाल भील) (गमेती)

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में कुल कितनी 108 एम्बुलेंस किस-किस पी.एच.सी. तथा सी.एच.सी. या अन्य स्थान से संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में 108 एम्बुलेंस का संचालनकर्त्ता कौन-कौन है? ऐसी कितनी एम्बुलेंस हैं जिनमें ड्राइवर नहीं हैं तथा ऐसी कितनी एम्बुलेंस हैं जो खराब हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कितने पी.एच.सी. तथा सी.एच.सी. केन्द्र हैं जिनकी एम्बुलेंस नाकारा हो चुकी हैं? क्या सरकार उक्त के स्थान पर नई एम्बुलेंस उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में कुल चार 108 एम्बुलेंस संचालित हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**बेस लोकेशन**	**खण्ड का नाम**	**वाहन संख्या**
1	उप स्वा. केन्द्र झाडोली	गोगुन्दा	RJ14PC7683
2	पीएचसी सायरा		RJ14PC7700
3	पुलिस थाना गोगुन्दा		RJ14PC7144
4	सीएचसी बेकरीया	कोटडा	RJ14PB7420

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में 108 एम्बुलेंस का संचालनकर्ता सेवाप्रदाता कंपनी जीवीके-ईएमआरआई है। विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में संचालित उक्त सभी 108 एम्बुलेंसों पर ड्राइवर हैं। उक्त सभी एम्बुलेंस चालू हैं तथा कोई भी एम्बुलेंस खराब नहीं है।

(3) उक्त एम्बुलेंस में से वर्तमान में कोई भी एम्बुलेंस नाकारा घोषित नहीं की गई है।

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के कार्मिकों का स्थायीकरण

146. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना संचालित हो रही है? यदि हां, तो उक्त योजना में कार्मिकों की नियुक्ति की

(श्री प्रताप सिंह)

क्या प्रक्रिया निर्धारित कर रखी है? उक्त योजना में कौन-कौनसे संवर्ग के कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त योजना में कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना में नियमित फार्मासिस्ट (जिनकी राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1965 के तहत भर्ती की जाती है) नियुक्त किये जाते हैं।

दवा वितरण हेतु फार्मासिस्ट, रिकार्ड संधारण हेतु मशीन विद मैन एवं सहायक कार्य हेतु हैल्पर को संवेदक के माध्यम से वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.04.2018 के अनुसार कार्य हेतु लिया जाता है। (संलग्न परिशिष्ट-अ)

योजना के अन्तर्गत वर्तमान में कार्यरत फार्मासिस्ट, मशीन विद मैन एवं हैल्पर तथा नियमित फार्मासिस्ट की जिलेवार सूचना परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। संवेदक/प्लेसमेन्ट एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 एवं यथा संशोधित नियमों में सीधे नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

महात्मा गांधी आयुष्मान भारत योजना का क्रियान्वयन

147. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना लागू की गई है? यदि हां, तो उक्त योजना क्या है?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उक्त योजना के स्थान पर प्रदेश में महात्मा गांधी आयुष्मान भारत योजना लागू की गई है? यदि हां, तो दोनों में क्या अंतर है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना व केन्द्र की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को एकीकृत कर दिनांक

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

01.09.2019 से आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना संचालित की जा रही है। इसका नवीन चरण 30 जनवरी, 2021 से लागू किया गया है। इस योजना के निम्न प्रावधान हैं:-

1. इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं आर्थिक, सामाजिक एवं जाति आधारित जनगणना (एसईसीसी) 2011 में पात्र लाभार्थी परिवारों को योजना में शामिल किया गया है।
2. योजनान्तर्गत साधारण बीमारी हेतु 50 हजार एवं गम्भीर बीमारी हेतु 4.5 लाख रु. तक का नि:शुल्क उपचार प्रति परिवार प्रति वर्ष उपलब्ध करवाया जा रहा है।
3. इसमें 23 प्रकार की स्पेशिलिटी के कुल 1576 पैकेज के तहत लाभार्थियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा।
4. मरीज के भर्ती होने से 5 दिन पूर्व के जांच एवं परामर्श शुल्क एवं उपचार के 15 दिनों बाद तक का फालोअप इलाज भी योजना के पैकेज राशि में शामिल किया गया है।
5. इस योजना में केवल आर्थिक, सामाजिक एवं जाति आधारित जनगणना (एसईसीसी) 2011 के पात्र परिवारों की प्रीमियम राशि का 60 प्रतिशत भाग भारत सरकार द्वारा दिया जायेगा जबकि एन.एफ.एस.ए. का पूरा 100 प्रतिशत एवं एस.ई.सी.सी. की 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी। इस प्रकार राज्य की योजना की कुल प्रीमियम राशि रुपये 1798.76 करोड़ का लगभग 80 प्रतिशत भाग राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा, जबकि भारत सरकार द्वारा केवल 20 प्रतिशत भार ही वहन किया जायेगा।

(2) जी हां। प्रदेश में राज्य सरकार की पूर्व संचालित भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना एवं भारत सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को एकीकृत कर दिनांक 01.09.2019 से आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना को संचालित किया गया है, जिसका नवीन चरण दिनांक 30.01.2021 से लागू हुआ है। भारत सरकार द्वारा संचालित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं प्रदेश में वर्तमान संचालित आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना में निम्न अन्तर है:-

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

क्र.सं.	आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना	आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना
1	केवल आर्थिक, सामाजिक एवं जाति आधारित जनगणना (एसईसीसी) 2011 के 59.71 लाख पात्र परिवार ही लाभार्थी हैं।	आर्थिक, सामाजिक एवं जाति आधारित जनगणना (एसईसीसी) 2011 के साथ-साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र परिवार इस योजना हेतु लाभार्थी हैं।
2	**वित्तीय भार वहन:-** भारत सरकार द्वारा अधिकतम प्रीमियम राशि रुपये 1052 प्रति परिवार प्रति वर्ष की दर से केवल आर्थिक, सामाजिक एवं जाति आधारित जनगणना (एसईसीसी) 2011 के 59.71 लाख पात्र परिवारों के लिए 60 प्रतिशत प्रीमियम राशि का वित्तीय भार ही वहन किया जायेगा।	योजनान्तर्गत प्रीमियम राशि रुपये 1662 प्रति परिवार प्रति वर्ष निर्धारित की गयी है, जिसमें से केवल आर्थिक, सामाजिक एवं जाति आधारित जनगणना (एसईसीसी) 2011 के 59 लाख 71 हजार पात्र परिवारों की प्रीमियम राशि का भार भारत सरकार द्वारा अधिकतम निर्धारित राशि रु. 1052 प्रति परिवार प्रति वर्ष की सीमा में 60 प्रतिशत वहन किया जायेगा। शेष समस्त वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

अजमेर में खाद्य पदार्थों में मिलावट के दर्ज प्रकरण

148. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला अजमेर में वर्ष 2019 व 2020 में खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच के कितने नमूने लिये गये एवं उनमें से कितने नमूनों में मिलावट पायी गयी? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा मिलावट पाये गये उक्त नमूनों के दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री वासुदेव देवनानी)

(3) क्या सरकार खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिए कोई कठोर कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अजमेर जिले में वर्ष 2019 व 2020 में खाद्य पदार्थों की जांच हेतु लिये गये नमूनों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	**वर्ष**	**कुल लिये गये नमूने**	**मिलावटी पाये गये नमूने**			**कुल मिलावटी नमूने**
			सबस्टैंडर्ड	**मिसब्राण्ड**	**अनसेफ**	
1	2019	278	59	14	03	76
2	2020	315	37	22	20	79
	योग	**593**	**96**	**36**	**23**	**155**

(2) अजमेर जिले में वर्ष 2019 व 2020 में खाद्य पदार्थों में मिलावट के दोषियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	**वर्ष**	**मिलावटी नमूनों की संख्या**	**संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरणों की संख्या**
1	2019	76	76
2	2020	79	21 (शेष 58 मामलों के अनुसंधान प्रक्रियाधीन हैं)
योग		155	97

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(3) जी हां। राज्य में मिलावटी एवं प्रदूषित खाद्य सामग्री के विक्रय/निर्माण की रोकथाम हेतु मिलावटखोरों के विरुद्ध खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम और विनियम 2011 में निहित प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जाती है।

खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम और विनियम 2011 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा भारत सरकार से प्राप्त नवीनतम दिशा-निर्देशानुसार खाद्य पदार्थों की जांच एवं गुणवत्ता बनाये रखने हेतु तथा मिलावटियों को दण्डित करने हेतु कार्यवाही निरन्तर की जा रही है तथा इस हेतु दिनांक 26.10.2020 से निरन्तर 'शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान' संचालित किया जा रहा है।

खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम और विनियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अवमानक (सब-स्टैंडर्ड) पाये गये प्रकरणों में अधिकतम 5.00 लाख रुपये तक, धारा 52 के अन्तर्गत मिथ्याछाप (मिसब्राण्ड) पाये गये प्रकरणों में अधिकतम 3.00 लाख रुपये तक, धारा 53 के अन्तर्गत भ्रामक (मिसलीडिंग) पाये गये प्रकरणों में अधिकतम 10.00 लाख रुपये तक एवं धारा 59 के अन्तर्गत असुरक्षित (अनसेफ) पाये गये प्रकरणों में 6 माह से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा एवं 10.00 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित उक्त अधिनियम में राज्य सरकार के स्तर पर किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। इस अधिनियम में मिलावट के विरुद्ध जुर्माना एवं आजीवन कारावास का प्रावधान है।

मिलावटियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों को सम्बन्धित माननीय सी.जे.एम./ए.सी.जे.एम. न्यायालय तथा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय (ए.डी.एम कोर्ट) में विधि अनुरूप आवश्यक कार्यवाही करवाने हेतु पेश किये जाते हैं एवं माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

चरागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने की योजना

149. श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के उपरान्त भी प्रदेश में चरागाह भूमि अतिक्रमण मुक्त नहीं हो पायी है? यदि

(श्री कन्हैया लाल)

हां, तो क्या सरकार प्रदेश में उक्त भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के उपखण्ड मालपुरा व टोडारायसिंह में राजस्व रिकार्ड के अनुसार कितनी चरागाह भूमि है? उसमें कितनी हैक्टेयर भूमि अतिक्रमण मुक्त है और कितनी भूमि पर अतिक्रमण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र की चरागाह भूमि पर किन-किन ने अतिक्रमण कर रखा है? पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों को उक्त भूमि के अतिक्रर्मी व्यक्तियों के नाम पते की जानकारी होने के उपरान्त भी उक्त भूमि अतिक्रमण मुक्त नहीं करवाई जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चरागाह भूमि व अन्य शामलात भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करने हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 में राजकीय भूमि पर से अतिक्रमण हटाये जाने के प्रावधान हैं। वर्तमान में विभागीय पत्र दिनांक 11.09.2017 द्वारा ऐसी भूमियों को अवैध कब्जाधारियों से मुक्त कराने हेतु समस्त जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिये गये हैं तथा मा. उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10819/2019 जगदीश प्रसाद मीणा एवं अन्य बनाम राजस्थान सरकार से पारित आदेश दिनांक 30.01.2019 की पालना में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में पीएलपीसी का गठन कर ग्रामीण क्षेत्रों में सामूहिक भूमियों एवं सार्वजनिक भूमियां एवं सार्वजनिक स्थलों यथा चरागाह, जोहड़, तालाब, नदी, श्मशान, कब्रिस्तान, इत्यादि पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों के समुचित निस्तारण एवं अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में राजस्व (ग्रुप 6) विभाग के पत्र दिनांक 24.04.2019 एवं 26.12.2019 द्वारा समस्त जिला कलेक्टर को निर्देश प्रदान किये गये हैं तथा अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में समय-समय पर राजस्व विभाग द्वारा निर्देश प्रदान किये जाते रहे हैं।

(राजस्व मंत्री)

(2)

1. उपखण्ड क्षेत्र टोडारायसिंह में राजस्व रिकार्ड अनुसार कुल चरागाह भूमि रकबा 5724.01 है. भूमि है, जिसमें से रकबा 5530.09 है. चरागाह भूमि मुक्त है एवं रकबा 193.92 है. चरागाह भूमि पर अतिक्रमण है।
2. उपखण्ड क्षेत्र मालपुरा में राजस्व रिकार्ड भूमि है, जिसमें से रकबा 9869 है. चरागाह भूमि मुक्त है एवं रकबा 272 है. भूमि पर अतिक्रमण है।

(3)

1. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के उपखण्ड क्षेत्र टोडारायसिंह में चरागाह भूमि पर जिन-जिन व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर रखा है, उनकी पटवार मण्डल वाइज सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।
2. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के उपखण्ड क्षेत्र मालपुरा में चरागाह भूमि पर जिन-जिन व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर रखा है, उनकी पंचायतवार सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा चरागाह भूमि के अतिक्रमी व्यक्तियों का मालूम होने पर उनके विरुद्ध पटवार हलका से एलआरएक्ट की धारा 91 के तहत रिपोर्ट प्राप्त की जाकर, प्राप्त रिपोर्ट को दर्ज रजिस्टर कर, दर्ज प्रकरणों में नियमानुसार पेनल्टी राशि से दण्डित कर, नीलामी सम्बन्धी कार्यवाही कर मौके से अतिक्रमी को बेदखल किया जाता है। वर्तमान में विभागीय पत्र दिनांक 11.09.2017 को ऐसी भूमियों को अवैध कब्जाधारियों से मुक्त कराने हेतु समस्त जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिये गये हैं तथा मा. उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10819/2019 जगदीश प्रसाद मीणा एवं अन्य बनाम राजस्थान सरकार से पारित आदेश दिनांक 30.01.2019 की पालना में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में पीएलपीसी का गठन कर ग्रामीण क्षेत्रों में सामूहिक भूमियों एवं सार्वजनिक भूमियां एवं सार्वजनिक स्थलों यथा चरागाह, जोहड़, तालाब, नदी, श्मशान, कब्रिस्तान, इत्यादि पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों के समुचित निस्तारण एवं अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में राजस्व (ग्रुप 6) विभाग के पत्र दिनांक 24.04.2019 एवं 26.12.2019 द्वारा समस्त जिला कलेक्टर

(राजस्व मंत्री)

को निर्देश प्रदान किये गये हैं तथा अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में समय-समय पर राजस्व विभाग द्वारा निर्देश प्रदान किये जाते रहे हैं।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

माण्डलगढ़ में आरक्षित भूमि पर गार्डन बनाने की योजना

150. श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के बिजौलिया में देवनारायण की डूंगरी के नजदीक सरकार द्वारा आरक्षित भूमि स्थित है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि पर गार्डन व खुला जिम बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के बिजौलिया में देवनारायण की डूंगरी के नजदीक बिजौलिया कलां के खसरा सं. 921/2 क्षेत्रफल 2.4281 हैक्टेयर भूमि सार्वजनिक वृक्षारोपण प्रयोजनार्थ आरक्षित है, जिसमें से आदेश दिनांक 26.12.2019 से ग्राम पंचायत बिजौलिया कलां को सार्वजनिक पार्क हेतु आबंटन किया गया है।

स्थानीय विधायक महोदय एवं सांसद महोदय द्वारा अनुशंसा किये जाने एवं राज्य सरकार से विभिन्न योजना मदों से राशि प्राप्त होने पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा उक्त भूमि पर गार्डन व खुला जिम बनवा दिया जायेगा।

जायल में चरागाह भूमि पर अतिक्रमियों के विरुद्ध कार्यवाही

151. श्रीमती मंजु देवी (जायल): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजस्व रिकार्ड में चरागाह के रूप में दर्ज भूमि का न तो आबंटन हो सकता है और न ही कब्जे का नियमन हो सकता है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र जायल में किस-किस का कहां-कहां पर कितनी-कितनी भूमि पर कब से कब्जा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार चरागाह भूमि पर हो रहे अतिक्रमणों को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि राजस्व रिकार्ड में चरागाह के रूप में दर्ज भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि है, जिसका न तो आबंटन हो सकता है न कब्जे का नियमन हो सकता है।

विधान सभा क्षेत्र जायल में चरागाह भूमि पर 217 अतिक्रमियों द्वारा 426.16 बीघा पर कब्जा है, जिसकी ग्रामवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) चरागाह भूमि व अन्य शामलात भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करने हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 में राजकीय भूमि पर से अतिक्रमण हटाये जाने के प्रावधान हैं। तहसील क्षेत्र जायल में चरागाह भूमि पर किये गये अतिक्रमणों के सम्बन्ध में अतिक्रमियों के विरुद्ध धारा 91 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

वर्तमान में विभागीय पत्र दिनांक 11.09.2017 को ऐसी भूमियों को अवैध कब्जाधारियों से मुक्त कराने हेतु समस्त जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिये गये हैं तथा मा. उच्च न्यायालय, जयपुर मे दायर डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10819/2019 जगदीश प्रसाद मीणा एवं अन्य बनाम राजस्थान सरकार से पारित आदेश दिनांक 30.01.2019 की पालना में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में पीएलपीसी का गठन कर ग्रामीण क्षेत्रों में सामूहिक भूमियों एवं सार्वजनिक भूमियां एवं सार्वजनिक स्थलों यथा चरागाह, जोहड़, तालाब, नदी, श्मशान, कब्रिस्तान, इत्यादि पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों के समुचित निस्तारण एवं अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के पत्र दिनांक 24.04.2019 एवं 26.12.2019 द्वारा समस्त जिला कलेक्टर को निर्देश प्रदान किये गये हैं तथा अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में समय-समय पर राजस्व विभाग द्वारा निर्देश प्रदान किये जाते रहे हैं।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

पड़ासोली बड़वा की सरकारी भूमि को रक्षा विभाग को देने की योजना

152. श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री लक्ष्मण मीणा)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी के ग्राम पड़ासोली-बड़वा की सरकारी भूमि को सेना के प्रतिष्ठान के लिए रक्षा विभाग को देने का प्रस्ताव था?

(2) क्या रक्षा विभाग उक्त भूमि को लेकर यहां सेना का कोई प्रतिष्ठान बनाने का इच्छुक है अथवा सरकार उक्त भूमि को कोई अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बस्सी के ग्राम बड़वा की 820.11 बीघा व ग्राम पड़ासोली की 760.16 बीघा कुल 1581 बीघा 07 बिस्वा रक्षा विभाग को राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर के पत्रांक 9(11)राज-3/16 दिनांक 21.03.2017 द्वारा राजकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

(2) वर्तमान में प्रकरण सेना विभाग को आबंटित भूमि के राशि समायोजन के क्रम में विचाराधीन है। प्रकरण के निस्तारण होने के पश्चात् ही अन्य विकल्प पर विचार किया जा सकेगा।

अनुसूचित क्षेत्र को आबंटित बजट

153. श्री राजकुमार रोत (चौरासी): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला डूंगरपुर में वर्ष 2018 से दिसम्बर, 2020 तक विभाग को आबंटित मद से कितने कार्य स्वीकृत हुए? स्वीकृत राशि व कार्यवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विभाग को आबंटित मद का उपयोग आदिवासी बहुल क्षेत्र के अलावा गैर-आदिवासी बहुल क्षेत्र में हो सकता है? यदि हां, तो वर्ष 2018 से दिसम्बर, 2020 तक कितने कार्य स्वीकृत हुए? स्वीकृत हुए कार्यवार सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अनुसूचित क्षेत्र में वर्ष 2018 से दिसम्बर 2020 तक राज्य सरकार, केन्द्र सरकार व अन्य मदों से कितना बजट आबंटित हुआ? किस-किस जिले में किस-किस कार्य के लिए कितना-कितना व्यय किया गया? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा वर्तमान सरकार के गठन

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

से डूंगरपुर जिले में 183 कार्यों हेतु राशि रु. 5637.53 लाख रु. स्वीकृत किये गये। (कार्यवार विवरण की सूचियां परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।)

(2) जी नहीं। जनजाति विभाग को आबंटित मद का उपयोग आदिवासी बहुल क्षेत्र (अनूसूचित क्षेत्र, माडा क्षेत्र एवं बिखरी आबादी क्षेत्र) के अलावा गैर-आदिवासी बहुल क्षेत्र में नहीं हो सकता है।

(3) अनुसूचित क्षेत्र में वर्ष 2018 से दिसम्बर, 2020 तक राज्य सरकार व केन्द्र सरकार से प्राप्त बजट निम्नानुसार है:-

(राशि करोड़ रुपये)

क्र.सं.	वर्ष	राज्य सरकार से प्राप्त बजट एवं व्यय		केन्द्र सरकार से प्राप्त बजट एवं व्यय		योग	
		आबंटन	व्यय रिलीज अनुसार	आबंटन	व्यय रिलीज अनुसार	आबंटन	व्यय रिलीज अनुसार
1	2018-19	300.59	292.64	250.47	245.30	551.06	537.94
2	2019-20	328.41	278.45	271.07	258.23	599.48	536.68
3	2020-21	387.81	249.24 **दिसम्बर 2020 तक**	260.89	163.71 **दिसम्बर 2020 तक**	648.70	412.95 **दिसम्बर 2020 तक**

उपरोक्त बजट में से निर्माण कार्यों पर जिलेवार व्यय निम्नानुसार है:-

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	जिले	स्वीकृत कार्यों का विवरण		व्यय राशि
		संख्या	राशि	
1.	डूंगरपुर	183	5637.53	1625.23
2.	उदयपुर	333	7046.61	1961.66
3.	बांसवाड़ा	681	13800.69	5028.68
4.	प्रतापगढ़	66	3010.21	567.90
5.	आबूरोड (सिरोही)	30	133.82	53.13

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

वर्ष 2018 से दिसम्बर 2020 तक जिला राजसमन्द, चित्तौड़गढ़ एवं पाली के नव विस्तारित अनुसूचित क्षेत्र में कोई नवीन निर्माण सम्बन्धी कार्य स्वीकृत नहीं हुआ। (जिलेवार, कार्यवार विवरण की सूचियां परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।)

(सूचियां पुस्तकालय में रखीं गयीं)

थानागाजी में कन्या महाविद्यालय की स्थापना

154. श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार प्रदेश के प्रत्येक उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में प्रदेश के प्रत्येक उपखण्ड मुख्यालय पर कन्या महाविद्यालय खोले जाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में कन्या महाविद्यालय खोले जाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अनुसूचित क्षेत्र के महाविद्यालय में रिक्त पदों पर भर्ती की कार्ययोजना

155. श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार अनुसूचित क्षेत्र में समस्त जिला मुख्यालयों पर राजकीय महाविद्यालय के नये भवनों का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अनूसूचित क्षेत्र (टीएसपी) के समस्त महाविद्यालयों में रिक्त पदों की भर्ती कराकर उक्त पदों को शीघ्र भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अनुसूचित क्षेत्र के जिला मुख्यालय उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व डूंगरपुर में से क्रमश: राजकीय कन्या महाविद्यालय प्रतापगढ़ व राजकीय विधि महाविद्यालय डूंगरपुर के नवीन भवन का निर्माण जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग से करवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) अनुसूचित क्षेत्र में स्थित महाविद्यालयों में रिक्त पदों को नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर यथासमय भरा जा सकेगा।

राजकीय महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के रिक्त पद

156. श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में व्याख्याताओं एवं प्राचार्यों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं एवं उनमें से कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के महाविद्यालयों में किस-किस विषयों के व्याख्याताओं के कितने-कितने पद कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में सह/सहायक आचार्यों एवं प्राचार्य के स्वीकृत व रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में स्थित राजकीय महाविद्यालय, बालेसर व राजकीय महाविद्यालय, शेरगढ़ में सह/सहायक आचार्यों के विषयवार (कब से) रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) उक्त रिक्त पदों को नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर यथासमय भरा जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

किशनगढ़ व अराई के राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त पद

157. श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री सुरेश टाक)

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के राजकीय महाविद्यालय, किशनगढ़ और अराई में विभिन्न विषयों के सहायक आचार्य व सह आचार्य के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो किन-किन विषयों के? महाविद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर सहायक आचार्य व सह आचार्य का पदस्थापन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ स्थित राजकीय महाविद्यालय, किशनगढ़ व अराई में विभिन्न विषयों के सहायक/सह आचार्य के स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त पदों का विवरण क्रमश: परिशिष्ट-1 व 2 पर संलग्न है।

(2) उक्त रिक्त पदों को नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर यथासमय भरा जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

बूंदी में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना

158. श्री अशोक डोगरा (बूंदी): क्या संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या सरकार बूंदी जिला मुख्यालय पर संस्कृत महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्तमान में जिला बूंदी के जिला मुख्यालय पर संस्कृत महाविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जयपुर के जगद्गुरू रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षकों को 7वें वेतनमान का परिलाभ

159. श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): क्या संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या जगद्गुरू रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर के शिक्षकों को सातवें वेतनमान के परिलाभ दिये गये हैं? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

(2) क्या सरकार सातवें वेतनमान के परिलाभ संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षकों को देने का विचार रखती है? यदि हां, तो यह प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर ली जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त विश्वविद्यालय को सरकार द्वारा 01 जनवरी, 2019 से जवाब प्रस्तुत करने तक राशि और अतिरिक्त बजट स्वीकृत किया है? यदि हां, तो किस-किस मद में एवं कब-कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त विश्वविद्यालय को विशेष आर्थिक अनुदान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कितना? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जगद्गुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर के शिक्षकों को सातवें वेतनमान के परिलाभ हेतु प्रस्ताव भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया है। समुचित प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव है।

(2) जी हां। जगद्गुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर के शिक्षकों को सातवें वेतनमान के परिलाभ हेतु समुचित प्रस्ताव भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया है। समुचित प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव है।

(3) जी नहीं।

(4) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है।

रटलाई (खानपुर) में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना

160. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र खानपुर के रटलाई कस्बे में संस्कृत महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र खानपुर के रटलाई कस्बे में संस्कृत महाविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट 01

मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 30-**जनजाति क्षेत्रीय विकास** के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

1. एससी की तर्ज पर भील जनजाति को भी कृषि विद्युत कनेक्शनों में प्राथमिकता देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
2. टाडा-माडा योजना की तर्ज पर जोधपुर संभाग के भील जनजाति के संवर्द्धन हेतु योजना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
3. अनुसूचित जनजाति आरक्षण में भील जनजाति के लिए अलग से प्रावधान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोतमलाल (धरियावद):

4. लसाड़िया-धरियावद सड़क से उदयपुर-प्रतापगढ़ सड़क वाया सुखली नदी पर बड़ी पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

5. प्रदेश में जनजाति क्षेत्र में ITI कालेज एवं प्रशिक्षण के नि:शुल्क शिविर लगाकर डिप्लोमा दिये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम (चौहटन):

6. सीमावर्ती क्षेत्र चौहटन (बाड़मेर) में टाडा/माडा योजना के लागू करने, सेड़ावा सीमावर्ती ब्लाक में एकलव्य (आवासीय) विद्यालय खोलने एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों को विद्युत कनेक्शन में प्राथमिकता देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़):

7. शेरगढ़ में जनजाति क्षेत्र में आवासीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

8. बिखरी आबादी में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को विशेष सुविधाएं प्रदान करने के लिए बजट उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

9. बिखरी आबादी में निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए विशेष पैकेज देने पर चर्चा के लिये।
10. बिखरी आबादी में निवास कर रहे अनुसूचित जनजाति की आबादी क्षेत्र में सी.सी. सड़कें, नालियां एवं सामुदायिक भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
11. जनजाति क्षेत्रों से बाहर रहने वाले अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को कृषि कनेक्शन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
12. बिखरी आबादी में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए विशेष अनुदान की योजना बनाने पर चर्चा के लिये।

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी):

13. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के माडा चयनित गांवों एवं बिखरी जनजातीय क्षेत्रों में विभिन्न विभागीय योजनाओं के अधूरे लक्ष्यों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल):

14. जनजाति वर्ग के लिए पृथक से विकास की योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
15. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में अमरभुन पंचायत एवं देलवाड़ा में TAD छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
16. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के पीपलखूंट पंचायत समिति के अन्तर्गत केशरपुरा, बावड़ी, रोहनिया एवं सोबनिया पंचायत में नवीन छात्रावास खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
17. अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिये नि:शुल्क कोचिंग सेन्टर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
18. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में नई सड़कें स्वीकृत कर गांव-ढाणियों को डामरीकृत सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

19. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा की पछाड़ पंचायत में भील समाज को छात्रावास के लिए जमीन आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
20. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा की जनजाति बहुल ग्राम पंचायत में माडा विकास योजना के तहत कार्य करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक (खण्डार):

21. जनजातीय क्षेत्र में समान रूप से विकास कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

22. अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष योजना टाडा-माडा की ही तरह रेगिस्तानी जिले बाड़मेर व जैसलमेर में निवास करने वाले एस.टी. के लोगों के लिए विशेष योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. अनुसूचित जाति वर्ग के विद्युत कनेक्शन आवेदकों की भांति अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों को भी विद्युत कनेक्शनों में वरीयता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. विधान सभा क्षेत्र सिवाना की एस.टी. बहुल ग्राम पंचायतों में विशेष बजट उपलब्ध करवाकर इनकी बस्तियों व ढाणियों में विकास कार्य करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. एस.टी. वर्ग की कालोनियों, बस्तियों एवं ढाणियों में विशेष अध्यापकों के विशेष विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. जनजाति क्षेत्रीय विकास के तहत सहरिया, कथौड़िया जाति के निवासरत जिलों में नरेगा के 200 दिन एक वर्ष में कार्य दिये जाने की तर्ज पर रेगिस्तानी जिलों के आदिवासी क्षेत्रों बाड़मेर एवं जैसलमेर में भी नरेगा में 200 दिन का रोजगार दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़):

27. TSP क्षेत्र में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा बनाये जा रहे बांधों व एनिकटों के डूब क्षेत्र में आने वाली आदिवासियों की भूमि का मुआवजा भी जनजाति क्षेत्र विकास विभाग द्वारा देने का प्रावधान करने तथा माटाधाम बांध की रिवाइज स्वीकृति निकालकर एवं केलाडैम की स्वीकृति कराकर नहरों का निर्माण कर गरीब आदिवासी परिवारों की सूखी पड़ी भूमि को सिंचित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

28. जिला मुख्यालय प्रतापगढ़ पर जिला स्तरीय स्वच्छ परियोजना कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

29. आदिवासी क्षेत्र अमृतीया बावजी, चुनाडेम मोका टोंक, कन्जीया, फुल्दा (देवपुरा) में एनिकट बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

30. प्रतापगढ़ जिले में चकुण्डा, कानगढ़, बोरी A, हिंगलाट, जोलर एवं देवपुरा में आश्रम छात्रावास खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

31. उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में जनजाति किसानों को अलग योजना के माध्यम से रोजगार दिलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

32. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में शहीद रतनलाल मीणा के ग्राम बोराकला ग्राम पंचायत बड़ी उन्दरी को सड़क से जोड़ने के लिए चर्चा के लिये।

33. उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत टीडी में इंजीनियरिंग कालेज खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

34. उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए लघु उद्योग लगाकर (खोलकर) रोजगार उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

35. जनजाति क्षेत्रों में सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए सामुदायिक भवन बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा):

36. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा (टोंक) में भील व अन्य पिछड़ी जातियों को शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु आवासीय विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

37. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा (टोंक) में निवासरत आदिवासी एवं पिछड़े छात्रों के लिए उप खण्ड टोडारायसिंह व मालपुरा में नवीन छात्रावास खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

38. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा (टोंक) के उप खण्ड मालपुरा व टोडारायसिंह की अनुसूचित जाति व जनजाति की छात्राओं के लिए छात्रावास खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज):

39. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज (शाहबाद) में 2006 में बने नियम के बावजूद जनजातीय किसानों को वन भूमि पर खेती करने वालों को भूमि का पट्टा नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

40. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज (शाहबाद) में जनजाति क्षेत्र में पानी की समस्या को देखते हुए एनिकट का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में जनजाति क्षेत्रों में बिजली से वंचित घरों में विद्युत कनेक्शन देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

42. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज (शाहबाद) में जनजाति की छात्रवृत्तियों में भुगतान में आ रही बाधाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

43. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में जनजाति विकास विभाग द्वारा पाल सर्सिया, नठारापाल, गामड़ापाल, बलुआ आदि में छात्रावास खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

44. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में जनजाति बहुल क्षेत्र में एनिकट निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

45. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के जनजाति क्षेत्र के विकास के लिये नई सड़कें बनाने व नई पुलिया निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

46. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के जनजाति क्षेत्र में आंगनबाड़ी, मां-बाड़ी और सामुदायिक भवन बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

47. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में जनजाति क्षेत्र के विकास के लिये नि:शक्तजन बालकों एवं बालिकाओं को विद्यालय में नि:शुल्क प्रवेश व छात्रवृत्ति दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू):

48. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू के जनजाति क्षेत्र के विद्यालयों में कक्षा-कक्षों के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

49. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू में जनजाति बालिका छात्रावास नया बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू में जनजाति क्षेत्र में पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री पब्बाराम (फलौदी):

51. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में माडा योजनान्तर्गत राशि आबंटन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बाबुलाल (झाडोल):

52. विधान सभा क्षेत्र झाडोल में जनजाति क्षेत्र के विद्यालयों में कक्षा-कक्षों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. जनजाति बालिका छात्रावास मसदी में बैड बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. विधान सभा क्षेत्र झाडोल के जनजाति क्षेत्र में पुलिया बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

55. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में स्थित एकलव्य आवासीय विद्यालय बिहारीपुरा में आवश्यक सुविधाओं का अभाव एवं अव्यवस्थाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

56. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) के जनजाति छात्रावासों में आवश्यक सुविधाओं का अभाव तथा रिक्त पदों पर पदस्थापन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

57. राज्य की राजधानी जयपुर में आदिवासी विकास केन्द्र विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मुरारी लाल (दौसा):

58. विधान सभा क्षेत्र दौसा के खानवास एवं चोरडी में एकलव्य आवासीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. विधान सभा क्षेत्र दौसा के ग्राम चौरडी लाड़ली का बास व तीतरवाड़ा कलां में माडा योजनान्तर्गत बालिका आश्रम छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत):

60. मगरा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों खोड़िया, रापरा, गुडाबीज, गुडारामसिंह, हरियामाली, केलवाद में पीने के पानी की उचित व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

61. मगरा क्षेत्र में सड़कों का निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. मगरा क्षेत्र की ग्राम पंचायतें एवं राजस्व गांवों पोखरिया नाडी, सालरमाला, गजनई, रोड़ावास इत्यादि में शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु स्कूल भवन बनवाने एवं विशेष पाठशालाएं लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास):

63. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में जनजाति आवासीय विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

64. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में जनजाति बहुल क्षेत्रों में नए एनिक्टों का निर्माण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

65. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में माडा योजना के तहत सामुदायिक भवन तथा नलकूपों की स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

66. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में माडा योजना के तहत सीसी रोड बनवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़):

67. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के 50 प्रतिशत से अधिक जनजाति आबादी वाले गांवों को माडा योजना में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

68. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में जनजाति विभाग से सार्वजनिक सामुदायिक भवन एवं नलकूपों की स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

69. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के जनजाति क्षेत्र में माडा योजना से ज्यादा बजट आबंटित कर क्षेत्र का विकास करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

70. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में माडा योजना में आने वाले गांवों में सीसी रोड बनवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बलवान पूनियां (भादरा):

71. जनजातियों के संदर्भ में आरक्षण की उचित व्याख्या करने के संबंध में चर्चा के लिये।

72. जनजातीय क्षेत्रों में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

73. जनजातीय क्षेत्रों में बच्चों में कुपोषण को दूर करने एवं मृत्यु दर को कम करने के संबंध में चर्चा के लिये।

74. प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रीय ट्रिब्यूनल के गठन करने के संबंध में चर्चा के लिये।

75. अनुसूचित क्षेत्र में गैर अनुसूचित क्षेत्र के कार्यरत तृतीय श्रेणी अध्यापकों को गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानान्तरित कर रिक्त होने वाले पदों पर अनुसूचित क्षेत्र के बेरोजगारों को अवसर देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

76. मरुस्थलीय क्षेत्र के पिछड़े जनजाति के लोगों को जनजाति क्षेत्रीय विकास की योजनाओं के अन्तर्गत लाभ प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा):

77. पंचायत समिति इटावा व सुल्तानपुर में वर्ष 2020-21 में अनुसूचित जनजाति के कृषकों को इलैक्ट्रिक पंप सैट उपलब्ध कराने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. जयपुर में आदिवासी केन्द्र की स्थापना हेतु अरावली विचार मंच को सहयोग देने में विभागीय विफलता पर उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

79. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के ग्राम लुहाबद (इटावा) एवं बूढ़ादीत (सुल्तानपुर) में आश्रम छात्रावास निर्माण कराने में बरती जा रही विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिये।

80. माडा योजनान्तर्गत आने वाले ग्राम नारायणपुरा (इटावा) के रास्ते पर सूकरजी नदी पर पुल निर्माण के प्रस्ताव तैयार कर पुलिया निर्माण में बरती गई उदासीनता पर चर्चा के लिये।

81. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के ग्राम खातौली (पंचायत समिति इटावा) में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी):

82. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी जिला बांसवाड़ा में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा आमजन के लिये विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक कार्य

विभिन्न योजनाओं में करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में नवीन मां-बाड़ी केन्द्र खोलकर विभिन्न योजनाओं को क्रियान्विति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी की विभिन्न ग्राम पंचायतों में सौर ऊर्जा से संबंधित नवीन योजना स्वीकृत कर प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रशांत बैरवा (निवाई):

85. विधान सभा क्षेत्र निवाई में माडा योजना का लाभ न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा):

86. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में जनजाति बहुल क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

87. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में जनजाति बहुल क्षेत्रों में छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर):

88. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर की नगर परिषद् डूंगरपुर में आदिवासियों की भूमि नहीं लेने एवं भूमि पर काबिज लोगों को खातेदारी हक दिलवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

89. अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासनिक सेवा में राज्य के 12 प्रतिशत में से 6.5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान अनुसूचित क्षेत्र के लिये करने तथा अनुसूचित क्षेत्र में सभी भर्तियों में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण लागू करने के संबंध में।

90. गैर अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति भील जनजाति को आरक्षण दिये जाने एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

91. TSP अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में वर्ष 1995 के पश्चात् गैर अनुसूचित क्षेत्र के व्यक्तियों द्वारा फर्जी मूल निवास प्रमाण पत्र बनाकर पैट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी एवं खनन आबंटन कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

92. अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में नवीन गहरे कुएं खुदवाने एवं नरेगा में 200 दिन कार्य दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

93. मावली उपखण्ड मुख्यालय पर जनजाति छात्रावास की स्वीकृति जारी करने के संबंध में चर्चा के लिये।

94. विधान सभा क्षेत्र मावली की गैर अनुसूचित पंचायतों की जनजाति बस्तियों में सोलर पनघट, पानी की टंकियां, विद्यालय भवन व सड़क निर्माण की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिये।

95. विधान सभा क्षेत्र मावली की अनुसूचित बस्तियों में डामर सड़क, विद्यालय भवन एवं पानी की टंकियों के निर्माण कार्य की स्वीकृति देने के संबंध में चर्चा के लिये।

96. विधान सभा क्षेत्र मावली की टी.एस.पी. पंचायत समिति भलों का गुडा में भेकड़ा से तलका तक सम्पर्क सड़क व पुलिया निर्माण की स्वीकृति देने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):

97. सिरोही व शिवगंज तहसील में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा विकास कार्यों पर धन न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

98. जोधपुर सम्भाग के आदिवासियों की सरकारी नौकरियों में घटती संख्या के संबंध में चर्चा के लिये।

99. सिरोही व शिवगंज तहसील के 50 फीसदी से ज्यादा आबादी वाले आदिवासी गांवों को टीएसपी में शामिल करने के संबंध में चर्चा के लिये।

100. शहीद बाबूलाल मीणा के ग्राम केसरपुरा में स्मारक निर्माण हेतु धन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. सिरोही जिला मुख्यालय पर एकलव्य आवासीय विद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर):

102. जनजातीय क्षेत्रों में विकास की लागू योजनाओं की सफलता व असफलता के प्रतिशत का आंकलन करने के संबंध में चर्चा के लिये।

103. जनजातीय क्षेत्रों के लिए केन्द्र व राज्य से संचालित योजनाओं में

व्यय होने वाली राशि का भौतिक सत्यापन कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

104. जनजातीय क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं से होने वाले कार्यों के भौतिक सत्यापन में स्थानीय जन प्रतिनिधियों को सम्मिलित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

105. जनजातीय क्षेत्रों में कुपोषित बच्चों के संरक्षण के लिए चल रही योजनाओं की प्रभावी मानिटरिंग करने के संबंध में चर्चा के लिये।

106. जनजातीय क्षेत्रों में संचालित छात्रावासों में आवश्यक संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-02

मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 33- **सामाजिक सुरक्षा और कल्याण** के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

1. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण की योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

2. बानसूर के जनजातीय क्षेत्रों हरसोरा, कुराना, नारायणपुर एवं रामपुर में सामुदायिक भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
3. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में देवनारायण योजना के तहत आवासीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम (चौहटन):

4. सेड़वा ब्लाक में अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावास खोलने, सामाजिक कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाओं की प्रभावी क्रियान्विति एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही आनुपातिक (90:10) के आधार पर चलाई जा रही सामाजिक कल्याण की योजनाओं के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा):

5. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा की बड़ी पंचायतों में आवासीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना):

6. विधान सभा क्षेत्र नीम का थाना में शेष रहे पात्र व्यक्तियों को पेंशन योजना से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़):

7. शेरगढ़ में सामुदायिक भवन बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):

8. सामूहिक विवाह पर देय अनुदानों के प्रकरणों का निस्तारण समय पर

नहीं होने और समय पर राशि का भुगतान नहीं होने से सामूहिक विवाह समिति को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

9. मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक और 55 वर्ष से कम आयु की पात्र महिलाओं को दी जाने वाली पेंशन राशि को 500/- रुपये से बढ़ाकर 2000/- किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. जिले में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण नियम, 1995 के तहत द्वितीय एवं तृतीय स्तर पर पीड़ितों को राहत राशि दिये जाने में अजमेर में बरती जा रही उदासीनता के संबंध में चर्चा के लिये।

11. विधान सभा क्षेत्र अजमेर (दक्षिण) में समय पर पालनहार योजना के पात्र लोगों को लाभ नहीं मिलने तथा राशि को बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. नवजीवन योजना के अन्तर्गत आने वाली जातियों के इच्छुक छात्र-छात्राओं हेतु आई.टी.आई., पोलीटेक्निक कालेज एवं महाविद्यालयों को शिक्षा योजना से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी):

13. प्रदेश के SC/ST/OBC विशिष्ठ OBC/दिव्यांगों, महिलाओं व बच्चों के कल्याण हेतु बनी योजनाओं की क्रियान्विति करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

14. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण योजना के अन्तर्गत प्रदेश के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए चिकित्सा सुविधा, सड़क तंत्र को मजबूत करना, पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने तथा समाज में अपराध नहीं हो, उसके लिए पुलिस तंत्र को मजबूत बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

15. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण योजना के अन्तर्गत लोगों के जीवन स्तर को बेहतरीन बनाने के लिए प्रदेश में औद्योगिक इकाई की स्थापना किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

16. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण योजना के अन्तर्गत प्रदेश के लोगों के

जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

17. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में विकलांगों, विधवाओं और परित्यक्ताओं को रोजगार दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में गरीबों की पेंशन नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

19. सामाजिक सुरक्षा अधिकारी का पद ब्लाकवार सृजित करने, उक्त पद को सरकार द्वारा विलोपित कर जिला मुख्यालय पर एक ही कार्यालय रखने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

20. समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों की जर्जर हालात को सुधारने एवं सिणधरी, सिवाना, पादरू, समदड़ी के छात्रावासों में शौचालयों का अभाव होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

21. मोकलसर में एन.एच. 325 के निर्माण होने से समाज कल्याण विभाग के छात्रावास के आवागमन में आ रही समस्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

22. समाज कल्याण विभाग के छात्रावास पादरू के भवन के ऊपर से बिजली की हाइटेंशन लाइन निकलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

23. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के आवेदकों को समय पर भुगतान नहीं होने एवं बजट का अभाव होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़):

24. प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर अनुसूचित जाति का छात्रावास खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

25. प्रदेश में वृद्धावस्था व विधवा पेंशन राशि बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना में जरूरतमंद व्यक्तियों को जोड़ने हेतु साइट पुन: चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. प्रदेश में दिव्यांगों के सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया सरल करने, दिव्यांगों के अंग प्रत्यारोपण के लिए कैम्प लगाने एवं दिव्यांगों को कैम्प लगाकर स्कूटी वितरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना में 08 बीघा बारानी जमीन की शर्त हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. विधान सभा क्षेत्र नोखा में श्री तिलोक मेघवंशी अनुदानित छात्रावास एवं अम्बेडकर छात्रावास में सीटें बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पुखराज (भोपालगढ़):

30. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के SC-ST एवं OBC वर्ग के उच्च शिक्षा अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति समय पर दिलवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता):

31. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के SC-ST एवं OBC वर्ग के उच्च शिक्षा अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति समय पर नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

32. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के विशेष योग्यजनों की पेंशन बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव):

33. सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेंशन का भुगतान पटवारियों के द्वारा कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा):

34. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के दिव्यांगजनों का चिन्हीकरण कर मोटराइज्ड तिपहिया वाहन उपलब्ध कराने हेतु बजट आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के पालनहार योजना के लाभार्थी छात्र-छात्राओं के लिए उप खण्ड स्तर पर आवासीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के दिव्यांगजनों की सहायता हेतु प्रत्येक

ग्राम पंचायत पर दिव्यांगजन सहायता केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अविनाश (जैतारण):

37. प्रदेश में दिव्यांगों के सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण करने, कैम्प लगाकर दिव्यांगों के अंग प्रत्यारोपण एवं स्कूटी वितरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना में जरूरतमंद व्यक्तियों/परिवारों को जोड़ने हेतु साइट पुन: चालू करने एवं इस योजना का लाभ लेने के लिए 08 बीघा बारानी जमीन की शर्त हटाने सहित अन्य प्रावधान का सरलीकरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन की राशि बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. समाज कल्याण विभाग के माध्यम से चलने वाले NGO द्वारा संचालित किये जाने वाले कार्य की कार्य प्रणाली व आडिट रिपोर्ट की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में संचालित कस्तूरबा छात्रावास, अम्बेडकर छात्रावास, समाज कल्याण छात्रावास के भवनों की मरम्मत एवं अध्ययनरत छात्रों के लिए सुविधा/सीटें/छात्रवृत्ति बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज):

42. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज (शाहबाद) में सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण की योजनाओं को बेहतर करने के संबंध में चर्चा के लिये।

43. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज (शाहबाद) में समाज कल्याण विभाग के छात्रावास की जर्जर हालत को सुधारने एवं शौचालयों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज (शाहबाद) में जनजाति क्षेत्रों में सामुदायिक भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज (शाहबाद) में विधवाओं, विकलांगों और परित्यक्ताओं को रोजगार दिलाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

46. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के संबंध में दिव्यांगों को समय के अनुसार इलेक्ट्रोनिक्स तीन पहिया वाहन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
47. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के संबंध में दिव्यांग, परित्यक्ता, विधवा एवं वृद्धजन की पेंशन के भुगतान में विलम्ब होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
48. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के संबंध में विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में रहने वाले दिव्यांग, निराश्रित, विधवा परित्यक्ता को नि:शुल्क आवास उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
49. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के संबंध में विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में दिव्यांग, निराश्रित, विधवा, परित्यक्ता, वृद्ध महिलाओं को नि:शुल्क बस यात्रा सुविधा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
50. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सलूम्बर, सराड़ा, सेमारी, झल्लारा, जयसमन्द पंचायत समिति में सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

51. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में पर्याप्त बजट का प्रावधान करने के संबंध में चर्चा के लिये।
52. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की योजनाओं की क्रियान्विति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास):

53. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के संबंध में विधान सभा क्षेत्र बामनवास में नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने एवं आंगनबाड़ी विहीन केन्द्रों के लिए भवन बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।
54. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में वंचितों को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, पालनहार योजना का लाभ दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।
55. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में देवनारायण योजनान्तार्गत आवासीय विद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

56. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के संबंध में प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत सहयोगिनियों/साथिनों का मानदेय बढ़ाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़):

57. प्रदेश में वृद्धावस्था, विधवा व विकलांग पेंशन योजना में योग्य लोगों को दी जाने वाली राशि को बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

58. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बलवान पूनियां (भादरा):

59. विधान सभा क्षेत्र भादरा में सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए खाद्य सुरक्षा योजना को पुन: सुदृढ़ करने के संबंध में चर्चा के लिये।

60. विधान सभा क्षेत्र भादरा में अनुसूचित जातियों के वार्डों में नशा मुक्ति अभियान चलाने के संबंध में चर्चा के लिये।

61. विधान सभा क्षेत्र भादरा में छात्रवृत्तियों के भुगतान में देरी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

62. विधान सभा क्षेत्र भादरा में समाज कल्याण छात्रावासों की संख्या एवं क्षमता बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

63. विधान सभा क्षेत्र भादरा में शुभ शक्ति योजना के भुगतान करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

64. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के ब्लॉक मुख्यालय कल्याणपुर में अनुसूचित जाति/जनजाति का छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में फर्जी दस्तावेजों पर प्राप्त कर रहे पेंशन की सामाजिक आडिट/जांच कर उनको खारिज करने एवं वंचितों को लाभान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में संचालित छात्रावासों में सुविधाओं एवं संसाधनों की कमी की पूर्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण की लागू

योजनाओं के लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु बजट आवंटन एवं स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा):

68. जामडोली (जयपुर) के अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावास में अन्य वर्ग के छात्रों को प्रवेश दिये जाने से अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीब छात्रों को प्रवेश लेने में आ रही समस्याओं के समाधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में PMAGY योजना में अमरपुरा, झोपड़ियां, उकल्दा आदि ग्रामों के कार्यों की स्वीकृति एवं राशि उपलब्ध करवाने में बरती जा रही उदासीनता के संबंध में चर्चा के लिये।

70. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में विगत दो वर्षों में ग्रामीण एवं शहरी पोप (POP) योजना में लक्ष्य अनुसार प्रगति कर पाने में विफल कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) के अमरपुरा एवं लुहावद के मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों को पूर्ण केन्द्र बनाने तथा रघुनाथपुरा (बम्बलिया कलां), बरना हाली (ढीपरी चम्बल) में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने में विभागीय विफलता के संबंध में चर्चा के लिये।

72. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को समय पर प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने की विधायक द्वारा प्रेषित शिकायत पर त्वरित कार्यवाही करने में बरती गई उदासीनता के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं):

73. विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं में सामाजिक सुरक्षा हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी):

74. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी एवं जिला बांसवाड़ा में सामाजिक सुरक्षा और कल्याण हेतु संचालित समस्त योजनाओं, आवासीय छात्रावासों तथा डा. अम्बेडकर आवासीय विद्यालय खोलने, बांसवाड़ा में भ्रष्टाचार एवं पर्याप्त विषयाध्यापक, स्टाफ, रख-रखाव आदि के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

75. प्रदेश में विप्र कल्याण बोर्ड की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिये।

76. मावली उप खण्ड मुख्यालय पर दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण व कौशल विकास केन्द्र की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिये।

77. मावली उप खण्ड मुख्यालय पर मूक-बधिर व दिव्यांग बालकों के लिए विद्यालय व छात्रावास की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कालूराम (डग):

78. सामाजिक सुरक्षा के तहत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पेंशन व पालनहार योजना में पेंशन वृद्धि करने तथा सामाजिक सुरक्षा के तहत समाज कल्याण विभाग से समय पर ऋण उपलब्ध नहीं करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

79. भवानी मण्डी के छात्रावासों में सामाजिक सुरक्षा के तहत सुविधा उपलब्ध नहीं होने से अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलने व छात्रवृत्ति में वृद्धि करने के संबंध में चर्चा के लिये।

80. विधान सभा क्षेत्र डग में अनुसूचित जाति के 40 प्रतिशत आबादी वाले गांवों में जहां अम्बेडकर भवन बनाये जाने हैं, उनमें समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. विधान सभा क्षेत्र डग में सामाजिक सुरक्षा के तहत अनुसूचित जाति के बालिका छात्रवास के साथ-साथ बालक छात्रावास खोलने एवं उक्त में आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में चर्चा के लिये।

82. विधान सभा क्षेत्र डग के चौमहला में अनुसूचित जाति के बालक एवं बालिका छात्रावास को आवासीय अम्बेडकर छात्रावास में परिवर्तित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर):

83. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में बुजुर्ग व्यक्तियों के फिंगर प्रिन्ट नहीं आने पर भुगतान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

84. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में समाज कल्याण के कालेज से डिप्लोमा कर रहे युवाओं को समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलने के संबंध में चर्चा के लिये।

85. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में लोगों को समय पर पेंशन नहीं मिलना व देवल के बैंक आफ बड़ौडा में बैंक मैनेजर द्वारा डायरी फेंकने की घटना के संबंध में चर्चा के लिये।

86. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में विकलांग व्यक्तियों को ट्राईसाइकिल, स्कूटी देने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

87. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ (बीकानेर) की पंचायत समिति श्रीडूंगरगढ़ में सामाजिक सुरक्षा/कल्याण के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला):

88. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला (बीकानेर) में SC/ST के लिए विशेष योजना बना कर सामाजिक सुरक्षा के लिए कानून बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर):

89. नागौर जिले में सरकारी मद से दिव्यांगों को स्कूटी/ट्राईसाइकिल (इलेक्ट्रोनिक) उपलब्ध कराने के लिए बजट जारी करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

90. प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा और कल्याण हेतु ब्लाक स्तर पर खोले गये कार्यालयों को यथास्थान पर रखने के संबंध में चर्चा के लिये।

91. SC, ST, OBC, SBC एवं अल्पसंख्यक व अन्य श्रेणियों में दिये जाने वाले ऋणों के भौतिक सत्यापन के लिए कमेटी का गठन कर स्थानीय जन प्रतिनिधियों को सम्मिलित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

92. नागौर जिला मुख्यालय पर ओबीसी के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास के निर्माण हेतु बजट जारी करने के संबंध में चर्चा के लिये।

93. नागौर जिले में समाज कल्याण के माध्यम से गैर सरकारी संगठनों को दिये गये कार्यों में जारी बजट की जांच करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):

94. सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत प्राइवेट कम्पनियों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान करने के संबंध में चर्चा के लिये।

95. सिरोही जिले के अनुसूचित जाति के संगठनों को छात्रावास हेतु

रियायती दर पर आबंटित भूमि की लीज राशि माफ करने के संबंध में चर्चा के लिये।

96. सिरोही जिले में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ हुए अपराध में राज्य सरकार द्वारा सहायता उपलब्ध न कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

97. सिरोही जिले में जिला मुख्यालय पर अनुसूचित जाति के युवाओं को कोचिंग उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

98. सरकारी नौकरियों में सिरोही जिले के अनुसूचित जाति के युवाओं की घटती संख्या के संबंध में चर्चा के लिये।